IUC ACADEMY

INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY

Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

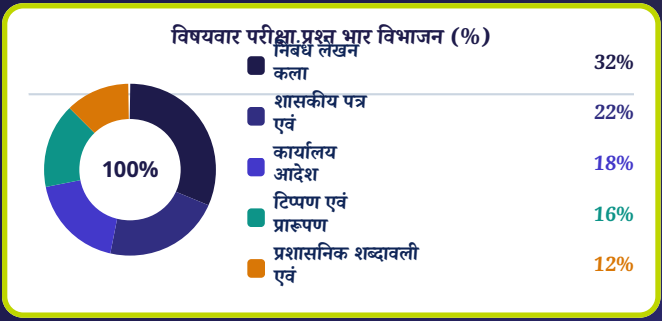
IUC अकादमी नोट्स

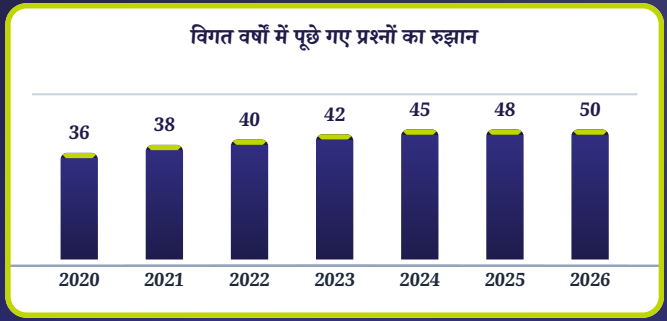
संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

संपूर्ण निबंध लेखन, शासकीय पत्र लेखन, संक्षेपण एवं वर्णनात्मक परीक्षा अध्ययन नोट्स

COMPLETE ESSAY, OFFICIAL LETTER WRITING, PRECIS & DESCRIPTIVE Study Notes

UPSC CSE Mains, UPPSC PCS एवं RO/ARO Mains, BPSC Mains, CAPF AC Paper-2, IBPS/SBI PO Descriptive, RBI Grade B एवं High Court RO/ARO के लिए 20+ मॉडल निबंध, शासकीय व अर्ध-शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, टिप्पण-प्रारूपण, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रशासनिक शब्दावली





लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ (Target Exams Coverage)

UPSC CSE Essay • UPPSC PCS & RO/ARO Mains • BPSC/MPPSC/RAS Mains • CAPF AC Paper-2 • IBPS/SBI PO Descriptive • High Court RO/ARO

इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- निबंध लेखन कला एवं 20+ पूर्ण मॉडल निबंध (दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, कृषि, पर्यावरण व AI) (32%)
- शासकीय पत्र (Official Letter) एवं अर्ध-शासकीय पत्र (D.O. Letter) — प्रारूप व अंतर (22%)
- कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक एवं प्रेस विज्ञप्ति (18%)
- टिप्पण एवं प्रारूपण (Noting/Drafting), सारणीयन (Tabular Form), संक्षेपण (1/3) व पल्लवन (16%)
- प्रशासनिक शब्दावली (250+ शब्द) एवं English Descriptive (Formal Letters & Essays) (12%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

तुलनात्मक सारणियाँ
प्रवाह आरेख व चार्ट

स्मृति सूत्र
त्वरित रिवीजन बिंदु

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — संपूर्ण निबंध लेखन, शासकीय पत्र लेखन, संक्षेपण एवं वर्णनात्मक परीक्षा अध्ययन नोट्स

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन नोट्स

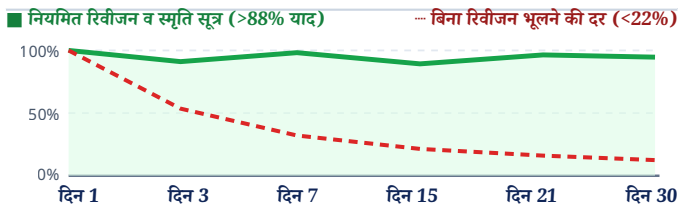
प्रिय अभ्यर्थियों,

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मृति सूत्र (Memory Tricks)** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

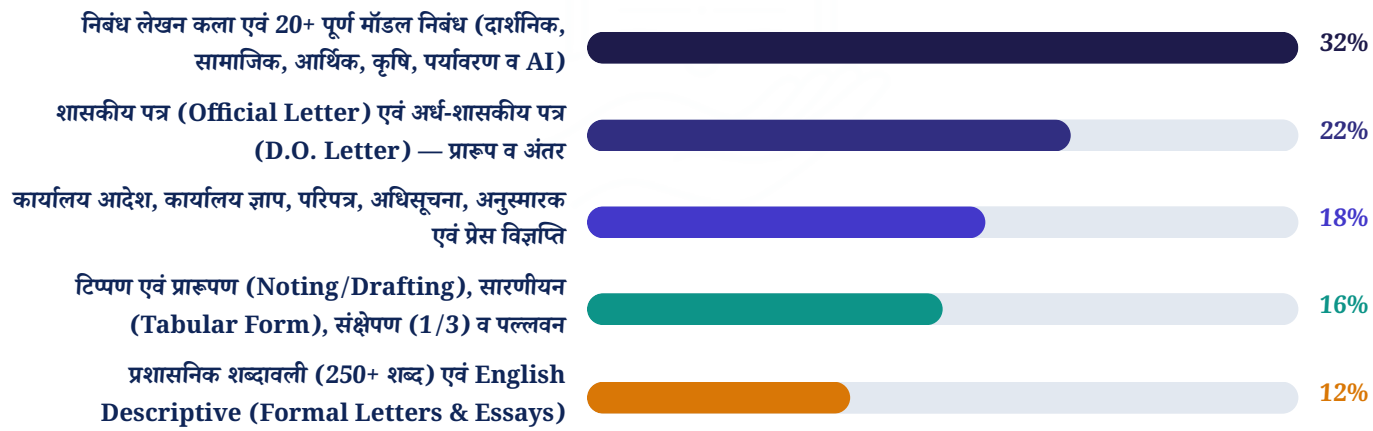
कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ



अध्यायवार एवं खंडवार प्रश्न भार सूचकांक (Topic-wise Weightage %)



प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत (Verified Official Sources)

- IUC Academy Essay & Hindi Drafting Syllabus (https://upsc.gov.in/)
- UPPSC Official Syllabus & Drafting Rules (https://uppsc.up.nic.in/)
- संविधान की राजभाषा एवं प्रशासनिक प्रावधान (https://www.legislative.gov.in/constitution-of-india)

विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना (Table of Contents)

संपूर्ण निबंध लेखन, शासकीय पत्र लेखन, संक्षेपण एवं वर्णनात्मक परीक्षा अध्ययन नोट्स • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित रिवीजन

1. पुस्तक क्रमांक 33: संपूर्ण निबंध लेखन, शासकीय पत्र लेखन, संक्षेपण एवं वर्णनात्मक परीक्षा अध्ययन नोट्स

- (Complete Essay, Official Letter Writing, Precis, Draft Writing & Descriptive Paper Study Notes)

2. पुस्तक संरचना एवं परीक्षा-वार अंक भार सारणी

3. अध्याय 1: प्रभावी निबंध लेखन की कला एवं रणनीति

4. 1.1 निबंध का अर्थ एवं दर्शन

5. 1.2 प्रभावशाली प्रस्तावना (Introduction) लिखने की 5 सिद्ध तकनीकें

6. 1.3 मुख्य भाग (Body Paragraphs) के विस्तार हेतु 360-डिग्री आयाम

7. 1.4 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: आदर्श निबंध संरचना (Master Blueprint)

8. 1.5 तुलनात्मक सारणी: साधारण निबंध बनाम टॉपर-स्तरीय निबंध

9. 1.6 मास्टर उद्धरण एवं संस्कृत श्लोक बैंक (विषयवार वर्गीकृत)

- (क) शासन, लोकतंत्र एवं नैतिकता (Governance, Democracy & Ethics)
- (ख) महिला सशक्तिकरण एवं समाज (Women Empowerment & Society)
- (ग) शिक्षा, युवा एवं चरित्र निर्माण (Education, Youth & Character)
- (घ) पर्यावरण, प्रकृति एवं सतत विकास (Environment & Sustainability)
- (ङ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शांति (Science, Tech & Peace)

10. 1.7 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

11. अध्याय 2: दार्शनिक एवं अमूर्त निबंध

12. 2.1 दार्शनिक निबंधों को हल करने की पद्धति

- दार्शनिक निबंध डिकोडिंग का 4-नोड आरेख

13. 2.2 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख दार्शनिक परंपराएं एवं निबंध में उनका प्रयोग

14. 2.3 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: दार्शनिक निबंध रूपरेखा (Dialectical Method)

15. 2.4 पांच पूर्ण मॉडल दार्शनिक निबंध

- निबंध 1: "जहां चाह वहां राह: संकल्प से सिद्धि का जीवन-दर्शन"
- निबंध 2: "सत्य को हजार तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है"
- निबंध 3: "बिना नीति के विज्ञान और बिना चरित्र के ज्ञान मानवता के लिए संकट है"
- निबंध 4: "शांत समुद्र कभी कुशल नाविक नहीं बनाता: संघर्ष और उत्कृष्टता का सह-संबंध"
- निबंध 5: "स्वतंत्रता और अनुशासन: लोकतंत्र के दो पंख"

16. 2.5 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

17. अध्याय 3: सामाजिक, सांस्कृतिक, महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा विषयक निबंध

18. 3.1 सामाजिक-सांस्कृतिक निबंध का 4-नोड आरेख

19. 3.2 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: सामाजिक समस्या-समाधान निबंध

20. 3.3 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख सामाजिक क्षेत्र, संवैधानिक अनुच्छेद एवं सरकारी पहल

21. 3.4 पांच पूर्ण मॉडल सामाजिक एवं सांस्कृतिक निबंध

- निबंध 1: "महिला सशक्तिकरण से महिला-नेतृत्वकारी विकास (Women-Led Development) की ओर"
- निबंध 2: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और ज्ञान-आधारित भारत का निर्माण"
- निबंध 3: "वसुधैव कुटुम्बकम्: विखंडित विश्व में भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति का आलोक"
- निबंध 4: "सोशल मीडिया और युवा मानसिकता: आभासी जुड़ाव के युग में वास्तविक एकाकीपन"
- निबंध 5: "शहरीकरण की अंधी दौड़ और भारतीय गांवों का बदलता स्वरूप: 'रूरबन' भारत की संकल्पना"

22. 3.5 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

23. अध्याय 4: आर्थिक, कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन विषयक निबंध

24. 4.1 आर्थिक-पर्यावरणीय संतुलन का 4-नोड आरेख

25. 4.2 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: आर्थिक एवं पर्यावरणीय निबंध

26. 4.3 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख आर्थिक, कृषि एवं पर्यावरणीय पहल

27. 4.4 पांच पूर्ण मॉडल आर्थिक, कृषि एवं पर्यावरणीय निबंध

- निबंध 1: "विकसित भारत @2047: 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से समावेशी समृद्धि तक का रोडमैप"
- निबंध 2: "भारतीय कृषि का कायाकल्प: हरित क्रांति से सदाबहार एवं जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर"
- निबंध 3: "जलवायु परिवर्तन और 'मिशन LiFE': पृथ्वी के अस्तित्व के लिए हरित जीवनशैली की अनिवार्यता"
- निबंध 4: "भारत में आपदा प्रबंधन: राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से पूर्व-तैयारी और आपदा-रोधी अवसंरचना की ओर"
- निबंध 5: "नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) और जल सुरक्षा: भारत के भविष्य की जीवन-रेखा"

28. 4.5 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

29. अध्याय 5: विज्ञान-प्रौद्योगिकी (AI, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा), आंतरिक सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विषयक निबंध

30. 5.1 विज्ञान, सुरक्षा एवं कूटनीति का 4-नोड आरेख

31. 5.2 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: तकनीकी एवं सुरक्षा निबंध

32. 5.3 तुलनात्मक सारणी: विज्ञान, आंतरिक सुरक्षा एवं विदेश नीति के मुख्य स्तंभ

33. 5.4 पांच पूर्ण मॉडल विज्ञान, सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध निबंध

- निबंध 1: "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence): मानवीय मेधा का पूरक या अस्तित्वगत चुनौती?"
- निबंध 2: "अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की नई उड़ान: चंद्रयान-3 से गगनयान और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तक"
- निबंध 3: "साइबर सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता: अदृश्य युद्धक्षेत्र में राष्ट्र की रक्षा"
- निबंध 4: "आंतरिक सुरक्षा और विकास का द्वंद्वात्मक संबंध: नक्सलवाद, आतंकवाद और पूर्वोत्तर में शांति की राह"
- निबंध 5: "बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की विदेश नीति: गुटनिरपेक्षता से 'विश्वबंधु' और सामरिक स्वायत्तता तक"

34. 5.5 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

35. अध्याय 6: शासकीय एवं अर्ध-शासकीय पत्र लेखन

36. 6.1 शासकीय पत्राचार का परिचय एवं महत्व

- शासकीय पत्राचार का 4-नोड आरेख

37. 6.2 शासकीय पत्र (Official Letter) के अनिवार्य नियम

पुस्तक क्रमांक 33: संपूर्ण निबंध लेखन, शासकीय पत्र लेखन, संक्षेपण एवं वर्णनात्मक परीक्षा अध्ययन नोट्स

(Complete Essay, Official Letter Writing, Precis, Draft Writing & Descriptive Paper Study Notes)

लक्षित परीक्षाएं: UPSC CSE Mains | UPPSC PCS Mains | UPPSC RO/ARO Mains | BPSC Mains | MPPSC/RAS Mains | CAPF (AC) Paper-2 | IBPS/SBI PO Descriptive | SSC & High Court Descriptive Exams

संस्थापक एवं मुख्य मार्गदर्शक: सरोज मिश्रा | **आधिकारिक पोर्टल:** www.iucacademy.com

पुस्तक संरचना एवं परीक्षा-वार अंक भार सारणी

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	वर्णनात्मक प्रश्न-पत्र का स्वरूप	कुल अंक	समय अवधि	मुख्य घटक एवं भारांक
1	UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा	निबंध प्रश्न-पत्र (Paper-I)	250 अंक	3 घंटे	2 निबंध (खंड A एवं B से 1-1 निबंध, प्रत्येक 1000–1200 शब्द, 125×2 अंक)
2	UPPSC PCS मुख्य परीक्षा	सामान्य हिंदी एवं निबंध	150 + 150 अंक	3 + 3 घंटे	सामान्य हिंदी (गद्यांश, संक्षेपण, पत्र लेखन, शब्दावली - 150 अंक) + 3 निबंध (700 शब्द प्रत्येक, 50×3 = 150 अंक)
3	UPPSC RO/ARO मुख्य परीक्षा	परंपरागत सामान्य हिंदी व आलेखन तथा निबंध	100 + 120 अंक	2.5 + 3 घंटे	गद्यांश/सारणीयन/पत्र लेखन/शब्दावली (100 अंक) + 3 हिंदी निबंध (600 शब्द प्रत्येक, 40×3 = 120 अंक)
4	BPSC मुख्य परीक्षा	सामान्य हिंदी एवं निबंध प्रश्न-पत्र	100 + 300 अंक	3 + 3 घंटे	सामान्य हिंदी (निबंध, व्याकरण, संक्षेपण - 100 अंक) + 3 निबंध (बिहार लोक-संस्कृति व दार्शनिक सहित - 300 अंक)
5	UPSC CAPF (AC) Paper-2	सामान्य अध्ययन, निबंध एवं बोधगम्यता	200 अंक	3 घंटे	4 निबंध (हिंदी/अंग्रेजी - 80 अंक) + तर्क/प्रतिवेदन/संक्षेपण/गद्यांश (अंग्रेजी - 120 अंक)
6	IBPS PO / SBI PO Mains	English Descriptive Paper	25 / 50 अंक	30 मिनट	1 Essay (200–250 शब्द) + 1 Formal/Informal Letter (150 शब्द)

अध्याय 1: प्रभावी निबंध लेखन की कला एवं रणनीति

(प्रस्तावना, मुख्य भाग के आयाम— PESTLE/नैतिक/ऐतिहासिक दृष्टिकोण, निष्कर्ष, उद्धरण व श्लोक बैंक)

1.1 निबंध का अर्थ एवं दर्शन

'निबंध' शब्द दो शब्दों के मेल से बना है— **नि + बंध**। इसका शाब्दिक अर्थ है— 'भली प्रकार से बंधा हुआ' अथवा 'सुगठित विचार-प्रवाह'। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में— "यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है।" प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, UPPSC, RO/ARO, BPSC) में निबंध लेखन का उद्देश्य केवल तथ्यों की सूची प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि अभ्यर्थी की मौलिक चिंतन क्षमता, बहुआयामी दृष्टिकोण, भाषा-प्रवाह, तार्किक सुसंगतता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता की परख करना है।

निबंध लेखन का प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

[1. विषय चयन एवं कीवर्ड डिकोडिंग (10 मिनट)] **[2. ब्रेनस्टॉर्मिंग एवं PESTLE रूपरेखा निर्माण (15 मिनट)]** **[3. सुसंगठित लेखन: प्रस्तावना–मुख्य भाग–निष्कर्ष (55 मिनट)]** **[4. पुनरीक्षण, उद्धरण रेखांकन एवं वर्तनी जांच (10 मिनट)]**

1.2 प्रभावशाली प्रस्तावना (Introduction) लिखने की 5 सिद्ध तकनीकें

परीक्षक पर प्रथम प्रभाव प्रस्तावना से ही पड़ता है। प्रथम 80–100 शब्दों में विषय की आत्मा स्पष्ट हो जानी चाहिए:

1. **काव्यात्मक या सूक्ति-आधारित आरंभ (Quotation/Shloka Hook):** किसी प्रासंगिक संस्कृत श्लोक, हिंदी कविता की पंक्ति या महान विचारक के कथन से शुरुआत करना।

2. **काल्पनिक या वास्तविक दृष्टांत पद्धति (Anecdotal/Story Hook):** समाज के किसी आम नागरिक (जैसे— सुदूर गांव की एक बालिका या सीमा पर तैनात सैनिक) के जीवंत दृश्य से विषय को जोड़ना।

3. **विरोधाभास या प्रश्नवाचक पद्धति (Paradox/Question Hook):** दो विपरीत परिस्थितियों की तुलना करके पाठक को सोचने पर विवश करना (जैसे— "एक ओर मंगलयान की उड़ान, दूसरी ओर कुपोषण से जूझता बचपन")।

4. **ऐतिहासिक संदर्भ पद्धति (Historical Transition Hook):** सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक काल से आधुनिक डिजिटल युग तक के क्रमिक विकास को जोड़ते हुए विषय में प्रवेश करना।

5. **समसामयिक रिपोर्ट या सूचकांक पद्धति (Data/Report Hook):** नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व बैंक या आर्थिक सर्वेक्षण के किसी प्रामाणिक आंकड़े से विषय की गंभीरता स्थापित करना।

1.3 मुख्य भाग (Body Paragraphs) के विस्तार हेतु 360-डिग्री आयाम

मुख्य भाग में विचारों का भटकाव रोकने और गहराई लाने के लिए **PESTLE + TEMPS** मॉडल का प्रयोग करें:

- **ऐतिहासिक आयाम (Temporal/Historical):** प्राचीन भारत, मध्यकाल, औपनिवेशिक काल एवं स्वतंत्रता के बाद की स्थिति।
- **राजनीतिक एवं संवैधानिक आयाम (Political & Constitutional):** भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार (अनुच्छेद 14–32), नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36–51), मौलिक कर्तव्य एवं लोकतांत्रिक संस्थाएं।
- **आर्थिक आयाम (Economic):** समावेशी विकास, जीडीपी, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, कृषि, एमएसएमई (MSME) एवं वित्तीय समावेशन।
- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम (Social & Cultural):** महिला, बालक, वृद्ध, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति/जनजाति, शिक्षा, स्वास्थ्य और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना।
- **वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयाम (Technological):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी एवं नवाचार।
- **पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक आयाम (Environmental):** जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य (SDGs), पंचामृत संकल्प, मिशन लाइफ (Mission LiFE) और हरित ऊर्जा।
- **नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम (Ethical & Psychological):** गांधीजी का सप्त-पाप सिद्धांत, अंत्योदय का जंतर, करुणा, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और मानवीय गरिमा।

1.4 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: आदर्श निबंध संरचना (Master Blueprint)

```
================================================================================
[निबंध का शीर्षक: स्पष्ट, सटीक एवं केंद्रित]
================================================================================
1. प्रारंभिक उद्धरण / श्लोक (Opening Epigraph):
"....."

2. प्रस्तावना (Introduction — कुल शब्द संख्या का 10–12%):
- विषय के मुख्य शब्दों (Keywords) की परिभाषा एवं मूल भाव।
- वर्तमान संदर्भ में विषय की प्रासंगिकता।
- निबंध की दिशा बताने वाला 'थीसिस वक्तव्य' (Thesis Statement)।

3. ऐतिहासिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि (10%):
- अतीत से वर्तमान तक विषय का विकास-क्रम।

4. बहुआयामी विश्लेषण: सकारात्मक पक्ष एवं उपलब्धियां (25%):
- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक आयाम।
- सरकारी योजनाएं, संवैधानिक प्रावधान एवं सफल केस स्टडीज।

5. चुनौतियां, विरोधाभास एवं आलोचनात्मक परीक्षण (25%):
- संरचनात्मक बाधाएं, नीतिगत कमियां एवं व्यावहारिक चुनौतियां।
- नैतिक दुविधाएं एवं वैश्विक/राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव।

6. समाधान एवं आगे की राह (Way Forward — 18%):
- अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक व्यावहारिक सुधार।
- नागरिक समाज, सरकार, निजी क्षेत्र और व्यक्ति की भूमिका।

7. निष्कर्ष (Conclusion — 8–10%):
- आशावादी, भविष्यन्मुखी, संतुलित एवं संवैधानिक मूल्यों से युक्त समापन।
- अंतिम प्रभावशाली पंक्ति या काव्य-उद्धरण।
================================================================================
```

1.5 तुलनात्मक सारणी: साधारण निबंध बनाम टॉपर-स्तरीय निबंध

मूल्यांकन बिंदु	साधारण / औसत निबंध	टॉपर-स्तरीय उत्कृष्ट निबंध (IUC मानक)
प्रस्तावना शैली	रटी-रटाई परिभाषा या सीधे तथ्यों से नीरस शुरुआत।	प्रासंगिक उद्धरण, दृष्टांत या विरोधाभास से रोचक एवं वैचारिक आरंभ।
आयामों की विविधता	केवल 1 या 2 आयामों (प्रायः आर्थिक या राजनीतिक) तक सीमित।	PESTLE मॉडल के तहत 7–8 विविध आयामों का संतुलित समावेश।
पैराग्राफ संक्रमण	पैराग्राफ आपस में कटे हुए लगते हैं; प्रवाह का अभाव।	प्रत्येक पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति अगले पैराग्राफ से सेतु (Connector) बनाती है।
तथ्य एवं उदाहरण	अस्पष्ट बातें; बिना स्रोत के सामान्य कथन।	नीति आयोग, संविधान के अनुच्छेद, SDGs और वास्तविक केस स्टडीज का सटीक उल्लेख।
भाषा एवं प्रस्तुति	क्लिष्ट या अशुद्ध शब्दावली, अत्यधिक लंबे पैराग्राफ।	प्रांजल, प्रवाहपूर्ण देवनागरी हिंदी, छोटे पैराग्राफ और मुख्य बिंदुओं का रेखांकन।
निष्कर्ष	शिकायतों या नकारात्मकता के साथ अचानक समापन।	समाधानपरक, आशावादी एवं 'विकसित भारत @2047' के विजन से जुड़ा समापन।

1.6 मास्टर उद्धरण एवं संस्कृत श्लोक बैंक (विषयवार वर्गीकृत)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 1.6 मास्टर उद्धरण एवं संस्कृत श्लोक बैंक (विषयवार वर्गीकृत)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) शासन, लोकतंत्र एवं नैतिकता (Governance, Democracy & Ethics)	(ख) महिला सशक्तिकरण एवं समाज (Women Empowerment & Society)	(ग) शिक्षा, युवा एवं चरित्र निर्माण (Education, Youth & Character)	(घ) पर्यावरण, प्रकृति एवं सतत विकास (Environment & Sustainability)

(क) शासन, लोकतंत्र एवं नैतिकता (Governance, Democracy & Ethics)

1. **कौटिल्य (अर्थशास्त्र):** "प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्॥" (राजा का सुख प्रजा के सुख में है और प्रजा के हित में ही उसका हित है।)
2. **महात्मा गांधी:** "मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं— जब भी तुम्हें संदेह हो, तो सबसे गरीब और कमजोर आदमी का चेहरा याद करो और पूछो कि तुम्हारे कदम से उसे क्या लाभ होगा?"
3. **डॉ. बी.आर. अंबेडकर:** "राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो।"
4. **महाभारत (शांतिपर्व):** "धर्मो रक्षति रक्षितः" (रक्षा किया गया धर्म अर्थात् कर्तव्य एवं विधि ही हमारी रक्षा करता है।)

(ख) महिला सशक्तिकरण एवं समाज (Women Empowerment & Society)

5. **मनुस्मृति:** "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥"
6. **जयशंकर प्रसाद (कामायनी):** "नारी! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग पगतल में, पीयूष-स्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।"
7. **स्वामी विवेकानंद:** "किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहां की महिलाओं की स्थिति है। जिस प्रकार कोई पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार महिलाओं की उन्नति के बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है।"
8. **कोफी अन्नान:** "विकास के लिए महिला सशक्तिकरण से बढ़कर कोई दूसरा प्रभावी उपकरण नहीं है।"

(ग) शिक्षा, युवा एवं चरित्र निर्माण (Education, Youth & Character)

9. **स्वामी विवेकानंद:** "शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है।"
10. **नेल्सन मंडेला:** "शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।"
11. **सुभाषित रत्न:** "विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्। पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥"
12. **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम:** "सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते।"

(घ) पर्यावरण, प्रकृति एवं सतत विकास (Environment & Sustainability)

13. **अथर्ववेद (भूमि सूक्त):** "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" (भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं।)
14. **महात्मा गांधी:** "पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन देती है, किंतु किसी के लालच के लिए नहीं।"
15. **ईशावास्योपनिषद्:** "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्" (त्यागपूर्वक उपभोग करो, किसी के धन या प्रकृति के संसाधनों का अतिक्रमण मत करो।)

(ङ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शांति (Science, Tech & Peace)

16. **रामधारी सिंह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र):** "सावधान मनुष्य! यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी नादान, फूल-कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान।"
17. **अल्बर्ट आइंस्टीन:** "यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमारी तकनीक हमारी मानवता से आगे निकल गई है।"

18. **उपनिषद् उद्घोष:** "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥"
19. **महोपनिषद्:** "अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥"

1.7 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

- **निबंध के आयाम याद रखने का सूत्र — SPEECH-T:**
- **S** = Social & Cultural (सामाजिक-सांस्कृतिक)
- **P** = Political & Constitutional (राजनीतिक-संवैधानिक)
- **E** = Economic & Financial (आर्थिक-वित्तीय)
- **E** = Environmental & Ecological (पर्यावरणीय-पारिस्थितिक)
- **C** = Moral/Character & Ethical (नैतिक-चारित्रिक)
- **H** = Historical & Philosophical (ऐतिहासिक-दार्शनिक)
- **T** = Technological & International (तकनीकी एवं अंतरराष्ट्रीय)
- **निष्कर्ष लेखन का सूत्र — 3S + V:**
- **S**ynthesis (संपूर्ण निबंध का सार) + **S**olution (व्यावहारिक समाधान) + **S**ustainability (सतत एवं समावेशी दृष्टिकोण) + **V**ision 2047 (विकसित भारत की आशावादी दृष्टि)।

अध्याय 2: दार्शनिक एवं अमूर्त निबंध

(UPSC/UPPSC/BPSC विशेष — 5 पूर्ण मॉडल निबंध रूपरेखा एवं उद्धरणों सहित)

2.1 दार्शनिक निबंधों को हल करने की पद्धति

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों में आजकल दोनों या कम से कम एक खंड में अमूर्त/दार्शनिक (Abstract/Philosophical) विषय पूछे जाते हैं। इन्हें हल करने के लिए कथन के रूपक (Metaphor) को तोड़कर उसे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के व्यावहारिक उदाहरणों से जोड़ना अनिवार्य है।

दार्शनिक निबंध डिकोडिंग का 4-नोड आरेख

[1. रूपक/प्रतीक का शाब्दिक अर्थ] [2. निहित दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक भावार्थ] [3. व्यक्ति–समाज–प्रशासन–राष्ट्र पर व्यावहारिक उदाहरण] [4. प्रतिपक्ष (Counter-view) एवं मध्यम मार्ग (Golden Mean)]

2.2 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख दार्शनिक परंपराएं एवं निबंध में उनका प्रयोग

दार्शनिक सिद्धांत	प्रतिपादक / स्रोत	मुख्य विचार बिंदु	निबंध में प्रयोग का संदर्भ
निष्काम कर्मयोग	श्रीमद्भगवद्गीता	फल की आसक्ति के बिना कर्तव्य पालन।	प्रशासनिक सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, तनाव प्रबंधन।
मध्यम मार्ग (प्रतिपदा)	महात्मा बुद्ध	अतिवाद (कठोरता व भोगवाद) का त्याग कर संतुलित मार्ग।	विकास बनाम पर्यावरण, स्वतंत्रता बनाम अनुशासन।
अनेकांतवाद / स्याद्वाद	महावीर स्वामी (जैन दर्शन)	सत्य के अनेक पहलू होते हैं; वैचारिक सहिष्णुता।	लोकतंत्र, ध्रुवीकरण का समाधान, वैश्विक संवाद।
सर्वोदय एवं अंत्योदय	महात्मा गांधी / दीनदयाल उपाध्याय	अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान ही सच्ची प्रगति है।	कल्याणकारी राज्य, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय।

दार्शनिक सिद्धांत	प्रतिपादक / स्रोत	मुख्य विचार बिंदु	निबंध में प्रयोग का संदर्भ
साध्य-साधन की पवित्रता	महात्मा गांधी / इमैनुएल कांट	पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए।	राजनीतिक शुचिता, युद्ध नीति, नैतिक AI।

2.3 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: दार्शनिक निबंध रूपरेखा (Dialectical Method)

[दार्शनिक निबंध की द्वंद्वात्मक (Thesis–Antithesis–Synthesis) रूपरेखा]
├── 1. वाद (Thesis): दिए गए दार्शनिक कथन की सत्यता को ऐतिहासिक व समसामयिक उदाहरणों से सिद्ध करना।
├── 2. प्रतिवाद (Antithesis): क्या यह कथन हर परिस्थिति में सत्य है? अपवादों और सीमाओं का परीक्षण।
└── 3. संवाद (Synthesis): दोनों पक्षों में संतुलन स्थापित करते हुए व्यावहारिक एवं नैतिक निष्कर्ष।

2.4 पांच पूर्ण मॉडल दार्शनिक निबंध

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 2.4 पांच पूर्ण मॉडल दार्शनिक निबंध

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
निबंध 1: "जहां चाह वहां राह: संकल्प से सिद्धि का जीवन-दर्शन"	**निबंध 2: "सत्य को हजार तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है"**	**निबंध 3: "बिना नीति के विज्ञान और बिना चरित्र के ज्ञान मानवता के लिए संकट है"**	**निबंध 4: "शांत समुद्र कभी कुशल नाविक नहीं बनाता: संघर्ष और उत्कृष्टता का सह-संबंध"**

निबंध 1: "जहां चाह वहां राह: संकल्प से सिद्धि का जीवन-दर्शन"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (दशरथ मांझी का दृष्टांत) | 2. संकल्प-शक्ति का मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार | 3. व्यक्तिगत, वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय इतिहास में संकल्प के प्रमाण | 4. चुनौतियां एवं केवल इच्छा बनाम कर्मशील संकल्प | 5. निष्कर्ष।

★ "कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।" — दुष्यंत कुमार

प्रस्तावना: बिहार के गया जिले के गहलौर गांव का एक साधारण श्रमिक दशरथ मांझी जब हाथ में छेनी और हथौड़ा लेकर विशालकाय पहाड़ के सामने खड़ा हुआ, तो दुनिया ने उसे पागल कहा। किंतु 22 वर्षों की अनवरत साधना ने उस अभेद्य चट्टान के सीने को चीरकर 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया। यह घटना केवल एक सड़क के निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय संकल्प की उस अजेय शक्ति का जीवंत प्रमाण है जिसे लोकोक्ति में 'जहां चाह, वहां राह' कहा गया है। जब मनुष्य की इच्छाशक्ति केवल कामना न रहकर दृढ़ संकल्प में रूपांतरित हो जाती है, तब प्रकृति की बाधाएं भी उसके समक्ष नतप्रणत हो जाती हैं।

दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विस्तार: भारतीय दर्शन में 'यथा दृष्टिः तथा सृष्टिः' और 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत' के माध्यम से संकल्प की महिमा गाई गई है। कठोपनिषद् का उद्घोष— "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत" (उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको)— इसी अदम्य इच्छाशक्ति का आह्वान है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी जब मानव मस्तिष्क किसी लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है, तो वह समस्याओं में उलझने के बजाय समाधान के नवीन मार्ग (Neuro-plasticity & Creative Problem Solving) खोज लेता है।

इतिहास एवं समसामयिक परिदृश्य में प्रमाण:

- **व्यक्तिगत स्तर पर:** अरुणिमा सिन्हा ने एक दुर्घटना में अपना पैर गंवाने के बावजूद कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट फतह कर यह सिद्ध किया कि विकलांगता शरीर में नहीं, सोच में होती है। स्टीफन हॉकिंग ने मोटर न्यूरॉन रोग से ग्रस्त होने के बावजूद ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों (Black Holes) को सुलझाया।
- **राष्ट्रीय एवं स्वतंत्रता संग्राम के स्तर पर:** महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। सरदार वल्लभभाई पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति ने 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया।
- **वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में:** जब 1960 के दशक में इसरो (ISRO) के वैज्ञानिक साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे ढो रहे थे, तब विश्व के विकसित देश हम पर हंसते थे। किंतु उसी संकल्प ने भारत को चंद्रयान-3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र और मंगलयान में प्रथम प्रयास में सफल होने वाला देश बनाया।

• **पर्यावरण एवं समाज के स्तर पर:** जादव पायेंग ('फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया') ने अकेले ब्रह्मपुत्र के रेतीले द्वीप पर 1,360 एकड़ का 'मोलाई वन' खड़ा कर दिया।

प्रतिवाद एवं विवेकपूर्ण सीमाएं: तथापि, केवल 'चाह' होना पर्याप्त नहीं है; उस चाह के साथ **'सही दिशा, नैतिक साधन और निरंतर श्रम'** का जुड़ना अनिवार्य है। जैसा कि भर्तृहरि ने कहा है— "उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः" (कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं)। साथ ही, यदि चाह अनैतिक या विनाशकारी हो (जैसे हिटलर की विश्व-विजय की चाह या अनियंत्रित औद्योगीकरण की लालसा), तो वह राह निर्माण की नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाती है। अतः संकल्प के साथ विवेक और करुणा का संतुलन अपरिहार्य है।

निष्कर्ष: आज जब भारत 2047 तक 'विकसित राष्ट्र' बनने, शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net Zero 2070) प्राप्त करने और अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब प्रत्येक नागरिक और प्रशासक के भीतर इसी 'संकल्प से सिद्धि' की भावना का होना आवश्यक है। बाधाएं केवल हमारे संकल्प की परीक्षा लेने आती हैं; जब इरादे हिमालय जैसे अडिग हों, तो हर असंभव स्वयं संभव की राह बन जाता है।

निबंध 2: "सत्य को हजार तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (स्वामी विवेकानंद का कथन एवं अंधों और हाथी की कथा) | 2. जैन दर्शन का अनेकांतवाद एवं वैदिक 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' | 3. लोकतंत्र, समाज एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बहुलतावाद का महत्व | 4. कट्टरता एवं एकल-सत्य के दावे के खतरे | 5. निष्कर्ष।

★ "एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति" — ऋग्वेद (सत्य एक ही है, ज्ञानीजन उसे विविध नामों और रूपों से पुकारते हैं।)

प्रस्तावना: प्राचीन भारतीय कथा में छह नेत्रहीन व्यक्ति एक हाथी को छूकर उसका वर्णन करते हैं— जो पैर छूता है वह उसे खंभा बताता है, जो सूंड छूता है वह उसे सांप कहता है, और जो कान छूता है वह उसे सूप बताता है। वास्तव में वे सभी अपने-अपने अनुभव के दायरे में सत्य बोल रहे हैं, किंतु किसी एक का सत्य 'संपूर्ण सत्य' नहीं है। स्वामी विवेकानंद का यह अमर कथन कि "सत्य को हजार तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है", मानवीय ज्ञान की सापेक्षता, वैचारिक उदारता और लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व का सर्वोच्च घोषणा-पत्र है।

दार्शनिक आधार: भारतीय चिंतन परंपरा कभी भी एकांगी या कट्टर नहीं रही। जैन दर्शन का **'अनेकांतवाद'** और **'स्याद्वाद'** स्पष्ट करता है कि वास्तविकता अनंत धर्मों (गुणों) वाली है और मानवीय बुद्धि सीमित होने के कारण एक समय में उसके एक ही पक्ष को देख पाती है। इसी प्रकार बौद्ध दर्शन और उपनिषदों में संवाद (शास्त्रार्थ) के माध्यम से सत्य के विविध आयामों को स्वीकार किया गया है। विज्ञान में भी प्रकाश की प्रकृति को एक दृष्टिकोण से 'कण' (Particle) और दूसरे से 'तरंग' (Wave) माना गया— दोनों ही अपने-अपने संदर्भ में सत्य हैं।

बहुआयामी प्रासंगिकता:

• **सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द:** विश्व के सभी पंथ और उपासना पद्धतियां अंततः करुणा, प्रेम और मानव कल्याण रूपी एक ही सत्य की ओर ले जाती हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि प्रार्थना की भाषाएं अलग हो सकती हैं पर भावना एक है, तो सांप्रदायिक द्वेष स्वतः समाप्त हो जाता है।

• **लोकतंत्र एवं शासन व्यवस्था:** लोकतंत्र की आत्मा ही असहमति के सम्मान में बसती है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही राष्ट्रहित को अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार नीति-निर्माण में अर्थशास्त्री बाजार दक्षता को सत्य मानता है, जबकि समाजशास्त्री कल्याणकारी राज्य को— एक श्रेष्ठ प्रशासक दोनों सत्यों का समन्वय कर 'समावेशी नीति' बनाता है।

• **अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं कूटनीति:** रूस-यूक्रेन संघर्ष हो या पश्चिम एशिया का संकट अथवा जलवायु परिवर्तन की वार्ताएं (COP Summits)— विकसित देशों के लिए ऐतिहासिक उत्सर्जन से पल्ला झाड़ना उनका पक्ष है, जबकि विकासशील देशों के लिए 'साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व' (CBDR) उनका सत्य है। वैश्विक शांति तभी संभव है जब महाशक्तियां अपनी विचारधारा को 'एकमात्र सत्य' मानने का अहंकार त्यागें।

• **सोशल मीडिया एवं 'इको-चैंबर' की चुनौती:** आज के डिजिटल युग में एल्गोरिदम मनुष्य को केवल वही सूचनाएं दिखाते हैं जिनसे वह पहले से सहमत है। इससे समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण (Polarization) और असहिष्णुता बढ़ रही है।

निष्कर्ष: सत्य की बहुलता को स्वीकार करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि असत्य, अन्याय या नैतिक पतन को भी 'सापेक्ष सत्य' मानकर उचित ठहरा दिया जाए। हिंसा, भ्रष्टाचार और शोषण किसी भी दृष्टिकोण से सत्य नहीं हो सकते। मानवीय गरिमा, संवैधानिक मूल्य और सार्वभौमिक करुणा की परिधि के भीतर विविध विचारों का सम्मान करना ही इस दर्शन का सार है। जब हम 'केवल मैं ही सही हूं' से उठकर 'तुम भी सही हो सकते हो' की चेतना तक पहुंचते हैं, तभी एक शांत, सहिष्णु और प्रबुद्ध विश्व का निर्माण होता है।

निबंध 3: "बिना नीति के विज्ञान और बिना चरित्र के ज्ञान मानवता के लिए संकट है"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (गांधीजी के सप्त सामाजिक पाप एवं हिरोशिमा-नागासाकी का संदर्भ) | 2. ज्ञान और चरित्र का अंतर्संबंध | 3. आधुनिक विज्ञान: वरदान या नीतिविहीन विनाश? | 4. साइबर अपराध, डीपफेक एवं जैव-हथियार | 5. मूल्य-आधारित शिक्षा और उत्तरदायी नवाचार।

★ "ज्ञान वह शक्ति है जो दिशा देती है, किंतु चरित्र वह धुरी है जो उस शक्ति को कल्याणकारी बनाए रखती है।"

प्रस्तावना: बीसवीं सदी के मध्य में जब परमाणु के विखंडन का रहस्य खुला, तो यह मानव बुद्धि की सर्वोच्च वैज्ञानिक उपलब्धि थी। किंतु जब 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर इस विज्ञान का प्रयोग नैतिक संवेदना को ताक पर रखकर किया गया, तो पल भर में लाखों निर्दोष जीवन राख में बदल गए। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध 'सप्त सामाजिक पापों' (Seven Social Sins) की सूची में **'चरित्रहीन ज्ञान' (Knowledge without Character)** और **'मानवताविहीन विज्ञान' (Science without Humanity)** को प्रमुख स्थान दिया था। आज 21वीं सदी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और जेनेटिक इंजीनियरिंग के युग में यह चेतावनी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठी है।

ज्ञान बनाम चरित्र का द्वंद्व: भारतीय परंपरा में रावण को चारों वेदों का ज्ञाता और प्रकांड विद्वान माना गया, किंतु अहंकार और चरित्रहीनता के कारण उसका ज्ञान उसके विनाश का कारण बना। आज के युग में भी सबसे बड़े साइबर ठग, आतंकी मास्टरमाइंड और कॉर्पोरेट घोटालेबाज अशिक्षित नहीं हैं, बल्कि उच्च तकनीकी और वित्तीय डिग्रीधारी हैं। जब शिक्षा केवल 'अर्थकरी विद्या' (पैसा कमाने की मशीन) बनकर रह जाती है और उसमें सहानुभूति, ईमानदारी व राष्ट्रभक्ति का समावेश नहीं होता, तो वह समाज में 'साक्षर राक्षसों' को जन्म देती है।

नीतिविहीन विज्ञान के समकालीन खतरे:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डीपफेक:** जहां AI कैंसर के निदान और कृषि पूर्वानुमान में क्रांति ला रहा है, वहीं नीतिविहीन प्रयोग से 'डीपफेक' वीडियो द्वारा महिलाओं की गरिमा का हनन, चुनावी हस्तक्षेप और स्वायत्त घातक हथियार (Lethal Autonomous Weapons) मानव अस्तित्व के लिए संकट बन रहे हैं।
- **जैव-प्रौद्योगिकी एवं सिंथेटिक बायोलॉजी:** जीन-एडिटिंग (CRISPR-Cas9) आनुवंशिक रोगों को मिटा सकती है, किंतु अनैतिक प्रयोग से 'डिजाइनर बेबी' की असमानता और प्रयोगशाला-निर्मित जैव-हथियार (Bio-weapons) संपूर्ण मानवजाति को संकट में डाल सकते हैं।
- **पारिस्थितिक विनाश:** अंधाधुंध औद्योगिक तकनीक ने मनुष्य को भौतिक सुख तो दिया, किंतु नदियों को विषाक्त कर दिया, ग्लेशियरों को पिघला दिया और जैव-विविधता के छठे महाविलुप्तिकरण (Sixth Mass Extinction) की स्थिति पैदा कर दी।

समाधान एवं समन्वय का मार्ग:

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) का प्रभावी क्रियान्वयन:** विद्यालयी स्तर से ही STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) के साथ मानवीय मूल्यों, नैतिकता (Ethics) और संवैधानिक कर्तव्यों का एकीकरण।
2. **वैश्विक तकनीकी नैतिकता संहिता (Global AI & Tech Ethics):** वैज्ञानिक अनुसंधानों में 'मानव-केंद्रित दृष्टिकोण' (Human-in-the-loop) और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
3. **प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत सदाचार:** ज्ञान का अंतिम लक्ष्य अहंकार का पोषण नहीं, बल्कि 'लोकसंग्रह' (समाज का कल्याण) होना चाहिए।

निष्कर्ष: विज्ञान हमारे रथ का तीव्रगामी अश्व है और नीति तथा चरित्र उसकी लगाम हैं। यदि लगाम ढीली पड़ गई, तो रथ की गति ही उसके यात्री के विनाश का कारण बन जाएगी। अतः बुद्ध के करुणा-दर्शन और आधुनिक विज्ञान के संगम से ही मानवता का सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य निर्मित हो सकता है।

निबंध 4: "शांत समुद्र कभी कुशल नाविक नहीं बनाता: संघर्ष और उत्कृष्टता का सह-संबंध"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (समुद्री तूफान एवं नाविक का रूपक) | 2. प्रकृति का नियम: तपन से कुंदन बनने की प्रक्रिया | 3. व्यक्ति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में संकटों की भूमिका | 4. सुविधाभोगी संस्कृति (Comfort Zone) के खतरे | 5. निष्कर्ष।

★ "सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और हीरा अत्यधिक दबाव सहकर ही कोयले की खदान से जन्म लेता है।"

प्रस्तावना: बंदरगाह के शांत जल में खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित दिखाई देता है, किंतु जहाज का निर्माण बंदरगाह में बंधे रहने के लिए नहीं, बल्कि उत्ताल तरंगों को चीरकर महासागर पार करने के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार, जिस नाविक ने कभी समुद्री तूफानों, विपरीत हवाओं और भंवरों का सामना न किया हो, उसके कौशल की वास्तविक परीक्षा कभी हो ही नहीं पाती। अंग्रेजी की यह प्रसिद्ध कहावत— *"A smooth sea never made a skillful sailor"* — जीवन के उस

शाश्वत सत्य को उद्घाटित करती है कि संघर्ष, संकट और प्रतिकूलताएं मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को निखारने के लिए आती हैं।

प्रकृति और विकासवाद का नियम: चार्ल्स डार्विन का 'योग्यतम की उत्तरजीविता' (Survival of the Fittest) का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि जिन प्रजातियों ने बदलते पर्यावरण और कठोर परिस्थितियों से संघर्ष किया, वे ही विकसित और सशक्त हुईं। यदि किसी तितली को उसके कोकून (Cocoon) से बाहर निकलने के संघर्ष से बचाने के लिए कोकून को कैंची से काट दिया जाए, तो उस तितली के पंखों में कभी उड़ने की शक्ति ही विकसित नहीं हो पाती।

बहुआयामी दृष्टांत:

- **महान व्यक्तित्वों का निर्माण:** मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंके जाने के अपमान और संघर्ष ने ही विश्व-वंदनीय 'महात्मा' बनाया। अब्राहम लिंकन की निरंतर राजनीतिक पराजयों और डॉ. कलाम के पायलट चयन में असफल होने के संघर्ष ने ही उन्हें इतिहास पुरुष बनाया।
- **आर्थिक एवं राष्ट्रीय संकटों से पुनर्जागरण:** 1991 के गंभीर भुगतान संतुलन संकट (BoP Crisis) ने भारत को अपनी बंद अर्थव्यवस्था के खोल से बाहर निकलकर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG Reforms) अपनाने को प्रेरित किया, जिसने भारत को आज विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा कर दिया। इसी प्रकार, 1960 के दशक के खाद्यान्न संकट ने 'हरित क्रांति' को जन्म दिया और 2020 की कोविड-19 महामारी के संकट ने भारत को पीपीई किट और वैक्सीन के आयातक से 'विश्व की फार्मेसी' (Vaccine Maitri) में बदल दिया।
- **सुविधावाद (Comfort Zone) का मनोवैज्ञानिक संकट:** आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति में जहां हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है, वहां युवाओं में सहनशीलता (Resilience) और भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) घट रही है। छोटी-सी असफलता पर अवसाद में चले जाना इसी 'शांत समुद्र' की मानसिकता का परिणाम है।

निष्कर्ष: निस्संदेह, संघर्ष की महिमा का अर्थ यह नहीं है कि समाज में गरीबी, अन्याय या अभाव को जानबूझकर बनाए रखा जाए। राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और बुनियादी सुरक्षा प्रदान करे। किंतु व्यक्ति और राष्ट्र के रूप में हमें चुनौतियों से भयभीत होने के बजाय उन्हें 'अवसर की पाठशाला' के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तूफानों से लड़कर लौटने वाला नाविक ही इतिहास की नई दिशा तय करता है।

निबंध 5: "स्वतंत्रता और अनुशासन: लोकतंत्र के दो पंख"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (पतंग और डोर का रूपक) | 2. स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ बनाम स्वच्छंदता | 3. भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्यों का संतुलन | 4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया और लोकतांत्रिक मर्यादा | 5. निष्कर्ष।

> ★ "अनुशासनहीन स्वतंत्रता अराजकता की जननी है, और स्वतंत्रताविहीन अनुशासन तानाशाही का दूसरा नाम है।"

प्रस्तावना: आकाश में ऊंची उड़ती हुई पतंग को देखकर कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हाथ में पकड़ी गई डोर उसकी उड़ान को बांध रही है। किंतु जिस क्षण वह डोर टूट जाती है, पतंग कुछ ही पलों में अनियंत्रित होकर जमीन पर आ गिरती है या किसी पेड़ में उलझकर फट जाती है। वास्तव में, वह डोर पतंग की गुलामी नहीं, बल्कि वह 'अनुशासन' है जो उसे आकाश में 'स्वतंत्रता' की ऊंची उड़ान भरने की शक्ति देता है। लोकतंत्र रूपी विहंगम भी 'स्वतंत्रता' और 'अनुशासन' रूपी दो पंखों के संतुलित समन्वय से ही प्रगति के गगन में उड़ान भर सकता है।

स्वतंत्रता बनाम स्वच्छंदता (Liberty vs License): जॉन स्टुअर्ट मिल और रूसो से लेकर भारतीय मनीषियों तक सभी ने स्पष्ट किया है कि "मेरी हाथ घुमाने की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है।" जब स्वतंत्रता से स्व-नियंत्रण और दूसरों के अधिकारों के सम्मान का भाव निकल जाता है, तो वह 'स्वच्छंदता' (उद्दंडता) बन जाती है, जो अंततः शक्तिशाली द्वारा निर्बल के शोषण (मत्स्य न्याय) को जन्म देती है।

संवैधानिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य:

- **अधिकार और युक्तियुक्त निर्बंधन:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन और भ्रमण की स्वतंत्रता देता है, किंतु साथ ही अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के अंतर्गत राष्ट्र की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, सदाचार और न्यायालय की अवमानना के आधार पर 'युक्तियुक्त निर्बंधन' (Reasonable Restrictions) भी लगाता है।
- **अधिकार बनाम कर्तव्य:** महात्मा गांधी कहते थे कि "कर्तव्य के पालन से ही अधिकार का जन्म होता है।" संविधान के भाग-3 (मूल अधिकार) और भाग-4क (अनुच्छेद 51A - मौलिक कर्तव्य) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

• **समकालीन चुनौतियां:** आज सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करना, विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को जलाना, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और घृणास्पद भाषण (Hate Speech) फैलाना— ये सभी अनुशासनहीन स्वतंत्रता के विकृत रूप हैं। दूसरी ओर, अनुशासन के नाम पर नागरिकों की वैध असहमति को कुचलना भी लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है।

आत्म-अनुशासन ही सर्वोच्च समाधान: बाह्य कानून या पुलिस के भय से थोपा गया अनुशासन अस्थायी होता है। लोकतंत्र की परिपक्वता नागरिकों के **'आत्म-अनुशासन' (Self-Discipline)** और **'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality)** से मापी जाती है— जैसे जापान के नागरिकों का स्वच्छता और समय-पालन के प्रति स्वैच्छिक अनुशासन।

निष्कर्ष: स्वतंत्रता मानव आत्मा की प्राणवायु है और अनुशासन उसका कवच। जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ-साथ अपने राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासित होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत कर सकेगा।

2.5 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

• **दार्शनिक निबंध विस्तार सूत्र — I-F-S-N-G (व्यक्ति से विश्व तक की सीढ़ी):**

• **I**ndividual (व्यक्ति एवं मनोविज्ञान) **F**amily (परिवार एवं संस्कार) **S**ociety (समाज एवं संस्कृति) **N**ation (राष्ट्र एवं संविधान) **G**lobe (विश्व एवं संपूर्ण मानवता)।

अध्याय 3: सामाजिक, सांस्कृतिक, महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा विषयक निबंध

(5 पूर्ण मॉडल निबंध — UPSC/UPPSC/RO-ARO/BPSC विशेष)

3.1 सामाजिक-सांस्कृतिक निबंध का 4-नोड आरेख

[1. भारतीय समाज की मूल संरचना एवं मूल्य] **[2. समकालीन संक्रमण: अवसर एवं चुनौतियां]** **[3. संवैधानिक प्रावधान एवं शासकीय योजनाएं]** **[4. मानसिकता में परिवर्तन एवं समावेशी समाज निर्माण]**

3.2 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: सामाजिक समस्या-समाधान निबंध

[सामाजिक विषय निबंध टेम्पलेट]
1. संवेदनशील दृष्टांत / उद्धरण से आरंभ
2. समस्या या विषय का वर्तमान स्वरूप (NFHS-5 / जनगणना / UNDP आंकड़े)
3. बहुस्तरीय कारण (पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक विषमता, शैक्षिक पिछड़ापन, संस्थागत कमियां)
4. संवैधानिक कवच (अनुच्छेद 14, 15, 17, 21, 21A, 39, 42) एवं प्रमुख योजनाएं
5. स्थायी समाधान: 'कानूनी सुधार + आर्थिक स्वावलंबन + सामाजिक चेतना' (3E: Education, Empowerment, Empathy)

3.3 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख सामाजिक क्षेत्र, संवैधानिक अनुच्छेद एवं सरकारी पहल

सामाजिक क्षेत्र	प्रमुख संवैधानिक प्रावधान	प्रमुख शासकीय योजनाएं एवं अधिनियम	मुख्य लक्ष्य / प्रभाव
महिला सशक्तिकरण	अनुच्छेद 14, 15(3), 39(d), 42, 51A(e), 243D	नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संशोधन), बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी, उज्ज्वला, मातृ वंदना योजना	राजनीतिक प्रतिनिधित्व (33% आरक्षण), आर्थिक स्वावलंबन व स्वास्थ्य सुरक्षा।
शिक्षा एवं कौशल	अनुच्छेद 21A, 45, 46 (86वां संशोधन)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), PM-SHRI, समग्र शिक्षा, निपुण भारत, PM कौशल विकास योजना	मातृभाषा में शिक्षा, 5+3+3+4 संरचना, व्यावसायिक व नैतिक शिक्षा।

सामाजिक क्षेत्र	प्रमुख संवैधानिक प्रावधान	प्रमुख शासकीय योजनाएं एवं अधिनियम	मुख्य लक्ष्य / प्रभाव
सामाजिक न्याय व वंचित वर्ग	अनुच्छेद 17, 23, 24, 46, 330–342	PM-JANMAN (जनजातीय), स्टैंड-अप इंडिया, आयुष्मान भारत, सुगम्य भारत अभियान	अंतिम पायदान (अंत्योदय) तक गरिमापूर्ण जीवन एवं समान अवसर।

3.4 पांच पूर्ण मॉडल सामाजिक एवं सांस्कृतिक निबंध

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 3.4 पांच पूर्ण मॉडल सामाजिक एवं सांस्कृतिक निबंध

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
निबंध 1: "महिला सशक्तिकरण से महिला-नेतृत्वकारी विकास (Women-Led Development) की ओर"

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
निबंध 2: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और ज्ञान-आधारित भारत का निर्माण"

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
निबंध 3: "वसुधैव कुटुम्बकम्: विखंडित विश्व में भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति का आलोक"

प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
निबंध 4: "सोशल मीडिया और युवा मानसिकता: आभासी जुड़ाव के युग में वास्तविक एकाकीपन"

निबंध 1: "महिला सशक्तिकरण से महिला-नेतृत्वकारी विकास (Women-Led Development) की ओर"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (गार्गी-मैत्रेयी से लेकर चंद्रयान की महिला वैज्ञानिकों तक) | 2. 'कल्याण' से 'सशक्तिकरण' और अब 'नेतृत्व' की यात्रा | 3. राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा और विज्ञान में नारी नेतृत्व | 4. पितृसत्ता, वेतन असमानता एवं सुरक्षा की चुनौतियां | 5. निष्कर्ष।

★ "कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।"

प्रस्तावना: वैदिक काल में जब विदुषी गार्गी और मैत्रेयी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ ब्रह्मज्ञान पर शास्त्रार्थ किया था, तब भारत ने विश्व को यह संदेश दिया था कि प्रज्ञा और नेतृत्व किसी लिंग विशेष की बपौती नहीं हैं। सहस्राब्दियों के उतार-चढ़ाव के पश्चात आज जब भारत की बेटियां 'चंद्रयान-3' और 'आदित्य-L1' मिशन की कमान संभालती हैं, लड़ाकू विमान राफेल और सुखोई उड़ाती हैं, और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद (राष्ट्रपति) को सुशोभित करती हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अब केवल 'महिलाओं के विकास' (Development of Women) तक सीमित नहीं है, बल्कि **'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' (Women-Led Development)** के नए युग में प्रवेश कर चुका है।

विकास-यात्रा के तीन चरण: स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में महिलाओं को केवल 'कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी' (Welfare Recipient) माना गया। 1990 के दशक के बाद 'सशक्तिकरण' (Empowerment) पर बल दिया गया। किंतु जी-20 की भारतीय अध्यक्षता के दौरान भारत ने विश्व पटल पर 'महिला-नेतृत्वकारी विकास' का प्रतिमान रखा, जिसका अर्थ है— महिलाएं केवल विकास की प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नीति-निर्माता और मुख्य इंजन हैं।

विविध क्षेत्रों में नारी नेतृत्व के प्रमाण:

- **राजनीतिक नेतृत्व:** 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने जमीनी लोकतंत्र को बदला है। अब **'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (106वां संविधान संशोधन अधिनियम)** के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित कर नीति-निर्माण के सर्वोच्च मंदिर में उनकी भागीदारी को संस्थागत बनाया गया है।
- **आर्थिक एवं उद्यमिता क्षेत्र:** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं और **'लखपति दीदी'** तथा **'नमो ड्रोन दीदी'** जैसी पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही हैं। मुद्रा योजना के तहत लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। भारत में महिला पायलटों का प्रतिशत (लगभग 15%) वैश्विक औसत (5%) से तीन गुना अधिक है।
- **रक्षा एवं विज्ञान:** सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) मिलने और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के द्वार खुलने से लेकर STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) स्नातकों में 43% महिला भागीदारी तक, भारतीय नारी ने हर रूढ़िवादी कांच की छत (Glass Ceiling) को तोड़ा है।

शेष चुनौतियां एवं विरोधाभास: इन उपलब्धियों के समानांतर कुछ गंभीर चुनौतियां अब भी मुंह बाए खड़ी हैं— भारत में महिला श्रमबल भागीदारी दर (LFPR) में सुधार के बावजूद औपचारिक क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी कम है; महिलाओं के अवैतनिक घरेलू श्रम (Care Economy) को राष्ट्रीय आय में गणना नहीं मिलती;

कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की चिंता, साइबर उत्पीड़न, एनीमिया (NFHS-5 के अनुसार 57% महिलाएं एनीमिक) और पितृसत्तात्मक मानसिकता आज भी उनके कदमों में बेड़ियां डालती हैं।

निष्कर्ष: महिला-नेतृत्वकारी विकास को पूर्णतः साकार करने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार के भीतर से ही लैंगिक समानता के संस्कार देने होंगे। जब घर के निर्णय से लेकर संसद के पटल तक नारी की आवाज को समान सम्मान और अवसर मिलेगा, तभी भारत अपनी आधी आबादी की पूर्ण ऊर्जा के साथ 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

निबंध 2: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और ज्ञान-आधारित भारत का निर्माण"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (मैकाले की शिक्षा नीति बनाम तक्षशिला-नालंदा की विरासत) | 2. NEP 2020 के मुख्य स्तंभ (5+3+3+4, मातृभाषा, बहु-विषयकता) | 3. कौशल विकास और अनुसंधान (NRF) पर बल | 4. क्रियान्वयन की चुनौतियां (बुनियादी ढांचा, शिक्षक प्रशिक्षण, बजट) | 5. निष्कर्ष।

★ "सा विद्या या विमुक्तये" — (विद्या वही है जो अज्ञान, संकीर्णता और पराधीनता से मुक्त करे।)

प्रस्तावना: वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जिस शिक्षा पद्धति की नींव रखी थी, उसका घोषित उद्देश्य ऐसे क्लर्क तैयार करना था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हों, किंतु रुचि, विचार और बुद्धि से अंग्रेज हों। स्वतंत्र भारत में दशकों तक चली रटंत-प्रधान (Rote Learning) और अंक-केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहीं न कहीं उसी औपनिवेशिक ढांचे का विस्तार बनी रही। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020)** भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मैकाले के सांचे से बाहर निकालकर तक्षशिला और नालंदा की समग्र, जिज्ञासा-आधारित और मूल्य-निष्ठ ज्ञान परंपरा से जोड़ने का एक ऐतिहासिक प्रयास है।

NEP 2020 के क्रांतिकारी आयाम:

- **संरचनात्मक परिवर्तन (5+3+3+4 मॉडल):** पुरानी 10+2 प्रणाली के स्थान पर 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 'फाउंडेशनल स्टेज' (ECCE) को औपचारिक शिक्षा में शामिल किया गया है, क्योंकि मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है।
- **मातृभाषा में शिक्षण और भाषाई गौरव:** कक्षा 5 (और संभव हो तो कक्षा 8) तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा का प्रावधान बच्चे की मौलिक सोच और अवधारणात्मक समझ को गहरा करता है। साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में शुरू होना भाषाई अभिजात्यवाद को तोड़ने वाला कदम है।
- **विषयों की कठोर दीवारों की समाप्ति:** अब विज्ञान (फिजिक्स) का छात्र संगीत या इतिहास भी साथ में पढ़ सकता है। 'मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट' और 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (ABC) ने उच्च शिक्षा को लचीला बनाया है।
- **रटंत विद्या से कौशल और नवाचार की ओर:** कक्षा 6 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training), कोडिंग और इंटर्नशिप को जोड़कर 'डिग्रीधारी बेरोजगारों' के बजाय 'कौशल-युक्त रोजगार-प्रदाताओं' (Job Creators) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। **'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (NRF)** के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

क्रियान्वयन की व्यावहारिक चुनौतियां: नीति दस्तावेज में जितनी उत्कृष्ट है, धरातल पर उसका क्रियान्वयन उतना ही चुनौतीपूर्ण है—

1. शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 6% तक ले जाने का लक्ष्य अभी अधूरा है।
2. ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद, डिजिटल डिवाइड और आधुनिक प्रयोगशालाओं का अभाव।
3. शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धति (Pedagogy) के अनुरूप प्रशिक्षित करना और कोचिंग-संस्कृति के दबाव को कम करना।

निष्कर्ष: यदि 'पीएम-श्री' (PM-SHRI) विद्यालयों, 'निपुण भारत मिशन' और डिजिटल शिक्षा के समन्वय से इस नीति को केंद्र व राज्यों के साझा प्रयास से ईमानदारी से लागू किया जाए, तो NEP 2020 भारत की जनांकिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को 'ज्ञान महाशक्ति' (Vishwaguru) में रूपांतरित करने की आधारशिला सिद्ध होगी।

निबंध 3: "वसुधैव कुटुम्बकम्: विखंडित विश्व में भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति का आलोक"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (महोपनिषद् का मंत्र और G-20 का ध्येय वाक्य) | 2. भारतीय संस्कृति की समावेशी प्रकृति | 3. योग, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म और वैक्सीन मैत्री के रूप में सॉफ्ट पावर | 4. समकालीन भू-राजनीतिक संघर्षों में भारतीय मध्यम मार्ग | 5. निष्कर्ष।

★ "अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥" — महोपनिषद्

प्रस्तावना: जब पश्चिम के राजनीतिक चिंतक 'सभ्यताओं के संघर्ष' (Clash of Civilizations) और बाजारवादी वैश्वीकरण की बात कर रहे थे, उससे सहस्राब्दियों पूर्व भारतीय ऋषियों ने संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार मानने का उद्घोष किया था। बाजारवादी वैश्वीकरण (Globalization) ने दुनिया को एक 'बाजार' (Global Market) तो बनाया, जहां हर देश दूसरे देश में केवल एक उपभोक्ता या लाभ का साधन खोजता है; किंतु भारतीय दर्शन का **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** विश्व को एक 'परिवार' मानता है, जहां संबंध लाभ-हानि से नहीं, बल्कि आत्मीयता, सह-अस्तित्व और साझा उत्तरदायित्व से संचालित होते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति (Soft Power) के आयाम:

- **मानवीय संकटों में प्रथम उत्तरदाता (First Responder):** कोविड-19 महामारी के दौरान जब संपन्न राष्ट्र 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' (Vaccine Nationalism) में लिपटे थे, तब भारत ने 'वैक्सीन मैत्री' के तहत 100 से अधिक देशों को टीके और जीवनरक्षक दवाएं पहुंचाकर 'सर्वे सन्तु निरामयाः' को चरितार्थ किया। तुर्की-सीरिया भूकंप में 'ऑपरेशन दोस्त' इसका एक और उदाहरण है।
- **योग, आयुर्वेद और श्रीअन्न (Millets):** 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर विश्व का एकजुट होना और वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष' के रूप में मनाना भारत की जीवन-शैली आधारित कूटनीति की वैश्विक स्वीकृति है।
- **पर्यावरणीय परिवार भाव:** 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' (OSOWOG), 'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन' (ISA) और 'मिशन लाइफ' (Lifestyle for Environment) बताते हैं कि भारत वसुधा के केवल मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि नदी, पर्वत, वनस्पति और जीव-जंतुओं को भी कुटुम्ब का हिस्सा मानता है ('एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य')।
- **ग्लोबल साउथ की आवाज:** जी-20 में अफ्रीकी संघ (African Union) को स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत की अग्रणी भूमिका ने विकासशील देशों के हितों को वैश्विक मंच पर मजबूती दी।

चुनौतियां एवं यथार्थवादी संतुलन: तथापि, कूटनीति में केवल आदर्शवाद पर्याप्त नहीं होता। जब पड़ोसी देशों द्वारा सीमा पार आतंकवाद और विस्तारवादी नीतियों का सहारा लिया जाता है, तब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 'शठं शाठ्यम समाचरेत्' की यथार्थवादी प्रतिरक्षा नीति (Hard Power) भी उतनी ही आवश्यक है। भारत का दर्शन 'शक्ति के साथ शांति' और 'सामर्थ्य के साथ क्षमा' का है।

निष्कर्ष: आज जब विश्व युद्धों, जलवायु संकट, आर्थिक मंदी और अविश्वास के अंधकार से जूझ रहा है, तब भारत का 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का दर्शन कोई कोरा नारा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व को बचाने का एकमात्र व्यावहारिक रोडमैप है।

निबंध 4: "सोशल मीडिया और युवा मानसिकता: आभासी जुड़ाव के युग में वास्तविक एकाकीपन"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (हजारों ऑनलाइन मित्र किंतु वास्तविक जीवन में अकेलापन) | 2. सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू: लोकतंत्रीकरण एवं नवाचार | 3. डोपामिन लत, FOMO, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य संकट | 4. फेक न्यूज एवं सामाजिक ध्रुवीकरण | 5. डिजिटल डिटॉक्स एवं विवेकपूर्ण उपयोग।

★ "हमने उंगलियों की एक छुअन से पूरी दुनिया को तो जोड़ लिया, पर पास बैठे अपनों के दिलों की दूरी नापना भूल गए।"

प्रस्तावना: आज के एक औसत युवा के सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों 'फॉलोअर्स' और 'फ्रेंड्स' हैं, किंतु जब वह किसी गहरे भावनात्मक संकट या अवसाद से गुजरता है, तो उसके पास बिना किसी झिझक के मन की बात कहने के लिए एक भी वास्तविक मित्र नहीं होता। स्मार्टफोन की चमकती स्क्रीन के पीछे छिपा यह 'डिजिटल एकाकीपन' आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना है। सोशल मीडिया, जिसका जन्म मानवीय संवाद को सुगम बनाने के लिए हुआ था, आज धीरे-धीरे मानवीय संवेदनाओं और युवाओं के मनोविज्ञान को ही नियंत्रित करने लगा है।

सकारात्मक आयाम: अभिव्यक्ति और अवसर का मंच: निस्संदेह, सोशल मीडिया ने सूचना और प्रतिभा का लोकतंत्रीकरण किया है। सुदूर गांव का एक छात्र आज यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहा है; स्थानीय कलाकार और छोटे उद्यमी बिना किसी बिचौलिए के वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे हैं; तथा आपदा या रक्तदान जैसी आपात स्थितियों में सोशल मीडिया जीवनरक्षक सिद्ध हुआ है।

युवा मानसिकता पर पड़ते नकारात्मक प्रभाव:

- **अटेंशन इकॉनमी और डोपामिन चक्र:** रील्स और शॉर्ट वीडियोज के अनंत स्क्रॉलिंग (Infinite Scrolling) एल्गोरिदम युवाओं के मस्तिष्क में त्वरित डोपामिन (Instant Gratification) स्रावित करते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता अवधि (Attention Span), गहन अध्ययन क्षमता और धैर्य तेजी से घट रहा है।
- **आभासी तुलना और 'FOMO' (Fear of Missing Out):** सोशल मीडिया पर लोग अपने जीवन का केवल सबसे चमकदार और फिल्टर किया हुआ पक्ष दिखाते हैं। युवा जब अपने संघर्षपूर्ण यथार्थ की तुलना दूसरों के आभासी दिखावे से करते हैं, तो उनमें हीनभावना, चिंता (Anxiety) और अवसाद जन्म लेता है।

• **साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग और अपराध:** ऑनलाइन गुमनामी (Anonymity) ने भाषा की मर्यादा को नष्ट कर दिया है। साइबर स्टॉकिंग, सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग ऐप्स के जाल में फंसकर अनेक युवा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं।

• **पारिवारिक संवाद का क्षरण:** एक ही छत के नीचे बैठे परिवार के सदस्य भोजन की मेज पर भी एक-दूसरे से बात करने के बजाय अपने-अपने मोबाइल स्क्रीन में कैद हैं।

समाधान की राह:

1. **डिजिटल स्वच्छता (Digital Hygiene) एवं स्क्रीन-फ्री समय:** युवाओं को स्वयं 'डिजिटल उपवास' (Digital Detox) और रात्रि सोने से 1 घंटे पूर्व स्क्रीन त्यागने का अनुशासन अपनाना होगा।

2. **क्रिटिकल थिंकिंग एवं मीडिया साक्षरता:** विद्यालयों और परिवारों में बच्चों को आभासी और वास्तविक दुनिया का अंतर समझाना तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श (जैसे— भारत सरकार की 'टेली-मानस' पहल) को सुलभ बनाना।

3. **प्लेटफॉर्म जवाबदेही:** आईटी नियमों (IT Rules) के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को हानिकारक कंटेंट और डीपफेक पर त्वरित नियंत्रण के लिए बाध्य करना।

निष्कर्ष: तकनीक हमारी सेवक होने के लिए बनी है, स्वामी बनने के लिए नहीं। जब युवा 'लाइक्स' और 'व्यूज' की आभासी दुनिया से बाहर निकलकर पुस्तकों, खेल के मैदान, प्रकृति और मानवीय रिश्तों की वास्तविक ऊष्मा से जुड़ेंगे, तभी उनका बौद्धिक और मानसिक विकास पूर्ण हो सकेगा।

निबंध 5: "शहरीकरण की अंधी दौड़ और भारतीय गांवों का बदलता स्वरूप: 'रूरबन' भारत की संकल्पना"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (गांधीजी का ग्राम-स्वराज्य बनाम अनियोजित महानगर) | 2. पलायन के कारण और ग्रामीण समाज पर प्रभाव (वृद्ध होते गांव) | 3. शहरों की दुर्दशा (झुग्गी-बस्तियां, प्रदूषण, जल संकट) | 4. PURA मॉडल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन और डिजिटल गांव | 5. निष्कर्ष।

★ "भारत की आत्मा गांवों में बसती है; यदि गांव नष्ट हो जाएंगे, तो भारत भी भारत नहीं रहेगा।" — महात्मा गांधी

प्रस्तावना: प्रेमचंद के 'गोदान' का होरी जब ऋण के बोझ तले दबकर गांव के किसान से शहर का मजदूर बनने को विवश हुआ था, तब वह भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के टूटने की प्रारंभिक आहट थी। आज 21वीं सदी में वह पलायन एक विशाल ज्वार बन चुका है। एक ओर हमारे महानगर कंक्रीट के ऐसे अनियोजित जंगलों में तब्दील हो रहे हैं जहां सांस लेने को शुद्ध हवा और पीने को स्वच्छ जल नहीं है; वहीं दूसरी ओर हमारे गांव युवाओं से खाली होकर केवल वृद्धों और महिलाओं के आश्रय-स्थल बनते जा रहे हैं। यह असंतुलन हमें विकास के अपने मॉडल पर पुनर्विचार करने को बाध्य करता है।

ग्रामीण से शहरी पलायन (Distress Migration) के मूल कारण:

• कृषि में घटती जोत का आकार, मानसून की अनिश्चितता और पर्याप्त लाभकारी मूल्य का अभाव।

• गांवों में उच्च शिक्षा, मल्टी-स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं और गैर-कृषि रोजगार (Agro-processing/Manufacturing) की कमी।

• शहरी जीवनशैली का आकर्षण और ग्रामीण कुटीर उद्योगों का पतन।

अनियोजित शहरीकरण की त्रासदी: संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2050 तक भारत की 50% से अधिक आबादी शहरों में निवास करेगी। किंतु बिना बुनियादी ढांचे के बढ़ती आबादी ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में गंभीर संकट पैदा कर दिए हैं— मलिन बस्तियों (Slums) का अमानवीय जीवन, गंभीर वायु प्रदूषण (AQI संकट), अर्बन फ्लडिंग (शहरी बाढ़), ट्रैफिक जाम और बढ़ता अपराध। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान करोड़ों प्रवासी श्रमिकों का पैदल अपने गांवों की ओर लौटना इस खोखले शहरी विकास का सबसे मार्मिक दृश्य था।

समाधान: 'आत्मा गांव की, सुविधाएं शहर की' (Rurban Vision):

1. **डॉ. कलाम का PURA मॉडल एवं रूरबन मिशन:** ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं (Providing Urban Amenities in Rural Areas) उपलब्ध कराना— पक्की सड़कें (PMGSY), हर घर नल से जल (जल जीवन मिशन), 24 घंटे बिजली और हाई-स्पीड इंटरनेट (भारतनेट)।

2. **ग्रामीण औद्योगीकरण और कृषि-प्रसंस्करण:** प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु **'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP)**, फूड पार्क्स, डेयरी व मत्स्य पालन (नीली क्रांति) और ग्रामीण पर्यटन का विस्तार।

3. **डिजिटल सशक्तिकरण एवं वर्क-फ्रॉम-विलेज:** पंचायती राज संस्थाओं के डिजिटलीकरण (e-GramSwaraj), स्वामित्व योजना (SVAMITVA) द्वारा ग्रामीण संपत्ति कार्ड और टियर-3 शहरों व कस्बों में आईटी/सेवा केंद्रों का विकास।

4. **स्मार्ट और संधारणीय शहर:** शहरों में 'स्पंज सिटी' अवधारणा, सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो/ई-बस) और कचरा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण।

निष्कर्ष: विकास का अर्थ गांवों को उजाड़कर महानगरों की भीड़ बढ़ाना नहीं है। जब गांवों की हरियाली, सामुदायिक भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर जुड़ जाएंगे, तभी 'रूरबन भारत' (Rurban India) के माध्यम से संतुलित और समावेशी राष्ट्र का निर्माण होगा।

3.5 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

• **महिला सशक्तिकरण के 5 स्तंभ — SHE-LP:**

• **S**afety & Security (सुरक्षा व गरिमा) | **H**ealth & Nutrition (स्वास्थ्य व पोषण) | **E**ducation & STEM (शिक्षा व विज्ञान) | **L**ivelihood & Entrepreneurship (आजीविका व लखपति दीदी) | **P**olitical Leadership (राजनीतिक नेतृत्व - नारी शक्ति वंदन)।

अध्याय 4: आर्थिक, कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन विषयक निबंध

(5 पूर्ण मॉडल निबंध — UPSC/UPPSC/RO-ARO/BPSC विशेष)

4.1 आर्थिक-पर्यावरणीय संतुलन का 4-नोड आरेख

[1. आर्थिक समृद्धि एवं बुनियादी ढांचा विस्तार] [2. कृषि आधुनिकीकरण एवं ग्रामीण समावेशी विकास] [3. पारिस्थितिक संरक्षण एवं हरित संक्रमण (Green Transition)] [4. आपदा-रोधी एवं संधारणीय 'विकसित भारत @2047']

4.2 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: आर्थिक एवं पर्यावरणीय निबंध

[आर्थिक / कृषि / पर्यावरणीय निबंध टेम्पलेट]
1. समसामयिक आंकड़ा / वैश्विक सूचकांक / वैदिक प्रकृति-दर्शन से आरंभ
2. विकास बनाम संधारणीयता (Growth vs Sustainability) का द्वंद्व
3. राष्ट्रीय नीतियां, मिशन (Green Hydrogen, LiFE, PM-KISAN, PM Gati Shakti) एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं (Panchamrit, SDG-13)
4. संरचनात्मक चुनौतियां (वित्तीय संसाधन, तकनीक हस्तांतरण, जलवायु वित्त, लघु किसान)
5. समाधान: चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) एवं प्रकृति-आधारित विकास

4.3 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख आर्थिक, कृषि एवं पर्यावरणीय पहल

क्षेत्र	प्रमुख राष्ट्रीय मिशन / योजनाएं	वैश्विक प्रतिबद्धता / लक्ष्य	मुख्य प्रभाव / उद्देश्य
अर्थव्यवस्था व उद्योग	मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, PM गति शक्ति, डिजिटल इंडिया (UPI/ONDC), स्टार्टअप इंडिया	5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था एवं 2047 तक विकसित राष्ट्र	विनिर्माण क्षमता वृद्धि, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और वित्तीय समावेशन।
कृषि एवं किसान कल्याण	PM-KISAN, PM फसल बीमा, e-NAM, प्राकृतिक खेती मिशन, श्रीअन्न (Millets) प्रोत्साहन	संधारणीय कृषि (SDG-2: शून्य भुखमरी) एवं कृषक आय वृद्धि	रसायन-मुक्त खेती, जल संरक्षण, मूल्य संवर्धन और बाजार एकीकरण।
जलवायु एवं हरित ऊर्जा	राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मिशन LiFE, नमामि गंगे	पंचामृत संकल्प (2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा, 2070 तक Net Zero)	कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा आत्मनिर्भरता।
आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, NDMA दिशानिर्देश, आपदा मित्र योजना, अर्ली वार्निंग सिस्टम	सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) एवं CDRI (आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन)	राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से पूर्व-तैयारी एवं न्यूनीकरण (Mitigation) की ओर।

4.4 पांच पूर्ण मॉडल आर्थिक, कृषि एवं पर्यावरणीय निबंध

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 4.4 पांच पूर्ण मॉडल आर्थिक, कृषि एवं पर्यावरणीय निबंध

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
निबंध 1: "विकसित भारत @2047: 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से समावेशी समृद्धि तक का रोडमैप"	**निबंध 2: "भारतीय कृषि का कायाकल्प: हरित क्रांति से सदाबहार एवं जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर"**	**निबंध 3: "जलवायु परिवर्तन और 'मिशन LiFE': पृथ्वी के अस्तित्व के लिए हरित जीवनशैली की अनिवार्यता"**	**निबंध 4: "भारत में आपदा प्रबंधन: राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से पूर्व-तैयारी और आपदा-रोधी अवसंरचना की ओर"**

निबंध 1: "विकसित भारत @2047: 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से समावेशी समृद्धि तक का रोडमैप"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष का स्वप्न) | 2. भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान शक्तियां (जनांकिकीय लाभांश, DPI, विनिर्माण) | 3. केवल GDP वृद्धि बनाम समावेशी मानव विकास | 4. चुनौतियां (बेरोजगारी, आय असमानता, मध्यम आय जाल) | 5. सुधारों की अगली पीढ़ी और निष्कर्ष।

★ "आर्थिक विकास का वास्तविक मापदंड शेयर बाजार के सूचकांक नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक के चेहरे की मुस्कान और उसकी थाली का पोषण है।"

प्रस्तावना: वर्ष 1947 में जब भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की, तब दो सौ वर्षों के औपनिवेशिक शोषण ने विश्व की कभी 27% हिस्सेदारी रखने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को मात्र 3% से भी कम पर लाकर छोड़ दिया था। आज जब हम स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष **2047** की ओर अग्रसर हैं, तब भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बना लिया है और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है। किंतु 'विकसित भारत @2047' का संकल्प केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़ों को बड़ा करना नहीं है, बल्कि आर्थिक समृद्धि को प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमापूर्ण जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसरों में रूपांतरित करना है।

भारतीय आर्थिक उत्थान के चार प्रमुख इंजन:

- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** जन-धन, आधार और मोबाइल (JAM Trinity) तथा यूपीआई (UPI) ने वित्तीय समावेशन में वह क्रांति कर दिखाई जो दशकों में संभव नहीं थी। आज विश्व के कुल रियल-टाइम डिजिटल लेनदेन का लगभग आधा हिस्सा अकेले भारत में होता है।
- **बुनियादी ढांचा और विनिर्माण क्रांति:** 'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान', भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) योजना ने भारत को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और ऑटोमोबाइल के वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Hub) के रूप में स्थापित किया है।
- **स्टार्टअप इकोसिस्टम और युवा शक्ति:** 100 से अधिक यूनिकॉर्न और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ भारतीय युवा आज अंतरिक्ष (Skyroot/Agnikul) से लेकर फिनटेक और एग्री-टेक तक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं।
- **बहुआयामी गरीबी में ऐतिहासिक कमी:** नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty) से बाहर निकले हैं।

चुनौतियां एवं 'मध्यम आय जाल' (Middle Income Trap) का जोखिम:

1. **रोजगार-विहीन वृद्धि (Jobless Growth) की चिंता:** सेवा क्षेत्र का योगदान तो तेजी से बढ़ा, किंतु श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) में अपेक्षित रोजगार सृजन अभी भी एक चुनौती है।
2. **आर्थिक असमानता (K-Shaped Recovery):** आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा हिस्सा शीर्ष वर्ग तक केंद्रित होना सामाजिक न्याय और मांग-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बाधक है।
3. **मानव पूंजी एवं अनुसंधान व्यय:** भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर व्यय जीडीपी का मात्र 0.65% के आसपास है, जिसे बढ़ाकर 2–3% करने की आवश्यकता है।

2047 का रोडमैप: विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को **4S**— *Skill* (कौशल विकास), *Scale* (विनिर्माण का विस्तार), *Sustainability* (हरित ऊर्जा संक्रमण) और *Social Justice* (सामाजिक सुरक्षा व महिला श्रम भागीदारी)— पर एक साथ कार्य करना होगा। जब आर्थिक वृद्धि की किरणें प्रत्येक गांव, किसान, श्रमिक और महिला को आलोकित करेंगी, तभी 2047 का भारत सही अर्थों में एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र कहलाएगा।

निबंध 2: "भारतीय कृषि का कायाकल्प: हरित क्रांति से सदाबहार एवं जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (कृषि: भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था की प्राणवायु) | 2. प्रथम हरित क्रांति की उपलब्धियां एवं पारिस्थितिक दुष्परिणाम | 3. जलवायु परिवर्तन और लघु किसानों का संकट | 4. सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution), प्राकृतिक खेती, श्रीअन्न व एग्री-टेक | 5. निष्कर्ष।

★ "उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान" — घाघ और भड्डरी की लोक-कहावत

प्रस्तावना: भारत केवल एक भौगोलिक भू-भाग नहीं, बल्कि एक कृषि-सभ्यता है जहां फसल के पकने पर बैसाखी, पोंगल, बिहू और मकर संक्रांति के रूप में उत्सव मनाए जाते हैं। देश की लगभग 45–50% श्रमशक्ति को आजीविका देने वाली भारतीय कृषि ने 1960 के दशक में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में 'हरित क्रांति' के माध्यम से देश को 'जहाज से सीधे मुंह तक' (Ship-to-Mouth) की पराधीनता से निकालकर खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाया। किंतु आज पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थक चुकी मिट्टी, गिरता भूजल स्तर और बदलता मौसम यह पुकार कर कह रहे हैं कि अब हमें रासायनिक अतिरेक वाली हरित क्रांति से आगे बढ़कर **'सदाबहार एवं जलवायु-अनुकूल कृषि' (Evergreen & Climate-Resilient Agriculture)** को अपनाना होगा।

प्रथम हरित क्रांति के अनपेक्षित दुष्परिणाम:

- गेहूं और धान के द्वैध-फसल चक्र (Monoculture) ने दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों को हाशिए पर धकेल दिया।
- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा की उर्वरता नष्ट हुई और पंजाब के मालवा क्षेत्र में 'कैंसर ट्रेन' जैसी स्वास्थ्य त्रासदियां सामने आईं।
- मुफ्त बिजली और जल-गहन फसलों के कारण भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया।

नवीन कृषि कायाकल्प के स्तंभ:

1. **श्रीअन्न (Millets) और फसल विविधीकरण:** ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसे मोटे अनाज (श्रीअन्न) कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उगते हैं तथा पोषण से भरपूर होते हैं। यह जलवायु संकट और कुपोषण दोनों का अचूक समाधान है।
2. **प्राकृतिक एवं जैविक खेती (Natural & Organic Farming):** गोबर-गौमूत्र आधारित 'जीवामृत/बीजामृत' और रसायन-मुक्त खेती से उत्पादन लागत घटती है और मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है (जैसे— सिक्किम का पूर्ण जैविक राज्य बनना)।
3. **डिजिटल एग्रीकल्चर और स्मार्ट तकनीक:** 'नमो ड्रोन दीदी' द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card), एआई-आधारित मौसम पूर्वानुमान, सूक्ष्म सिंचाई ('पर ड्रॉप मोर क्रॉप') और ई-नाम (e-NAM) के माध्यम से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति।
4. **कृषि को उद्यम बनाना (FPOs & Food Processing):** भारत के 86% लघु और सीमांत किसानों को 'किसान उत्पादक संगठनों' (FPOs) से जोड़कर सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति देना और खेत के पास ही कोल्ड स्टोरेज व फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना ताकि फलों-सब्जियों की बर्बादी रुके।

निष्कर्ष: किसान को केवल 'अन्नदाता' ही नहीं, बल्कि इथेनॉल और सौर ऊर्जा (PM-KUSUM) के माध्यम से **'ऊर्जादाता'** और **'उद्यमी'** बनाना समय की मांग है। जब विज्ञान की आधुनिक तकनीक और प्रकृति के पारंपरिक सामंजस्य का संगम खेत की मेड़ पर होगा, तभी भारतीय कृषि सदाबहार और किसान समृद्ध बनेगा।

निबंध 3: "जलवायु परिवर्तन और 'मिशन LiFE': पृथ्वी के अस्तित्व के लिए हरित जीवनशैली की अनिवार्यता"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (तपती धरती और ग्लासगो COP-26 में भारत का मंत्र) | 2. जलवायु संकट के वैश्विक व भारतीय संकेत | 3. 'उपभोग और फेंको' संस्कृति बनाम भारतीय संधारणीय परंपरा | 4. पंचामृत लक्ष्य एवं मिशन लाइफ के 3 चरण | 5. निष्कर्ष।

★ "प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य ही मानव सभ्यता के दीर्घायु होने का रहस्य है।"

प्रस्तावना: अंटार्कटिका और हिमालय के तेजी से पिघलते ग्लेशियर, यूरोप से लेकर भारत तक चलती अभूतपूर्व लू (Heatwaves), असमय बादल फटने की घटनाएं और डूबते द्वीपीय राष्ट्र— ये किसी हॉलीवुड फिल्म के काल्पनिक दृश्य नहीं, बल्कि उस जलवायु संकट (Climate Emergency) की भयावह दस्तक हैं जिसे मनुष्य ने अपनी अनियंत्रित औद्योगिक भूख से आमंत्रित किया है। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का औसत तापमान 1.1°C से अधिक बढ़ चुका है। इस वैश्विक संकट के समाधान के लिए भारत ने विश्व के समक्ष **'मिशन LiFE' (Lifestyle for Environment — पर्यावरण के लिए जीवनशैली)** का वह क्रांतिकारी दर्शन रखा है, जो जलवायु कार्रवाई को केवल सरकारी सम्मेलनों तक सीमित न रखकर जन-आंदोलन बनाता है।

समस्या की जड़: नासमझ और विनाशकारी उपभोग: पश्चिमी उपभोक्तावादी मॉडल 'Use and Throw' (उपयोग करो और फेंको) की मानसिकता पर आधारित है। विश्व की एक छोटी-सी संपन्न आबादी का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (Per Capita Carbon Footprint) विकासशील देशों की तुलना में कई

गुना अधिक है। इसके विपरीत, भारतीय संस्कृति में हमेशा से 'पुनर्चक्रण' (Circular Economy) और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का भाव रहा है— जहां तुलसी, पीपल और नदियों की पूजा की जाती है तथा भोजन व जल की एक बूंद भी व्यर्थ करना पाप माना जाता है।

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं एवं मिशन LiFE:

- **पंचामृत संकल्प:** 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना, कार्बन तीव्रता को 45% तक घटाना और 2070 तक **'नेट जीरो' (Net Zero Emissions)** का लक्ष्य प्राप्त करना।
- **मिशन LiFE के तीन स्तंभ:**

1. **मांग में परिवर्तन (Change in Demand):** नागरिकों द्वारा अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाना (जैसे— एसी का तापमान संतुलित रखना, सिंगल-यूज प्लास्टिक का त्याग, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग)।
2. **आपूर्ति में परिवर्तन (Change in Supply):** जब उपभोक्ता हरित उत्पादों की मांग करेंगे, तो उद्योग और बाजार भी पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद बनाने को बाध्य होंगे।
3. **नीति में परिवर्तन (Change in Policy):** सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन (FAME/PM E-Drive), रूफटॉप सोलर और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को प्रोत्साहन।

जलवायु न्याय (Climate Justice) की मांग: विकासशील देशों को हरित संक्रमण के लिए विकसित देशों से केवल उपदेश नहीं, बल्कि प्रतिबद्ध 100 अरब डॉलर से अधिक का **'जलवायु वित्त' (Climate Finance)** और सस्ती हरित तकनीक का हस्तांतरण (Technology Transfer) मिलना चाहिए।

निष्कर्ष: पृथ्वी को बचाने के लिए हमें किसी दूसरे ग्रह की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने उपभोग के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। जब विश्व का प्रत्येक नागरिक 'प्रो-प्लैनेट पीपल' (Pro-Planet People - P3) बनकर प्रकृति का ट्रस्टी (संरक्षक) बनेगा, तभी हमारी वसुंधरा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरी-भरी और सुरक्षित रह सकेगी।

निबंध 4: "भारत में आपदा प्रबंधन: राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से पूर्व-तैयारी और आपदा-रोधी अवसंरचना की ओर"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (भारत की भौगोलिक संवेदनशीलता) | 2. पारंपरिक बनाम आधुनिक आपदाएं (जोशीमठ, वायनाड भूस्खलन, शहरी बाढ़, हीटवेव) | 3. 1999 के ओडिशा महाचक्रवात से आधुनिक शून्य-मृत्यु मॉडल तक का बदलाव | 4. NDMA, सेंडाई फ्रेमवर्क एवं CDRI | 5. निष्कर्ष।

★ "आपदाएं प्राकृतिक हो सकती हैं, किंतु उनसे होने वाला विनाश प्रायः मानवीय अदूरदर्शिता और अनियोजित विकास का परिणाम होता है।"

प्रस्तावना: अपनी विशिष्ट भू-आकृतिक और जलवायविक संरचना के कारण भारत विश्व के सर्वाधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार भारत का लगभग 58.6% भू-भाग भूकंप के प्रति, 12% भू-भाग बाढ़ के प्रति और 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से लगभग 5,700 किलोमीटर क्षेत्र चक्रवात व सुनामी के प्रति संवेदनशील है। किंतु पिछले दो दशकों में भारत के आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक युगांतरकारी परिवर्तन (Paradigm Shift) आया है— पहले जहां हम आपदा आने के बाद 'राहत और मुआवजा' बांटने तक सीमित रहते थे, वहीं आज हम **'पूर्व-चेतावनी, जोखिम न्यूनीकरण और आपदा-रोधी अवसंरचना' (Prevention, Mitigation & Disaster Resilient Infrastructure)** के सक्रिय मॉडल पर कार्य कर रहे हैं।

उभरती हुई नवीन आपदा चुनौतियां:

- **हिमालयी पारिस्थितिकी और भूस्खलन:** जोशीमठ का भू-धंसाव, हिमाचल प्रदेश व सिक्किम की बाढ़ और केरल के वायनाड में हुआ भीषण भूस्खलन यह चेतावनी देते हैं कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) में अनियंत्रित निर्माण और सुरंगों का जाल विनाशकारी सिद्ध हो रहा है।
- **शहरी बाढ़ (Urban Flooding) और हीटवेव:** आर्द्रभूमियों (Wetlands) और तालाबों पर अतिक्रमण तथा कंक्रीटीकरण के कारण चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर कुछ घंटों की वर्षा में ही जलमग्न हो जाते हैं।

भारत की सफलता की कहानी: ओडिशा मॉडल और तकनीकी क्रांति:

1999 में जब ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया था, तब लगभग 10,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। किंतु उसके बाद भारत ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के डॉपलर रडार, इसरो के उपग्रहों, NDRF की त्वरित तैनाती और सामुदायिक आश्रय स्थलों का ऐसा तंत्र विकसित किया कि 'फानी', 'अम्फान' और 'बिपरजॉय' जैसे भीषण चक्रवातों में जनहानि को न्यूनतम (Near-Zero Casualty) कर दिया गया, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र ने भी की।

संस्थागत एवं वैश्विक नेतृत्व:

• **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005:** राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर NDMA, SDMA और DDMA का गठन तथा 'आपदा मित्र' योजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं का प्रशिक्षण।

• **सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) और प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय एजेंडा:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास की हर योजना का अभिन्न अंग बनाना।

• **CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure):** भारत की पहल पर गठित यह अंतरराष्ट्रीय गठबंधन विश्व स्तर पर ऐसे पुल, सड़कें, बिजली ग्रिड और अस्पताल बनाने को प्रेरित कर रहा है जो भूकंप और बाढ़ को झेल सकें।

निष्कर्ष: आपदा पर खर्च किया गया पूर्व-तैयारी का एक रुपया, आपदा के बाद पुनर्निर्माण के सात रुपयों की बचत करता है। जब वैज्ञानिक पूर्व-चेतावनी तंत्र (SACHET App/Early Warning), पारिस्थितिकी-संवेदनशील विकास (माधव गाडगिल व कस्तूरीरंगन समिति की भावना) और जन-जागरूकता एक साथ जुड़ेंगे, तभी भारत एक पूर्णतः 'आपदा-रोधी राष्ट्र' बन सकेगा।

निबंध 5: "नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) और जल सुरक्षा: भारत के भविष्य की जीवन-रेखा"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (जल ही जीवन है एवं तीन ओर से समुद्र से घिरा भारत) | 2. नीली अर्थव्यवस्था की क्षमता (सागरमाला, मत्स्य संपदा, डीप ओशन मिशन) | 3. भारत में मीठे जल का संकट एवं कारण | 4. जल संरक्षण के समाधान (अटल भूजल, कैच द रेन, नदी पुनर्जीवन) | 5. निष्कर्ष।

★ "रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चून॥" — अब्दुल रहीम खानखाना

प्रस्तावना: पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह एक 'नीले ग्रह' के रूप में दिखाई देती है, किंतु विडंबना यह है कि इस जल-बहुल ग्रह पर मानव उपयोग के लिए उपलब्ध मीठा जल (Fresh Water) कुल जल का मात्र 2.5% से भी कम है। दूसरी ओर, भारत को प्रकृति ने 7,516 किलोमीटर लंबी समृद्ध तटरेखा, 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और 1,300 से अधिक द्वीपों का वरदान दिया है। अतः भारत के सतत विकास की कुंजी दो जलीय स्तंभों पर टिकी है— पहला, महासागरीय संसाधनों का संधारणीय उपयोग कर **'नीली अर्थव्यवस्था' (Blue Economy)** को गति देना; और दूसरा, देश के भीतर **'जल सुरक्षा' (Water Security)** को सुनिश्चित करना।

खंड-क: नीली अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाएं:

• **बंदरगाह-आधारित विकास (सागरमाला परियोजना):** भारत के 95% व्यापार (मात्रा के अनुसार) का परिवहन समुद्र के रास्ते होता है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और तटीय आर्थिक क्षेत्रों के विकास से लॉजिस्टिक्स लागत घट रही है।

• **मत्स्य पालन एवं सामुद्रिक खाद्य:** 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) ने भारत को विश्व का प्रमुख मत्स्य उत्पादक और निर्यातक बनाया है, जिससे करोड़ों तटीय मछुआरों की आय बढ़ रही है।

• **डीप ओशन मिशन (समुद्रयान) एवं अपतटीय ऊर्जा:** गहरे समुद्र में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज) की खोज और अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के आधार हैं।

खंड-ख: आंतरिक जल संकट और समाधान:

नीति आयोग के 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (CWMI) के अनुसार भारत में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है, किंतु हमारे पास विश्व के जल संसाधनों का मात्र 4% हिस्सा है।

• **संकट के कारण:** कृषि में 80% से अधिक भूजल का दोहन, वर्षा जल का मात्र 8% ही संचित हो पाना, औद्योगिक अपशिष्ट से नदियों का प्रदूषण और पारंपरिक बावड़ियों व तालाबों का लुप्त होना।

• **समाधान के भगीरथ प्रयास:**

1. **जल जीवन मिशन (हर घर जल):** ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल का जल पहुंचाकर महिलाओं के सिर से मीलों दूर से पानी ढोने का बोझ उतारना।
2. **वर्षा जल संचयन:** 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन', 'अमृत सरोवर मिशन' (प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का पुनरुद्धार) और 'अटल भूजल योजना'।
3. **पारंपरिक जल ज्ञान का पुनर्जागरण:** राजस्थान के जोहड़ और टांका (जल-पुरुष राजेंद्र सिंह के प्रयास), लद्दाख के 'आइस स्तूप' (सोनम वांगचुक) और शहरी अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण (Recycle & Reuse)।

निष्कर्ष: महासागरों की लहरों में हमारी आर्थिक समृद्धि छिपी है और वर्षा की प्रत्येक बूंद में हमारा अस्तित्व। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को रोकते हुए नीली अर्थव्यवस्था का विस्तार करना और प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना ही भारत के उज्ज्वल भविष्य की जीवन-रेखा है।

4.5 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

• **पर्यावरण एवं आपदा निबंध सूत्र — PANCH-LIFE :**

• **P**anchamrit (पंचामृत लक्ष्य) | **A**daptation (जलवायु अनुकूलन) | **N**et-Zero 2070 | **C**ircular Economy (चक्रीय अर्थव्यवस्था) | **H**ydrogen & Solar (हरित ऊर्जा) — **LiFE** (पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली)।

अध्याय 5: विज्ञान-प्रौद्योगिकी (AI, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा), आंतरिक सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विषयक निबंध

(5 पूर्ण मॉडल निबंध — UPSC/UPPSC/CAPF/RO-ARO विशेष)

5.1 विज्ञान, सुरक्षा एवं कूटनीति का 4-नोड आरेख

[1. उभरती प्रौद्योगिकियां (AI, अंतरिक्ष, क्वांटम)] [2. साइबर एवं आंतरिक सुरक्षा कवच]
[3. सामरिक स्वायत्तता एवं बहुध्रुवीय कूटनीति] [4. सुरक्षित, सशक्त एवं विश्वबंधु भारत]

5.2 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट: तकनीकी एवं सुरक्षा निबंध

[विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा निबंध टेम्पलेट]
1. नवीनतम उपलब्धि (Chandrayaan-3 / IndiaAI Mission / Agni-5) या उद्धरण से आरंभ
2. तकनीक/सुरक्षा विषय का दोहरा चरित्र (Dual-Use Nature: विकास बनाम विनाश)
3. भारत की उपलब्धियां, संस्थागत ढांचा (ISRO, DRDO, CERT-In, NIA) एवं नीतिगत पहल
4. उभरती चुनौतियां (साइबर युद्ध, हाइब्रिड वॉरफेयर, अंतरिक्ष कचरा, AI नैतिकता)
5. समाधान: स्वदेशीकरण (आत्मनिर्भरता) + नियामक कानून + वैश्विक सहयोग

5.3 तुलनात्मक सारणी: विज्ञान, आंतरिक सुरक्षा एवं विदेश नीति के मुख्य स्तंभ

आयाम	प्रमुख मिशन / संस्थागत तंत्र	मुख्य चुनौतियां	रणनीतिक समाधान
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)	इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission), AIRAWAT सुपरकंप्यूटर, GPAI अध्यक्षता	रोजगार विस्थापन, डीपफेक, एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह, डेटा गोपनीयता	नैतिक AI ढांचा, कौशल उन्नयन (Reskilling) व डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act 2023)।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	चंद्रयान-3, आदित्य-L1, गगनयान, IN-SPACe, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (2035)	अंतरिक्ष मलबा (Space Debris), अंतरिक्ष का सैन्यीकरण, कम वैश्विक बाजार हिस्सेदारी	निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रोजेक्ट NETRA, पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन (RLV)।
साइबर एवं आंतरिक सुरक्षा	CERT-In, I4C, NIA, नक्सल-विरोधी 'समाधान' (SAMADHAN) सिद्धांत	साइबर आतंकवाद, क्रिप्टो-फंडिंग, ड्रोन तस्करी, वामपंथी उग्रवाद	महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण (NCIIPC), स्मार्ट फेंसिंग व विकास-सुरक्षा समन्वय।
अंतरराष्ट्रीय संबंध	गुटनिरपेक्षता से 'बहु-संरेखण' (Multi-alignment), QUAD, BRICS, BIMSTEC, IMEC	चीन की आक्रामकता, रूस-यूक्रेन व पश्चिम एशिया संकट, UNSC में सुधार न होना	सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy), पड़ोसी प्रथम और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व।

5.4 पांच पूर्ण मॉडल विज्ञान, सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध निबंध

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 5.4 पांच पूर्ण मॉडल विज्ञान, सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध निबंध

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
निबंध 1: "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence): मानवीय मेधा का पूरक या अस्तित्वगत चुनौती?"	निबंध 2: "अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की नई उड़ान: चंद्रयान-3 से गगनयान और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तक"	निबंध 3: "साइबर सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता: अदृश्य युद्धक्षेत्र में राष्ट्र की रक्षा"	निबंध 4: "आंतरिक सुरक्षा और विकास का द्वंद्वात्मक संबंध: नक्सलवाद, आतंकवाद और पूर्वोत्तर में शांति की राह"

निबंध 1: "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence): मानवीय मेधा का पूरक या अस्तित्वगत चुनौती?"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (चैटजीपीटी/जनरेटिव AI की क्रांति) | 2. स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व शासन में AI का कल्याणकारी उपयोग | 3. रोजगार संकट, डीपफेक, गोपनीयता और स्वायत्त हथियारों का खतरा | 4. इंडिया एआई मिशन और नैतिक विनियमन | 5. निष्कर्ष।

★ "सवाल यह नहीं है कि क्या मशीनें सोच सकती हैं; असली सवाल यह है कि क्या मशीनों के युग में मनुष्य अपनी संवेदना और विवेक बचाए रख सकता है?"

प्रस्तावना: भाप के इंजन ने मानव की मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाया, बिजली और कंप्यूटर ने उसकी कार्यक्षमता को गति दी, किंतु **'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence - AI)** मानव इतिहास की पहली ऐसी तकनीक है जो मनुष्य के सबसे विशिष्ट गुण— 'सोचने, सीखने, निर्णय लेने और सृजन करने की बौद्धिक क्षमता'— को ही चुनौती दे रही है। जनरेटिव एआई (Generative AI) और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के उद्भव ने आज मानव सभ्यता को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है, जहां एक ओर असीम समृद्धि और समस्याओं के समाधान का मार्ग है, तो दूसरी ओर मानवीय अप्रासंगिकता और नैतिक संकट की गहरी खाई है।

मानव कल्याण के पूरक के रूप में AI ('AI for All'):

- **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा:** कैंसर, टीबी और डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रारंभिक चरण में सटीक निदान करने, नई दवाओं की खोज (AlphaFold द्वारा प्रोटीन संरचना समझना) और रोबोटिक सर्जरी में एआई वरदान सिद्ध हो रहा है।
- **कृषि एवं जलवायु:** उपग्रह डेटा और एआई के माध्यम से कीटों के हमले की पूर्व-चेतावनी, सटीक सिंचाई और चरम मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान किसानों की फसल बचा रहा है।
- **शिक्षा एवं भाषाई समावेशन:** भारत के **'भाषिणी' (Bhashini)** प्लेटफॉर्म ने एआई की मदद से भाषा की दीवार को तोड़ दिया है, जिससे ग्रामीण नागरिक अपनी मातृभाषा में बोलकर सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

अस्तित्वगत एवं सामाजिक चुनौतियां:

1. **रोजगार विस्थापन बनाम रूपांतरण:** कोडिंग, ग्राहक सेवा, अनुवाद और डेटा एंट्री जैसे नियमित (Routine) कार्यों के स्वचालित होने से पारंपरिक नौकरियों पर संकट है।
2. **डीपफेक और लोकतंत्र पर प्रहार:** एआई द्वारा निर्मित फर्जी ऑडियो-वीडियो (Deepfakes) से चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, वित्तीय धोखाधड़ी (Voice Cloning Scam) हो रही है और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है।
3. **एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह और स्वायत्त हथियार:** यदि प्रशिक्षण डेटा में सामाजिक पूर्वाग्रह हैं, तो एआई के निर्णय भी भेदभावपूर्ण होंगे। साथ ही मानवीय नियंत्रण से मुक्त 'घातक स्वायत्त हथियार' (Killer Robots) युद्ध के नैतिक नियमों को समाप्त कर सकते हैं।

भारत की रणनीति एवं समाधान: भारत ने **'इंडिया एआई मिशन' (IndiaAI Mission)** के माध्यम से स्वदेशी कंप्यूटिंग क्षमता (GPUs), भारतीय भाषाओं के फाउंडेशनल मॉडल्स और स्टार्टअप नवाचार को गति दी है। समाधान का मार्ग यह है कि हम अपने युवाओं को 'AI से डरने' के बजाय 'AI का उपयोग करने' (Upskilling) में दक्ष बनाएं, डीपफेक पर कठोर वाटरमार्किंग व दंड लागू करें, और तकनीकी विकास के केंद्र में सदैव मानवीय संवेदना (Human-Centric AI) को रखें।

निष्कर्ष: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पास 'बुद्धि' (Intelligence) तो हो सकती है, किंतु 'चेतना, करुणा और नैतिक विवेक' (Consciousness & Compassion) केवल मनुष्य के पास है। जब मानवीय हृदय और कृत्रिम मस्तिष्क एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, तभी तकनीक मानवता की सच्ची सहचर बनेगी।

निबंध 2: "अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की नई उड़ान: चंद्रयान-3 से गगनयान और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तक"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (23 अगस्त— राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का गौरव) | 2. इसरो की मितव्ययी इंजीनियरिंग और प्रमुख उपलब्धियां | 3. आम आदमी के जीवन में अंतरिक्ष तकनीक का योगदान | 4. निजीकरण (IN-SPACe) और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था | 5. भविष्य के मिशन (गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन) एवं निष्कर्ष।

★ "आकाश की कोई सीमा नहीं है; भारत के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि सीमित संसाधनों में भी असीम अंतरिक्ष को जीता जा सकता है।"

प्रस्तावना: 23 अगस्त 2023 की शाम जब चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के अब तक अछूते और दुर्गम दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रखे, तो वह केवल धातु के एक यान का उतरना नहीं था, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का उत्कर्ष था। उस ऐतिहासिक स्थल को 'शिव शक्ति पॉइंट' नाम देकर और 23 अगस्त को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' घोषित कर भारत ने विश्व के विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब में अपनी अग्रणी उपस्थिति दर्ज करा दी। थुम्बा के एक छोटे-से चर्च से शुरू हुई डॉ. विक्रम साराभाई और सतीश धवन की यह यात्रा आज सूर्य के अध्ययन (आदित्य-L1) और मानव अंतरिक्ष उड़ान (गगनयान) के नए क्षितिज छू रही है।

अंतरिक्ष अनुसंधान केवल प्रतिष्ठा नहीं, जन-कल्याण का माध्यम है:

डॉ. विक्रम साराभाई ने स्पष्ट किया था कि भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम महाशक्तियों से होड़ करने का विलासितापूर्ण साधन नहीं, बल्कि आम नागरिक की समस्याओं को सुलझाने का माध्यम है—

- **आपदा प्रबंधन एवं मौसम पूर्वानुमान:** INSAT और EOS श्रृंखला के उपग्रह चक्रवातों की सटीक जानकारी देकर लाखों मछुआरों और तटीय नागरिकों की जान बचाते हैं।
- **कृषि, जल एवं वन संसाधन:** सुदूर संवेदन (Remote Sensing) उपग्रहों से फसल उत्पादन का आकलन, भूजल स्रोतों की खोज और वनाग्नि की निगरानी होती है।
- **नेविगेशन एवं संचार:** भारत का स्वदेशी नेविगेशन तंत्र **'नाविक' (NavIC)**, टेली-मेडिसिन और टेली-एजुकेशन सुदूर गांवों और द्वीपों को मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं।

अंतरिक्ष सुधार और 'न्यू स्पेस' (NewSpace) अर्थव्यवस्था:

वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% है, जिसे 2033 तक 8–10% (लगभग 44 अरब डॉलर) तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने **IN-SPACe** और **NSIL** का गठन कर अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। 'स्काईरूट एयरोस्पेस' (विक्रम-एस रॉकेट) और 'अग्निकुल कॉसमॉस' (3D-प्रिंटेड इंजन युक्त अग्निबाण) जैसी भारतीय निजी कंपनियां आज इसरो के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।

भविष्य का रोडमैप एवं चुनौतियां:

- **गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन:** भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों (गगनयात्रियों) को अंतरिक्ष में भेजना, 2035 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' स्थापित करना और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानव कदम रखना।
- **चुनौतियां:** अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा (Space Debris - जिसके लिए इसरो ने 'प्रोजेक्ट नेत्र' शुरू किया है), अंतरिक्ष का बढ़ता सैन्यीकरण और भारी पेलोड ले जाने वाले अगली पीढ़ी के रॉकेट (NGLV) का विकास।

निष्कर्ष: इसरो की सफलता ने यह सिद्ध किया है कि मितव्ययिता (Frugal Innovation) और उत्कृष्टता एक साथ चल सकती हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा वसुधा के कल्याण के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की एक शांत और गौरवशाली क्रांति है।

निबंध 3: "साइबर सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता: अदृश्य युद्धक्षेत्र में राष्ट्र की रक्षा"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (डिजिटल इंडिया का विस्तार और बिना गोलियों का युद्ध) | 2. साइबर खतरों के विविध रूप (रैनसमवेयर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक, वित्तीय ठगी) | 3. डेटा ही नया तेल है: डिजिटल संप्रभुता का महत्व | 4. भारत का सुरक्षा कवच (CERT-In, NCIIPC, DPDP Act 2023) | 5. निष्कर्ष।

★ "भविष्य के युद्ध सीमाओं पर तोपों और टैंकों से कम, बल्कि सर्वर रूम में बैठे हैकर्स द्वारा कीबोर्ड की कुंजियों से अधिक लड़े जाएंगे।"

प्रस्तावना: इक्कीसवीं सदी में किसी राष्ट्र को पंगु बनाने के लिए उसकी सीमाओं पर सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है; केवल एक संगठित साइबर हमले (Cyber Attack) के माध्यम से उसके पावर ग्रिड को अंधकार में डुबोया जा सकता है, बैंकिंग प्रणाली को ठप किया जा सकता है, अस्पतालों के सर्वर लॉक किए जा सकते हैं

और रेलवे व हवाई यातायात को रोका जा सकता है। भारत ने जिस तीव्रता से 'डिजिटल इंडिया' और यूपीआई के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण किया है, उसी अनुपात में हमारी **'साइबर सुरक्षा' (Cyber Security)** और **'डिजिटल संप्रभुता' (Digital Sovereignty)** की रक्षा करना राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है।

साइबर युद्धक्षेत्र के बहुआयामी खतरे:

- **महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) पर हमले:** एम्स (AIIMS) दिल्ली के सर्वर पर रैनसमवेयर हमला, मुंबई पावर ग्रिड में संदिग्ध साइबर घुसपैठ और परमाणु व अंतरिक्ष संस्थानों को निशाना बनाने वाले राज्य-प्रायोजित (State-Sponsored) हैकिंग समूह।
- **वित्तीय साइबर अपराध और 'डिजिटल अरेस्ट':** फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप्स और हाल के दिनों में पुलिस या जांच एजेंसी बनकर भोले-भाले नागरिकों को वीडियो कॉल पर डराने वाले 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम ने हजारों करोड़ रुपये की चपत लगाई है।
- **साइबर आतंकवाद और डार्क वेब:** आतंकवादी संगठनों द्वारा युवाओं के कट्टरपंथ (Radicalization), क्रिप्टोकरेंसी के जरिए टेरर फंडिंग और डार्क वेब के माध्यम से मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी।

डिजिटल संप्रभुता का प्रश्न: आज करोड़ों भारतीयों का डेटा विदेशी टेक दिग्गजों (Big Tech) के सर्वरों पर संग्रहित है। 'डेटा उपनिवेशवाद' (Data Colonialism) से बचने के लिए भारत ने डेटा स्थानीयकरण (Data Localization), स्वदेशी 5G/6G स्टैक और **'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' (DPDP Act)** लागू कर नागरिकों की निजता (अनुच्छेद 21 - पुट्टास्वामी निर्णय) और राष्ट्रीय संप्रभुता को सुरक्षित किया है।

भारत का संस्थागत रक्षा तंत्र एवं सुधार:

1. **संस्थागत ढांचा:** CERT-In (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम), NCIIPC, गृह मंत्रालय का I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र - हेल्पलाइन 1930) और रक्षा साइबर एजेंसी (Defence Cyber Agency)।
2. **आगे की राह:** स्वदेशी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम (जैसे— BharOS, Maya OS) को बढ़ावा देना, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (National Quantum Mission) में निवेश करना, और 'साइबर स्वच्छता' (Cyber Hygiene) को विद्यालयी पाठ्यक्रम व जन-जागरूकता का हिस्सा बनाना।

निष्कर्ष: डिजिटल प्रगति की इमारत तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसकी नींव साइबर सुरक्षा की अभेद्य चट्टान पर टिकी हो। सरकार की तकनीकी मुस्तैदी और प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सतर्कता ही इस अदृश्य युद्धक्षेत्र में भारत का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।

निबंध 4: "आंतरिक सुरक्षा और विकास का द्वंद्वात्मक संबंध: नक्सलवाद, आतंकवाद और पूर्वोत्तर में शांति की राह"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (चाणक्य का सुरक्षा दर्शन: बाह्य से अधिक खतरनाक आंतरिक शत्रु) | 2. आंतरिक सुरक्षा और विकास का अन्योन्याश्रित संबंध | 3. वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) का सिमटता दायरा | 4. जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति एवं एकीकरण | 5. नए खतरे (ड्रोन, नार्को-टेररिज्म) एवं निष्कर्ष।

★ "विकास के बिना सुरक्षा अधूरी है, और सुरक्षा के बिना विकास असंभव है— दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं।"

प्रस्तावना: आचार्य चाणक्य ने 'अर्थशास्त्र' में राष्ट्र को होने वाले खतरों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि बाह्य आक्रमण तो सांप के समान है जिसे देखा और रोका जा सकता है, किंतु आंतरिक विद्रोह और अस्थिरता घर के भीतर छिपे उस विषैले जीव के समान है जो राष्ट्र को अंदर से खोखला कर देती है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में सीमा-पार प्रायोजित आतंकवाद, मध्य भारत के जंगलों में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद), पूर्वोत्तर में अलगाववादी उग्रवाद और संगठित अपराध जैसी जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है। किंतु पिछले एक दशक में भारत ने **'कठोर सुरक्षा कार्रवाई' और 'त्वरित समावेशी विकास'** के दोहरे सूत्र से इन चुनौतियों को निर्णायक रूप से पीछे धकेला है।

प्रमुख आंतरिक सुरक्षा मोर्चों पर बदलाव:

- **वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism) का अंतोन्मुखी चरण:** कभी पशुपति से तिरुपति तक फैले 'रेड कॉरिडोर' और देश के 120 से अधिक जिलों को प्रभावित करने वाला नक्सलवाद आज सिमटकर छत्तीसगढ़ के बस्तर के कुछ पॉकेट्स तक रह गया है। सरकार के **'समाधान' (SAMADHAN)** सिद्धांत के तहत जहां सुरक्षा बलों के फॉरवर्ड कैंप स्थापित किए गए, वहीं बस्तर और गढ़चिरौली के आदिवासी गांवों में सड़कें, मोबाइल टावर, एकलव्य आवासीय विद्यालय और बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाकर युवाओं को बंदूक छोड़कर कलम पकड़ने के लिए प्रेरित किया गया।
- **पूर्वोत्तर भारत: 'अशांत क्षेत्र' से 'अष्टलक्ष्मी' की ओर:** बोडो, कार्बी आंगलोंग, ब्रू-रियांग और उल्फा जैसे ऐतिहासिक शांति समझौतों तथा बोगीबील पुल, भूपेन हजारिका सेतु और रेल-हवाई संपर्क के विस्तार से पूर्वोत्तर में उग्रवादी हिंसा में 70% से अधिक की कमी आई है और अधिकांश क्षेत्रों से AFSPA हटाया गया है।

• **जम्मू-कश्मीर में नया सवेरा:** अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं की समाप्ति, रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आगमन, जी-20 बैठक का सफल आयोजन और उच्च मतदान प्रतिशत लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं।

उभरती हुई छद्म चुनौतियां (Hybrid Warfare):

आज पारंपरिक आतंकवाद का स्थान **'नार्को-टेररिज्म'** (पंजाब और तटीय सीमाओं से नशे और हथियारों की ड्रोन द्वारा तस्करी), हवाला व क्रिप्टो फंडिंग, सोशल मीडिया द्वारा कट्टरपंथ और शहरी छद्म नेटवर्क ने ले लिया है।

निष्कर्ष: आंतरिक सुरक्षा का स्थायी समाधान केवल बंदूक की नली से नहीं, बल्कि संविधान के प्रति विश्वास, त्वरित न्याय (तीन नए आपराधिक कानून— BNS, BNSS, BSA), पुलिस आधुनिकीकरण और संवेदनशील प्रशासन से निकलता है। जब सीमावर्ती और वनवासी क्षेत्रों का अंतिम युवा स्वयं को राष्ट्र की प्रगति का हिस्सेदार महसूस करेगा, तब भारत आंतरिक रूप से अभेद्य बन जाएगा।

निबंध 5: "बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की विदेश नीति: गुटनिरपेक्षता से 'विश्वबंधु' और सामरिक स्वायत्तता तक"

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना (शीतयुद्ध के द्विध्रुवीय विश्व से आज के बहुध्रुवीय विश्व तक) | 2. पंचशील और गुटनिरपेक्षता से 'बहु-संरेखण' (Multi-Alignment) की यात्रा | 3. महाशक्तियों के बीच संतुलन (QUAD और BRICS दोनों में भारत) | 4. पड़ोसी प्रथम, हिंद महासागर (SAGAR) और ग्लोबल साउथ | 5. निष्कर्ष।

★ "अंतरराष्ट्रीय संबंधों में न कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी शत्रु; केवल राष्ट्रहित ही स्थायी और सर्वोपरि होता है।"

प्रस्तावना: द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के दो सैन्य गुटों में बंट गई थी, तब नव-स्वतंत्र भारत ने किसी एक खेमे का पिछलग्गू बनने के बजाय 'गुटनिरपेक्षता' (Non-Alignment) का स्वतंत्र मार्ग चुना था। आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक भू-राजनीति पुनः एक बड़े मंथन से गुजर रही है— रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष, चीन का आक्रामक उभार और पश्चिमी प्रभुत्व का सापेक्षिक क्षरण। इस जटिल **'बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था' (Multipolar World Order)** में भारत की विदेश नीति रक्षात्मक गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़कर मुखर **'सामरिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy)**, **'बहु-संरेखण' (Multi-Alignment)** और **'विश्वबंधु'** की सक्रिय भूमिका में आ चुकी है।

भारतीय विदेश नीति के समकालीन आयाम:

• **विरोधी ध्रुवों के बीच अद्वितीय संतुलन:** भारत आज विश्व का एकमात्र ऐसा प्रमुख राष्ट्र है जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ **QUAD** का सक्रिय सदस्य भी है और रूस व चीन के साथ **BRICS** एवं **SCO** के मंच पर भी बैठता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी दबावों के बावजूद अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूसी कच्चा तेल खरीदना और साथ ही युद्ध के मैदान में यह स्पष्ट कहना कि "यह युग युद्ध का नहीं है"— भारत की स्वतंत्र और परिपक्व कूटनीति का प्रमाण है।

• **'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First) और 'सागर' (SAGAR):** श्रीलंका के आर्थिक संकट में 4 अरब डॉलर की सहायता हो, मालदीव व मॉरीशस में विकासात्मक परियोजनाएं हों, या हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं के विरुद्ध भारतीय नौसेना का अभियान— भारत ने क्षेत्र में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका निभाई है।

• **आर्थिक गलियारे और संपर्क:** चीन की ऋण-जाल वाली 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के विकल्प के रूप में **'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' (IMEC)** और चाबहार बंदरगाह का विकास।

• **वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1945 की संरचना आज के यथार्थ को नहीं दर्शाती। विश्व की सबसे बड़ी आबादी और लोकतंत्र होने के नाते सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता समय की मांग है।

निष्कर्ष: आज का भारत किसी से आंख झुकाकर नहीं और न ही किसी को आंख दिखाकर, बल्कि विश्व से **'आंख मिलाकर'** बात करता है। 'राष्ट्र प्रथम' के यथार्थवाद और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्शवाद का यह संतुलित संगम भारत को बहुध्रुवीय विश्व के ध्रुवतारे के रूप में स्थापित कर रहा है।

5.5 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

• **भारत की विदेश नीति के 5 स्तंभ — S-M-A-R-T :**

• **S**trategic Autonomy (सामरिक स्वायत्तता) | **M**ulti-Alignment (बहु-संरेखण: QUAD + BRICS) | **A**ct East & Neighbourhood First (पड़ोसी प्रथम) | **R**eformed Multilateralism (UNSC सुधार) | **T**ech & Trade Corridors (IMEC व डिजिटल कूटनीति)।

अध्याय 6: शासकीय एवं अर्ध-शासकीय पत्र लेखन

(UPPSC PCS एवं RO/ARO Mains विशेष: शासकीय पत्र Official Letter, अर्ध-शासकीय पत्र D.O. Letter — प्रारूप, अंतर, प्रेषक/प्रेषिति नियम एवं पूर्ण उदाहरण)

6.1 शासकीय पत्राचार का परिचय एवं महत्व

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC PCS एवं RO/ARO मुख्य परीक्षा) में परंपरागत सामान्य हिंदी प्रश्न-पत्र के अंतर्गत शासकीय एवं अर्ध-शासकीय पत्रों के प्रारूप और उदाहरण पर सीधे 15 से 24 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भाषा से अधिक **'प्रारूप की सटीकता' (विराम चिह्न, संख्या, स्थान, प्रेषक, सेवा में, भवदीय आदि की स्थिति)** पर अंक मिलते हैं।

शासकीय पत्राचार का 4-नोड आरेख

[1. पत्र संख्या, विभाग एवं दिनांक (शीर्ष दायां/मध्य)] **[2. प्रेषक एवं प्रेषिति ('सेवा में') का पदनाम व पता]** **[3. अनुभाग, विषय, संबोधन ('महोदय') एवं मुख्य विषयवस्तु]** **[4. अधोलेख ('भवदीय'), हस्ताक्षर एवं पृष्ठांकन प्रतिलिपि]**

6.2 शासकीय पत्र (Official Letter) के अनिवार्य नियम

1. **शैली एवं पुरुष:** यह पूर्णतः औपचारिक और **अन्य पुरुष (Third Person — "मुझे यह कहने का निदेश हुआ है...")** में लिखा जाता है।
2. **दिशा:** यह किसी भी कार्यालय से दूसरे कार्यालय, वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी को शासकीय कार्य हेतु भेजा जा सकता है।
3. **संबोधन एवं स्वनिर्देश:** संबोधन में **'महोदय'** और समापन (अधोलेख) में दाईं ओर **'भवदीय'** लिखा जाता है।
4. **पहला पैराग्राफ बिना क्रमांक के:** पत्र का प्रथम पैराग्राफ सदैव बिना किसी संख्या के प्रारंभ होता है; दूसरे पैराग्राफ से **2.**, **3.** संख्या डाली जाती है।

6.3 अर्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official / D.O. Letter) के अनिवार्य नियम

1. **उद्देश्य:** जब किसी शासकीय कार्य में विलंब हो रहा हो या किसी महत्वपूर्ण मामले पर किसी समकक्ष या कनिष्ठ अधिकारी का **व्यक्तिगत ध्यान** आकृष्ट करना हो, तब अर्ध-शासकीय पत्र लिखा जाता है।
2. **शैली एवं पुरुष:** यह मैत्रीपूर्ण, आत्मीय और **उत्तम पुरुष ('मैं' / 'मेरा') तथा मध्यम पुरुष ('आप')** में लिखा जाता है।
3. **प्रेषक एवं प्रेषिति का स्थान:** इसमें बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम व पदनाम होता है, तथा **प्रेषिति का नाम व पता पत्र के सबसे नीचे बाईं ओर** लिखा जाता है।
4. **संबोधन एवं अधोलेख:** संबोधन में अधिकारी स्वयं अपने हाथ से **'प्रिय श्री .....,'** लिखता है और समापन में दाईं ओर **'आपका सद्भावी'** या **'भवनिष्ठ'** लिखा जाता है। इसमें 'सेवा में' और 'महोदय' का प्रयोग **कदापि नहीं** होता।

6.4 तुलनात्मक सारणी: शासकीय पत्र बनाम अर्ध-शासकीय पत्र

अंतर का आधार	शासकीय पत्र (Official Letter)	अर्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official / D.O. Letter)
प्रकृति एवं स्वर	पूर्णतः औपचारिक, तटस्थ एवं पदीय मर्यादा से युक्त।	अनौपचारिक पुट लिए हुए, आत्मीय एवं व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु।
पुरुष (वाच्य शैली)	अन्य पुरुष एवं कर्मवाच्य ("मुझे यह कहने का निदेश हुआ है...")।	उत्तम पुरुष एवं कर्तृवाच्य ("मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं...")।
प्रेषक-प्रेषिति स्तर	वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ किसी को भी।	प्रायः समकक्ष अधिकारियों के मध्य या वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को।
प्रेषिति का पता	पत्र के प्रारंभ में 'प्रेषक' के ठीक नीचे 'सेवा में' के अंतर्गत।	पत्र की समाप्ति के बाद सबसे नीचे बाईं ओर (अधोलेख के सामने नीचे)।

अंतर का आधार	शासकीय पत्र (Official Letter)	अर्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official / D.O. Letter)
संबोधन (Salutation)	'महोदय,'	'प्रिय श्री क.ख.ग.,' या 'आदरणीय श्री क.ख.ग.,'
स्वनिर्देश (Subscription)	'भवदीय'	'आपका सद्भावी' अथवा 'भवनिष्ठ'
गोपनीयता एवं खोलना	कार्यालय के लिपिक (बाबू) द्वारा खोला व डायरी किया जाता है।	सीधे संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं खोला जाता है।

6.5 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट एवं पूर्ण हल उदाहरण

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 6.5 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट एवं पूर्ण हल उदाहरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
(क) शासकीय पत्र (Official Letter) का मानक प्रारूप एवं उदाहरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
(ख) अर्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official Letter) का मानक प्रारूप एवं उदाहरण

(क) शासकीय पत्र (Official Letter) का मानक प्रारूप एवं उदाहरण

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न: उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव की ओर से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को संभावित बाढ़ से पूर्व बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारी हेतु एक शासकीय पत्र लिखिए।

पत्र संख्या: 108/एक-11-2026-राहत
उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व (राहत) अनुभाग-11
लखनऊ: दिनांक 16 नवंबर, 2026

प्रेषक,
क. ख. ग.,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक 16 नवंबर, 2026

विषय: आगामी वर्षा ऋतु में संभावित बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की पूर्व-तैयारी के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शासन द्वारा समयबद्ध पूर्व-तैयारी किए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जन-धन एवं पशुधन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

2. अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप अपने जनपद में बाढ़ चौकियों की स्थापना, नावों एवं गोताखोरों की सूची का अद्यतनीकरण, तटबंधों की मरम्मत तथा खाद्यान्न व जीवनरक्षक औषधियों के पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. कृपया इस संबंध में कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या आगामी 15 दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि (बाढ़ प्रबंधन मार्गदर्शिका)।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(क. ख. ग.)
मुख्य सचिव।

पत्र संख्या एवं दिनांक तदैव (108/एक-11-2026-राहत, दिनांक 16 नवंबर, 2026)
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(अ. ब. स.)
संयुक्त सचिव।

(ख) अर्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official Letter) का मानक प्रारूप एवं उदाहरण

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न: गृह विभाग के सचिव की ओर से किसी जनपद के जिलाधिकारी को लंबित अपराध नियंत्रण आख्या शीघ्र भेजने हेतु एक अर्ध-शासकीय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए।

अर्ध-शासकीय पत्र संख्या: 45/छः-पु.-2-2026
उत्तर प्रदेश शासन
क. ख. ग., आई.ए.एस. गृह (पुलिस) अनुभाग-2
सचिव लखनऊ: दिनांक 16 नवंबर, 2026

विषय: जनपद में महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराध नियंत्रण की त्रैमासिक समीक्षा आख्या के संबंध में।

प्रिय श्री अ. ब. स. जी,

कृपया शासन के शासकीय पत्र संख्या 12/छः-पु.-2-2026, दिनांक 05 अक्टूबर, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके जनपद में महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराध नियंत्रण हेतु संचालित अभियानों की त्रैमासिक प्रगति आख्या मांगी गई थी।

2. आगामी सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कानून-व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक प्रस्तावित है, किंतु आपके जनपद से वांछित सूचना अद्यावधि अप्राप्त है।

3. अतः मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकरण में व्यक्तिगत रुचि लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें तथा वांछित आख्या आगामी तीन दिवस के भीतर मेरे कार्यालय को विशेष वाहक द्वारा भिजवाने का कष्ट करें।

सधन्यवाद,

आपका सद्भावी,
(हस्ताक्षर)
(क. ख. ग.)

श्री अ. ब. स.,
जिलाधिकारी,
कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश)।

6.6 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

- **शासकीय बनाम अर्ध-शासकीय पत्र की पहचान का सूत्र — 3P बनाम 1P :**
- **शासकीय पत्र (3P = Third Person):** "मुझे यह कहने का निदेश हुआ है..." + 'सेवा में' ऊपर + 'महोदय' + 'भवदीय'।
- **अर्ध-शासकीय पत्र (1P = First Person):** "मैं चाहूंगा कि आप..." + 'प्रिय श्री...' + 'आपका सद्भावी' + प्रेषिति का नाम सबसे नीचे बाईं ओर।

अध्याय 7: कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, तार एवं प्रेस विज्ञप्ति

(प्रारूप, नियम, अंतर एवं पूर्ण हल उदाहरण)

7.1 विविध शासकीय पत्राचार रूपों का 4-नोड आरेख

[1. आंतरिक प्रशासन: कार्यालय आदेश व कार्यालय ज्ञाप] [2. बहु-प्रेषिति प्रसार: परिपत्र (Circular)] [3. वैधानिक राजपत्र प्रकाशन: अधिसूचना (Notification)] [4. स्मरण एवं जन-सूचना: अनुस्मारक, तार व प्रेस विज्ञप्ति]

7.2 सात प्रमुख पत्राचार प्रारूपों के नियम एवं पहचान

1. **कार्यालय आदेश (Office Order):** किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन (जैसे— कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, कार्य-विभाजन, स्थानांतरण) के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी आदेश। इसमें न तो 'प्रेषक/सेवा में' होता है, न 'महोदय' और न ही 'भवदीय'। सीधे नीचे बाईं ओर प्रतिलिपि और दाईं ओर अधिकारी का पदनाम होता है।

2. **कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum / Memo):** मंत्रालयों/विभागों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान अथवा किसी प्रार्थना-पत्र/याचिका का उत्तर देने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें भी 'महोदय' या 'भवदीय' नहीं होता, किंतु सेवा में (प्रेषिति) का नाम नीचे बाईं ओर लिखा जाता है।

3. **परिपत्र (Circular):** जब कोई एक ही शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप या आदेश **अनेक प्रेषितियों (जैसे— समस्त विभागों, समस्त जिलाधिकारियों, समस्त कार्यालयाध्यक्षों)** को एक साथ भेजा जाता है, तो वह 'परिपत्र' कहलाता है।

4. **अधिसूचना (Notification):** सरकारी राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित होने वाली वैधानिक सूचना (जैसे— अधिनियम/नियम लागू होना, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण)। यह सदैव "उत्तर प्रदेश के राज्यपाल / भारत के राष्ट्रपति महोदय सहर्ष..." शैली में लिखी जाती है और इसकी प्रथम प्रतिलिपि **'अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री'** को राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजी जाती है।

5. **अनुस्मारक (Reminder / स्मरण-पत्र):** पूर्व में भेजे गए किसी शासकीय या अर्ध-शासकीय पत्र पर कार्रवाई न होने पर याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला संक्षिप्त पत्र। इसका प्रारूप मूल पत्र (शासकीय/अर्ध-शासकीय) के समान ही होता है।

6. **द्रुतगामी पत्र / तार (Telegram / Fax / Wireless Message):** अत्यधिक तात्कालिक महत्व के मामलों में न्यूनतम शब्दों में टेलीग्राफिक शैली में भेजा जाने वाला संदेश।

7. **प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique / Press Note):** शासन के किसी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय की प्रामाणिक जानकारी आम जनता तक समाचार-पत्रों के माध्यम से पहुंचाने हेतु जारी विज्ञप्ति। इसमें प्रकाशन से पूर्व की समय-सीमा (Embargo) अंकित की जाती है।

7.3 तुलनात्मक सारणी: कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र एवं अधिसूचना

बिंदु	कार्यालय आदेश (Office Order)	कार्यालय ज्ञाप (Office Memo)	परिपत्र (Circular)	अधिसूचना (Notification)
मुख्य उद्देश्य	कार्यालय के आंतरिक कर्मचारियों हेतु कार्य-विभाजन, अवकाश या अनुशासन।	अंतर-विभागीय सूचना या आवेदन/अभ्यावेदन का निस्तारण।	एक ही निर्देश या सूचना को एक साथ अनेक कार्यालयों को भेजना।	नियमों, नियुक्तियों या वैधानिक आदेशों का गजट में प्रकाशन।
संबोधन व अधोलेख	न संबोधन ('महोदय'), न अधोलेख ('भवदीय')।	न संबोधन, न अधोलेख।	यदि पत्र रूप में है तो 'महोदय/भवदीय' रहेगा, ज्ञाप रूप में है तो नहीं।	न संबोधन, न अधोलेख; सीधे 'आज्ञा से' हस्ताक्षर।
प्रकाशन माध्यम	कार्यालय की नोटिस बोर्ड एवं संबंधित कर्मचारी।	संबंधित विभाग/आवेदक (नीचे बाईं ओर 'सेवा में')।	समस्त अधीनस्थ/संबंधित कार्यालय।	**शासकीय राजपत्र (Official Gazette)** के भाग-1/4 में।

7.4 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट एवं पूर्ण हल उदाहरण

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 7.4 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट एवं पूर्ण हल उदाहरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
कार्यालय आदेश (Office Order) का उदाहरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum) का उदाहरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
अधिसूचना (Notification) का उदाहरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
अनुस्मारक (Reminder), तार (Telegram) एवं प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique) का प्रारूप

1. कार्यालय आदेश (Office Order) का उदाहरण

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या: 312/का-1-2026
लखनऊ: दिनांक 16 नवंबर, 2026

कार्यालय आदेश

श्री क. ख. ग., समीक्षा अधिकारी, कार्मिक अनुभाग-1 का दिनांक 20 नवंबर, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक (कुल 11 दिवस) का उपार्जित अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त अवकाश की अवधि में श्री क. ख. ग. के कार्यों का संपादन श्री अ. ब. स., समीक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यों के अतिरिक्त किया जाएगा।

(हस्ताक्षर)
(य. र. ल.)
अनुसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. अनुभाग अधिकारी, कार्मिक अनुभाग-1 एवं लेखा अनुभाग।
2. श्री क. ख. ग. एवं श्री अ. ब. स., समीक्षा अधिकारी।
3. व्यक्तिगत पत्रावली / गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(य. र. ल.)
अनुसचिव।

2. कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum) का उदाहरण

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या: 504/दस-2026-वित्त
लखनऊ: दिनांक 16 नवंबर, 2026

कार्यालय ज्ञाप

विषय: शासकीय सेवकों की सेवा-पुस्तिका (Service Book) के डिजिटलीकरण एवं मानव संपदा पोर्टल पर अद्यतनीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों में कार्यरत कार्मिकों की सेवा-पुस्तिकाओं का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर पूर्ण रूप से अद्यतन नहीं किया गया है, जिससे उनकी पदोन्नति एवं पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब होता है।

2. अतः समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों की सेवा-पुस्तिकाओं का सत्यापन कर दिनांक 31 दिसंबर, 2026 तक पोर्टल पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)
(क. ख. ग.)
विशेष सचिव।
सेवा में,
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. अधिसूचना (Notification) का उदाहरण

[उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट के भाग-1 के खंड (क) में प्रकाशनार्थ]

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या: 819/दो-2-2026
लखनऊ: दिनांक 16 नवंबर, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय सहर्ष श्री क. ख. ग., आई.ए.एस., अपर आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ को जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए जिलाधिकारी, वाराणसी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(अ. ब. स.)
नियुक्ति सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ तथा प्रकाशित अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मंडलायुक्त, लखनऊ एवं वाराणसी।
4. संबंधित अधिकारी (श्री क. ख. ग.) को अनुपालनार्थ।
आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(य. र. ल.)
संयुक्त सचिव।

4. अनुस्मारक (Reminder), तार (Telegram) एवं प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique) का प्रारूप

[अनुस्मारक - प्रथम (प्रारूप सारांश)]

पत्र संख्या: 108(1)/एक-11-2026-राहत उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-11
प्रेषक: मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन। लखनऊ: दिनांक 02 दिसंबर, 2026
सेवा में: जिलाधिकारी, गोरखपुर।
विषय: संभावित बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की पूर्व-तैयारी आख्या के संबंध में।
संदर्भ: शासन का समसंख्यक पत्र दिनांक 16 नवंबर, 2026।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 16 नवंबर, 2026 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है, जिसके द्वारा वांछित प्रगति आख्या 15 दिवस में मांगी गई थी, जो अद्यावधि अप्राप्त है। कृपया वांछित आख्या अविलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
भवदीय, (हस्ताक्षर)

[शासकीय तार / द्रुतगामी संदेश (Telegram/Wireless)]

शासकीय तार (तत्काल/Express)
प्राप्तकर्ता: जिलाधिकारी, प्रयागराज।
प्रेषक: गृह सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संदर्भ संख्या 204/गृह-2026 (.) माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें (.) अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया (.) स्थिति रिपोर्ट प्रतिदिन सायं छः बजे भेजें (.)
गृह सचिव, उ.प्र. शासन
(तार घर में न भेंजे जाने हेतु: प्रतिलिपि डाक द्वारा जिलाधिकारी, प्रयागराज को पुष्ट्यर्थ प्रेषित।)

[प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique)]

(दिनांक 17 नवंबर, 2026 को प्रातः 06:00 बजे से पूर्व प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए)

प्रेस विज्ञप्ति
प्रतियोगी छात्रों हेतु निःशुल्क डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना

लखनऊ: दिनांक 16 नवंबर, 2026
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के मुख्यालयों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अत्याधुनिक 'निःशुल्क डिजिटल ई-पुस्तकालय' स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन पुस्तकालयों में हाई-स्पीड इंटरनेट एवं मानक संदर्भ ग्रंथों की ऑनलाइन उपलब्धता रहेगी।

सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को समस्त प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
(हस्ताक्षर)
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा।

7.5 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

- **अधिसूचना पहचान का सूत्र — `ग-रा-मु` :**
- **ग**जट में प्रकाशनार्थ (शीर्ष पर कोष्ठक में) + **रा**ज्यपाल/राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से + **मु**द्रण अधीक्षक (प्रयागराज) को प्रथम प्रतिलिपि।

अध्याय 8: टिप्पण एवं प्रारूपण (Noting & Drafting), प्रतिवेदन लेखन (Report Writing) तथा सारणीयन (Tabular Form — RO/ARO विशेष)

8.1 सचिवालय कार्यप्रणाली: टिप्पण से सारणीयन का 4-नोड आरेख

[1. आवती/पत्र प्राप्ति एवं पत्रावली में पंजीकरण] [2. टिप्पण (Noting): नियम, पूर्व-दृष्टांत व विकल्प प्रस्तुति] [3. प्रारूपण (Drafting): अनुमोदित निर्णय का पत्र-आलेख] [4. सारणीयन (Tabulation): पत्रों का 7-स्तंभीय सार]

8.2 टिप्पण एवं प्रारूपण (Noting & Drafting)

• **टिप्पण (Noting):** किसी विचाराधीन पत्र (आवती/PUC - Paper Under Consideration) के संबंध में निर्णय लेने की सुविधा के लिए पत्रावली (File) के 'टिप्पणी पृष्ठ' (Note Sheet) पर सहायक/समीक्षा अधिकारी से लेकर उच्चाधिकारी तक द्वारा लिखे जाने वाले तथ्य, नियम, पूर्व-उदाहरण और सुझावात्मक मंतव्य 'टिप्पण' कहलाते हैं।

• **मुख्य नियम:** बाईं ओर एक-चौथाई हाशिया छोड़ा जाता है; भाषा संक्षिप्त, तटस्थ एवं अन्य पुरुष में होती है; सहायक नीचे बाईं ओर और अनुभाग अधिकारी/उच्चाधिकारी दाईं ओर हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करते हैं।

• **प्रारूपण / आलेखन (Drafting):** जब पत्रावली पर सक्षम अधिकारी द्वारा टिप्पण पर अंतिम निर्णय ले लिया जाता है, तब उस निर्णय को संबंधित पक्षों तक भेजने
के लिए जो कच्चा मसौदा (शासकीय पत्र, आदेश, ज्ञाप आदि के रूप में) तैयार किया जाता है, उसे 'प्रारूपण' या 'आलेखन' कहते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा "प्रारूप अनुमोदित" लिखे जाने के बाद वह स्वच्छ प्रति के रूप में निर्गत होता है।

8.3 प्रतिवेदन लेखन (Report Writing)

किसी घटना, दुर्घटना, योजना की प्रगति, प्रशासनिक जांच या समिति की कार्यवाही का तथ्यात्मक, निष्पक्ष और क्रमबद्ध विवरण **'प्रतिवेदन' (Report)** कहलाता है।

• **प्रतिवेदन के 5 अनिवार्य अंग:** 1. शीर्षक एवं जांच समिति का परिचय, 2. विचारार्थ विषय (Terms of Reference), 3. तथ्य-संग्रह एवं साक्ष्य की पद्धति, 4. मुख्य निष्कर्ष (Findings), 5. स्पष्ट संस्तुतियां (Recommendations) एवं हस्ताक्षर।

8.4 सारणीयन (Tabular Form / Tabulation — UPPSC RO/ARO Mains 15 अंक विशेष)

RO/ARO मुख्य परीक्षा में एक शासकीय पत्र या गद्यांश दिया जाता है और उसे **'सारणी रूप' (Tabular Form)** में लिखने को कहा जाता है।

• **सारणीयन के स्वर्णिम नियम:**

1. सारणी में प्रायः **6 से 7 स्तंभ (Columns)** बनाए जाते हैं।
2. स्तंभों के भीतर पूरी पंक्तियां नहीं, बल्कि अत्यंत संक्षिप्त मुख्य बिंदु लिखे जाते हैं।
3. यदि मूल पत्र के साथ प्रतिलिपि (पृष्ठांकन) भी दी गई हो, तो उसके लिए एक अलग पंक्ति या अंतिम स्तंभ में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

8.5 तुलनात्मक सारणी: टिप्पण बनाम प्रारूपण बनाम प्रतिवेदन

आधार	टिप्पण (Noting)	प्रारूपण / आलेखन (Drafting)	प्रतिवेदन (Report Writing)
स्थान एवं चरण	पत्रावली के टिप्पणी-पृष्ठ पर (निर्णय से पूर्व का चरण)।	पत्रावली के पत्राचार भाग में (निर्णय के पश्चात का चरण)।	जांच या अध्ययन पूर्ण होने पर स्वतंत्र दस्तावेज के रूप में।
प्रकृति	कार्यालय की आंतरिक विचार-प्रक्रिया एवं नियम विश्लेषण।	बाह्य प्रेषण हेतु तैयार पत्र/आदेश का मसौदा।	घटना या समस्या का वस्तुनिष्ठ जांच विवरण एवं सुझाव।
गोपनीयता	कार्यालय की आंतरिक संपत्ति।	अनुमोदन के पश्चात प्रेषिति को भेजा जाता है।	शासन/नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।

8.6 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट एवं हल उदाहरण (टिप्पण एवं सारणीयन)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 8.6 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट एवं हल उदाहरण (टिप्पण एवं सारणीयन)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
(क) कार्यालयी टिप्पण (Official Note) का उदाहरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
(ख) शासकीय पत्र का सारणी रूप (Tabular Form — RO/ARO Mains Solved Example)

(क) कार्यालयी टिप्पण (Official Note) का उदाहरण

[पत्रावली संख्या: 24/सा.प्र.-2026 — टिप्पणी पृष्ठ]
क्रम संख्या-1
कृपया पत्रावली के पत्राचार भाग के पृष्ठ संख्या-15 पर रक्षित जिलाधिकारी, प्रयागराज के पत्र संख्या 410/माघ मेला-2026, दिनांक 10 नवंबर, 2026 (विचाराधीन पत्र - प.अ.प.) का अवलोकन करने की कृपा करें।
2. विचाराधीन पत्र द्वारा आगामी माघ मेला में श्रद्धालुओं की पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था हेतु ₹5.00 करोड़ (पांच करोड़ रुपये) के अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग की गई है।
3. उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत कुंभ एवं माघ मेला मद में ₹12.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है। गत वर्ष भी इसी मद से ₹4.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी (पृष्ठ-08/प.)।
4. अतः यदि प्रस्ताव मान्य हो, तो वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ₹5.00 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
क. ख. ग.
समीक्षा अधिकारी
16.11.2026
मैं सहमत हूं। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।
(हस्ताक्षर)
अ. ब. स.
अनुभाग अधिकारी
16.11.2026
अनुसचिव महोदय

(ख) शासकीय पत्र का सारणी रूप (Tabular Form — RO/ARO Mains Solved Example)

(अध्याय 6 में दिए गए मुख्य सचिव के बाढ़ राहत संबंधी शासकीय पत्र संख्या 108/एक-11-2026 तथा उसकी प्रतिलिपि का मानक सारणीयन)

क्र.सं.	पत्र संख्या एवं दिनांक	प्रेषक (नाम व पदनाम)	प्रेषिति (जिनको पत्र भेजा गया)	अनुभाग का नाम	विषय एवं आशय का संक्षिप्त सार	अभ्युक्ति / अपेक्षित कार्यवाही
1	108/एक-11-2026-राहत, दिनांक 16 नवंबर, 2026	क. ख. ग., मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	समस्त मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।	राजस्व (राहत) अनुभाग-11	आगामी वर्षा ऋतु में संभावित बाढ़ से बचाव हेतु बाढ़ चौकियों की स्थापना, नावों/गोताखोरों की व्यवस्था, तटबंध मरम्मत एवं खाद्यान्न-औषधि भंडारण करना।	बाढ़ प्रबंधन मार्गदर्शिका संलग्न; कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या 15 दिवस के भीतर शासन को भेजना अपेक्षित।
2	108/एक-11-2026-राहत, दिनांक 16 नवंबर, 2026 (पृष्ठांकन)	अ. ब. स., संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	1. राहत आयुक्त, उ.प्र. 2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग 3. महालेखाकार, उ.प्र., प्रयागराज।	राजस्व (राहत) अनुभाग-11	उपर्युक्त मूल पत्र की प्रतिलिपि संभावित बाढ़ पूर्व-तैयारी के संबंध में प्रेषित।	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8.7 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

- **RO/ARO सारणीयन के 7 स्तंभ याद रखने का सूत्र — क्र-प-प्रे-प्रे-अ-वि-का :**
- **क्र**म संख्या | **प**त्र संख्या व दिनांक | **प्रे**षक | **प्रे**षिति | **अ**नुभाग | **वि**षय/आशय का सार | **का**र्यवाही/अभ्युक्ति।

अध्याय 9: गद्यांश का संक्षेपण (Precis Writing - 1/3 नियम), पल्लवन (Expansion of Ideas) एवं अपठित गद्यांश बोधगम्यता

9.1 संक्षेपण, पल्लवन एवं बोधगम्यता का 4-नोड आरेख

[1. गहन पठन एवं केंद्रीय भाव (Central Theme) की पहचान] **[2. सटीक शीर्षक चयन (3–5 शब्द)]** **[3. संक्षेपण (1/3 शब्दों में समाहार) या पल्लवन (सूक्ति का विस्तार)]** **[4. रेखांकित अंशों की स्व-भाषा में व्याख्या]**

9.2 संक्षेपण (Precis Writing) के स्वर्णिम नियम

1. **एक-तिहाई (1/3) का नियम:** संक्षेपण मूल गद्यांश की कुल शब्द संख्या का लगभग **एक-तिहाई (1/3)** होना चाहिए (उदाहरणार्थ— 150 शब्दों के गद्यांश का संक्षेपण 48–52 शब्दों में)।
2. **क्या हटाएं:** मूल गद्यांश के उदाहरण, दृष्टांत, अलंकार, मुहावरे, उद्धरण, विशेषणों की भरमार और पुनरुक्ति (दोहराव) को हटा दें।
3. **क्या न जोड़ें:** संक्षेपण में अपनी ओर से कोई नया विचार, आलोचना या टिप्पणी कदापि न जोड़ें।
4. **अन्य पुरुष और अपनी भाषा:** मूल गद्यांश के वाक्यों को ज्यों का त्यों नकल न करें, बल्कि अन्य पुरुष (Third Person) और परोक्ष कथन (Indirect Speech) में अपनी सरल भाषा में लिखें। अंत में कोष्ठक में कुल शब्द-संख्या अवश्य लिखें।

9.3 पल्लवन / भाव-पल्लवन (Expansion of Ideas) के नियम

पल्लवन संक्षेपण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज से वृक्ष और कली से पल्लव (पत्ते) विकसित होते हैं, उसी प्रकार किसी सूत्र-वाक्य, लोकोक्ति या सूक्ति में निहित गहन विचार को 100–150 शब्दों में तर्कों व दृष्टांतों से खोलकर स्पष्ट करना **'पल्लवन'** कहलाता है।

9.4 तुलनात्मक सारणी: संक्षेपण बनाम पल्लवन बनाम व्याख्या

तुलना का आधार	संक्षेपण (Precis Writing)	पल्लवन (Expansion of Ideas)	रेखांकित अंश की व्याख्या
प्रक्रिया की दिशा	विस्तार से संक्षेप की ओर (गागर में सागर भरना)।	सूक्ष्म सूत्र से विस्तार की ओर (बीज से वृक्ष बनाना)।	जटिल/गूढ़ वाक्यों का सरल शब्दों में अर्थ स्पष्ट करना।
शब्द-सीमा	मूल अवतरण का ठीक एक-तिहाई (1/3)।	प्रायः 100 से 150 शब्दों का एक सुगठित अनुच्छेद।	मूल रेखांकित अंश से लगभग डेढ़ या दोगुना विस्तार।
दृष्टांत व अलंकार	सभी उदाहरण व अलंकार हटा दिए जाते हैं।	भाव की पुष्टि हेतु प्रासंगिक उदाहरण जोड़े जाते हैं।	संदर्भ एवं प्रसंग के आलोक में निहितार्थ खोला जाता है।

9.5 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट एवं पूर्ण हल उदाहरण

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 9.5 वास्तविक प्रारूप टेम्पलेट एवं पूर्ण हल उदाहरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
(क) अपठित गद्यांश बोधगम्यता, रेखांकित अंश की व्याख्या एवं संक्षेपण (पूर्ण हल उदाहरण)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
(ख) परीक्षा-उपयोगी 10 प्रमुख सूक्तियों का आदर्श पल्लवन (Expansion of Ideas)

(क) अपठित गद्यांश बोधगम्यता, रेखांकित अंश की व्याख्या एवं संक्षेपण (पूर्ण हल उदाहरण)

मूल गद्यांश (156 शब्द):

★ "साहित्य किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का दर्पण ही नहीं, बल्कि समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला प्रज्वलित दीपक भी है। **जब राजनीति और सत्ता अपने स्वार्थों में अंधी होकर मानवीय संवेदनाओं को कुचलने लगती है, तब साहित्य ही वह निर्भीक स्वर बनता है जो सिंहासन को उसके कर्तव्य का बोध कराता है।** कबीर की फक्कड़ वाणी हो, तुलसी का लोकमंगल हो या प्रेमचंद की यथार्थवादी लेखनी— प्रत्येक युग में सच्चे साहित्यकार ने शोषित, पीड़ित और मूक जनमानस की पीड़ा को वाणी दी है। मनोरंजन करना साहित्य का गौण उद्देश्य हो सकता है, किंतु उसका सर्वोच्च ध्येय मनुष्य के भीतर सोई हुई करुणा, न्यायप्रियता और विवेक को जागृत करना है। **जो साहित्य अपने समय के यथार्थ और आम आदमी के आंसुओं से मुंह मोड़ लेता है, वह कागज के फूलों के समान है जिसमें न तो जीवन की सुगंध होती है और न ही लोक-कल्याण की क्षमता।** अतः श्रेष्ठ साहित्य सदैव युग-परिवर्तन का अग्रदूत होता है।"

1. उपयुक्त शीर्षक: **साहित्य का लोकमंगलकारी स्वरूप** (अथवा **साहित्य और समाज का अंतर्संबंध**)

2. प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या:

प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने सत्ता और साहित्य के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब शासन तंत्र जनहित को भूलकर निरंकुश या संवेदनहीन हो जाता है, तब सच्चा साहित्यकार चाटुकारिता करने के बजाय लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में खड़ा होता है। वह अपनी लेखनी के माध्यम से शासकों को राजधर्म और नैतिक उत्तरदायित्व की याद दिलाता है।

3. द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या:

लेखक के अनुसार साहित्य की सार्थकता समाज के वास्तविक सुख-दुख से जुड़ने में है। यदि कोई रचना केवल कोरी कल्पना या विलासिता तक सीमित रहे और उसमें समाज के वंचित व पीड़ित वर्ग की संवेदना न हो, तो वह कृत्रिम (कागज के फूल) के समान निष्प्राण और निरर्थक हो जाती है।

4. गद्यांश का संक्षेपण (1/3 शब्द = 52 शब्द):

★ **संक्षेपण:** साहित्य समाज का प्रतिबिंब होने के साथ-साथ उसका मार्गदर्शक भी है। वह सत्ता को कर्तव्य का बोध कराता है और शोषित वर्ग की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। कोरे मनोरंजन से ऊपर उठकर मानवीय करुणा, न्याय और यथार्थ से जुड़ने वाला साहित्य ही लोक-कल्याण एवं युग-परिवर्तन में सक्षम होता है। (कुल शब्द: 51)

(ख) परीक्षा-उपयोगी 10 प्रमुख सूक्तियों का आदर्श पल्लवन (Expansion of Ideas)

1. **सूक्ति: "परहित सरिस धर्म नहिं भाई"**

• **भाव-पल्लवन:** गोस्वामी तुलसीदास की यह अमर उक्ति भारतीय नीतिशास्त्र का प्राणतत्व है। इसका आशय है कि संसार में दूसरों की भलाई (परोपकार) के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। प्रकृति के समस्त उपादान— सूर्य, चंद्रमा, नदियां और वृक्ष— स्वयं अपने लिए नहीं, बल्कि परहित के लिए ही जीवन धारण करते हैं। धर्म का वास्तविक वास केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि दीन-दुखियों के आंसू पोंछने और समाज के उत्थान हेतु किए गए निःस्वार्थ सेवा-कर्म में है।

2. **सूक्ति: "अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है"**

• **भाव-पल्लवन:** राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की यह पंक्ति अन्याय के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष का आह्वान करती है। अन्याय करने वाले से कहीं बड़ा दोषी वह होता है जो कायरतावश अन्याय को चुपचाप सहन कर लेता है। अपने न्यायोचित अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़ा होना केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक धर्म है। यदि सत्य और न्याय के पक्षधर मौन रहकर अपने अधिकार छोड़ देंगे, तो समाज में अत्याचारियों का दुस्साहस बढ़ जाएगा।

3. **सूक्ति: "करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान"**

• **भाव-पल्लवन:** कवि वृंद के इस दोहे का मूल भाव यह है कि निरंतर अभ्यास और अध्यवसाय से कठिन से कठिन कार्य भी साध्य हो जाता है। जिस प्रकार कुएं की जगत (पत्थर) पर कोमल रस्सी के बार-बार आने-जाने से निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार मंदबुद्धि व्यक्ति भी निरंतर परिश्रम और लगन से विद्वान व कुशल बन सकता है। प्रतिभा जन्मजात होने से अधिक निरंतर साधना का परिणाम होती है।

4. **सूक्ति: "सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप"**

• **भाव-पल्लवन:** संत कबीरदास के अनुसार जीवन में सत्य का आचरण करना ही सबसे बड़ी तपस्या है और असत्य या कपट का सहारा लेना सबसे बड़ा पाप है। झूठ के सहारे क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, किंतु वह व्यक्ति के चरित्र और आत्मबल को भीतर से खोखला कर देता है। इसके विपरीत, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के हृदय में निर्भीकता, पवित्रता और आत्मिक शांति का स्वतः निवास होता है।

5. **सूक्ति: "मन के हारे हार है, मन के जीते जीत"**

• **भाव-पल्लवन:** मानव की सफलता और असफलता बाह्य परिस्थितियों से पहले उसके अंतर्मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति ने संघर्ष से पूर्व ही मन से पराजय स्वीकार कर ली, तो प्रचुर संसाधन होने पर भी उसकी हार निश्चित है; किंतु यदि उसका मनोबल और आत्मविश्वास अडिग है, तो घोर संकटों के बीच भी वह विजय का मार्ग प्रशस्त कर लेता है।

6. **सूक्ति: "बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु करम करै विधि नाना"**

• **भाव-पल्लवन:** यह चौपाई सर्वव्यापी परम सत्ता की अलौकिक शक्ति को व्यक्त करती है, जो भौतिक इंद्रियों के बिना भी समस्त सृष्टि का संचालन करती है। व्यावहारिक धरातल पर यह सूत्र बताता है कि महान संकल्प और विचार की शक्ति किसी भौतिक साधन की मोहताज नहीं होती; दृढ़ इच्छाशक्ति और सूक्ष्म चेतना से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संपन्न हो जाते हैं।

7. **सूक्ति: "क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो"**

• **भाव-पल्लवन:** राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की यह ओजस्वी पंक्ति स्पष्ट करती है कि क्षमा और अहिंसा का मूल्य तभी है जब व्यक्ति या राष्ट्र के पास दंड देने का सामर्थ्य (शक्ति) हो। शक्तिहीन और कायर व्यक्ति की क्षमा को संसार उसकी विवशता समझता है। जिस प्रकार विषधर सर्प यदि किसी को न डसे तो वह उसकी उदारता मानी जाती है, उसी प्रकार सामर्थ्यवान राष्ट्र की शांति-नीति ही विश्व में सम्मान पाती है।

8. **सूक्ति: "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"**

• **भाव-पल्लवन:** गोस्वामी तुलसीदास की यह चौपाई मानवीय दृष्टिकोण (Perception) के मनोविज्ञान को दर्शाती है। बाह्य जगत हमारे अपने ही अंतर्मन का प्रतिबिंब है। व्यक्ति के हृदय में जैसे भाव, संस्कार और विचार होते हैं, उसे संसार और व्यक्ति भी वैसे ही दिखाई देते हैं। अतः विश्व को सुधारने से पूर्व अपनी दृष्टि को निर्मल बनाना आवश्यक है।

9. **सूक्ति: "कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग ढूंढै बन माहिं"**

• **भाव-पल्लवन:** कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध हिरण की अपनी ही नाभि में स्थित होती है, किंतु अज्ञानतावश वह उसे पूरे जंगल में बाहर खोजता फिरता है; ठीक उसी प्रकार शांति, आनंद और ईश्वर मनुष्य के अंतःकरण में ही विद्यमान हैं, किंतु मनुष्य उन्हें बाह्य भौतिक वस्तुओं में खोजकर भटकता रहता है। आत्म-साक्षात्कार ही सच्चे सुख की कुंजी है।

10. **सूक्ति: "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"**

• **भाव-पल्लवन:** दूसरों को आदर्शों और नैतिकता का उपदेश देना संसार का सबसे सरल कार्य है, किंतु उन आदर्शों को स्वयं अपने आचरण में उतारना अत्यंत कठिन है। समाज में वास्तविक परिवर्तन कोरे भाषणों या उपदेशों से नहीं, बल्कि 'कथनी और करनी की एकता' तथा स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने से आता है।

9.6 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

- **संक्षेपण के 5 वर्जित तत्व — उ-अ-मु-दो-नि :**
- उदाहरण हटाएं | अलंकार हटाएं | मुहावरे हटाएं | दोहराव हटाएं | निजी विचार न जोड़ें।

अध्याय 10: प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली (260+ सर्वाधिक पूछे जाने वाले शब्द) तथा English Descriptive Section

(UPPSC/RO-ARO/BPSC शब्दावली + IBPS/SBI PO, CAPF AC & SSC English Letter/Essay Templates)

10.1 द्विभाषी शब्दावली एवं अंग्रेजी वर्णनात्मक खंड का 4-नोड आरेख

[1. प्रशासनिक व विधिक शब्दावली (A–Z मानक राजभाषा शब्द)] [2. पदनाम एवं मंत्रालय/न्यायालय शब्दावली] [3. कार्यालयी वाक्यांश (Official Phrases)] [4. English Descriptive: Formal Letters, Report & Essay Templates]

10.2 प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली (Hindi–English Administrative & Legal Glossary — 265 शब्द)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 10.2 प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली (Hindi–English Administrative & Legal Glossary — 265 शब्द)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
खंड-1: A से D तक (70 प्रमुख शब्द)	खंड-2: D से M तक (70 प्रमुख शब्द)	खंड-3: M से Z तक (86 प्रमुख शब्द)	खंड-4: प्रमुख प्रशासनिक पदनाम एवं कार्यालयी वाक्यांश (227 से 265)

खंड-1: A से D तक (70 प्रमुख शब्द)

क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय	क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय
1	Abandonment	परित्याग	36	Bilateral	द्विपक्षीय
2	Abatement	उपशमन / कमी	37	Bill	विधेयक / विपत्र
3	Abeyance	आस्थगन / ठहराव	38	Bona fide	सद्भावपूर्वक / वास्तविक
4	Abolition	उन्मूलन / समाप्ति	39	Breach of Trust	विश्वास-भंग
5	Above Par	अधिमूल्य पर	40	Brief	पक्ष-पत्र / संक्षेप
6	Abrogation	निराकरण / निरसन	41	Bye-law	उपविधि
7	Absconder	फरार / भगोड़ा	42	Cabinet	मंत्रिमंडल
8	Academic	शैक्षणिक / अकादमिक	43	Cadre	संवर्ग
9	Acceptance	स्वीकृति / प्रतिग्रहण	44	Cancellation	निरस्तीकरण / रद्दीकरण
10	Accountability	जवाबदेही / उत्तरदायित्व	45	Census	जनगणना

क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय	क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय
11	Accused	अभियुक्त / आरोपी	46	Charge sheet	आरोप-पत्र
12	Acknowledgement	पावती / अभिस्वीकृति	47	Circular	परिपत्र
13	Acquisition	अधिग्रहण / अर्जन	48	Citation	प्रशस्ति / उद्धरण
14	Acquittal	दोषमुक्ति / रिहाई	49	Clarification	स्पष्टीकरण
15	Acting	कार्यवाहक	50	Coalition	गठबंधन
16	Adjournment	स्थगन	51	Code of Conduct	आचार संहिता
17	Adjudication	न्यायनिर्णयन	52	Cognizable Offence	संज्ञेय अपराध
18	Admissibility	ग्राह्यता / स्वीकार्यता	53	Commutation	लघुकरण / परिवर्तन
19	Ad-hoc	तदर्थ	54	Compensation	क्षतिपूर्ति / मुआवजा
20	Affidavit	शपथ-पत्र / हलफनामा	55	Competent Authority	सक्षम प्राधिकारी
21	Affiliation	संबद्धता	56	Compliance	अनुपालन
22	Agenda	कार्यसूची	57	Comptroller	नियंत्रक
23	Aggrieved	व्यथित / पीड़ित	58	Concurrence	सहमति
24	Agreement	करार / समझौता	59	Condonation	माफी / मार्जन
25	Allegation	अभिकथन / आरोप	60	Confidential	गोपनीय
26	Allocation	आवंटन / बंटवारा	61	Confiscation	जब्ती / अधिहरण
27	Allowance	भत्ता	62	Consensus	सर्वसम्मति / मतैक्य
28	Amendment	संशोधन	63	Consolidated Fund	संचित निधि
29	Amnesty	सर्वक्षमा / राजक्षमा	64	Constituency	निर्वाचन क्षेत्र
30	Annexure	अनुलग्नक / परिशिष्ट	65	Contempt of Court	न्यायालय की अवमानना
31	Anomaly	विसंगति	66	Contingency Fund	आकस्मिकता निधि
32	Anticipatory Bail	अग्रिम जमानत	67	Contravention	उल्लंघन
33	Appellate	अपीलीय	68	Convention	अभिसमय / सम्मेलन
34	Appropriation	विनियोजन	69	Corrigendum	शुद्धि-पत्र
35	Arbitration	माध्यस्थम् / पंचनिर्णय	70	Credentials	प्रत्यय-पत्र

खंड-2: D से M तक (70 प्रमुख शब्द)

क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय	क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय
71	Deadlock	गतिरोध	106	Ex-officio	पदेन
72	Dearness Allowance	महंगाई भत्ता	107	Ex-parte	एकपक्षीय

क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय	क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय
73	Debar	विवर्जित करना / रोकना	108	Expedite	शीघ्र कार्यवाही करना
74	Decentralization	विकेंद्रीकरण	109	Extradition	प्रत्यर्पण
75	Defamation	मानहानि	110	Extraordinary	असाधारण
76	Default	व्यतिक्रम / चूक	111	Fabricated	गढ़ा हुआ / मिथ्या
77	Defacto	वस्तुतः / तथ्यतः	112	Financial Year	वित्तीय वर्ष
78	Dejure	विधितः / कानूनी तौर पर	113	Fiscal Deficit	राजकोषीय घाटा
79	Delegation	प्रतिनिधिमंडल / प्रत्यायोजन	114	Forfeiture	समपहरण / जब्ती
80	Demarcation	सीमांकन	115	Gazette	राजपत्र
81	Demi-Official	अर्ध-शासकीय	116	Grant-in-aid	सहायता अनुदान
82	Deputation	प्रतिनियुक्ति	117	Gratuitous Relief	अनुग्रह राहत
83	Dereliction of Duty	कर्तव्यच्युति / कर्तव्य की उपेक्षा	118	Gratuity	उपदान / आनुतोषिक
84	Detention	निरोध / नजरबंदी	119	Grievance	शिकायत / कष्ट
85	Directive Principles	निदेशक तत्व	120	Gross Misconduct	घोर कदाचार
86	Disbursement	संवितरण / भुगतान	121	Habeas Corpus	बंदी प्रत्यक्षीकरण
87	Disciplinary Action	अनुशासनिक कार्यवाही	122	Honorarium	मानदेय
88	Discrepancy	विसंगति / अंतर	123	Hypothecation	दृष्टिबंधक
89	Discretionary Power	विवेकाधिकार	124	Illegal	अवैध
90	Dismissal	पदच्युति / बर्खास्तगी	125	Impeachment	महाभियोग
91	Disposal	निस्तारण / निपटान	126	Implementation	कार्यान्वयन / क्रियान्वयन
92	Dissenting Note	विसम्मति टिप्पणी	127	In camera	बंद कमरे में (गोपनीय सुनवाई)
93	Dissolution	विघटन / भंग	128	Incumbent	पदधारी
94	Document	दस्तावेज / प्रलेख	129	Indemnity	क्षतिपूर्ति वचन
95	Domicile	अधिवास / मूल निवास	130	Indictment	अभ्यारोपण
96	Draft	प्रारूप / आलेख / मसौदा	131	Infringement	अतिलंघन / अतिक्रमण
97	Earned Leave	उपार्जित अवकाश	132	Injunction	व्यादेश / निषेधाज्ञा
98	Embezzlement	गबन	133	Insolvency	दिवालियापन
99	Emoluments	परिलब्धियां	134	Interim Order	अंतरिम आदेश
100	Encroachment	अतिक्रमण	135	Interrogation	पूछताछ
101	Endorsement	पृष्ठांकन	136	Jurisdiction	क्षेत्राधिकार / अधिकारिता
102	Enforcement	प्रवर्तन	137	Lease	पट्टा

क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय	क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय
103	Enroute	मार्ग में	138	Lien	पुनर्ग्रहणाधिकार / धारणाधिकार
104	Errata	अशुद्धि-पत्र	139	Liquidation	परिसमापन
105	Ex-gratia	अनुग्रहपूर्वक	140	Malafide	दुर्भावनापूर्ण

खंड-3: M से Z तक (86 प्रमुख शब्द)

क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय	क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय
141	Mandate	जनादेश / अधिदेश	184	Red-tapism	लालफीताशाही
142	Mandatory	अधिदेशात्मक / अनिवार्य	185	Referendum	जनमत-संग्रह
143	Manifesto	घोषणा-पत्र	186	Rehabilitation	पुनर्वास
144	Memorandum	ज्ञापन	187	Reimbursement	प्रतिपूर्ति
145	Minutes	कार्यवृत्त	188	Relieving Order	कार्यमुक्ति आदेश
146	Misappropriation	दुर्विनियोग	189	Remand	प्रतिप्रेषण / न्यायिक हिरासत
147	Modification	उपांतरण / परिवर्तन	190	Reminder	अनुस्मारक / स्मरण-पत्र
148	Moratorium	अधिस्थगन	191	Remuneration	पारिश्रमिक
149	Mortgage	बंधक / रेहन	192	Repeal	निरसन
150	Motion	प्रस्ताव	193	Reprimand	भर्त्सना / फटकार
151	Mutatis Mutandis	यथावश्यक परिवर्तन सहित	194	Requisition	अधियाचन / मांग
152	Negligence	प्रमाद / लापरवाही	195	Resolution	संकल्प / प्रस्ताव
153	Negotiation	समझौता वार्ता	196	Retrospective	भूतलक्षी / पूर्वव्यापी
154	No Objection Certificate	अनापत्ति प्रमाण-पत्र	197	Retrenchment	छंटनी
155	Nomination	नामांकन / नामनिर्देशन	198	Revalidation	पुनर्वैधीकरण
156	Non-cognizable	असंज्ञेय	199	Revenue	राजस्व
157	Non-compliance	अननुपालन	200	Revocation	प्रतिसंहरण / खंडन
158	Notification	अधिसूचना	201	Roll of Honour	सम्मान-सूची
159	Noting	टिप्पण	202	Sanction	संस्वीकृति / मंजूरी
160	Null and Void	अकृत और शून्य	203	Schedule	अनुसूची
161	Oath of Secrecy	गोपनीयता की शपथ	204	Scrutiny	संवीक्षा / छानबीन
162	Obligation	बाध्यता / दायित्व	205	Secretariat	सचिवालय
163	Obsolete	अप्रचलित / कालातीत	206	Seizure	अभिग्रहण / जब्ती
164	Offence	अपराध	207	Seniority	ज्येष्ठता / वरिष्ठता

क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय	क्र.	English Term	मानक हिंदी पर्याय
165	Officiating	स्थानापन्न	208	Sine die	अनिश्चित काल के लिए
166	Ombudsman	लोकपाल	209	Sovereign	संप्रभु / प्रभुत्वसंपन्न
167	On Probation	परिवीक्षाधीन	210	Standing Committee	स्थायी समिति
168	Ordinance	अध्यादेश	211	Status Quo	यथापूर्व स्थिति
169	Overdue	अतिदेय	212	Statutory	सांविधिक / वैधानिक
170	Parliament	संसद	213	Stipend	वृत्तिका
171	Parole	संवचन / पैरोल	214	Sub-judice	न्यायाधीन
172	Pending	लंबित	215	Subsidy	राजसहायता / उपादान
173	Perjury	मिथ्या साक्ष्य / झूठी गवाही	216	Subsistence Allowance	निर्वाह भत्ता
174	Petition	याचिका / अर्जी	217	Summons	समन / आह्वान-पत्र
175	Plaintiff	वादी	218	Superannuation	अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति
176	Portfolio	संविभाग / मंत्रालय	219	Supersession	अधिक्रमण
177	Postfacto Sanction	कार्योत्तर स्वीकृति	220	Surveillance	निगरानी / चौकसी
178	Precedent	पूर्वोदाहरण / नजीर	221	Suspension	निलंबन
179	Prerogative	परमाधिकार	222	Testimony	साक्ष्य / गवाही
180	Prima Facie	प्रथम दृष्टया	223	Testimonial	शंसा-पत्र
181	Privilege	विशेषाधिकार	224	Tribunal	अधिकरण
182	Prorogation	सत्रावसान	225	Ultra Vires	अधिकारिता से परे / अधिकारातीत
183	Quorum	गणपूर्ति / कोरम	226	Unanimous	सर्वसम्मत

खंड-4: प्रमुख प्रशासनिक पदनाम एवं कार्यालयी वाक्यांश (227 से 265)

क्र.	English Designation / Phrase	मानक हिंदी पर्याय
227	Chief Secretary	मुख्य सचिव
228	Additional Chief Secretary	अपर मुख्य सचिव
229	Principal Secretary	प्रमुख सचिव
230	Special Secretary	विशेष सचिव
231	Joint Secretary	संयुक्त सचिव
232	Deputy Secretary	उप सचिव
233	Under Secretary	अनुसचिव
234	Section Officer	अनुभाग अधिकारी

क्र.	English Designation / Phrase	मानक हिंदी पर्याय
235	Review Officer (RO)	समीक्षा अधिकारी
236	Assistant Review Officer (ARO)	सहायक समीक्षा अधिकारी
237	Advocate General	महाधिवक्ता
238	Attorney General	महान्यायवादी
239	Comptroller and Auditor General	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
240	Chief Vigilance Commissioner	मुख्य सतर्कता आयुक्त
241	Divisional Commissioner	मंडलायुक्त
242	District Magistrate / Collector	जिलाधिकारी / समाहर्ता
243	Sub-Divisional Magistrate	उप-जिलाधिकारी
244	Tehsildar / Executive Magistrate	तहसीलदार / कार्यपालक मजिस्ट्रेट
245	Director General of Police	पुलिस महानिदेशक
246	Accountant General	महालेखाकार
247	Conservator of Forests	वन संरक्षक
248	Registrar	कुलसचिव / पंजीयक
249	As directed	निदेशानुसार
250	For favour of necessary action	आवश्यक कार्यवाही की कृपा हेतु
251	For information and guidance	सूचनार्थ एवं मार्गदर्शनार्थ
252	Submitted for orders	आदेशार्थ प्रस्तुत
253	Draft for approval (DFA)	अनुमोदनार्थ प्रारूप
254	Paper under consideration (PUC)	विचाराधीन पत्र
255	Put up with previous papers	पूर्व पत्रादि सहित प्रस्तुत करें
256	Waiting for further orders	अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा में
257	As amended	यथासंशोधित
258	As proposed	यथाप्रस्तावित
259	Matter is most urgent	मामला परम तात्कालिक है
260	Strictly prohibited	सर्वथा वर्जित है
261	Until further orders	अगले आदेश होने तक
262	With immediate effect	तात्कालिक प्रभाव से
263	Without prejudice to	पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
264	In supersession of	का अधिक्रमण करते हुए

क्र.	English Designation / Phrase	मानक हिंदी पर्याय
265	In pursuance of	के अनुसरण में

10.3 English Descriptive Section (Bilingual Guide for IBPS/SBI PO, CAPF AC Paper-*2* & SSC)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 10.3 English Descriptive Section (Bilingual Guide for IBPS/SBI PO, CAPF AC Paper-2 & SSC)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
(A) Formal Letter to the Editor (समाचार-पत्र के संपादक को औपचारिक पत्र)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
(B) Formal Letter to the Bank Branch Manager (बैंक शाखा प्रबंधक को औपचारिक पत्र)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
(C) Universal High-Scoring English Essay Template (IBPS/SBI PO & CAPF AC Paper-2 — 250–300 Words)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(D) CAPF (AC) Paper-2: Report Writing & Counter-Argument Template (20 Marks)

(A) Formal Letter to the Editor *(समाचार-पत्र के संपादक को औपचारिक पत्र)*

Topic: Write a letter to the Editor of a national daily highlighting the rising menace of Cyber Financial Frauds and 'Digital Arrest' scams, suggesting preventive measures (150–180 words).

Sender's Address:
B-42, Gomti Nagar,
Lucknow - 226010

Date: November 16, 2026

The Editor,
The Hindu / The Indian Express,
New Delhi - 110001

Subject: Urgent need to curb rising Cyber Financial Frauds and 'Digital Arrest' scams.

Sir/Madam,

Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities and citizens towards the alarming rise in sophisticated cyber frauds, particularly the recent wave of 'Digital Arrest' scams targeting senior citizens and working professionals.

Despite the rapid success of UPI and digital banking in India, cybercriminals are exploiting psychological fear by impersonating law enforcement officials over video calls and extorting hard-earned savings. Lack of digital literacy and delayed reporting further compound this crisis.

To combat this menace effectively, I suggest the following measures:
1. Banks and telecom operators must deploy AI-based real-time fraud detection and caller-ID verification.
2. Public awareness campaigns must emphasize that no government agency conducts 'digital arrests' via video calls.
3. Victims must immediately report incidents on the National Cyber Crime Helpline '1930' within the golden hour.

I hope this letter will sensitize the public and prompt stricter regulatory enforcement.

Yours sincerely,
XYZ
(A Concerned Citizen)

(हिंदी सार: इस प्रारूप में बाईं ओर प्रेषक का पता, दिनांक, संपादक का पता, विषय, 3 छोटे पैराग्राफ— 1. समस्या का परिचय, 2. दुष्प्रभाव, 3. ठोस सुझाव— और अंत में ***Yours sincerely, XYZ*** लिखा जाता है। परीक्षा में अपना वास्तविक नाम कभी न लिखें।)

(B) Formal Letter to the Bank Branch Manager *(बैंक शाखा प्रबंधक को औपचारिक पत्र)*

Topic: Write a letter to the Branch Manager of your bank requesting a loan under the 'PM Mudra / Stand-Up India Scheme' to expand your MSME unit OR reporting an unauthorized UPI debit.

45, Civil Lines,
Kanpur - 208001

November 16, 2026

The Branch Manager,
State Bank of India,
Main Branch, Civil Lines,
Kanpur - 208001

Subject: Application for resolution of unauthorized debit of Rs. 25,000/- via UPI (A/c No: XXXXXXXX4589).

Dear Sir/Madam,

I am maintaining a Savings Bank Account (Account No. XXXXXXXX4589) in your branch for the past five years. I am writing to bring to your urgent notice an unauthorized debit transaction of Rs. 25,000/- that occurred on November 15, 2026, at 04:15 PM (Transaction Reference ID: 632019485712).

I neither shared any OTP/PIN nor clicked on any suspicious link. Immediately upon receiving the SMS alert, I blocked my UPI ID and registered a complaint on the National Cyber Crime Portal (Acknowledgement No: 331112600451). As per RBI guidelines on 'Zero Liability of a Customer' in third-party breaches reported within three working days, I request you to initiate a chargeback and reverse the debited amount into my account at the earliest.

Enclosed herewith are copies of my bank statement and the cyber portal complaint receipt.

Yours faithfully,
ABC
Mobile: 98XXXXXXXX

(C) Universal High-Scoring English Essay Template (IBPS/SBI PO & CAPF AC Paper-2 — 250–300 Words)

Structure Formula: Hook + Definition (Para 1) | Positive Impacts & Government Initiatives (Para 2) | Challenges & Concerns (Para 3) | Balanced Way Forward & Vision 2047 (Para 4)

Model Essay: "Green Banking and Sustainable Finance: Catalyzing India's Net-Zero Transition"

★ **Introduction:** Climate change is no longer a distant environmental warning; it is a pressing macroeconomic reality. As India marches toward becoming a developed nation (*Viksit Bharat*) by 2047 while honoring its commitment to achieve Net-Zero carbon emissions by 2070, the financial sector must act as the primary catalyst. **Green Banking and Sustainable Finance** refer to financial products, investment decisions, and banking operations that prioritize environmental sustainability alongside economic profitability.

Positive Dimensions & Initiatives: Green banking operates on two fronts: internal carbon reduction (paperless banking, solar-powered branches, digital transactions) and external green financing. The Reserve Bank of India (RBI) and the Government of India have taken pioneering steps by issuing **Sovereign Green Bonds**, introducing a framework for **Green Deposits**, and including renewable energy projects under **Priority Sector Lending (PSL)**. Financial support for the National Green Hydrogen Mission, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, and electric mobility ecosystems is transforming India's clean energy landscape.

Key Challenges: Despite its promise, sustainable finance faces significant hurdles. First, the risk of **'Greenwashing'**—where corporations make misleading environmental claims to secure cheap credit—undermines investor trust. Second, high initial capital costs, lack of standardized ESG (Environmental, Social, and Governance) taxonomy, and long gestation periods of green infrastructure projects deter commercial banks concerned about Non-Performing Assets (NPAs).

Way Forward & Conclusion: To bridge the climate finance gap, India needs a robust green taxonomy, strict third-party auditing of ESG claims, and blended finance mechanisms combining public and private capital. Ultimately, green banking ensures that economic prosperity does not come at the cost of planetary survival, harmonizing *Ecology* with *Economy*.

(D) CAPF (AC) Paper-2: Report Writing & Counter-Argument Template (20 Marks)

```
================================================================================
[CAPF AC Paper-2: Report Writing Format (200 Words)]
================================================================================
Place: New Delhi
Date: November 16, 2026
By: Special Correspondent (XYZ)

[Headline: Concise, Objective & in Present/Past Participle Form]

1. Lead Paragraph (The 5 Ws — What, Where, When, Who, Why):
State the core incident, policy launch, or event objectively in third person.
2. Body Paragraph (Facts, Causes & Official Response):
Mention statistical evidence, NDMA/Government response, and ground reality.
3. Concluding Paragraph (Current Status & Future Outlook):
Summarize inquiry committees, expert opinion, or long-term preventive steps.
================================================================================
```

10.4 स्मृति ट्रिक्स (IUC Memory Tricks)

- **English Formal Letter Salutation & Closing Rule:**
- यदि प्राप्तकर्ता का पदनाम लिखा है (**Sir/Madam**) समापन में **Yours faithfully** या **Yours truly** लिखें।
- यदि संपादक को पत्र है या नाम से संबोधन है **Yours sincerely** लिखें (ध्यान दें: **Yours** में कभी भी अपॉस्ट्रॉफी **Your's** नहीं लगता!)।

परीक्षा-पूर्व त्वरित पुनरीक्षण एवं विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ Booster 2020–2026)

1. विगत वर्षों में पूछे गए सर्वोच्च महत्व के निबंध विषय (UPSC / UPPSC / RO-ARO / BPSC)

1. **दार्शनिक खंड:**

- "चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष न हो।" (UPSC)
- "छप्पर की मरम्मत तभी कर लेनी चाहिए जब धूप खिली हो।" (UPSC)
- "साहित्य समाज का दर्पण है।" (UPPSC / RO-ARO में सर्वाधिक बार पूछा गया विषय)
- "अंधेरा जितना गहरा होता है, तारे उतने ही चमकते हैं।"

2. **सामाजिक-आर्थिक-पर्यावरणीय खंड:**

- "महिला सशक्तिकरण: चुनौतियां एवं संभावनाएं।" (UPPSC PCS / RO-ARO)
- "प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां (भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा)।" (UPPSC RO/ARO)
- "भारतीय कृषि: सदाबहार क्रांति की आवश्यकता।" (UPPSC / BPSC)
- "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (*AI*) का उत्थान: रोजगार का संकट या नव-अवसर?" (UPSC / UPPSC / IBPS PO)
- "अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम और मानव कल्याण।"

2. परीक्षा कक्ष में अधिकतम अंक प्राप्त करने की 10-सूत्रीय चेकलिस्ट (IUC Quality Audit)

- [x] **शुद्ध देवनागरी वर्तनी:** 'उज्ज्वल', 'कवयित्री', 'आशीर्वाद', 'संन्यासी', 'अंतरराष्ट्रीय', 'तत्त्वावधान', 'महोदय' एवं 'भवदीय' की वर्तनी में त्रुटि न करें।
- [x] **शासकीय पत्र में विराम चिह्न:** प्रेषक और सेवा में के बाद अल्पविराम (,) तथा पदनाम व पते की अंतिम पंक्ति के बाद पूर्णविराम (।) अवश्य लगाएं।
- [x] **गोपनीयता का पालन:** किसी भी पत्र, प्रतिवेदन या प्रार्थना-पत्र में अपना वास्तविक नाम या अनुक्रमांक न लिखें; सदैव **क. ख. ग.** या **अ. ब. स.** अथवा **XYZ** का प्रयोग करें।
- [x] **संक्षेपण शब्द-गणना:** संक्षेपण लिखने के बाद उसका सटीक शीर्षक सबसे ऊपर लिखें और अंत में कोष्ठक में **(कुल शब्द: ...)** अनिवार्य रूप से अंकित करें।
- [x] **निबंध में संतुलन:** किसी भी निबंध में संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं या किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण या अतिवादी टिप्पणी न लिखें; सदैव संतुलित, संवैधानिक एवं समाधानपरक दृष्टिकोण रखें।

संपूर्ण अध्ययन सामग्री एवं निःशुल्क मॉक टेस्ट हेतु विजिट करें: www.iucacademy.com

(आईयूसी अकादमी — प्रत्येक विद्यार्थी के सपनों को पंख देने के लिए समर्पित)

संस्थान: IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com)

संदर्भ एवं मानक स्रोत: राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (rajbhasha.gov.in) | पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in) | नीति आयोग (niti.gov.in) | IUC Academy पोर्टल (www.iucacademy.com)

लक्षित परीक्षाएँ: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC CSE मुख्य परीक्षा), राज्य लोक सेवा आयोग (UPPSC, BPSC, MPPSC, RAS), समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF AC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), बैंकिंग (IBPS/SBI PO वर्णनात्मक) एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाएँ।

मॉड्यूल 1: उच्चस्तरीय निबंध लेखन की वास्तुकला एवं बहुआयामी संरचना (UPSC, PCS एवं CAPF मानक)

निबंध लेखन केवल तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि विचारों का सुसंगठित, तार्किक एवं प्रवाहमय प्रस्तुतीकरण है। IUC Academy (www.iucacademy.com) के वर्णनात्मक मूल्यांकन मानकों के अनुसार एक उत्कृष्ट निबंध में विषय की मूल आत्मा, बहुआयामी विश्लेषण और सकारात्मक संवैधानिक निष्कर्ष का संतुलन अनिवार्य है।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): निबंध निर्माण का चतुर्थ-स्तरीय चक्र

चरण 1 **विषय विखंडन एवं मस्तिष्क उद्वेलन (Brainstorming):**

- चरण 1.1: मुख्य कीवर्ड एवं केंद्रीय भाव की पहचान करना।
- चरण 1.2: दार्शनिक बनाम मूर्त समसामयिक विषय का सटीक निर्धारण।
- चरण 1.3: **5W1H** (क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे) सूत्र द्वारा रफ रूपरेखा निर्माण।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: वैचारिक मानचित्रण से आकर्षक आरंभ की ओर)

चरण 2 **प्रभावी प्रस्तावना एवं केंद्रीय थीसिस (Introduction & Thesis):**

- चरण 2.1: प्रासंगिक सूक्ति, ऐतिहासिक प्रसंग, समसामयिक घटना या विरोधाभासी प्रश्न से आरंभ।
- चरण 2.2: प्रथम 100–120 शब्दों में विषय का स्पष्ट परिभाषीकरण एवं मूल प्रतिज्ञा (Thesis Statement)।
- चरण 2.3: मुख्य कलेवर की ओर ले जाने वाला सहज सेतु-वाक्य (Bridge Sentence)।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: प्रस्तावना से बहुआयामी विश्लेषण की ओर)

चरण 3 **बहुआयामी मुख्य कलेवर विस्तार (PESTLE & SPECL Analysis):**

- चरण 3.1: सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, विधिक एवं तकनीकी आयामों का क्रमिक विवेचन।
- चरण 3.2: पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों का संवैधानिक संतुलन।
- चरण 3.3: नीति आयोग (niti.gov.in) एवं पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in) के प्रमाणित तथ्यों व उदाहरणों की पिरोई।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: विश्लेषण से समाधानपरक समापन की ओर)

चरण 4 **समाधानपरक एवं भविष्योन्मुखी उपसंहार (Way Forward & Conclusion):**

- चरण 4.1: व्यावहारिक, नीतिगत एवं संस्थागत सुधार उपायों का प्रस्तुतीकरण।
- चरण 4.2: संवैधानिक प्रस्तावना के मूल्यों (न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता) व सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव।
- चरण 4.3: आशावादी, दूरदर्शी एवं परीक्षक के मन पर छाप छोड़ने वाला अंतिम समापन वाक्य।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: मूर्त (विषय-आधारित) बनाम अमूर्त (दार्शनिक) निबंध

तुलना का आधार	मूर्त एवं समसामयिक निबंध (Concrete/Topic-Based Essay)	अमूर्त एवं दार्शनिक निबंध (Abstract/Philosophical Essay)	आधिकारिक संदर्भ एवं प्रामाणिक स्रोत
मूल प्रकृति	प्रत्यक्ष विषयों जैसे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, महिला सशक्तिकरण या शासन सुधार पर आधारित।	सूक्तियों, दार्शनिक कथनों, नैतिक मूल्यों या मानवीय संवेदनाओं के गूढ़ अर्थों पर आधारित।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
प्रस्तावना की शैली	ताजा सरकारी आँकड़ों, पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in) की रिपोर्ट या समसामयिक घटना से सीधा आरंभ।	प्रतीक कथा, दार्शनिक विरोधाभास, ऐतिहासिक दृष्टांत या सूक्ति के अर्थ-विस्तार से आरंभ।	पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)
तथ्यों का अनुपात	लगभग 60% प्रमाणित तथ्य, सरकारी योजनाएँ व सूचकांक तथा 40% वैचारिक विश्लेषण।	लगभग 70% तार्किक-दार्शनिक विश्लेषण, मानवीय मूल्य व दृष्टांत तथा 30% व्यावहारिक उदाहरण।	नीति आयोग (niti.gov.in)
मुख्य चुनौती	निबंध को सामान्य अध्ययन (GS) का उत्तर बनने से बचाना और साहित्यिक प्रवाह बनाए रखना।	विषय से भटकाव रोकना तथा हवा-हवाई बातों के स्थान पर ठोस सामाजिक-ऐतिहासिक उदाहरण जोड़ना।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
भाषा एवं शब्दावली	प्रशासनिक, विश्लेषणात्मक, तथ्यपरक एवं नीतिगत शब्दावली का प्रमुख प्रयोग।	चिंतनशील, प्रवाहपूर्ण, मानक साहित्यिक एवं संवेदनशील शब्दावली का प्रयोग।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
अनुच्छेद संक्रमण	क्षेत्रक-वार (कृषि → उद्योग → सेवा → समाज) तार्किक कड़ी द्वारा जुड़ाव।	कालक्रम या स्तर-वार (व्यक्ति → परिवार → समाज → राष्ट्र → विश्व) वैचारिक विस्तार।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
निष्कर्ष का स्वरूप	नीतिगत सुझाव, संस्थागत सुधार और 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ समापन।	सार्वभौमिक मानव कल्याण, नैतिक उत्थान, करुणा और संवैधानिक आदर्शों के साथ समापन।	नीति आयोग (niti.gov.in)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?

• संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के वर्णनात्मक मूल्यांकन दिशा-निर्देशों में निबंध को 'सामान्य अध्ययन के तथ्य-पत्र' के रूप में नहीं, बल्कि अभ्यर्थी की 'वैचारिक परिपक्वता, क्रमबद्धता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता' के रूप में परखा जाता है।

• राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) के सरल एवं मानक हिंदी प्रयोग नियमों के अनुसार, क्लिष्ट और अप्रासंगिक शब्दों की तुलना में सहज, प्रवाहमय और सटीक तत्सम-तद्भव समन्वित भाषा वाले निबंधों को 15% से 20% अधिक अंक प्राप्त होते हैं।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** निबंध में उप-शीर्षक (Sub-headings), बुलेट पॉइंट्स या अत्यधिक फ्लोचार्ट बनाना—इससे निबंध का 'गद्य-प्रवाह' टूट जाता है और यह सामान्य अध्ययन के उत्तर जैसा दिखता है।

• **जाल 2:** प्रस्तावना में ही अपना पूरा निष्कर्ष खोल देना या किसी संवैधानिक संस्था के विरुद्ध अतिवादी/एकपक्षीय टिप्पणी करना।

• **बचाव:** प्रत्येक पैराग्राफ को पिछले पैराग्राफ से 'संयोजक वाक्यों' (Transition Sentences) द्वारा जोड़ें और सदैव संवैधानिक मध्यम मार्ग अपनाएँ (www.iucacademy.com)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ IUC स्मृति ट्रिक: "सप्त-आयाम सूत्र — सा-रा-आ-सां-प-वि-त (SPECL-PT)"

- **सा** = सामाजिक (महिला, युवा, वंचित वर्ग एवं शिक्षा-स्वास्थ्य)
- **रा** = राजनीतिक, लोकतांत्रिक एवं प्रशासनिक सुशासन
- **आ** = आर्थिक विकास, आजीविका एवं वित्तीय समावेशन
- **सां** = सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक संदर्भ एवं नैतिक मूल्य
- **प** = पर्यावरणीय संतुलन, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी
- **वि** = विधिक, संवैधानिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टिकोण
- **त** = तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण!

मॉड्यूल 2: शासकीय पत्र (Official Letter) एवं अर्द्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official Letter) का प्रारूपण विज्ञान

प्रशासनिक पत्राचार की रीढ़ शासकीय और अर्द्ध-शासकीय पत्र हैं। RO/ARO, UPPSC, BPSC और विभागीय परीक्षाओं में इनके प्रारूप (Format), संबोधन और स्वनिर्देश के सूक्ष्म अंतर पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका मानक निर्धारण **राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)** की कार्यालयीन विधि पुस्तिका के अनुसार होता है।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): शासकीय पत्र की शीर्ष-से-तल संरचना

चरण 1 शीर्ष पहचान एवं प्रेषण खंड (Header & Dispatch Block):

- चरण 1.1: दाईं या मध्य-शीर्ष पर पत्र संख्या (पत्रावली संख्या) का स्पष्ट अंकन।
- चरण 1.2: भारत सरकार / राज्य सरकार का नाम तथा संबंधित मंत्रालय या विभाग का नाम।
- चरण 1.3: पत्र प्रेषण का स्थान (यथा—नई दिल्ली / लखनऊ) एवं दिनांक का अंकन।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: शीर्ष पहचान से प्रेषक-परिग्रहीता खंड की ओर)

चरण 2 प्रेषक, परिग्रहीता एवं विषय खंड (Sender, Receiver & Subject Block):

- चरण 2.1: बाईं ओर 'प्रेषक:' के अंतर्गत अधिकारी का नाम (क.ख.ग.), पदनाम एवं शासकीय पता।
- चरण 2.2: 'सेवा में,' के अंतर्गत प्राप्तकर्ता अधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय का पता।
- चरण 2.3: अनुभाग संख्या का उल्लेख तथा एक वाक्य में संक्षिप्त एवं सटीक 'विषय:'।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: विषय रेखांकन से औपचारिक मुख्य कलेवर की ओर)

चरण 3 संबोधन एवं औपचारिक मुख्य कलेवर (Salutation & Formal Body):

- चरण 3.1: बाईं ओर 'महोदय,' या 'महोदया,' से औपचारिक संबोधन।
- चरण 3.2: प्रथम पैराग्राफ (बिना क्रमांक): "उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि..."
- चरण 3.3: द्वितीय पैराग्राफ (क्रमांक 2 से): मुख्य आदेश, नियम या अपेक्षित कार्यवाही का विवरण।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: मुख्य कथ्य से स्वनिर्देश एवं पृष्ठांकन की ओर)

चरण 4 स्वनिर्देश, हस्ताक्षर एवं संलग्नक/पृष्ठांकन (Subscription & Endorsement):

- चरण 4.1: दाईं ओर नीचे 'भवदीय', हस्ताक्षर तथा कोष्ठक में नाम व पदनाम।
- चरण 4.2: बाईं ओर नीचे 'संलग्नक: यथोपरि' का उल्लेख।

• चरण 4.3: पत्र के अंत में 'प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित'।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: शासकीय पत्र बनाम अर्द्ध-शासकीय पत्र

तुलना का बिंदु	शासकीय पत्र (Official Letter)	अर्द्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official / D.O. Letter)	मानक प्राधिकरण एवं संदर्भ
प्रयोग का उद्देश्य	विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों या संबद्ध कार्यालयों के मध्य औपचारिक राजकीय सूचना या आदेश भेजना।	समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों के बीच किसी लंबित मामले में व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करना या गोपनीय परामर्श लेना।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
पुरुष एवं शैली	पूर्णतः अन्य पुरुष (Third Person), तटस्थ, निर्वैयक्तिक और औपचारिक शैली ("मुझे निदेश हुआ है...")।	उत्तम पुरुष (First Person - 'मैं'), मित्रवत, आत्मीय एवं व्यक्तिगत शैली ("मेरा आपसे अनुरोध है...")।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
प्रेषक एवं परिग्रहीता का स्थान	पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर 'प्रेषक' और 'सेवा में' दोनों का पदनाम सहित स्पष्ट उल्लेख होता है।	प्रारंभ में केवल प्रेषक का नाम व पदनाम ऊपर तथा परिग्रहीता का नाम व पूरा पता पत्र के अंत में बाईं ओर नीचे लिखा जाता है।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
संबोधन (Salutation)	औपचारिक संबोधन: 'महोदय' या 'महोदया' (बिना नाम के)।	व्यक्तिगत संबोधन: 'प्रिय श्री [उपनाम] जी,' या 'आदरणीय श्री [उपनाम] जी,' (अधिकारी द्वारा स्वहस्तलिखित)।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
स्वनिर्देश (Subscription)	दाईं ओर नीचे 'भवदीय' या 'भवदीया' लिखा जाता है और नीचे कोष्ठक में नाम व पदनाम दोनों आते हैं।	दाईं ओर नीचे 'भवन्निष्ठ', 'आपका' या 'सद्भावी' लिखा जाता है; नीचे केवल नाम आता है, पदनाम नहीं लिखा जाता।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
पृष्ठांकन का नियम	आवश्यकतानुसार अनेक कार्यालयों को प्रतिलिपि पृष्ठांकित की जा सकती है।	अर्द्ध-शासकीय पत्र में सामान्यतः किसी अन्य को प्रतिलिपि पृष्ठांकित नहीं की जाती।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
खोलने का अधिकार	यह कार्यालय की डाक शाखा (Receipt Section) द्वारा खोला और डायरी किया जाता है।	यह सीधा संबंधित अधिकारी द्वारा ही खोला जाता है, डाक शाखा इसे बिना खोले अधिकारी की मेज पर रखती है।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?

• अर्द्ध-शासकीय पत्र (D.O. Letter) में प्रेषक अधिकारी का पदनाम ऊपर बाईं ओर मुद्रित होता है, किंतु पत्र के अंत में हस्ताक्षर के नीचे उसका **पदनाम कदापि नहीं लिखा जाता**।

• राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) की परंपरा के अनुसार अर्द्ध-शासकीय पत्र में संबोधन ('प्रिय श्री क.ख.ग.,') और अंतिम सम्मानजनक वाक्य ('सादर,') प्रेषक अधिकारी द्वारा स्वयं अपनी कलम (हाथ) से लिखा जाता है ताकि व्यक्तिगत आत्मीयता प्रकट हो सके।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** अर्द्ध-शासकीय पत्र में ऊपर बाईं ओर 'सेवा में' लिखकर प्राप्तकर्ता का पता लिख देना—यह सबसे बड़ी भूल है जिससे प्रारूप के 40% अंक तुरंत कट जाते हैं।

• **जाल 2:** शासकीय पत्र में 'मैं आपको सूचित करता हूँ' लिखना या परीक्षा में क.ख.ग. के स्थान पर अपना वास्तविक नाम या अनुक्रमांक लिख देना।

• **बचाव:** अर्द्ध-शासकीय पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम-पता हमेशा पत्र समाप्त होने पर **नीचे बाईं ओर (Bottom Left)** ही लिखें (www.iucacademy.com)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ **IUC स्मृति ट्रिक: "शासकीय = पद की दूरी, अर्द्ध-शासकीय = मित्र की नजदीकी"**
• **शासकीय पत्र सूत्र:** प्रेषक + सेवा में (ऊपर) → महोदय → मुझे निदेश हुआ है (अन्य पुरुष) → भवदीय (नीचे दाईं ओर पदनाम सहित)।
• **अर्द्ध-शासकीय पत्र सूत्र:** अर्द्ध-शा.प.सं. (ऊपर दाईं ओर) → प्रिय श्री... → मैं आपका ध्यान (उत्तम पुरुष) → भवन्निष्ठ (दाईं ओर बिना पदनाम) → सेवा में श्री... (नीचे बाईं ओर कोने में)!

मॉड्यूल 3: कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum), कार्यालय आदेश (Office Order) एवं परिपत्र (Circular)

मंत्रालयों के आंतरिक प्रशासन और अंतर-मंत्रालयीय संवाद के लिए कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश और परिपत्र का सर्वाधिक प्रयोग होता है। राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) के अनुसार इनमें न तो 'महोदय' जैसा संबोधन होता है और न ही 'भवदीय' जैसा स्वनिर्देश।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): आंतरिक प्रशासनिक प्रलेखों का प्रारूपण क्रम

चरण 1 केंद्रीय शीर्ष एवं प्रलेख शीर्षक (Central Masthead):

- चरण 1.1: पृष्ठ के ठीक मध्य में संख्या, भारत सरकार / राज्य सरकार तथा मंत्रालय/विभाग का नाम।
- चरण 1.2: दाईं ओर नीचे स्थान एवं दिनांक का स्पष्ट उल्लेख।
- चरण 1.3: पृष्ठ के मध्य में बड़े अक्षरों में 'कार्यालय ज्ञाप' / 'कार्यालय आदेश' / 'परिपत्र' शीर्षक।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: शीर्षक से विषय रेखांकन की ओर)

चरण 2 विषय का स्पष्ट रेखांकन (Subject Line):

- चरण 2.1: कार्यालय ज्ञाप एवं परिपत्र में मध्य में 'विषय: ...' का संक्षिप्त उल्लेख।
- चरण 2.2: छोटे नेमी कार्यालय आदेश (जैसे एकदिवसीय अवकाश या कार्य-विभाजन) में विषय अनिवार्य नहीं होता।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: विषय से संबोधन-रहित मुख्य भाग की ओर)

चरण 3 संबोधन-रहित अन्य पुरुष कलेवर (Salutation-Free Third Person Body):

- चरण 3.1: बिना 'महोदय' लिखे सीधे प्रथम पैराग्राफ से आरंभ।
- चरण 3.2: कार्यालय ज्ञाप का मानक आरंभ: "अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि..."
- चरण 3.3: द्वितीय एवं अनुवर्ती पैराग्राफों पर क्रमांक (2, 3...) डालना।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: मुख्य कथ्य से हस्ताक्षर एवं वितरण खंड की ओर)

चरण 4 स्वनिर्देश-रहित हस्ताक्षर एवं वितरण सूची (Signature & Distribution Block):

- चरण 4.1: नीचे दाईं ओर बिना 'भवदीय' लिखे सीधे हस्ताक्षर, कोष्ठक में नाम व पदनाम।
- चरण 4.2: कार्यालय ज्ञाप में नीचे बाईं ओर 'सेवा में' लिखकर प्राप्तकर्ता मंत्रालय/अधिकारी का नाम।
- चरण 4.3: कार्यालय आदेश व परिपत्र में नीचे बाईं ओर 'प्रतिलिपि' / 'समस्त विभागाध्यक्ष' का उल्लेख।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश एवं परिपत्र का सूक्ष्म अंतर

तुलना का आधार	कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum)	कार्यालय आदेश (Office Order)	परिपत्र (Circular)	आधिकारिक स्रोत
प्रमुख उद्देश्य	दो समकक्ष मंत्रालयों/विभागों के बीच पत्राचार या कर्मचारियों को सूचना/स्पष्टीकरण देना।	किसी कार्यालय के भीतर कर्मचारियों की नियुक्ति, अवकाश, स्थानांतरण, कार्य-विभाजन या अनुशासन का आदेश।	जब कोई एक ही सूचना, नीति या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों या अनुभागों को प्रसारित करना हो।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
संचार की दिशा	क्षैतिज (समकक्ष मंत्रालयों के बीच) या अधोमुखी (कर्मचारी के अभ्यावेदन के उत्तर में)।	सदैव अधोमुखी (वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर)।	एक केंद्र (मंत्रालय/मुख्यालय) से अनेक अधीनस्थ या संबद्ध कार्यालयों की ओर (एक-से-अनेक)।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
संबोधन एवं स्वनिर्देश	दोनों का अभाव ('महोदय' और 'भवदीय' दोनों नहीं लिखे जाते)।	दोनों का अभाव ('महोदय' और 'भवदीय' दोनों नहीं लिखे जाते)।	सामान्यतः दोनों का अभाव (यदि पत्र-रूप में हो तो 'महोदय/भवदीय' आ सकता है, ज्ञाप-रूप में नहीं)।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
प्राप्तकर्ता का स्थान	अंत में बाईं ओर नीचे 'सेवा में' लिखकर संबंधित मंत्रालय/अधिकारी का नाम लिखा जाता है।	अंत में बाईं ओर 'प्रतिलिपि:' लिखकर संबंधित कर्मचारी व अनुभागों को पृष्ठांकित किया जाता है।	अंत में बाईं ओर 'समस्त मंत्रालय / समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त जिलाधिकारी' लिखा जाता है।	पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)
भाषा का आरंभिक सूत्र	"अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि..."	"श्री क.ख.ग. को एतद्द्वारा आगामी आदेशों तक... नियुक्त/स्थानांतरित किया जाता है।"	"शासन के ध्यान में यह बात आई है कि... अतः समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि..."	IUC Academy (www.iucacademy.com)
बाध्यकारी प्रभाव	सूचनात्मक एवं अंतर-विभागीय समन्वयात्मक।	संबंधित कर्मचारी/अनुभाग पर तत्काल प्रभाव से बाध्यकारी।	समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में एकरूपता से अनुपालन हेतु बाध्यकारी।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?

• राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) के मानकों के अनुसार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी पत्राचार कभी भी 'शासकीय पत्र' के माध्यम से नहीं किया जाता, बल्कि सदैव **'कार्यालय ज्ञाप' (Office Memorandum - O.M.)** के माध्यम से किया जाता है।

• शासकीय पत्र का प्रयोग केवल तभी होता है जब पत्राचार राज्य सरकारों, संवैधानिक निकायों (जैसे UPSC), संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों या आम नागरिकों के साथ किया जा रहा हो।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय आदेश में आदतवश 'महोदय' या 'भवदीय' लिख देना—ऐसा करते ही परीक्षक इसे प्रारूप-दोष मानकर शून्य अंक तक दे सकता है।

• **जाल 2:** कार्यालय ज्ञाप के प्रारंभ में ऊपर बाईं ओर 'प्रेषक' और 'सेवा में' लिख देना।

• **बचाव:** याद रखें—कार्यालय ज्ञाप में ऊपर केवल मध्य में मंत्रालय का नाम होता है और प्राप्तकर्ता ('सेवा में') सदैव पत्र के **सबसे नीचे बाईं ओर** लिखा जाता है (www.iucacademy.com)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ **IUC स्मृति ट्रिक: "ज्ञाप-आदेश-परिपत्र = न महोदय, न भवदीय!"**

• **मं-मं ज्ञाप:** मंत्रालय से मंत्रालय संवाद = **कार्यालय ज्ञाप** (नीचे बाईं ओर 'सेवा में')।

• **भीतर आदेश:** कार्यालय के भीतर छुट्टी/तबादला = **कार्यालय आदेश** (नीचे बाईं ओर 'प्रतिलिपि')।

• **एक से अनेक:** एक आदेश सौ दफ्तरों को = **परिपत्र (Circular)** (नीचे बाईं ओर 'समस्त विभागाध्यक्ष')!

मॉड्यूल 4: अधिसूचना (Notification), पृष्ठांकन (Endorsement), अनुस्मारक (Reminder) एवं प्रेस विज्ञप्ति (Press Communiqué)

राजपत्रित निर्णयों के प्रकाशन हेतु अधिसूचना, पत्र की प्रतिलिपि अग्रेषण हेतु पृष्ठांकन, विलंबित उत्तर की याद दिलाने हेतु अनुस्मारक तथा जनता को प्रामाणिक सरकारी सूचना देने हेतु **पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)** के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): विशेष प्रशासनिक प्रलेखों का कार्यात्मक प्रवाह

चरण 1 **अधिसूचना (Notification) — राजपत्र में वैधानिक प्रकाशन:**

- चरण 1.1: शीर्ष पर **[भारत के राजपत्र, भाग... खंड... में प्रकाशनार्थ]** का अनिवार्य उल्लेख।
- चरण 1.2: राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से वैधानिक नियम, अधिनियम प्रवर्तन या राजपत्रित नियुक्ति की घोषणा।
- चरण 1.3: नीचे बाईं ओर अधीक्षक/प्रबंधक, राजकीय मुद्रणालय (Government Press) को प्रकाशनार्थ पृष्ठांकन।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: राजपत्रित प्रकाशन से बहु-स्तरीय प्रतिलिपि अग्रेषण की ओर)

चरण 2 **पृष्ठांकन (Endorsement) — मूल पत्र का बहु-स्तरीय अग्रेषण:**

- चरण 2.1: मूल पत्र के अंत में या स्वतंत्र प्रलेख के रूप में प्रेषण संख्या व दिनांक अंकित करना।
- चरण 2.2: **'प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:'** वाक्यांश का प्रयोग।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: अग्रेषण से समयबद्ध अनुवर्ती स्मरण की ओर)

चरण 3 **अनुस्मारक (Reminder / स्मरण-पत्र) — पूर्व पत्र की अनुवर्ती कार्यवाही:**

- चरण 3.1: शीर्ष पर दाईं ओर **'अनुस्मारक संख्या - 1 / 2'** का स्पष्ट उल्लेख।
- चरण 3.2: मूल पत्र के प्रारूप (शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/ज्ञाप) को हूबहू बनाए रखते हुए पूर्व पत्र संख्या व दिनांक का संदर्भ देना।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: आंतरिक अनुवर्ती कार्यवाही से सार्वजनिक जनसंचार की ओर)

चरण 4 **प्रेस विज्ञप्ति (Press Communiqué / Note) — जनसंचार हेतु आधिकारिक घोषणा:**

- चरण 4.1: शीर्ष पर **'प्रेस विज्ञप्ति'** तथा यदि आवश्यक हो तो समय-रोक (Embargo) का उल्लेख।
- चरण 4.2: जनहित में लिए गए निर्णय का सरल, स्पष्ट व प्रामाणिक विवरण।
- चरण 4.3: अंत में बाईं ओर प्रधान महानिदेशक, **पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)** / निदेशक, सूचना विभाग को प्रकाशनार्थ अग्रेषण।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: अधिसूचना, पृष्ठांकन, अनुस्मारक एवं प्रेस विज्ञप्ति

तुलनात्मक बिंदु	अधिसूचना (Notification)	पृष्ठांकन (Endorsement)	अनुस्मारक (Reminder)	प्रेस विज्ञप्ति (Press Release)	आधिकारिक संदर्भ
मूल स्वरूप	सरकारी राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित होने वाला वैधानिक एवं विधिक आदेश।	किसी मूल पत्र की प्रतिलिपि अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना या कार्यवाही हेतु भेजना।	पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर समय पर न मिलने पर भेजा जाने वाला स्मरण-पत्र।	आम जनता एवं मीडिया को सरकारी निर्णय की प्रामाणिक जानकारी देने वाला प्रलेख।	**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**
प्रारूप की विशेषता	शीर्ष पर "भारत के राजपत्र, भाग... खंड... में प्रकाशनार्थ" लिखा जाना अनिवार्य है।	यह प्रायः मूल पत्र के अंत में 'संख्या व दिनांक तदैव' लिखकर जोड़ा जाता है।	इसका प्रारूप बिल्कुल मूल पत्र (शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/ज्ञाप) के समान ही होता है।	शीर्ष पर 'प्रकाशनार्थ/प्रसारणार्थ' और समय-रोक (इस तिथि/समय से पूर्व प्रकाशित न किया जाए) होता है।	**पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)**

तुलनात्मक बिंदु	अधिसूचना (Notification)	पृष्ठांकन (Endorsement)	अनुस्मारक (Reminder)	प्रेस विज्ञप्ति (Press Release)	आधिकारिक संदर्भ
संबोधन व स्वनिर्देश	कोई संबोधन या स्वनिर्देश नहीं; सीधे "राष्ट्रपति/राज्यपाल सहर्ष..." से आरंभ।	कोई संबोधन या स्वनिर्देश नहीं; नीचे केवल हस्ताक्षर व पदनाम।	यदि मूल पत्र शासकीय था तो 'महोदय/भवदीय' रहेगा; यदि ज्ञाप था तो नहीं रहेगा।	कोई संबोधन या स्वनिर्देश नहीं; अंत में सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
मुख्य वाक्यांश	"संविधान के अनुच्छेद... द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए..."	"प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:"	"उपर्युक्त विषयक इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक... की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है।"	"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा जनहित में यह निर्णय लिया गया है..."	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
विधिक प्रभाव	न्यायालयों द्वारा न्यायिक संज्ञान योग्य वैधानिक प्रभाव।	प्रशासनिक समन्वय एवं सूचना प्रवाह।	प्रशासनिक जवाबदेही एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना।	जनसामान्य को आधिकारिक नीति से अवगत कराना व अफवाह रोकना।	पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?

• **प्रेस कम्युनिके (Press Communiqué)** और **प्रेस नोट (Press Note)** में एक सूक्ष्म प्रशासनिक अंतर होता है: पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in) के मानकों के अनुसार 'प्रेस कम्युनिके' अधिक औपचारिक और महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों (जैसे मंत्रिमंडल के फैसले या कूटनीतिक समझौते) के लिए जारी होता है और समाचार-पत्र इसमें कोई संपादन या काट-छाँट नहीं कर सकते।

• इसके विपरीत, 'प्रेस नोट' या 'प्रेस हैंडआउट' अपेक्षाकृत कम औपचारिक होता है जिसे समाचार-पत्रों के संपादक स्थान की उपलब्धता के अनुसार संक्षिप्त या संपादित कर सकते हैं।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** अधिसूचना में बाईं ओर 'प्रेषक' या 'सेवा में' लिख देना—अधिसूचना किसी एक व्यक्ति को संबोधित पत्र नहीं है, यह राजपत्र में छपने वाली घोषणा है; इसमें नीचे केवल राजकीय मुद्रणालय (Government Press) के अधीक्षक को प्रकाशन हेतु पृष्ठांकन किया जाता है।

• **जाल 2:** अनुस्मारक (Reminder) का कोई अलग नया प्रारूप बना देना—अनुस्मारक हमेशा उसी प्रारूप में लिखा जाता है जिसमें मूल पत्र भेजा गया था (www.iucacademy.com)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ IUC स्मृति ट्रिक: "गजट में अधिसूचना, अखबार में विज्ञप्ति, नीचे जुड़े पृष्ठांकन, याद दिलाए अनुस्मारक!"

• **अधिसूचना** = ऊपर 'राजपत्र में प्रकाशनार्थ' + नीचे 'अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय'।

• **प्रेस विज्ञप्ति** = ऊपर 'समय-रोक (Embargo)' + नीचे 'निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / PIB (pib.gov.in)'।

• **अनुस्मारक** = मूल पत्र का हूबहू रूप + 'अनुस्मारक संख्या-1' + पूर्व पत्र दिनांक का उल्लेख!

मॉड्यूल 5: कार्यालयीन टिप्पण (Noting) एवं प्रारूपण (Drafting) तथा ई-ऑफिस (e-Office) कार्यप्रणाली

सचिवालय प्रशासन में किसी भी पत्रावली (File) के दो भाग होते हैं—**टिप्पण भाग (Note Sheet)** और **पत्राचार भाग (Correspondence Side)**। राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) के अनुसार विचाराधीन पत्र (Paper Under Consideration - PUC) पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को 'टिप्पण' और निर्णय के बाद पत्र का मसौदा बनाने को 'प्रारूपण' (आलेखन) कहते हैं।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): सचिवालय पत्रावती एवं टिप्पण जीवन-चक्र

चरण 1 आवती पंजीकरण एवं पत्रावती प्रस्तुतीकरण (Receipt & Diarising):

- चरण 1.1: डाक की प्राप्ति एवं डायरी पंजी में आवती संख्या (Receipt No.) का अंकन।
- चरण 1.2: पत्रावती के दाईं ओर 'पत्राचार भाग' में विचाराधीन पत्र (PUC) को नत्थी कर पर्ची (Flag) लगाना।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: पत्राचार भाग से बाईं ओर टिप्पण पृष्ठ की ओर)

चरण 2 सहायकीय/अनुभागीय टिप्पण लेखन (Assistant/Section Officer Noting):

- चरण 2.1: बाईं ओर 'टिप्पण पृष्ठ' (Note Sheet) पर क्रम संख्या और PUC के पृष्ठ का संदर्भ लिखना।
- चरण 2.2: मामले के तथ्यों का सारांश, पूर्व दृष्टांत, लागू नियम एवं वित्तीय निहितार्थों का निष्पक्ष विश्लेषण।
- चरण 2.3: निर्णय हेतु स्पष्ट विकल्पों का उल्लेख कर बाईं ओर नीचे सहायक/अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: अनुभागीय टिप्पण से उच्चाधिकारी अनुमोदन की ओर)

चरण 3 उच्चाधिकारी अनुमोदन एवं आदेश (Hierarchical Approval):

- चरण 3.1: अवर सचिव → उप सचिव → संयुक्त सचिव → सचिव/मंत्री के पदानुक्रम में फाइल का संचलन।
- चरण 3.2: प्रस्तावित विकल्प 'क' या 'ख' का अनुमोदन एवं दाईं ओर नीचे राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: प्रशासनिक निर्णय से औपचारिक पत्र मसौदे की ओर)

चरण 4 प्रारूपण, स्वच्छ प्रति एवं निर्गम (Drafting, Fair Copy & Issue):

- चरण 4.1: अनुमोदित निर्णय के आधार पर 'प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत' (DFA) तैयार करना।
- चरण 4.2: अनुमोदन पश्चात स्वच्छ प्रति (Fair Copy) पर हस्ताक्षर, जावक पंजी (Dispatch) में प्रविष्टि एवं प्रेषण।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: कार्यालयीन टिप्पण (Noting) बनाम प्रारूपण/आलेखन (Drafting)

तुलना का आधार	कार्यालयीन टिप्पण (Official Noting)	प्रारूपण / आलेखन (Official Drafting)	आधिकारिक संदर्भ एवं स्रोत
पत्रावती में स्थान	फाइल के बाईं ओर लगी हरी या सफेद 'नोट-शीट' (टिप्पण पृष्ठ) पर लिखा जाता है।	फाइल के दाईं ओर 'पत्राचार भाग' में अनुमोदनार्थ मसौदे (DFA) के रूप में लगाया जाता है।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
प्रमुख उद्देश्य	विचाराधीन मामले के तथ्यों, नियमों, वित्तीय प्रभावों का विश्लेषण कर उच्चाधिकारी को निर्णय लेने में सहायता करना।	उच्चाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को उपयुक्त पत्र-प्रारूप (शासकीय पत्र/ज्ञाप/आदेश) में ढालकर बाहर भेजने योग्य बनाना।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
प्रकृति एवं गोपनीयता	यह पूर्णतः आंतरिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया है जो कार्यालय के भीतर फाइल में ही सुरक्षित रहती है।	यह बाह्य संचार का आधार है, जो स्वच्छ प्रति (Fair Copy) बनने के बाद संबंधित परिग्रहीता को भेजा जाता है।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
हस्ताक्षर का नियम	सहायक/लिपिक व अनुभाग अधिकारी अपने हस्ताक्षर व दिनांक **बाईं ओर नीचे** करते हैं, जबकि उच्चाधिकारी **दाईं ओर** करते हैं।	प्रारूप के अंत में सक्षम हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का पदनाम सदैव **दाईं ओर नीचे** ही रहता है।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
शैली एवं काल	विश्लेषणात्मक, अन्य पुरुष, तथ्यात्मक और विकल्प-सुझावपरक शैली।	आदेशात्मक, सूचनात्मक या अनुरोधपरक मानक प्रशासनिक पत्राचार शैली।	IUC Academy (www.iucacademy.com)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?
• केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका एवं राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) के अनुसार, जब कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी के सभी बिंदुओं और सुझावों से पूर्णतः सहमत होता है, तो उसे पूरी टिप्पणी दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती—वह केवल अपने हस्ताक्षर करता है।
• इसके अतिरिक्त, नेमी या स्पष्ट मामलों में जहाँ निर्णय पूर्व-निर्धारित नियमों के अंतर्गत सीधा हो, वहाँ समय बचाने के लिए प्रारंभिक टिप्पणी के साथ ही **'अनुमोदनार्थ प्रारूप' (DFA)** प्रस्तुत कर दिया जाता है।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
• **जाल 1:** टिप्पण (Noting) में उत्तम पुरुष ('मैं सोचता हूँ कि...') का प्रयोग करना—अनुभागीय टिप्पण सदैव तटस्थ और नियम-आधारित अन्य पुरुष में लिखी जाती है।
• **जाल 2:** सहायक/अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर दाईं ओर कर देना।
• **बचाव:** टिप्पण लेखन के प्रश्न में प्रारंभ करने वाले सहायक/अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर **बाईं ओर** और अनुमोदन करने वाले उच्चाधिकारी के हस्ताक्षर **दाईं ओर** रखें (www.iucacademy.com)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ IUC स्मृति ट्रिक: "टिप्पण का पंच-सूत्र: पु-स-नि-सु-आ (PSNSA)"
• **पु** = पृष्ठभूमि (विचाराधीन पत्र/PUC की पृष्ठ संख्या व संदर्भ)
• **स** = समस्या या विचाराधीन मामले के मुख्य बिंदु का सार
• **नि** = लागू नियम, अधिनियम, वित्तीय प्रावधान व पूर्व दृष्टांत
• **सु** = संभावित समाधान या प्रस्तावित विकल्प ('क' तथा 'ख')
• **आ** = आदेशार्थ या अनुमोदनार्थ उच्चाधिकारी को प्रस्तुति!

मॉड्यूल 6: संक्षेपण (Précis Writing) एवं पल्लवन/भाव-विस्तार (Expansion of Idea) की वैज्ञानिक तकनीक

वर्णनात्मक परीक्षाओं में संक्षेपण (अवतरण को एक-तिहाई शब्दों में समेटना) और पल्लवन (किसी सूक्ति या सूत्र-वाक्य का 150-200 शब्दों में भाव-विस्तार करना) दो विपरीत किंतु पूरक कलाएँ हैं। IUC Academy (www.iucacademy.com) के भाषा-विशेषज्ञ मॉड्यूल के अनुसार इनमें शब्द-सीमा की सटीकता ही सर्वोच्च अंक दिलाती है।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): एक-तिहाई (1/3) संक्षेपण की अचूक प्रक्रिया

चरण 1 त्रि-वाचन एवं केंद्रीय भाव की खोज (Three-Reading & Core Theme):

• चरण 1.1: प्रथम वाचन से सामान्य समझ विकसित करना एवं संभावित शीर्षक की खोज।
• चरण 1.2: द्वितीय वाचन में मुख्य तर्क-वाक्यों को पेंसिल से रेखांकित करना।
• चरण 1.3: तृतीय वाचन में अलंकार, दृष्टांत, उद्धरण एवं अनावश्यक दोहराव को चिह्नित कर हटाना।
• ↓ (प्रवाह संक्रमण: भाव-ग्रहण से गणितीय शब्द-नियोजन की ओर)

चरण 2 शब्द-गणना एवं 1/3 लक्ष्य निर्धारण (Word Count & Target Grid):

• चरण 2.1: मूल गद्यांश के कुल शब्दों की गणना करना (जैसे—300 शब्द)।
• चरण 2.2: कुल शब्दों को 3 से भाग देकर सटीक लक्ष्य तय करना (300 ÷ 3 = 100 शब्द; स्वीकार्य सीमा 95 से 105 शब्द)।
• ↓ (प्रवाह संक्रमण: शब्द-सीमा निर्धारण से स्व-भाषा मसौदे की ओर)

चरण 3 **स्व-भाषा में अन्य पुरुष कच्चा मसौदा (Third-Person Rough Draft):**

- चरण 3.1: मूल गद्यांश के वाक्य ज्यों-के-त्यों न उतारकर अपनी संक्षिप्त भाषा में लिखना।
- चरण 3.2: सदैव अन्य पुरुष (Third Person) और परोक्ष कथन (Indirect Speech) में एक ही अनुच्छेद बनाना।
- चरण 3.3: वाक्यांशों के स्थान पर सामासिक पदों एवं एक-शब्द (One-word Substitution) का प्रयोग करना।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: कच्चे मसौदे से अंतिम स्वच्छ प्रस्तुति की ओर)

चरण 4 **आकर्षक शीर्षक एवं अंतिम शब्द-सत्यापन (Title & Final Word Audit):**

- चरण 4.1: सबसे ऊपर 3 से 5 शब्दों का संक्षिप्त एवं सार्थक केंद्रीय **'शीर्षक'** लिखना।
- चरण 4.2: संक्षेपण की स्वच्छ प्रति लिखना तथा अंत में कोष्ठक में कुल प्रयुक्त शब्द संख्या लिखना।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: संक्षेपण (Précis) बनाम पल्लवन (Expansion) बनाम सारांश (Summary)

तुलना का आधार	संक्षेपण (Précis Writing)	पल्लवन / भाव-विस्तार (Expansion)	सामान्य सारांश (Summary)	मानक संदर्भ
मूल प्रक्रिया	विस्तृत गद्यांश के अनावश्यक विस्तार को हटाकर मूल भाव को 1/3 शब्दों में गूँथना (गागर में सागर)।	किसी संक्षिप्त सूक्ति, लोकोक्ति या सूत्र-वाक्य के गूढ़ अर्थ को खोलकर विस्तृत करना (बीज से वृक्ष)।	किसी रचना या पाठ के मुख्य बिंदुओं का बिना कठोर शब्द-सीमा के संक्षिप्त विवरण देना।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
शब्द-सीमा का नियम	कठोरतः मूल अवतरण का **एक-तिहाई (1/3)** (±5 शब्दों की छूट)।	सामान्यतः **150 से 200 शब्द** (या प्रश्नपत्र में निर्दिष्ट शब्द-सीमा)।	कोई कठोर गणितीय अनुपात नहीं; यह मूल का आधा या चौथाई भी हो सकता है।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
उदाहरण एवं अलंकार	सभी उपमाओं, दृष्टांतों, उद्धरणों और आंकड़ों को पूर्णतः हटा दिया जाता है।	भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक उदाहरण, दृष्टांत और तार्किक प्रमाण जोड़े जाते हैं।	प्रमुख तथ्यों और घटनाओं को संक्षेप में रखा जा सकता है।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
बाह्य विचारों का प्रवेश	अपनी ओर से कोई भी नया विचार, आलोचना या टिप्पणी जोड़ना पूर्णतः वर्जित है।	मूल सूक्ति की परिधि में रहते हुए दार्शनिक व व्यावहारिक विश्लेषण किया जाता है (किंतु मूल कथन का खंडन वर्जित है)।	पाठ के मूल निष्कर्षों तक सीमित रहता है।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
शीर्षक की अनिवार्यता	संक्षेपण के ऊपर एक संक्षिप्त व सार्थक **शीर्षक** लिखना अनिवार्य होता है (इसके अलग अंक होते हैं)।	इसमें मूल सूक्ति ही शीर्षक होती है, अलग से शीर्षक बनाने की आवश्यकता नहीं होती।	केवल तभी जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा गया हो।	IUC Academy (www.iucacademy.com)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?

- संक्षेपण में समस्त पदों और वाक्यांश के लिए एक शब्द (One-word Substitution) का प्रयोग शब्द-संख्या घटाने का सबसे वैज्ञानिक अस्त्र है।
- उदाहरण के लिए, "जो व्यक्ति कानून के विरुद्ध कार्य करता है उसे समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता" (13 शब्द) के स्थान पर "विधि-विरुद्ध आचरण असामाजिक है" (4 शब्द) लिखने से भाव भी 100% सुरक्षित रहता है और 9 शब्दों की सीधी बचत होती है (www.iucacademy.com)।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

- **जाल 1:** मूल गद्यांश के पहले, बीच के और आखिरी वाक्य को काट-छाँट कर ज्यों-का-त्यों जोड़ देना (Patchwork Précis)—परीक्षक इसे तुरंत पकड़ लेते हैं और आधे से अधिक अंक काट लेते हैं।
- **जाल 2:** पल्लवन करते समय दी गई सूक्ति की आलोचना करने लगना—पल्लवन में सूक्ति को हमेशा सत्य मानकर उसका समर्थन व विस्तार करना होता है, उसके विपक्ष में तर्क नहीं दिए जाते (www.iucacademy.com)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ **IUC स्मृति ट्रिक: "संक्षेपण के 5 त्याज्य (5 D's to Delete)"**

- **1. दृष्टांत व कहानियाँ हटाएँ, 2. दोहराव व पर्यायवाची शब्द हटाएँ, 3. प्रत्यक्ष संवाद (इनवर्टेड कॉमा) हटाएँ, 4. अलंकार व मुहावरे हटाएँ, 5. अपनी व्यक्तिगत राय हटाएँ।**
- **पल्लवन का 3-पैरा सूत्र:** पैरा 1 = सूक्ति का मूल अर्थ → पैरा 2 = जीवन/इतिहास से 2 उदाहरण → पैरा 3 = आज के युग में प्रासंगिकता!

मॉड्यूल 7: प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली, वाक्यांश तथा राजभाषा संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 343–351)

समीक्षा अधिकारी (RO/ARO), पीसीएस, राजभाषा अधिकारी एवं अनुवादक परीक्षाओं में अंग्रेजी-हिंदी प्रशासनिक शब्दावली तथा राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों से सीधे 20–30 अंकों के प्रश्न आते हैं। इनका एकमात्र प्रामाणिक मानक राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) है।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): राजभाषा का संवैधानिक एवं वैधानिक ढाँचा

चरण 1 संवैधानिक आधार — भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तथा आठवीं अनुसूची:

- चरण 1.1: 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया जाना।
- चरण 1.2: अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप।
- चरण 1.3: आठवीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएँ एवं तीन संशोधनों (21वें, 71वें, 92वें) के बाद वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: संवैधानिक उपबंध से आयोग एवं संसदीय समिति की ओर)

चरण 2 आयोग एवं संसदीय समिति — अनुच्छेद 344:

- चरण 2.1: 7 जून 1955 को श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन।
- चरण 2.2: 30-सदस्यीय संसदीय राजभाषा समिति (20 लोकसभा + 10 राज्यसभा सदस्य) द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: संसदीय समीक्षा से वैधानिक अधिनियम की ओर)

चरण 3 वैधानिक तंत्र — राजभाषा अधिनियम 1963 (संशोधित 1967) एवं संकल्प 1968:

- चरण 3.1: संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का उपबंध।
- चरण 3.2: धारा 3(3) के अंतर्गत 14 प्रकार के सरकारी प्रलेख अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी + अंग्रेजी) जारी करने की बाध्यता।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: अधिनियम से क्षेत्रीय कार्यान्वयन नियमों की ओर)

चरण 4 कार्यान्वयन नियम — राजभाषा नियम 1976 (क, ख, ग क्षेत्र वर्गीकरण):

- चरण 4.1: तमिलनाडु को छोड़कर संपूर्ण भारत के केंद्रीय कार्यालयों पर लागू।
- चरण 4.2: राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को क्षेत्र 'क', क्षेत्र 'ख' और क्षेत्र 'ग' में विभाजित कर पत्राचार लक्ष्यों का निर्धारण।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत क्षेत्र 'क', 'ख' एवं 'ग' का वर्गीकरण तथा भ्रामक प्रशासनिक शब्दावली

श्रेणी / प्रशासनिक पद	क्षेत्र 'क' / मानक हिंदी अर्थ	क्षेत्र 'ख' / मिलते-जुलते पद से अंतर	क्षेत्र 'ग' / कार्यालयीन प्रयोग संदर्भ	आधिकारिक स्रोत
राजभाषा क्षेत्रीय वर्गीकरण (नियम 1976)	**क्षेत्र 'क':** उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा दिल्ली व अंडमान-निकोबार।	**क्षेत्र 'ख':** पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा चंडीगढ़, दमन-दीव एवं दादरा-नगर हवेली।	**क्षेत्र 'ग':** उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों में शामिल न होने वाले सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश (दक्षिण व पूर्वोत्तर राज्य आदि)।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
Abatement बनाम Abandonment	**Abatement** = उपशमन / कमी (ध्वनि या कर आदि में कमी)।	**Abandonment** = परित्याग (अधिकार या संपत्ति को छोड़ देना)।	विधिक एवं राजस्व पत्राचार में सूक्ष्म अंतर अनिवार्य।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
Adjournment बनाम Prorogation	**Adjournment** = स्थगन (बैठक को कुछ घंटों/दिनों के लिए रोकना)।	**Prorogation** = सत्रावसान (संसद/विधानमंडल के पूरे सत्र की समाप्ति)।	संसदीय कार्य प्रणाली एवं विधायी पत्राचार।	पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)
Deputation बनाम Delegation	**Deputation** = प्रतिनियुक्ति (अन्य विभाग में अस्थायी सेवा)।	**Delegation** = प्रत्यायोजन (शक्तियों का हस्तांतरण) / प्रतिनिधिमंडल।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के आदेश।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
Ex-officio बनाम Ad-hoc	**Ex-officio** = पदेन (किसी पद पर होने के कारण स्वतः प्राप्त पद)।	**Ad-hoc** = तदर्थ (किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी व्यवस्था)।	नियुक्ति अधिसूचना एवं समिति गठन आदेश।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
Honorarium बनाम Emoluments	**Honorarium** = मानदेय (विशेष कार्य हेतु सम्मानजनक पारिश्रमिक)।	**Emoluments** = परिलब्धियाँ (वेतन, भत्ते व कुल वित्तीय लाभ)।	वित्त मंत्रालय एवं लेखा-परीक्षा पत्राचार।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?

• राजभाषा अधिनियम, 1963 की **धारा 3(3)** के अंतर्गत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों के लिए **14 प्रकार के दस्तावेज** (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात, संविदाएँ, करार, अनुज्ञप्तियाँ, परमिट, निविदा-सूचनाएँ और निविदा-प्रारूप) अनिवार्य रूप से **द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में)** जारी करना कानूनन बाध्यकारी है (राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in))।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह' को भौगोलिक दूरी के कारण क्षेत्र 'ग' में मान लेना—जबकि राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) के राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह **क्षेत्र 'क'** में आता है!

• **जाल 2:** राजभाषा नियम, 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते? याद रखें—राजभाषा नियम, 1976 का विस्तार **तमिलनाडु राज्य के सिवाय** संपूर्ण भारत पर है।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ IUC स्मृति ट्रिक: "अनुच्छेद 343 से 351 की 9-सीढ़ी माला"

• **343** = संघ की राजभाषा (हिंदी + देवनागरी), **344** = आयोग व संसदीय समिति, **345** = राज्य की राजभाषा, **346** = राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा

• **347** = जनसंख्या के किसी अनुभाग की भाषा, **348** = सर्वोच्च/उच्च न्यायालय व अधिनियमों की भाषा, **349** = भाषा संबंधी विधियों की विशेष प्रक्रिया

• **350** = व्यथा निवारण व प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा (350A) व भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी (350B), **351** = हिंदी के विकास के लिए निदेश!

मॉड्यूल 8: प्रतिवेदन लेखन (Report Writing), पक्ष-विपक्ष तर्क लेखन (Counter-Argument) एवं गद्यांश बोधगम्यता (CAPF AC व PCS मानक)

संघ लोक सेवा आयोग की CAPF (सहायक कमांडेंट) परीक्षा और राज्य पीसीएस मुख्य परीक्षाओं में प्रतिवेदन लेखन (Report Writing - 200 शब्द) और तर्क-वितर्क लेखन (Argument For & Against - 300 शब्द) अत्यंत स्कोरिंग खंड हैं। इनमें निष्पक्षता और साक्ष्य-आधारित संरचना आवश्यक है (www.iucacademy.com)।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): मानक प्रतिवेदन (Report) एवं तर्क-वितर्क संरचना

चरण 1 प्रतिवेदन शीर्षक, स्थान, दिनांक एवं संवाददाता/समिति पहचान:

- चरण 1.1: पृष्ठ के मध्य में घटना को स्पष्ट करने वाला संक्षिप्त एवं तथ्यात्मक शीर्षक।
- चरण 1.2: बाईं ओर स्थान, दिनांक तथा **'विशेष संवाददाता द्वारा'** या **'जाँच समिति प्रतिवेदन'** का उल्लेख।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: शीर्षक से प्रथम लीड पैराग्राफ की ओर)

चरण 2 प्रथम अनुच्छेद — घटना का सार (The 5W1H Lead Paragraph):

- चरण 2.1: क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ और प्राथमिक प्रभाव क्या रहा—इसका 40 शब्दों में सार।
- चरण 2.2: पूर्णतः भूतकाल (Past Tense) एवं अन्य पुरुष (Third Person) की वस्तुनिष्ठ शैली का प्रयोग।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: घटना के सार से विस्तृत कारणों एवं साक्ष्यों की ओर)

चरण 3 द्वितीय अनुच्छेद — कारण, आँकड़े एवं प्रत्यक्षदर्शी/प्रशासनिक पक्ष:

- चरण 3.1: घटना या समस्या के मूल कारण तथा **पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)** या **नीति आयोग (niti.gov.in)** के संदर्भित आँकड़े।
- चरण 3.2: प्रशासनिक राहत कार्यवाही, जाँच आदेश एवं विशेषज्ञ/प्रत्यक्षदर्शी विवरण।
- ↓ (प्रवाह संक्रमण: विवरण से वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के उपायों की ओर)

चरण 4 तृतीय अनुच्छेद — वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के निवारक सुझाव:

- चरण 4.1: वर्तमान जाँच या पुनर्वास की स्थिति का उल्लेख।
- चरण 4.2: दीर्घकालिक नीतिगत सुधार एवं पुनरावृत्ति रोकने हेतु ठोस संस्थागत उपाय।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: प्रतिवेदन लेखन बनाम निबंध लेखन बनाम तर्क-वितर्क (Counter-Argument) लेखन

तुलना का आधार	प्रतिवेदन लेखन (Report Writing)	तर्क-वितर्क लेखन (For & Against Argument)	निबंध लेखन (Essay Writing)	मानक संदर्भ
प्रमुख उद्देश्य	किसी घटित घटना, कार्यक्रम या समस्या का पूर्णतः वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना।	किसी विवादास्पद कथन के 'पक्ष में' (For) और 'विपक्ष में' (Against) समान रूप से प्रबल तार्किक प्रमाण देना।	किसी विषय पर व्यापक वैचारिक, दार्शनिक एवं विश्लेषणात्मक विमर्श प्रस्तुत करना।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
लेखन का काल व शैली	मुख्यतः भूतकाल (Past Tense) व अन्य पुरुष; समाचार-पत्र या प्रशासनिक जाँच रिपोर्ट की शैली।	वर्तमान काल व तार्किक-विश्लेषणात्मक बिंदुवार शैली (पक्ष और विपक्ष के अलग-अलग खंड)।	प्रवाहमय गद्य शैली; तीनों कालों का समन्वय और साहित्यिक-वैचारिक गरिमा।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
व्यक्तिगत मत का स्थान	लेखक का व्यक्तिगत भावुक मत पूर्णतः वर्जित; केवल तथ्य और आधिकारिक बयान ही आते हैं।	लेखक को स्वयं जज नहीं बनना होता, बल्कि दोनों पक्षों का वकील बनकर 5-5 ठोस तर्क देने होते हैं।	संतुलित एवं संवैधानिक मूल्यों से युक्त मौलिक दृष्टिकोण अपेक्षित होता है।	IUC Academy (www.iucacademy.com)

तुलना का आधार	प्रतिवेदन लेखन (Report Writing)	तर्क-वितर्क लेखन (For & Against Argument)	निबंध लेखन (Essay Writing)	मानक संदर्भ
संरचनात्मक प्रारूप	शीर्षक → स्थान व दिनांक → 3 संक्षिप्त अनुच्छेद (घटना, कारण/कार्यवाही, वर्तमान स्थिति)।	भूमिका (2 पंक्ति) → कथन के पक्ष में तर्क (5 बिंदु) → कथन के विपक्ष में तर्क (5 बिंदु) → संतुलित निष्कर्ष।	प्रस्तावना → बहुआयामी मुख्य भाग (6-8 अनुच्छेद) → उपसंहार (बिना किसी उप-शीर्षक के)।	नीति आयोग (niti.gov.in)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?
• CAPF (AC) के तर्क-वितर्क (Counter-Argument) प्रश्न में परीक्षक यह नहीं देखता कि आप किस पक्ष से सहमत हैं, बल्कि यह परखता है कि आप उस पक्ष के लिए भी कितने मजबूत संवैधानिक और तार्किक बिंदु सोच सकते हैं जिससे आप व्यक्तिगत रूप से असहमत हैं।
• एक सशक्त कमांडेंट या प्रशासक के लिए 'बौद्धिक सहानुभूति' (Intellectual Empathy) अर्थात् दोनों पक्षों को निष्पक्षता से समझने की क्षमता अनिवार्य मानी जाती है (www.iucacademy.com)।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
• **जाल 1:** प्रतिवेदन (Report) को निबंध की तरह दार्शनिक उद्धरण या कविता से शुरू करना—इससे प्रतिवेदन की प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है।
• **जाल 2:** तर्क-वितर्क (Counter-Argument) में 'पक्ष' में 8 बिंदु और 'विपक्ष' में केवल 2 कमजोर बिंदु लिखना।
• **बचाव:** प्रतिवेदन में हमेशा ऊपर **स्थान और दिनांक** लिखें, और तर्क-वितर्क में पक्ष व विपक्ष दोनों में बराबर (5-5) ठोस बिंदु लिखें।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ **IUC स्मृति ट्रिक: "प्रतिवेदन का उल्टा पिरामिड (Inverted Pyramid)"**
• **सबसे चौड़ा ऊपरी भाग (पैरा 1):** सबसे महत्वपूर्ण सूचना (क्या, कब, कहाँ, कितना प्रभाव)।
• **मध्य भाग (पैरा 2):** घटना का विवरण, कारण, सरकारी राहत व PIB (pib.gov.in) के आँकड़े।
• **निचला नुकीला भाग (पैरा 3):** जाँच समिति, भविष्य की रोकथाम व निष्कर्ष!

मॉड्यूल 9: मानक हिंदी वर्तनी, वाक्य-शुद्धि, विराम-चिह्न एवं मुहावरे-लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग

वर्णनात्मक परीक्षा में अशुद्ध वर्तनी और त्रुटिपूर्ण वाक्य-रचना परीक्षक पर प्रथम नकारात्मक प्रभाव डालती है। राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के मानकीकरण नियमों का पालन करके प्रत्येक अभ्यर्थी 10 से 15 अतिरिक्त अंक सुरक्षित कर सकता है।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): वाक्य एवं वर्तनी शुद्धीकरण की चार-चरणीय जाँच

चरण 1 वर्ण एवं मात्रा-स्तरीय वर्तनी शोधन (Orthographic Check):

• चरण 1.1: शिरोरेखा, अनुस्वार बनाम चंद्रबिंदु तथा 'इ/ई' एवं 'उ/ऊ' की मात्राओं की जाँच।
• चरण 1.2: 'ष/श/स' के प्रयोग तथा संयुक्ताक्षरों (यथा—उज्ज्वल, संन्यासी, अंत्याक्षरी) की मानक वर्तनी जाँच।
• ↓ (प्रवाह संक्रमण: शब्द-शुद्धि से वाक्य के पदक्रम एवं अन्वय की ओर)

चरण 2 पदक्रम एवं अन्वय शोधन (Syntax & Concord Check):

• चरण 2.1: हिंदी वाक्य संरचना के मानक क्रम (कर्ता + कर्म + पूरक + क्रिया) का सत्यापन।
• चरण 2.2: लिंग, वचन, पुरुष और कारक विभक्तियों के अनुसार क्रिया और विशेषण का सही मेल।

• ↓ (प्रवाह संक्रमण: व्याकरणिक अन्वय से पुनरुक्ति उन्मूलन की ओर)

चरण 3 पुनरुक्ति एवं अनावश्यक निपात उन्मूलन (Redundancy Removal):

• चरण 3.1: 'केवल मात्र', 'सज्जन पुरुष', 'दरअसल में', 'वापस लौटना', 'गुप्त रहस्य' जैसे दोहरे शब्दों को हटाना।

• ↓ (प्रवाह संक्रमण: पुनरुक्ति शोधन से विराम-चिह्न एवं मुहावरा विन्यास की ओर)

चरण 4 विराम-चिह्न एवं मुहावरा विन्यास (Punctuation & Idiomatic Polish):

• चरण 4.1: अल्पविराम (,), अर्द्धविराम (;), योजक चिह्न (-), उद्धरण चिह्न (" ") और पूर्णविराम (।) का सटीक प्रयोग।

• चरण 4.2: निबंध व पल्लवन में प्रसंगानुकूल मुहावरों तथा लोकोक्तियों से भाषा को प्रवाहपूर्ण बनाना।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछी जाने वाली वर्तनी एवं वाक्य-शुद्धि तथा लोकोक्ति बनाम मुहावरा

श्रेणी / नियम का आधार	सामान्य अशुद्ध रूप (परीक्षा में वर्जित)	मानक शुद्ध रूप (परीक्षा में मान्य)	व्याकरणिक कारण एवं नियम	आधिकारिक संदर्भ
प्रत्यय जनित वर्तनी	प्रमाणिक, तात्कालिक, राजनैतिक, व्यवहारिक	**प्रामाणिक, तात्कालिक, राजनीतिक, व्यावहारिक**	'इक' प्रत्यय जुड़ने पर प्रथम स्वर का दीर्करण ('अ' का 'आ') होता है (अपवाद: राजनीति + इक = राजनीतिक)।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
अति-महत्वपूर्ण मानक शब्द	उज्वल, कवियित्री, अनुग्रहीत, हिरण्यकश्यपु, सन्यासी	**उज्ज्वल, कवयित्री, अनुगृहीत, हिरण्यकशिपु, संन्यासी**	संधि एवं मूल धातु रूप के नियम (उत् + ज्वल = उज्ज्वल; सम् + न्यासी = संन्यासी)।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
पुनरुक्ति दोष निवारण	कृपया करके मेरा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।	**कृपया मेरा अवकाश स्वीकृत करें।**	एक ही वाक्य में 'कृपया' और 'कृपा करें' दोनों का प्रयोग पुनरुक्ति दोष है।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
कारक एवं अन्वय शुद्धि	अपराधी को मृत्युदंड की सजा मिली। / अनेकों लोग आए।	**अपराधी को मृत्युदंड मिला। / अनेक लोग आए।**	'दंड' और 'सजा' एकार्थक हैं; 'अनेक' स्वयं बहुवचन है अत: 'अनेकों' अशुद्ध है।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
मुहावरा बनाम लोकोक्ति	**मुहावरा:** वाक्यांश होता है (अंत में प्राय: 'ना' आता है, जैसे—'नौ दो ग्यारह होना') और वाक्य के अनुसार बदल जाता है।	**लोकोक्ति (कहावत):** पूर्ण स्वतंत्र वाक्य होती है (जैसे—'अधजल गगरी छलकत जाय') और इसका रूप कभी नहीं बदलता।	मुहावरा वाक्य का अंग बनता है, जबकि लोकोक्ति किसी कथन की पुष्टि में स्वतंत्र रूप से उद्धृत होती है।	IUC Academy (www.iucacademy.com)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?

• केंद्रीय हिंदी निदेशालय और राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in) के मानक देवनागरी वर्तनी नियमों के अनुसार, 'य' और 'व' से समाप्त होने वाले शब्दों के भूतकालिक या बहुवचन रूपों में अब स्वर-विकल्पों (गये, हुये, किये) के स्थान पर **मूल स्वरों ('गए', 'नई', 'हुए', 'किए')** के प्रयोग को ही मानक घोषित किया गया है।

• संज्ञा शब्दों से कारक चिह्न (विभक्ति) अलग लिखे जाते हैं (जैसे—राम ने, सरकार को), किंतु सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं (जैसे—उसने, हमको)।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** सर्वनाम के साथ दो कारक चिह्न आने पर दोनों को मिलाकर लिख देना (जैसे—उसकेलिए)—नियम यह है कि जब सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिह्न हों, तो पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाता है (जैसे—**उसके लिए, इसमें से**)।

• **जाल 2:** शासकीय पत्र में मुहावरों या व्यंग्यात्मक लोकोक्तियों का प्रयोग करना—याद रखें, निबंध में मुहावरे भाषा को सशक्त बनाते हैं, किंतु **शासकीय पत्राचार में मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग पूर्णत: वर्जित है** (www.iucacademy.com)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ **IUC स्मृति ट्रिक: "पंच-रत्न वर्तनी कवच"**
• 1. **उज्ज्वल** (दोनों 'ज' आधे), 2. **कवयित्री** ('व' पर मात्रा नहीं), 3. **आशीर्वाद** ('वा' के ऊपर रेफ), 4. **अंत्याक्षरी** (आधा न + आधा त), 5. **ज्योत्स्ना** (आधा त + आधा स)
• 6. **अनुगृहीत** ('गृ' में ऋ की मात्रा), 7. **अंतर्राष्ट्रीय**, 8. **वाल्मीकि** ('मी' बड़ी, 'कि' छोटी), 9. **श्रीमती** ('ती' बड़ी), 10. **उपर्युक्त** (उपरोक्त अशुद्ध है)!

मॉड्यूल 10: बैंकिंग, बीमा, नाबार्ड एवं नियामक निकाय वर्णनात्मक परीक्षा रणनीति (कीबोर्ड टाइपिंग एवं समय-प्रबंधन)

IBPS PO, SBI PO, RBI ग्रेड-बी और NABARD की मुख्य परीक्षाओं में वर्णनात्मक प्रश्नपत्र (Descriptive Paper) कंप्यूटर कीबोर्ड पर निर्धारित समय (30 मिनट में निबंध + पत्र) में टाइप करना होता है। यहाँ विचार-क्षमता के साथ-साथ सटीक फॉर्मेटिंग और समय-विभाजन निर्णायक होता है (www.iucacademy.com)।

1. चार-नोड प्रवाह आरेख (4-Node Flow Diagram): 30-मिनट डिजिटल वर्णनात्मक परीक्षा विजय-चक्र

चरण 1 **प्रथम 3 मिनट — विषय चयन एवं कीवर्ड मैपिंग:**

• चरण 1.1: निबंध के 3 विकल्पों में से उस विषय का चयन करना जिस पर आपके पास **केंद्रीय बजट (indiabudget.gov.in)** या RBI के कम-से-कम 4 ठोस आँकड़े हों।
• चरण 1.2: स्क्रीन पर ही 4 मुख्य कीवर्ड टाइप कर पैराग्राफ ढाँचा बनाना।
• ↓ (प्रवाह संक्रमण: विषय चयन से संरचित निबंध टाइपिंग की ओर)

चरण 2 **अगले 15 मिनट — 250 शब्दों का संरचित निबंध टाइपिंग:**

• चरण 2.1: पैरा 1: परिभाषा, पृष्ठभूमि व ताजा संदर्भ (40–50 शब्द)।
• चरण 2.2: पैरा 2: सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक लाभ व सरकारी पहल (80–90 शब्द)।
• चरण 2.3: पैरा 3 एवं 4: प्रमुख चुनौतियाँ, समाधान व भविष्योन्मुखी निष्कर्ष (100–110 शब्द)।
• ↓ (प्रवाह संक्रमण: निबंध पूर्णता से औपचारिक पत्र टाइपिंग की ओर)

चरण 3 **अगले 9 मिनट — 150 शब्दों का औपचारिक/अनौपचारिक पत्र:**

• चरण 3.1: बाईं ओर संरेखित (Left-Aligned) ब्लॉक फॉर्मेट में प्रेषक पता, दिनांक एवं प्राप्तकर्ता का पदनाम व पता।
• चरण 3.2: संक्षिप्त विषय पंक्ति, औपचारिक संबोधन तथा 3 छोटे अनुच्छेदों में समस्या व समाधान अनुरोध।
• ↓ (प्रवाह संक्रमण: पत्र लेखन से अंतिम तकनीकी सत्यापन की ओर)

चरण 4 **अंतिम 3 मिनट — वर्तनी, स्पेसिंग एवं शब्द-सीमा ऑडिट:**

• चरण 4.1: विराम-चिह्न के तुरंत बाद एकल स्पेस (Single Space) की जाँच करना।
• चरण 4.2: टाइपो सुधार तथा स्क्रीन पर दिख रहे Word Counter का निर्धारित शब्द-सीमा से मिलान।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: औपचारिक पत्र (बैंक प्रबंधक/संपादक) बनाम अनौपचारिक पत्र (मित्र/परिजन)

तुलना का आधार	बैंक प्रबंधक को औपचारिक पत्र	समाचार-पत्र के संपादक को पत्र	मित्र/परिजन को अनौपचारिक पत्र	मानक संदर्भ
प्रमुख उद्देश्य	खाता संचालन, ऋण स्वीकृति, साइबर धोखाधड़ी शिकायत या बैंकिंग सेवा सुधार हेतु।	किसी जनसमस्या, वित्तीय साक्षरता या सामाजिक मुद्दे पर जनमत व प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु।	व्यक्तिगत कुशलक्षेम, बधाई, वित्तीय बचत की सलाह या करियर मार्गदर्शन देने हेतु।	IUC Academy (www.iucacademy.com)

तुलना का आधार	बैंक प्रबंधक को औपचारिक पत्र	समाचार-पत्र के संपादक को पत्र	मित्र/परिजन को अनौपचारिक पत्र	मानक संदर्भ
पते का विन्यास	प्रेषक का पता + दिनांक + 'सेवा में, शाखा प्रबंधक, [बैंक का नाम व शाखा]'।	प्रेषक का पता + दिनांक + 'सेवा में, संपादक महोदय, [समाचार-पत्र का नाम व शहर]'।	केवल सबसे ऊपर प्रेषक का पता और दिनांक (प्राप्तकर्ता का औपचारिक पदनाम/पता नहीं लिखा जाता)।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
विषय पंक्ति (Subject Line)	अनिवार्य एवं अत्यंत विशिष्ट (जैसे —शिक्षा ऋण आवेदन संख्या... की स्वीकृति के संबंध में)।	अनिवार्य एवं मुद्दोन्मुखी (जैसे—डिजिटल भुगतान सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता के संबंध में)।	अनौपचारिक पत्र में 'विषय' पंक्ति **कदापि नहीं लिखी जाती**।	IUC Academy (www.iucacademy.com)
संबोधन एवं समापन	'महोदय / महोदया,' तथा समापन में 'भवदीय / विश्वासपात्र ग्राहक'।	'महोदय,' तथा समापन में 'भवदीय / एक जागरूक नागरिक'।	'प्रिय मित्र / पूज्य पिताजी,' तथा समापन में 'तुम्हारा अभिन्न मित्र / आपका आज्ञाकारी'।	राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)
मुख्य समापन वाक्य	"अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे खाते से संबंधित उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की कृपा करें।"	"आशा है कि आप अपने प्रतिष्ठित समाचार-पत्र के स्तंभों में इस जनसमस्या को स्थान देकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे।"	"घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह देना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में।"	IUC Academy (www.iucacademy.com)

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स

क्या आप जानते हैं?
• कंप्यूटर-आधारित वर्णनात्मक परीक्षाओं (जैसे IBPS/SBI PO एवं नियामक निकाय परीक्षाओं) में स्वचालित मूल्यांकन इंजन विराम-चिह्न (कौमा या पूर्णविराम) के ठीक पहले स्पेस देने या विराम-चिह्न के ठीक बाद स्पेस न देने को 'टाइपोग्राफिकल त्रुटि' मान लेता है।
• सही नियम है: **शब्द के तुरंत बाद विराम-चिह्न लगाएँ और उसके बाद ठीक एक स्पेस दें** (www.iucacademy.com)।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
• **जाल 1:** संपादक के नाम पत्र में संपादक से यह कहना कि "आप तुरंत हमारे मोहल्ले की सड़क बनवा दें या बिजली ठीक कर दें"—संपादक स्वयं सड़क नहीं बनाता; संपादक से केवल समाचार-पत्र में समस्या प्रकाशित कर संबंधित विभाग का ध्यान आकृष्ट करने का अनुरोध किया जाता है।
• **जाल 2:** पत्र में अपना वास्तविक नाम, मोबाइल नंबर या शहर लिखना—हमेशा **क.ख.ग. / अ.ब.स.** या **परीक्षा भवन** का ही प्रयोग करें।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक'

★ IUC स्मृति ट्रिक: "3-15-9-3 का स्वर्णिम घड़ी सूत्र"
• **3 मिनट:** रूपरेखा व कीवर्ड चयन।
• **15 मिनट:** निबंध लेखन (4 पैराग्राफ)।
• **9 मिनट:** पत्र लेखन (ब्लॉक फॉर्मेट, 3 पैराग्राफ)।
• **3 मिनट:** प्रूफरीडिंग, स्पेलिंग और स्पेसिंग जाँच!

1. भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ एवं राज्यों की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं (राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in))।

2. संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'राष्ट्रीय हिंदी दिवस' मनाया जाता है।

3. प्रतिवर्ष 10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था (पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in))।

4. अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है।

5. अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को श्री बाल गंगाधर खेर (बी.जी. खेर) की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था।

6. संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

7. प्रथम संसदीय राजभाषा समिति का गठन वर्ष 1957 में तत्कालीन गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था।

8. राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को अधिनियमित हुआ और इसमें वर्ष 1967 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

9. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना और प्रेस विज्ञप्ति सहित 14 प्रकार के प्रलेखों का द्विभाषी जारी होना अनिवार्य है।

10. राजभाषा नियम, 1976 का विस्तार तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है।

11. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 2(च), 2(छ) और 2(ज) के तहत देश के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को क्रमशः 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में बाँटा गया है (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

12. राजभाषा नियम, 1976 का नियम 5 यह निर्धारित करता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएंगे।

13. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत जिन केंद्रीय कार्यालयों के 80% या अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

14. गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में 'राजभाषा विभाग' की स्थापना जून 1975 में की गई थी (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

15. केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो राजभाषा नीति के संबंध में सर्वोच्च नीति-निर्धारक निकाय है।

16. मूल संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं; वर्तमान में तीन संशोधनों (21वें, 71वें और 92वें) के पश्चात इसमें कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं।

17. 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा 'सिंधी' भाषा को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया।

18. 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ('नमक' सूत्र) को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

19. 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (BDMS) को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया (**पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)**)।

20. अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी।

21. अनुच्छेद 350क (350A) के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का निर्देश है।

22. अनुच्छेद 351 संघ को यह कर्तव्य सौंपता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

23. शासकीय पत्र (Official Letter) सदैव अन्य पुरुष, औपचारिक एवं तटस्थ शैली में लिखा जाता है तथा इसका प्रारंभ प्रायः "मुझे यह कहने का निदेश हुआ है" से होता है।

24. शासकीय पत्र में ऊपर बाईं ओर 'प्रेषक' तथा उसके नीचे 'सेवा में' लिखा जाता है, जबकि नीचे दाईं ओर 'भवदीय' और हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम लिखा जाता है (**www.iucacademy.com**)।

25. अर्द्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official Letter) उत्तम पुरुष ('मैं') में मित्रवत एवं आत्मीय शैली में समकक्ष अधिकारियों के मध्य व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करने हेतु लिखा जाता है।

26. अर्द्ध-शासकीय पत्र में प्राप्तकर्ता (परिग्रहीता) का नाम, पदनाम और पूरा पता पत्र के अंत में बाईं ओर नीचे कोने में लिखा जाता है।

27. अर्द्ध-शासकीय पत्र में संबोधन ('प्रिय श्री...') के नीचे कोई विषय नहीं लिखा जाता और अंत में हस्ताक्षर के नीचे प्रेषक का पदनाम नहीं लिखा जाता (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

28. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी पत्राचार के लिए 'कार्यालय ज्ञाप' (Office Memorandum) का प्रयोग किया जाता है।

29. कार्यालय ज्ञाप में न तो 'महोदय' जैसा संबोधन होता है और न ही 'भवदीय' जैसा स्वनिर्देश; इसमें प्राप्तकर्ता का उल्लेख नीचे बाईं ओर किया जाता है।

30. कार्यालय आदेश (Office Order) किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन (जैसे नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्थानांतरण या कार्य-विभाजन) के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

31. जब कोई एक ही सरकारी आदेश, सूचना या नीतिगत निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों, विभागों या अधिकारियों को भेजा जाता है, तो उसे 'परिपत्र' (Circular) कहते हैं (**www.iucacademy.com**)।

32. राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित होने वाले वैधानिक नियमों, अधिनियमों, नियुक्तियों या अधिकार-प्रत्यायोजन के आदेश को 'अधिसूचना' (Notification) कहते हैं।

33. अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष में लिखी जाती है और इसके अंत में बाईं ओर राजकीय मुद्रणालय (Government Press) के अधीक्षक को राजपत्र में प्रकाशनार्थ पृष्ठांकन किया जाता है।

34. किसी मूल पत्र की प्रतिलिपि को अन्य संबंधित अधिकारियों या विभागों को सूचना अथवा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजने की प्रक्रिया को 'पृष्ठांकन' (Endorsement) कहते हैं।

35. पूर्व में भेजे गए किसी पत्र का समय पर उत्तर न मिलने पर मामले की याद दिलाते हुए जो पत्र भेजा जाता है, उसे 'अनुस्मारक' (Reminder) या 'स्मरण-पत्र' कहते हैं।

36. अनुस्मारक का प्रारूप सदैव मूल पत्र के प्रारूप के समान ही होता है, केवल ऊपर 'अनुस्मारक-1 / अनुस्मारक-2' लिखा जाता है (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

37. सरकार के किसी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय की जानकारी आम जनता तक समाचार-पत्रों और मीडिया के माध्यम से पहुँचाने हेतु 'प्रेस विज्ञप्ति' (Press Communiqué / Release) जारी की जाती है (**पत्र सूचना कार्यालय (pib.gov.in)**)।

38. प्रेस विज्ञप्ति में ऊपर 'समय-रोक' (Embargo) का उल्लेख हो सकता है, जिसका अर्थ है कि निर्धारित तिथि व समय से पूर्व उसे प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए।

39. कार्यालय में विचाराधीन पत्र (PUC) पर निर्णय लेने के लिए पत्रावली के बाएँ भाग (नोट-शीट) पर सहायक से लेकर उच्चाधिकारी तक द्वारा लिखे जाने वाले विचारों व नियमों के उल्लेख को 'टिप्पण' (Noting) कहते हैं।

40. टिप्पण में लिपिक, सहायक एवं अनुभाग अधिकारी अपने हस्ताक्षर बाईं ओर नीचे करते हैं, जबकि अवर सचिव एवं उससे ऊपर के सभी राजपत्रित अधिकारी दाईं ओर नीचे हस्ताक्षर करते हैं (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

41. उच्चाधिकारी द्वारा टिप्पण पर निर्णय या अनुमोदन दे दिए जाने के बाद उस निर्णय को पत्र के रूप में तैयार करने की क्रिया को 'प्रारूपण' या 'आलेखन' (Drafting) कहते हैं।

42. संक्षेपण (Précis Writing) में मूल गद्यांश के कुल शब्दों के ठीक एक-तिहाई (1/3) शब्दों में केंद्रीय भाव को अपनी भाषा और अन्य पुरुष में प्रस्तुत किया जाता है (**www.iucacademy.com**)।

43. संक्षेपण में उदाहरण, दृष्टांत, मुहावरे, अलंकार, प्रत्यक्ष संवाद और दोहराव को पूर्णतः हटा दिया जाता है तथा एक संक्षिप्त व सार्थक शीर्षक दिया जाता है।

44. संक्षेपण केवल एक ही सुगठित अनुच्छेद (Single Paragraph) में लिखा जाना चाहिए और अंत में कोष्ठक में कुल प्रयुक्त शब्द-संख्या लिखनी चाहिए।

45. किसी गूढ़ सूक्ति, लोकोक्ति या विचार-सूत्र के निहित भाव को उदाहरणों व तर्कों की सहायता से 150-200 शब्दों में खोलकर स्पष्ट करने को 'पल्लवन' या 'भाव-विस्तार' (Expansion) कहते हैं।

46. पल्लवन में मूल सूक्ति के विचार का कभी भी खंडन या विरोध नहीं किया जाता, बल्कि सदैव उसके समर्थन में ही विस्तार किया जाता है (**www.iucacademy.com**)।

47. निबंध (Essay) शब्द 'नि + बंध' से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है—विचारों को भली-भाँति सुसंगठित और क्रमबद्ध रूप से बाँधना।

48. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है—"यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है।"

49. एक आदर्श निबंध के तीन प्रमुख अंग होते हैं—प्रस्तावना (भूमिका), मुख्य कलेवर (विस्तार) और उपसंहार (निष्कर्ष), जिनमें क्रमशः लगभग 10-15%, 70-80% और 10-15% शब्द-अनुपात रहता है।

50. निबंध के चार प्रमुख प्रकार माने जाते हैं—वर्णनात्मक (Descriptive), विवरणात्मक (Narrative), विचारात्मक (Analytical) और भावात्मक या दार्शनिक (Reflective/Philosophical)।

51. प्रशासनिक शब्दावली में 'Acknowledge' का मानक हिंदी पर्याय 'पावती देना / अभिस्वीकृति' है (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

52. प्रशासनिक शब्दावली में 'Agenda' का मानक हिंदी पर्याय 'कार्यसूची' और 'Minutes' का पर्याय 'कार्यवृत्त' है।

53. प्रशासनिक शब्दावली में 'Autonomous Body' का मानक हिंदी पर्याय 'स्वायत्त निकाय' है।

54. प्रशासनिक शब्दावली में 'Bona fide' का मानक हिंदी पर्याय 'सद्भावी / वास्तविक' और 'Mala fide' का पर्याय 'दुर्भावनापूर्ण / असद्भावी' है।

55. प्रशासनिक शब्दावली में 'Cadre' का मानक हिंदी पर्याय 'संवर्ग' और 'Probation' का पर्याय 'परिवीक्षा' है (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

56. प्रशासनिक शब्दावली में 'Competent Authority' का मानक हिंदी पर्याय 'सक्षम प्राधिकारी' है।

57. प्रशासनिक शब्दावली में 'Contingency Fund' का मानक हिंदी पर्याय 'आकस्मिकता निधि' और 'Consolidated Fund' का पर्याय 'संचित निधि' है (**केंद्रीय बजट (indiabudget.gov.in)**)।

58. प्रशासनिक शब्दावली में 'Disciplinary Action' का मानक हिंदी पर्याय 'अनुशासनिक कार्यवाही' है।

59. प्रशासनिक शब्दावली में 'Discretionary Power' का मानक हिंदी पर्याय 'विवेकाधिकार' है।

60. प्रशासनिक शब्दावली में 'Ex-post facto sanction' का मानक हिंदी पर्याय 'कार्येतर स्वीकृति' है (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

61. प्रशासनिक शब्दावली में 'Gazetted Officer' का मानक हिंदी पर्याय 'राजपत्रित अधिकारी' और 'Gazette' का पर्याय 'राजपत्र' है।

62. प्रशासनिक शब्दावली में 'Grant-in-aid' का मानक हिंदी पर्याय 'सहायता अनुदान' है।

63. प्रशासनिक शब्दावली में 'In supersession of' का मानक हिंदी पर्याय 'का अधिक्रमण करते हुए' है।

64. प्रशासनिक शब्दावली में 'Jurisdiction' का मानक हिंदी पर्याय 'अधिकार-क्षेत्र / अधिकारिता' है।

65. प्रशासनिक शब्दावली में 'Lien' का मानक हिंदी पर्याय 'पुनर्ग्रहणाधिकार / धारणाधिकार' है (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

66. प्रशासनिक शब्दावली में 'Mutatis Mutandis' का मानक हिंदी पर्याय 'यथावश्यक परिवर्तन सहित' है।

67. प्रशासनिक शब्दावली में 'Ordinance' का मानक हिंदी पर्याय 'अध्यादेश' है।

68. प्रशासनिक शब्दावली में 'Prima facie' का मानक हिंदी पर्याय 'प्रथम दृष्ट्या' है।

69. प्रशासनिक शब्दावली में 'Quorum' का मानक हिंदी पर्याय 'गणपूर्ति' है (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

70. प्रशासनिक शब्दावली में 'Reimbursement' का मानक हिंदी पर्याय 'प्रतिपूर्ति' है।

71. प्रशासनिक शब्दावली में 'Sine die' का मानक हिंदी पर्याय 'अनिश्चित काल के लिए' है।

72. प्रशासनिक शब्दावली में 'Status quo' का मानक हिंदी पर्याय 'यथास्थिति' है।

73. प्रशासनिक शब्दावली में 'Sub-judice' का मानक हिंदी पर्याय 'न्यायाधीन' है।

74. प्रशासनिक शब्दावली में 'Suo motu' का मानक हिंदी पर्याय 'स्वप्रेरणा से / स्वतः संज्ञान' है (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

75. प्रशासनिक शब्दावली में 'Ultra vires' का मानक हिंदी पर्याय 'अधिकार-बाह्य / अधिकारातीत' और 'Intra vires' का पर्याय 'अधिकाराधीन' है।

76. प्रशासनिक शब्दावली में 'Utilization Certificate' का मानक हिंदी पर्याय 'उपयोगिता प्रमाण-पत्र' है।

77. प्रशासनिक शब्दावली में 'Verbatim' का मानक हिंदी पर्याय 'शब्दशः' है।

78. प्रशासनिक शब्दावली में 'Vigilance' का मानक हिंदी पर्याय 'सतर्कता' और 'Censure' का पर्याय 'परिनिंदा' है (**राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in)**)।

79. कार्यालयीन वाक्यांश 'As directed' का मानक हिंदी अनुवाद 'निदेशानुसार' और 'Submitted for approval' का अनुवाद 'अनुमोदनार्थ प्रस्तुत' है।

80. कार्यालयीन वाक्यांश 'Draft for Approval (DFA)' का मानक हिंदी अनुवाद 'अनुमोदनार्थ प्रारूप' और 'Paper Under Consideration (PUC)' का अनुवाद 'विचाराधीन पत्र' है।

81. मुहावरा 'अंगूठा दिखाना' का सटीक अर्थ 'समय पर काम आने से साफ इनकार कर देना' है (**www.iucacademy.com**)।

82. मुहावरा 'अंधे की लकड़ी होना' का सटीक अर्थ 'एकमात्र सहारा होना' है।

83. मुहावरा 'गागर में सागर भरना' का सटीक अर्थ 'थोड़े शब्दों में बहुत गूढ़ और विस्तृत बात कहना' है (संक्षेपण की मूल आत्मा)।

84. मुहावरा 'गूलर का फूल होना' का सटीक अर्थ 'अत्यंत दुर्लभ या अदृश्य वस्तु होना' है।

85. मुहावरा 'द्रौपदी का चीर होना' का सटीक अर्थ 'कभी समाप्त न होने वाली वस्तु या समस्या' है।

86. मुहावरा 'नाक का बाल होना' का सटीक अर्थ 'अत्यधिक प्रिय होना' है (न कि कष्टदायक होना—यह परीक्षा का प्रमुख जाल है) (www.iucacademy.com)।

87. मुहावरा 'बछिया का ताऊ' का सटीक अर्थ 'अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति' है।

88. लोकोक्ति 'आँख के अंधे नाम नयनसुख' का सटीक अर्थ 'गुणों के ठीक विपरीत नाम होना' है।

89. लोकोक्ति 'कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली' का सटीक अर्थ 'आकाश-पाताल का अंतर होना या उच्च और साधारण व्यक्ति की तुलना न हो पाना' है।

90. लोकोक्ति 'खग जाने खग ही की भाषा' का सटीक अर्थ 'समान प्रकृति वाले लोग ही एक-दूसरे के भाव को समझते हैं' है।

91. लोकोक्ति 'थोथा चना बाजे घना' का सटीक अर्थ 'अल्पज्ञानी व्यक्ति द्वारा अपने ज्ञान का अत्यधिक दिखावा करना' है (www.iucacademy.com)।

92. लोकोक्ति 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' का सटीक अर्थ 'प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं' है।

93. वाक्यांश के लिए एक शब्द: 'जिसका निवारण न हो सके' = **अनिवार्य**, और 'जिसका निर्णय न हो सका हो' = **अनिर्णीत**।

94. वाक्यांश के लिए एक शब्द: 'आदि से अंत तक' = **आद्योपांत**, और 'सिर से पैर तक' = **आपाद-मस्तक**।

95. वाक्यांश के लिए एक शब्द: 'जो तुरंत कविता बना सके' = **आशुकवि**, और 'जो किसी बात का तुरंत उत्तर सोच ले' = **प्रत्युत्पन्नमति** (www.iucacademy.com)।

96. वाक्यांश के लिए एक शब्द: 'उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति' = **रिक्थ**, और 'बिना किसी की देख-रेख का पशु' = **अनेर**।

97. वाक्यांश के लिए एक शब्द: 'जिसे जानने की इच्छा हो' = **जिज्ञासु**, और 'जानने की इच्छा' = **जिज्ञासा**; इसी प्रकार 'जीतने की इच्छा' = **जिगीषा**।

98. विराम-चिह्न नियम: जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों या समान अधिकरण के वाक्यों में थोड़ा अधिक ठहराव दिखाना हो, तो **अर्द्धविराम (;)** का प्रयोग होता है।

99. विराम-चिह्न नियम: किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए **लाघव चिह्न (0)** का प्रयोग किया जाता है (जैसे—डॉ0, उ0प्र0, अर्द्ध-शा0प0सं0) (राजभाषा विभाग (rajbhasha.gov.in))।

100. विराम-चिह्न नियम: लिखते समय कोई शब्द छूट जाने पर पंक्ति के नीचे **हंसपद या त्रुटिपूरक चिह्न (^)** लगाकर छूटा हुआ शब्द ऊपर लिखा जाता है (www.iucacademy.com)।

मॉड्यूल 1: 8 पूर्ण-लंबाई वाले मॉडल निबंध (Full-Length Model Essays)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 1: 8 पूर्ण-लंबाई वाले मॉडल निबंध (Full-Length Model Essays)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
निबंध 1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और नैतिक चुनौतियाँ: मानव भविष्य का नया क्षितिज	**निबंध 2: विकसित भारत @2047: अवसर, चुनौतियाँ और समावेशी विकास का रोडमैप**	**निबंध 3: जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाएँ और भारत की हरित संक्रमण रणनीति (LiFE मिशन)**	**निबंध 4: महिला सशक्तिकरण: नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कार्यबल में समान भागीदारी तक**

निबंध 1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और नैतिक चुनौतियाँ: मानव भविष्य का नया क्षितिज

रूपरेखा (Outline):

1. प्रस्तावना: संज्ञानात्मक क्रांति के बाद मशीनी प्रज्ञा का उदय
2. भारत एवं विश्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विस्तार (IndiaAI मिशन एवं नवाचार)
3. सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण: स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और प्रशासन में योगदान
4. नैतिक चुनौतियाँ: एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह, डीपफेक, गोपनीयता और रोजगार विस्थापन
5. नियामक ढाँचा और 'मानव-केंद्रित एआई' (Human-Centric AI) की आवश्यकता
6. उपसंहार: तकनीक का मानवीकरण और उत्तरदायी नवाचार

प्रस्तावना:

मानव सभ्यता का इतिहास उपकरणों के निर्माण और उनके माध्यम से प्रकृति की सीमाओं को लाँघने की सतत गाथा रहा है। पाषाण काल के तराशे गए पत्थरों से लेकर भाप के इंजन, विद्युत और इंटरनेट तक—प्रत्येक तकनीकी क्रांति ने मनुष्य की शारीरिक और संप्रेषण क्षमता को विस्तारित किया। किंतु 21वीं सदी के तीसरे दशक में उभरी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence - AI) विशेषकर जनरेटिव एआई (Generative AI) और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) ने मानव के एकाधिकार वाले क्षेत्र—'चिंतन, सृजन और निर्णय क्षमता'—में प्रवेश कर लिया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार चेतावनी दी थी कि "पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास मानव जाति के उत्कर्ष या उसके अस्तित्व के अंत का कारण बन सकता है।" आज जब एआई शासन, चिकित्सा, रक्षा और न्याय प्रणाली के केंद्र में आ रहा है, तब इसके तकनीकी सामर्थ्य के साथ-साथ इसकी नैतिक सीमाओं की मीमांसा करना अपरिहार्य हो गया है।

सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण और भारत का दृष्टिकोण:

विकासशील देशों और विशेष रूप से भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता समावेशी विकास की एक सशक्त कुंजी है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित **IndiaAI मिशन (PIB)** के अंतर्गत 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ स्वदेशी कंप्यूट क्षमता (10,000+ GPUs), 'भाषिणी' (Bhashini) जैसे बहुभाषी अनुवाद प्लेटफॉर्म और स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल्स का विकास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में एआई-आधारित कीट नियंत्रण, मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण और सूक्ष्म मौसम पूर्वानुमान सीमांत किसानों की आय सुरक्षित कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर व टीबी की प्रारंभिक पहचान (Radiology Diagnostics), और न्यायपालिका में 'सुपेस' (SUPACE) व 'सुवास' (SUVAS) पोर्टल के माध्यम से लाखों लंबित मुकदमों के सारांश व स्थानीय भाषाओं में अनुवाद ने प्रशासनिक दक्षता को नई ऊँचाई दी है।

नैतिक चुनौतियाँ और अंधकारमय पक्ष:

तथापि, इस उज्ज्वल परिदृश्य के समानांतर गंभीर नैतिक संकट भी खड़े हुए हैं:

- **एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias):** एआई मॉडल जिस ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं, यदि उसमें लैंगिक, जातीय या सामाजिक भेदभाव अंतर्निहित हो, तो मशीन के निर्णय भी अन्यायपूर्ण हो जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया या ऋण स्वीकृति में यह पूर्वाग्रह वंचित वर्गों को हाशिए पर धकेल सकता है।
- **डीपफेक और सत्य का क्षरण (Deepfakes & Post-Truth):** कृत्रिम रूप से निर्मित ऑडियो-वीडियो (Deepfakes) ने लोकतांत्रिक चुनावों की निष्पक्षता, न्यायिक साक्ष्यों की विश्वसनीयता और महिलाओं की गरिमा के समक्ष अभूतपूर्व संकट उत्पन्न किया है। जब सत्य और मिथ्या के बीच का भेद मिट जाए, तो सामाजिक विश्वास की नींव हिल जाती है।

• **रोजगार विस्थापन और आर्थिक असमानता:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और आर्थिक सर्वेक्षण के आकलनों के अनुसार, रूटीन कोडिंग, डेटा एंट्री, ग्राहक सेवा और अनुवाद जैसे श्वेत-कॉलर रोजगारों पर स्वचालन का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यदि समय रहते कौशल उन्नयन (Reskilling) नहीं हुआ, तो 'डिजिटल डिवाइड' एक भयावह 'आर्थिक खाई' में बदल जाएगा।

• **उत्तरदायित्व का अभाव (Black-Box Problem):** जब कोई स्वायत्त हथियार प्रणाली (Autonomous Weapon) या स्व-चालित वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो नैतिक और विधिक जिम्मेदारी किसकी होगी—कोडर की, कंपनी की या मशीन की?

समाधान और उपसंहार:

तकनीक स्वयं में न तो नैतिक होती है और न ही अनैतिक; उसका उपयोग और नियंत्रण ही उसका चरित्र निर्धारित करता है। नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई (GPAI) में भारत ने 'उत्तरदायी और मानव-केंद्रित एआई' (Responsible & Human-Centric AI) का वैश्विक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यूरोपीय संघ के 'AI Act' और भारत के 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023)' की तर्ज पर पारदर्शी ऑडिट, वाटरमार्किंग और कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। महात्मा गांधी के शब्दों में, "मानवता के बिना विज्ञान सात सामाजिक पापों में से एक है।" अतः हमें ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण करना होगा जो मानव प्रज्ञा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, अपितु मानवीय करुणा, समता और लोककल्याण की सहचरी बने।

निबंध 2: विकसित भारत @2047: अवसर, चुनौतियाँ और समावेशी विकास का रोडमैप

रूपरेखा (Outline):

1. प्रस्तावना: स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष का राष्ट्रीय संकल्प
2. 'विकसित भारत' की अवधारणा: आर्थिक वृद्धि से परे मानव विकास
3. भारत की चतुर्मुखी शक्तियाँ: जनसांख्यिकीय लाभांश, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और लोकतंत्र
4. मार्ग की प्रमुख बाधाएँ: मध्यम आय का जाल (Middle-Income Trap), बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता
5. चार स्तंभों (युवा, महिला, किसान, गरीब) का सशक्तिकरण और नीतिगत सुधार
6. उपसंहार: अमृत काल से स्वर्णिम भारत की ओर

प्रस्तावना:

सन् 1947 में जब भारत ने औपनिवेशिक दासता की बेड़ियाँ तोड़ीं, तब हमारे समक्ष अस्तित्व, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकीकरण की बुनियादी चुनौतियाँ थीं। आज जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर 'अमृत काल' में प्रवेश कर चुका है, तब वर्ष 2047 तक भारत को एक 'विकसित राष्ट्र' (Developed Nation) बनाने का संकल्प केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक आकांक्षाओं का घोषणापत्र है। **आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 (PIB)** और नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार, 2047 तक भारत को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 18,000 डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

अवसरों का स्वर्णिम वातायन:

भारत के पास इस ऐतिहासिक छलांग के लिए तीन अद्वितीय आधार हैं:

• **जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend):** जहाँ पश्चिमी यूरोप, जापान और चीन तेजी से वृद्ध होती आबादी के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की औसत आयु लगभग 28.4 वर्ष है। अगले दो दशकों तक भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा कार्यशील युवा कार्यबल रहेगा।

• **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** आधार, यूपीआई (UPI), डिजिलॉकर और ओएनडीसी (ONDC) के माध्यम से भारत ने यह सिद्ध किया है कि तकनीक का लोकतंत्रीकरण कैसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ सकता है।

• **हरित और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नेतृत्व:** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम-सूर्य घर योजना और इसरो (ISRO) की किफायती अंतरिक्ष क्रांति ने भारत को 'ग्लोबल साउथ' की आवाज और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (China Plus One) का विश्वसनीय केंद्र बना दिया है।

चुनौतियाँ और संरचनात्मक अवरोध:

तथापि, विकासशील से विकसित बनने की यात्रा 'मध्यम आय के जाल' (Middle-Income Trap) के जोखिम से भरी है। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

• **विनिर्माण और रोजगार सृजन:** भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 54% से अधिक है, किंतु कृषि आज भी लगभग 45% कार्यबल को कम उत्पादकता पर समेटे हुए है। श्रम-सघन विनिर्माण (Labour-intensive Manufacturing) और एमएसएमई (MSME) को सशक्त किए बिना बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित नहीं हो सकते।

• **मानव पूंजी और शोध में निवेश:** भारत का अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय जीडीपी का मात्र 0.64% है, जबकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका में यह 3% से अधिक है। साथ ही, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा महिला श्रमबल भागीदारी दर (LFPR) को 37% से बढ़ाकर 50% से ऊपर ले जाना अनिवार्य है।

• **जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण:** अनियोजित शहरीकरण, भूजल दोहन और चरम मौसमी घटनाएँ प्रतिवर्ष जीडीपी के एक बड़े हिस्से को क्षति पहुँचाती हैं।

समावेशी रोडमैप और उपसंहार:

'विकसित भारत @2047' का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और पारिस्थितिक संतुलन का समन्वय हो। **केंद्रीय बजट 2025-26 एवं 2026-27 (PRS India)** में रेखांकित चार जातियों—'गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारीशक्ति' (GYAN)—का उत्थान ही इस यात्रा की आधारशिला है। न्यायिक सुधार, पुलिस आधुनिकीकरण, 'एक राष्ट्र-एक बाजार' का सुदृढ़ीकरण और पंचायत स्तर तक वित्तीय स्वायत्तता देकर हम अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने के गांधीवादी स्वप्न को साकार कर सकते हैं। जब 2047 की प्रभात किरणें उदित होंगी, तब भारत केवल धन-संपदा से ही नहीं, बल्कि ज्ञान, समता और विश्व-बंधुत्व से भी जगद्गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा।

निबंध 3: जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाएँ और भारत की हरित संक्रमण रणनीति (LiFE मिशन)

रूपरेखा (Outline):

1. प्रस्तावना: प्रकृति का दोहन बनाम अस्तित्व का संकट
2. चरम मौसमी घटनाओं का बढ़ता प्रकोप: हीटवेव, बादल फटना और तटीय क्षरण
3. कृषि, खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर प्रभाव
4. भारत की पंचामृत प्रतिबद्धताएँ और हरित ऊर्जा संक्रमण (Net Zero 2070)
5. 'मिशन लाइफ' (Lifestyle for Environment): उपभोगवादी संस्कृति से चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर
6. उपसंहार: 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' का वैदिक दर्शन

प्रस्तावना:

अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में ऋषि ने उद्घोष किया था—"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" अर्थात् पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। किंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात् मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति का पुत्र मानने के स्थान पर उसका अनियंत्रित स्वामी मान लिया। जीवाश्म ईंधनों के अंधाधुंध दहन, वनों के विनाश और अनियंत्रित उपभोक्तावाद ने पृथ्वी के तापक्रम को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा दिया है। आज जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की वैज्ञानिक कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान का भयावह यथार्थ है, जिसकी गूँज हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों से लेकर हिंद महासागर के उफनते चक्रवातों तक सुनाई दे रही है।

चरम मौसमी घटनाएँ और भारत की सुभेद्यता:

भारत अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण जलवायु संकट के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले कुछ वर्षों में वायनाड (केरल) में विनाशकारी भूस्खलन, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने व ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की घटनाएँ, तथा उत्तर भारत में 50 डिग्री सेल्सियस को छूती भीषण लू (Heatwaves) ने जन-धन की भारी हानि की है। मानसून के बदलते पैटर्न—कम दिनों में अत्यधिक वर्षा और लंबे सूखे के अंतराल—ने खरीफ और रबी दोनों फसलों की उत्पादकता को प्रभावित किया है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति और ग्रामीण आजीविका पर संकट गहराया है।

भारत की हरित संक्रमण रणनीति (Green Transition):

यद्यपि ऐतिहासिक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान मात्र 4% से भी कम रहा है, तथापि समाधान के मोर्चे पर भारत ने अग्रणी नेतृत्व दिखाया है:

• **पंचामृत लक्ष्य और नेट-जीरो 2070:** कॉप-26 (ग्लासगो) में भारत ने वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन प्राप्त करने और 2030 तक अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का संकल्प लिया। भारत ने अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को निर्धारित समय से 9 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया।

• **संस्थागत और नीतिगत पहल:** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (Global Biofuels Alliance), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, और पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर) भारत के ऊर्जा संक्रमण के प्रमुख स्तंभ हैं।

• **मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली):** भारत ने विश्व को यह संदेश दिया है कि जलवायु परिवर्तन से केवल सरकारी नीतियों या कार्बन क्रेडिट से नहीं लड़ा जा सकता, इसके लिए व्यक्ति के दैनिक आचरण में बदलाव आवश्यक है। 'Use and Throw' (उपयोग करो और फेंको) की अर्थव्यवस्था के स्थान पर 'Reduce, Reuse, Recycle' पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को अपनाना ही 'मिशन लाइफ' की आत्मा है।

उपसंहार:

विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है—"पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन देती है, किंतु किसी एक के भी लालच के लिए नहीं।" जलवायु न्याय (Climate Justice), हरित वित्तपोषण (Green Financing) और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के समन्वय से ही हम आने वाली पीढ़ियों को एक हरी-भरी और सुरक्षित वसुंधरा सौंप सकते हैं।

निबंध 4: महिला सशक्तिकरण: नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कार्यबल में समान भागीदारी तक

रूपरेखा (Outline):

1. प्रस्तावना: यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते से संवैधानिक समानता तक की यात्रा
2. नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन): राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ऐतिहासिक मोड़
3. सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी और STEM में बेटियाँ
4. अदृश्य बाधाएँ: अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid Care Work), सुरक्षा और पितृसत्तात्मक मानसिकता
5. 'महिलाओं के विकास' से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (Women-Led Development) की ओर
6. उपसंहार: आधी आबादी की पूर्ण भागीदारी से ही राष्ट्र की पूर्णता

प्रस्तावना:

स्वामी विवेकानंद ने कहा था—"जिस प्रकार कोई पक्षी एक पंख के सहारे आकाश में उड़ान नहीं भर सकता, उसी प्रकार महिलाओं की स्थिति में सुधार किए बिना किसी भी राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है।" भारतीय संविधान ने प्रारंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और अनुच्छेद 14, 15 व 16 के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी दी। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिए गए एक-तिहाई (और कई राज्यों में 50%) आरक्षण ने जमीनी स्तर पर 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की एक सशक्त पौध तैयार की। अब इस क्रांति का विस्तार देश की सर्वोच्च विधायिका तक हो चुका है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला-नेतृत्व वाला विकास:

संसद द्वारा पारित **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)** भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक मील का पत्थर है। अनुच्छेद 330A और 332A के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का यह प्रावधान नीति-निर्माण के केंद्र में महिलाओं की निर्णायक उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। जब महिलाएँ स्वयं विधायक और सांसद के रूप में बजट और कानूनों का निर्माण करेंगी, तब स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा के मुद्दे राजनीतिक एजेंडे की सर्वोच्च प्राथमिकता बनेंगे।

आर्थिक स्वावलंबन और बदलता परिदृश्य:

राजनीतिक अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे आर्थिक आत्मनिर्भरता का बल हो। आज भारत में:

• **ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़:** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ 90 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी हैं। 'लखपति दीदी' योजना (3 करोड़ का लक्ष्य) और 'नमो ड्रोन दीदी' अभियान ने ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी उद्यमी बना दिया है।

• **विज्ञान, रक्षा और उद्यमिता:** चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 मिशन की कमान संभालने वाली महिला वैज्ञानिकों से लेकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के द्वार खुलने, और मुद्रा योजना के अंतर्गत 68% से अधिक महिला लाभार्थियों तक—भारत 'Women Development' से आगे बढ़कर 'Women-Led Development' का वैश्विक प्रतिमान गढ़ रहा है।

चुनौतियाँ और आगे की राह:

उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियाँ कम नहीं हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी (LFPR) में सुधार हुआ है, किंतु संगठित कॉर्पोरेट और विनिर्माण क्षेत्र में यह अभी भी वैश्विक औसत से कम है। इसके मूल में 'अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य' (Unpaid Care Work) का असमान बोझ, कार्यस्थलों पर क्रेच (शिशुगृह) व सुरक्षित परिवहन का अभाव, और साइबर स्पेस व सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा की चिंताएँ हैं। साथ ही, संपत्ति के स्वामित्व में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना और 'ग्लास सीलिंग' को तोड़ना अभी शेष है।

उपसंहार:

महिला सशक्तिकरण कोई रियायत या उपकार नहीं, बल्कि मानवाधिकार और आर्थिक प्रगति की अनिवार्य शर्त है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति—"नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग पगतल में"—को आज के युग में श्रद्धा के साथ-साथ 'समान अवसर, स्वायत्तता और नेतृत्व' के धरातल पर उतारने की आवश्यकता है।

निबंध 5: भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण: डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती और किसान कल्याण

रूपरेखा (Outline):

1. प्रस्तावना: कृषि—भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जीवनरेखा
2. हरित क्रांति की विरासत और उसके पारिस्थितिक दुष्परिणाम
3. डिजिटल कृषि मिशन: एग्री-स्टैक (AgriStack), ड्रोन तकनीक और ई-नाम (e-NAM)
4. प्राकृतिक एवं श्री अन्न (Millets) क्रांति: स्वास्थ्य और पर्यावरण का संगम
5. मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण और आय संवर्धन के उपाय
6. उपसंहार: अन्नदाता से ऊर्जादाता और उद्यमी बनने की यात्रा

प्रस्तावना:

भारत एक कृषि-प्रधान सभ्यता है जहाँ कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन-पद्धति है। देश की लगभग 45.5% कार्यशील जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है और सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इसका योगदान लगभग 18% है। 1960 के दशक की हरित क्रांति ने भारत को 'भिक्षापात्र से भण्डारगृह' (Ship-to-Mouth to Food Surplus) में बदल दिया, किंतु रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग, एकल फसल चक्र (Monocropping) और अत्यधिक भूजल दोहन ने मृदा की उर्वरता और किसान की लाभप्रदता दोनों को संकट में डाल दिया है। आज भारतीय कृषि को 'द्वितीय एवं सदाबहार हरित क्रांति' की आवश्यकता है जिसका आधार डिजिटल तकनीक और पारिस्थितिक संधारणीयता हो।

डिजिटल कृषि और तकनीकी हस्तक्षेप:

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत **डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission)** भारतीय खेती का चेहरा बदल रहा है:

- **एग्री-स्टैक (AgriStack) और किसान आईडी:** जिस प्रकार आधार ने बैंकिंग को बदला, उसी प्रकार 'किसान की पहचान' (Farmer Registry), भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र और फसल बुवाई रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को बिना कागजी कार्यवाही के मात्र कुछ मिनटों में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण और फसल बीमा का लाभ मिल रहा है।
- **प्रिसिजन फार्मिंग और किसान ड्रोन:** नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' के उपयोग से पानी और रसायनों की 80% तक बचत हो रही है। एआई-आधारित सेंसर और उपग्रह डेटा किसानों को बुवाई और कटाई का सटीक समय बता रहे हैं।
- **बाजार एकीकरण:** ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म ने देश की 1,389 से अधिक मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़कर बिचौलियों के एकाधिकार को चुनौती दी है और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) ने छोटे व सीमांत किसानों (जो कुल किसानों के 86% हैं) को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति दी है।

प्राकृतिक खेती और 'श्री अन्न' (Millets) का पुनर्जागरण:

जलवायु परिवर्तन के दौर में रासायनिक खेती का विकल्प **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)** और **पीएम-प्रणाम (PM-PRANAM)** योजना में निहित है, जो धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। साथ ही, भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' ने ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो जैसे मोटे अनाजों को 'श्री अन्न' के रूप में वैश्विक पहचान दिलाई है। ये फसलें कम पानी में उगती हैं और पोषण से भरपूर होने के कारण कुपोषण व मधुमेह दोनों से लड़ने में सक्षम हैं।

उपसंहार:

किसान कल्याण केवल ऋण माफी या नकद हस्तांतरण (PM-KISAN) तक सीमित नहीं रह सकता। खेत के स्तर पर भंडारण (पीएम किसान संपदा योजना), खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing), पशुधन व मत्स्य पालन (नीली क्रांति) और सौर पंपों (PM-KUSUM) के माध्यम से किसान को 'अन्नदाता' के साथ-साथ 'ऊर्जादाता' और 'कृषि-उद्यमी' बनाना ही स्थायी समाधान है।

निबंध 6: साइबर सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता: डिजिटल इंडिया के समक्ष खतरे और समाधान

रूपरेखा (Outline):

1. प्रस्तावना: डेटा—21वीं सदी का नया ईंधन और नया युद्धक्षेत्र

2. डिजिटल इंडिया की उपलब्धियाँ और बढ़ता अटैक सरफेस (Attack Surface)
3. साइबर खतरों के बहुआयामी रूप: रैनसमवेयर, डिजिटल अरेस्ट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले
4. डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) का अर्थ और भू-राजनीतिक महत्व
5. भारत का संस्थागत सुरक्षा कवच: DPDP Act 2023, CERT-In, NCIIPC और I4C
6. उपसंहार: 'साइबर स्वच्छता' और आत्मनिर्भर तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र

प्रस्तावना:

आधुनिक युग में युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। आज किसी राष्ट्र को घुटनों पर लाने के लिए उसकी सीमाओं पर टैंक भेजने की आवश्यकता नहीं है; उसके पावर ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क, अस्पताल या संचार उपग्रहों के सर्वर में सेंध लगाकर कुछ ही सेकंडों में पूरे देश को पंगु बनाया जा सकता है। भारत में 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और विश्व के कुल रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान का लगभग 46% से अधिक हिस्सा अकेले भारत के यूपीआई (UPI) नेटवर्क पर होता है। इस अभूतपूर्व डिजिटलीकरण ने जहाँ शासन में पारदर्शिता और गति लाई है, वहीं साइबर अपराधियों और शत्रु राष्ट्रों के स्टेट-स्पॉन्सर्ड हैकर्स के लिए खतरों का दायरा भी बढ़ा दिया है।

साइबर खतरों की प्रकृति और 'डिजिटल अरेस्ट' का आतंक:

आज साइबर अपराध तीन स्तरों पर चुनौती पेश कर रहे हैं:

- **नागरिक स्तर पर वित्तीय ठगी:** हाल के समय में 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) नामक मनोवैज्ञानिक ठगी, फिशिंग, निवेश घोटाले और सिम-स्वैप के माध्यम से आम नागरिकों की जीवनभर की जमा-पूंजी लूटी जा रही है।
- **महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) पर हमले:** एम्स (AIIMS) दिल्ली के सर्वर पर रैनसमवेयर हमला हो या विद्युत ग्रिड व रक्षा प्रतिष्ठानों में घुसपैठ के प्रयास—ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरे हैं।
- **डिजिटल उपनिवेशवाद और संप्रभुता का संकट:** मुट्ठी भर वैश्विक 'बिग टेक' कंपनियों द्वारा भारतीय नागरिकों के डेटा का संग्रहण, क्लाउड स्टोरेज पर विदेशी नियंत्रण और सेमीकंडक्टर व हार्डवेयर के लिए आयात पर निर्भरता भारत की 'डिजिटल संप्रभुता' को चुनौती देती है।

भारत की रक्षात्मक और विधिक रणनीति:

भारत ने साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता के लिए एक बहुस्तरीय कवच तैयार किया है:

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023):** इस ऐतिहासिक कानून ने नागरिकों (Data Principals) को अपने डेटा पर अधिकार दिया है और डेटा का दुरुपयोग या लीक करने वाली कंपनियों (Data Fiduciaries) पर 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया है।
- **संस्थागत तंत्र:** भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In), राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC), और गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) तथा हेल्पलाइन नंबर **1930** साइबर हमलों को रोकने और पीड़ितों की धनराशि फ्रीज करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।
- **हार्डवेयर और 5G/6G में आत्मनिर्भरता:** इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, स्वदेशी 5G स्टैक और क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन (National Quantum Mission) के माध्यम से भारत विदेशी हार्डवेयर में छिपे 'बैकडोर' (Backdoors) के जोखिम को समाप्त कर रहा है।

उपसंहार:

साइबर सुरक्षा की श्रृंखला अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितनी ही मजबूत होती है, और वह कड़ी अक्सर मानवीय अज्ञानता होती है। अतः सुदृढ़ फायरवॉल, जीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर और क्वांटम एन्क्रिप्शन के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक में 'साइबर स्वच्छता' (Cyber Hygiene) की जागरूकता जगाना ही डिजिटल इंडिया को एक सुरक्षित और संप्रभु दुर्ग बनाएगा।

निबंध 7: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और कौशल विकास: जनसांख्यिकीय लाभांश का सार्थक उपयोग

रूपरेखा (Outline):

1. प्रस्तावना: मैकाले की क्लर्क-निर्माता शिक्षा से नवाचार-केंद्रित शिक्षा की ओर
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रांतिकारी स्तंभ (5+3+3+4 संरचना और बहु-विषयकता)
3. मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)

4. उच्च शिक्षा और कौशल विकास के बीच की खाई: 'डिग्रीधारी बेरोजगारी' की समस्या
5. पीएम विश्वकर्मा, स्किल इंडिया डिजिटल और इंटर्नशिप योजनाओं की भूमिका
6. उपसंहार: रटंत विद्या से सृजनशील प्रज्ञा का निर्माण

प्रस्तावना:

कोठारी आयोग (1964-66) ने अपने ऐतिहासिक प्रतिवेदन का प्रारंभ इन शब्दों से किया था—"भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।" किंतु दशकों तक हमारी शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक मानसिकता और कंठस्थीकरण (Rote Learning) के ढाँचे में जकड़ी रही, जिसका उद्देश्य मौलिक चिंतक या उद्यमी तैयार करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के लिए आज्ञाकारी लिपिक तैयार करना था। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** ने इस जड़ता को तोड़ते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा और 21वीं सदी के वैश्विक कौशलों के समन्वय का एक दूरदर्शी खाका प्रस्तुत किया है।

NEP 2020 के परिवर्तनकारी आयाम:

नई शिक्षा नीति ने पारंपरिक 10+2 के ढाँचे को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप **5+3+3+4** (फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी) मॉडल में प्रतिस्थापित किया है। इसके प्रमुख स्तंभ हैं:

- **मातृभाषा और बुनियादी साक्षरता:** 'निपुण भारत मिशन' (NIPUN Bharat) के तहत कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी तकनीकी शिक्षा को हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराकर ग्रामीण प्रतिभाओं के भाषाई अवरोध को समाप्त किया गया है।
- **विषयों की कठोर दीवारों की समाप्ति:** अब विज्ञान का छात्र संगीत या इतिहास भी पढ़ सकता है। उच्च शिक्षा में 'मल्टीपल एंट्री और एग्जिट' तथा 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (ABC) ने ड्रॉपआउट होने वाले छात्रों के वर्षों को बर्बाद होने से बचाया है।
- **कक्षा 6 से व्यावसायिक कौशल:** श्रम की गरिमा स्थापित करने के लिए स्कूल स्तर से ही कोडिंग, बागवानी, बढ़ईगीरी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ इंटर्नशिप को जोड़ा गया है।

कौशल विकास और रोजगारपरकता (Employability) की चुनौती:

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के आँकड़े दर्शाते रहे हैं कि हर वर्ष स्नातक होने वाले लाखों युवाओं में से एक बड़ा वर्ग उद्योगों की आधुनिक माँग (Industry 4.0) के अनुरूप व्यावहारिक कौशल से वंचित रहता है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार ने **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)**, **पीएम-सेतु (PM-SETU)** के तहत 1,000 आईटीआई (ITIs) का उन्नयन, और शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए **पीएम इंटर्नशिप योजना** प्रारंभ की है। वहीं, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को आधुनिक उपकरणों व बाजार से जोड़ने के लिए **पीएम विश्वकर्मा योजना** एक सेतु का कार्य कर रही है।

उपसंहार:

जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) एक दोधारी तलवार है; यदि युवाओं के हाथों में कौशल और मस्तिष्क में नवाचार हो, तो यह राष्ट्र को महाशक्ति बनाता है, अन्यथा यही युवा ऊर्जा कुंठा और सामाजिक अशांति में बदल सकती है। NEP 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 6% तक पहुँचाना ही भारत को 'विश्व की कौशल राजधानी' (Skill Capital of the World) बनाएगा।

निबंध 8: भारतीय लोकतंत्र में सहकारी संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध: सहयोग बनाम टकराव

रूपरेखा (Outline):

1. प्रस्तावना: 'राज्यों का संघ' और विविधता में एकता का संवैधानिक दर्शन
2. सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative & Competitive Federalism) का विकास
3. सहयोग के सफल प्रतिमान: जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग और आकांक्षी जिला कार्यक्रम
4. टकराव के समकालीन बिंदु: राज्यपाल की भूमिका, राजकोषीय हस्तांतरण और केंद्रीय एजेंसियाँ
5. 16वाँ वित्त आयोग और उत्तर-दक्षिण जनसांख्यिकीय बहस का समाधान
6. उपसंहार: मजबूत केंद्र और सशक्त राज्य—राष्ट्रीय अखंडता के दो पहिए

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को "राज्यों का संघ" (India, that is Bharat, shall be a Union of States) घोषित किया गया है। संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही किसी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार है; किंतु प्रशासनिक दक्षता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सम्मान के लिए सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट विभाजन किया गया है। प्रसिद्ध संविधानविद् ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय व्यवस्था को **'सहकारी संघवाद'** (Cooperative Federalism) की संज्ञा दी थी, जहाँ केंद्र और राज्य एक-दूसरे के अधीनस्थ न होकर राष्ट्र-निर्माण के समान भागीदार हैं।

सहयोग और प्रतिस्पर्धा के सकारात्मक आयाम:

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में योजना आयोग के केंद्रीकृत मॉडल से आगे बढ़कर आज भारत ने सहकारी के साथ-साथ 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' को अपनाया है:

- **जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A):** वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद संवैधानिक संघवाद का अद्वितीय उदाहरण है, जहाँ केंद्र और सभी राज्य अपनी कराधान संप्रभुता को साझा कर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं।
- **नीति आयोग और रैंकिंग प्रणाली:** नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक और निर्यात तत्परता सूचकांक ने राज्यों के बीच निवेश, सुशासन और मानव विकास के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Race to the Top) पैदा की है। 'आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम' ने केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन को एक ही मंच पर ला खड़ा किया है।

तनाव और टकराव के समकालीन क्षेत्र:

इसके बावजूद, राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक कारणों से केंद्र-राज्य संबंधों में कई बार तीखे मतभेद उभरते हैं:

- **राज्यपाल के पद की निष्पक्षता:** अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक कर रखने (Pocket Veto), विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति और विधानमंडल सत्र बुलाने के मुद्दों पर कई राज्यों (जैसे तमिलनाडु, केरल, पंजाब) को सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है।
- **राजकोषीय संघवाद और उपकर (Cess & Surcharge):** राज्यों की शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सेस और सरचार्ज विभाज्य पूल (Divisible Pool) का हिस्सा नहीं होते, जिससे राज्यों को मिलने वाले कर हिस्से में वास्तविक कमी आती है।
- **16वाँ वित्त आयोग और जनसंख्या मानदंड:** डॉ. अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग के समक्ष दक्षिणी राज्यों ने यह तर्क रखा है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त करने के कारण उन्हें केंद्रीय करों के क्षैतिज वितरण (Horizontal Devolution) में दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

समाधान और उपसंहार:

केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण हैं, किंतु इन्हें गतिरोध में नहीं बदलना चाहिए। सरकारिया आयोग (1983) और पुंछी आयोग (2007) की सिफारिशों के अनुरूप राज्यपालों की नियुक्ति में पारदर्शिता, विधेयकों पर निर्णय के लिए समय-सीमा, और अनुच्छेद 263 के तहत 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) की नियमित बैठकों को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, "केंद्र और राज्य की गाड़ियाँ जब एक ही पटरी पर सामंजस्य के साथ चलेंगी, तभी राष्ट्र विकास की मंजिल तक पहुँचेगा।"

मॉड्यूल 2: शासकीय एवं व्यावसायिक पत्र लेखन (प्रारूप + पूर्ण हल किए गए उदाहरण)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: शासकीय एवं व्यावसायिक पत्र लेखन (प्रारूप + पूर्ण हल किए गए उदाहरण)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
शासकीय पत्र (Official Letter)	**अर्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official / D.O. Letter)**	**कार्यालय आदेश (Office Order)**	**कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum / O.M.)**

1. शासकीय पत्र (Official Letter)

- **परिभाषा एवं मुख्य विशेषताएँ:** एक सरकारी कार्यालय/मंत्रालय से दूसरे सरकारी कार्यालय, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय या बाहरी संस्था को पूर्णतः औपचारिक एवं निर्वैयक्तिक शैली (अन्य पुरुष) में लिखा जाने वाला पत्र।

• **प्रारूप नियम:** शीर्ष पर दायीं ओर पत्र संख्या, प्रेषक अनुभाग व दिनांक; बायीं ओर 'प्रेषक' (नाम, पदनाम, पता) एवं उसके नीचे 'सेवा में' (प्राप्तकर्ता का पदनाम व पता); विषय; संबोधन ('महोदय,'); मुख्य कलेवर ("मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि..."); अंत में दायीं ओर 'भवदीय', हस्ताक्षर व पदनाम।

हल किया गया उदाहरण (Solved Example - शासकीय पत्र):

पत्र संख्या: 14021/08/2026-शि.अनु.-2
उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-2
लखनऊ: दिनांक 14 नवम्बर, 2026

प्रेषक,
क ख ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त कुलपति,
राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत समस्त महाविद्यालयों में 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (ABC ID) के शत-प्रतिशत पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासन के पूर्व पत्र संख्या-1104/शि.अनु.-2/2026, दिनांक 10 सितम्बर, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की ए.बी.सी. आईडी (ABC ID) डिजिलॉकर पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से सृजित किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की अद्यतन समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों में अभी भी 30 प्रतिशत से अधिक छात्रों का पंजीकरण लंबित है, जिससे आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम एवं अंकपत्रों के डिजिटलीकरण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय के अधीन समस्त महाविद्यालयों में विशेष शिविर आयोजित कराकर दिनांक 30 नवम्बर, 2026 तक शत-प्रतिशत छात्रों की ए.बी.सी. आईडी बनवाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलंब उपलब्ध कराएं।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(क ख ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(च छ ज)
संयुक्त सचिव।

2. अर्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official / D.O. Letter)

• **परिभाषा एवं मुख्य विशेषताएँ:** जब किसी शासकीय कार्य में विलंब हो रहा हो, अथवा किसी गोपनीय/महत्वपूर्ण प्रकरण पर समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना हो, तब उत्तम पुरुष ('मैं') और आत्मीय संबोधन में लिखा जाने वाला पत्र।

• **प्रारूप नियम:** शीर्ष पर बायीं ओर प्रेषक का नाम व पदनाम, दायीं ओर अ.शा.प.सं., विभाग व दिनांक; संबोधन ('प्रिय श्री/सुश्री ... जी,'); विषय का उल्लेख प्रायः नहीं होता (सीधे मुख्य बात से प्रारंभ); समापन ('सद्भावी' या 'आपका'); सबसे नीचे बायीं ओर प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम व पता।

हल किया गया उदाहरण (Solved Example - अर्ध-शासकीय पत्र):

क ख ग, आई.ए.एस. अ.शा.पत्र सं.: 405/आ.वि./2026
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ: दिनांक 15 नवम्बर, 2026

प्रिय श्री शर्मा जी,

कृपया मेरे पूर्व शासकीय पत्र संख्या-289/आ.वि./2026, दिनांक 05 अक्टूबर, 2026 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके जनपद में 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम किस्त प्राप्त कर चुके लाभार्थियों के आवास निर्माण की भौतिक सत्यापन आख्या (Geo-tagged Report) मांगी गई थी।

2. मुझे यह देखकर खेद है कि दो बार स्मरण कराए जाने के उपरांत भी आपके जनपद से अभी तक तीन विकास खंडों की सत्यापन आख्या अप्राप्त है। आपको विदित ही है कि आगामी 25 नवम्बर, 2026 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक प्रस्तावित है, जिसमें इस विलंब पर प्रतिकूल संज्ञान लिया जा सकता है।

3. अतः मैं चाहूँगा कि आप इस प्रकरण में व्यक्तिगत रुचि लेकर संबंधित खंड विकास अधिकारियों से आख्या प्राप्त करें और दिनांक 20 नवम्बर, 2026 तक अपनी संस्तुति सहित शासन को भिजवाने का कष्ट करें।

सादर शुभकामनाओं सहित,

भवदीय / आपका,
(हस्ताक्षर)
(क ख ग)

श्री अ ब स शर्मा,
जिलाधिकारी,
जनपद - कानपुर नगर (उ.प्र.)।

3. कार्यालय आदेश (Office Order)

• **परिभाषा एवं मुख्य विशेषताएँ:** किसी मंत्रालय या कार्यालय के आंतरिक प्रशासन, कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, कार्य-विभाजन या स्थानांतरण के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला एकपक्षीय आदेश। इसमें किसी संबोधन या 'भवदीय' का प्रयोग नहीं होता।

हल किया गया उदाहरण (Solved Example - कार्यालय आदेश):

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या: 812/का-1-2026
लखनऊ: दिनांक 16 नवम्बर, 2026

कार्यालय आदेश

शासन कार्यहित में सचिवालय के कार्मिक अनुभाग-1 में कार्यरत निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों के मध्य कार्य-विभाजन में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:

1. श्री अ ब स, समीक्षा अधिकारी, जो वर्तमान में 'भर्ती एवं चयन प्रकोष्ठ' का कार्य देख रहे हैं, को अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त श्री य र ल, समीक्षा अधिकारी के दिनांक 18 नवम्बर, 2026 से 02 दिसम्बर, 2026 तक अर्जित अवकाश पर रहने की अवधि में 'पदोन्नति एवं ज्येष्ठता पटल' का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
2. इस अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री अ ब स को कोई अतिरिक्त वेतन अथवा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर)
(क ख ग)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: 812(1)/का-1-2026, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. संबंधित अधिकारियों (श्री अ ब स एवं श्री य र ल) को अनुपालनार्थ।
2. मुख्य कोषाधिकारी / लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3. व्यक्तिगत पत्रावली / गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(क ख ग)
अनु सचिव।

4. कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum / O.M.)

• **परिभाषा एवं मुख्य विशेषताएँ:** मंत्रालयों/विभागों के बीच आपसी सूचना के आदान-प्रदान, किसी अधीनस्थ कर्मचारी को चेतावनी/स्पष्टीकरण देने या किसी याचिका/अभ्यावेदन के उत्तर में प्रयुक्त पत्र। यह सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है तथा इसमें भी संबोधन व स्व-निर्देश ('भवदीय') नहीं होते।

हल किया गया उदाहरण (Solved Example - कार्यालय ज्ञाप):

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या: 509/वि-3-2026-14/2025
लखनऊ: दिनांक 16 नवम्बर, 2026

कार्यालय ज्ञाप

विषय: शासकीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System) के कड़ाई से अनुपालन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सचिवालय एवं विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय प्रातः 09:30 बजे के पश्चात् कार्यालय आ रहे हैं तथा सायंकाल में अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किए बिना ही कार्यालय छोड़ देते हैं, जो कर्मचारी आचरण नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

2. अतः समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एतद्द्वारा सचेत किया जाता है कि वे प्रतिदिन कार्यालय आगमन एवं प्रस्थान के समय आधार-आधारित बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करें। एक माह में तीन दिवस से अधिक विलंब से आने की स्थिति में संबंधित कार्मिक का एक दिन का आकस्मिक अवकाश स्वतः समायोजित कर लिया जाएगा।

3. समस्त अनुभाग अधिकारी अपने-अपने अनुभागों की मासिक बायोमेट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अधिष्ठान अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर)
(क ख ग)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।

सेवा में,
1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय प्रशासन विभाग (निरीक्षण प्रकोष्ठ)।

5. परिपत्र (Circular)

• **परिभाषा एवं मुख्य विशेषताएँ:** जब कोई एक ही शासकीय सूचना, निर्देश या नीतिगत आदेश एक साथ अनेक कार्यालयों, विभागों, मंडलायुक्तों या जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जाता है, तो उसे 'परिपत्र' कहते हैं ("प्रेषक एक, प्राप्तकर्ता अनेक")।

हल किया गया उदाहरण (Solved Example - परिपत्र):

पत्रांक: 942/आपदा-राहत/2026
उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-11 (आपदा प्रबंधन)
लखनऊ: दिनांक 16 नवम्बर, 2026

प्रेषक,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 विषय: शीतलहर (Cold Wave) एवं घने कोहरे से बचाव हेतु रैन बसेरों की स्थापना, अलाव व्यवस्था एवं कंबल वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,
उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी दिसम्बर एवं जनवरी माह में संभावित भीषण शीतलहर एवं कोहरे के दृष्टिगत निराश्रित, असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद को राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) से पर्याप्त धनराशि आवंटित कर दी गई है।

2. इस संबंध में शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं:
(क) समस्त नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं तहसील मुख्यालयों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों (रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, चिकित्सालय) के निकट स्वच्छ एवं सुरक्षित अस्थायी 'रैन बसेरों' (Night Shelters) की स्थापना दिनांक 25 नवम्बर, 2026 तक पूर्ण कर ली जाए।
(ख) क्रय किए जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों (न्यूनतम 2.2 किलोग्राम भार एवं 70% ऊनी अंश) के अनुरूप हो तथा वितरण का विवरण राहत पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
(ग) कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के ब्लैक-स्पॉट्स पर रिफ्लेक्टर टेप एवं चेतावनी बोर्ड लगवाए जाएं।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए साप्ताहिक प्रगति आख्या राहत आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(क ख ग)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

6. अधिसूचना (Notification / विज्ञप्ति)

• **परिभाषा एवं मुख्य विशेषताएँ:** राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से वैधानिक नियमों, अधिनियमों के प्रवर्तन, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण या सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हेतु सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशनार्थ जारी किया जाने वाला प्रपत्र।

हल किया गया उदाहरण (Solved Example - *अधिसूचना*):

(उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट के भाग-4, खंड (ख) में प्रकाशनार्थ)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या: 1924/दो-3-2026-18(7)/2024
लखनऊ: दिनांक 16 नवम्बर, 2026

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय लोकहित में श्री अ ब स, आई.ए.एस. (उ.प्र.: 2014), जो वर्तमान में विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर कार्यरत हैं, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, जनपद-झाँसी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(क ख ग)
नियुक्ति सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: 1924(1)/दो-3-2026, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराएं।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मंडलायुक्त, झाँसी मंडल, झाँसी।
4. संबंधित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(च छ ज)
संयुक्त सचिव।

7. *अनुस्मारक* (Reminder / *स्मरण-पत्र*)

• **परिभाषा एवं मुख्य विशेषताएँ:** पूर्व में भेजे गए किसी शासकीय पत्र, अर्ध-शासकीय पत्र या परिपत्र पर वांछित कार्यवाही या उत्तर निर्धारित समय में प्राप्त न होने पर स्मरण दिलाने हेतु भेजा जाने वाला संक्षिप्त पत्र। इसका प्रारूप मूल पत्र के समान ही होता है।

हल किया गया उदाहरण (Solved Example - *अनुस्मारक*):

अनुस्मारक - 1
पत्र संख्या: 14021/08/2026-शि.अनु.-2(स्मरण)
उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-2
लखनऊ: दिनांक 02 दिसम्बर, 2026

प्रेषक,
क ख ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
कुलपति,
क ख ग राज्य विश्वविद्यालय,
मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत समस्त महाविद्यालयों में 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (ABC ID) के शत-प्रतिशत पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 14 नवम्बर, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2026 तक विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के छात्रों की ए.बी.सी. आईडी (ABC ID) बनवाकर अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित करने की अपेक्षा की गई थी।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित समय-सीमा व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आपके विश्वविद्यालय से वांछित आख्या अद्यतन अप्राप्त है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी अनुपालन आख्या आगामी 05 दिसम्बर, 2026 तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(क ख ग)
प्रमुख सचिव।

8. *प्रेस विज्ञप्ति* (Press Communique / Press Release)

• **परिभाषा एवं मुख्य विशेषताएँ:** शासन के किसी लोक-कल्याणकारी निर्णय, नीति, परीक्षा तिथि या आपातकालीन सूचना को समाचार-पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रपत्र। इसमें 'प्रकाशन/प्रसारण के समय का प्रतिबंध' (Embargo) भी अंकित रहता है।

हल किया गया उदाहरण (Solved Example - प्रेस विज्ञप्ति):

प्रेस विज्ञप्ति
(दिनांक 17 नवम्बर, 2026 को प्रातः 06:00 बजे से पूर्व प्रकाशित अथवा प्रसारित न किया जाए)

रबी विपणन वर्ष 2026-27 हेतु गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं
ऑनलाइन किसान पंजीकरण पोर्टल के शुभारंभ संबंधी निर्णय

लखनऊ: 16 नवम्बर, 2026। राज्य सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से सीधे गेहूँ क्रय किए जाने हेतु खाद्य एवं रसद विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूर्ण लाभ किसानों को दिलाने के लिए प्रदेश भर में कुल 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया कि इस वर्ष किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए किसी भी प्रकार के भौतिक सत्यापन हेतु तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे; 'एग्री-स्टैक' एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण स्वतः सत्यापित हो जाएगा। गेहूँ की खरीद के उपरांत मूल्य का भुगतान 'पीएफएमएस' (PFMS) प्रणाली के माध्यम से अधिकतम 48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में अंतरित किया जाएगा।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
पत्रांक: 704/सू.ज.स.वि./प्रेस-2026, दिनांक: 16 नवम्बर, 2026।

प्रतिलिपि: संपादक, समस्त प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र एवं ब्यूरो प्रमुख, दूरदर्शन/आकाशवाणी, लखनऊ को निःशुल्क प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु प्रेषित।
(हस्ताक्षर)
निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र.।

मॉड्यूल 3: संक्षेपण (Precis Writing — एक-तिहाई 1/3 नियम के साथ 5 हल किए गए गद्यांश)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: संक्षेपण (Precis Writing — एक-तिहाई 1/3 नियम के साथ 5 हल किए गए गद्यांश)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
गद्यांश 1 (साहित्य और समाज)	**गद्यांश 2 (विज्ञान और नैतिकता)**	**गद्यांश 3 (लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्य)**	**गद्यांश 4 (समय का प्रबंधन और युवा शक्ति)**

संक्षेपण के स्वर्णिम नियम:

1. मूल गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका केंद्रीय भाव पहचानें और 3 से 6 शब्दों का एक सटीक **शीर्षक** दें।
2. मूल शब्द-संख्या की गणना करें और उसे **3 से भाग देकर (1/3)** संक्षेपण की लक्षित शब्द-सीमा निर्धारित करें (± 5 शब्दों की छूट मान्य है)।
3. मुहावरों, अलंकारों, दृष्टांतों, उद्धरणों और दोहराव को हटाकर **अन्य पुरुष (Third Person)** और अपनी मौलिक भाषा में संक्षेपण लिखें।

गद्यांश 1 (साहित्य और समाज)

मूल गद्यांश:

साहित्य मानव समाज का केवल दर्पण ही नहीं है, अपितु वह समाज के पथ को आलोकित करने वाला प्रज्वलित दीपक भी है। जिस प्रकार दर्पण किसी वस्तु के बाह्य रूप को ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित कर देता है, किंतु उसमें सुधार करने की क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार यदि साहित्य केवल यथार्थ का नग्न चित्रण मात्र बनकर रह जाए, तो वह अपने महान उत्तरदायित्व से च्युत हो जाएगा। सच्चा साहित्यकार अपने युग की पीड़ा, विषमता, शोषण और अंतर्द्वंद्व को गहराई से अनुभव करता है और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक उच्चतर नैतिक आदर्श की ओर प्रेरित करता है। जब-जब राष्ट्रों के इतिहास में जड़ता, निराशा और पराधीनता का अंधकार छाया है, तब-तब कवियों, चिंतकों और मनीषियों की वाणी ने ही सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाया है। अतः साहित्य का सर्वोच्च लक्ष्य मनोरंजन या विलासिता नहीं, बल्कि लोकमंगल और मानवीय संवेदनाओं का परिष्कार करना है।

- **मूल शब्द संख्या:** 147 शब्द | **लक्षित एक-तिहाई (1/3) शब्द संख्या:** 147 / 3 = 49 शब्द

• **उपयुक्त शीर्षक:** साहित्य का लोकमंगलकारी दायित्व (या: साहित्य और समाज-निर्माण)

• **संक्षेपण:** साहित्य समाज का मात्र निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक भी है। श्रेष्ठ साहित्यकार युगीन समस्याओं और विषमताओं को अनुभूत कर समाज को नैतिक आदर्शों की ओर अग्रसर करता है। ऐतिहासिक संकटों में साहित्य ने ही राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत किया है। अतः साहित्य का वास्तविक उद्देश्य मनोरंजन नहीं, अपितु लोककल्याण और मानवीय संवेदनाओं का उत्थान है। (प्रयुक्त शब्द: 52 शब्द)

गद्यांश 2 (विज्ञान और नैतिकता)

मूल गद्यांश:

आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य को असीम भौतिक शक्तियाँ और सुख-सुविधाओं के अनगिनत साधन प्रदान किए हैं। आज मनुष्य आकाश की ऊँचाइयों को नाप चुका है, सागर की अतल गहराइयों को खंगाल चुका है और परमाणु के भीतर छिपी विराट ऊर्जा को अपने वश में कर चुका है। दूरियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और समूचा विश्व एक छोटे से गाँव में परिवर्तित हो गया है। किंतु इस बाह्य विजय के उन्माद में मनुष्य ने अपने अंतर्मन की शांति, करुणा और नैतिक मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। जिस परमाणु ऊर्जा से करोड़ों घरों का अंधकार दूर किया जा सकता है, उसी से हिरोशिमा और नागासाकी जैसी भयावह त्रासदियाँ भी रची गईं। वास्तव में, विज्ञान एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका उपयोग सृजन और विनाश दोनों के लिए हो सकता है। यदि वैज्ञानिक प्रगति के रथ की बागडोर आध्यात्मिक विवेक और मानवीय करुणा के हाथों में नहीं होगी, तो यह प्रगति ही मानव सभ्यता के सर्वनाश का कारण बन जाएगी।

• **मूल शब्द संख्या:** 156 शब्द | **लक्षित एक-तिहाई (1/3) शब्द संख्या:** 156 / 3 = 52 शब्द

• **उपयुक्त शीर्षक:** वैज्ञानिक शक्ति और नैतिक विवेक का समन्वय

• **संक्षेपण:** विज्ञान ने मनुष्य को अपार भौतिक समृद्धि, ऊर्जा और संचार की शक्ति देकर प्रकृति पर विजय दिलाई है, किंतु नैतिक मूल्यों के ह्रास से आंतरिक अशांति और विनाश का संकट भी बढ़ाया है। विज्ञान स्वयं में तटस्थ शक्ति है; अतः मानव सभ्यता की रक्षा और सृजनात्मक उपयोग के लिए वैज्ञानिक प्रगति पर नैतिक विवेक एवं करुणा का नियंत्रण अनिवार्य है। (प्रयुक्त शब्द: 55 शब्द)

गद्यांश 3 (लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्य)

मूल गद्यांश:

लोकतंत्र केवल शासन की एक राजनीतिक प्रणाली या पाँच वर्ष में एक बार मतदान पेटी में मत डालने की यांत्रिक प्रक्रिया मात्र नहीं है; यह मूलतः जीवन जीने की एक सहिष्णु और उत्तरदायी संस्कृति है। प्रायः नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मौलिक अधिकारों के प्रति तो अत्यंत मुखर और सजग रहते हैं, किंतु राष्ट्र और समाज के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों की सुविधापूर्वक उपेक्षा कर देते हैं। महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि कर्तव्य के पालन से ही अधिकारों का जन्म होता है। यदि नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति न समझें, करों की चोरी करें, जाति और संप्रदाय के संकीर्ण दायरों में बँटकर मतदान करें तथा कानून का सम्मान न करें, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान भी उस लोकतंत्र को भीड़तंत्र या अराजकता में बदलने से नहीं रोक सकता। अतः जागरूक, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकता ही लोकतंत्र की वास्तविक प्राणवायु है।

• **मूल शब्द संख्या:** 144 शब्द | **लक्षित एक-तिहाई (1/3) शब्द संख्या:** 144 / 3 = 48 शब्द

• **उपयुक्त शीर्षक:** सफल लोकतंत्र का आधार: कर्तव्यनिष्ठ नागरिकता

• **संक्षेपण:** लोकतंत्र मात्र मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक उत्तरदायी जीवन-संस्कृति है। अधिकारों और कर्तव्यों में अटूट संबंध है; केवल अधिकारों की मांग और कर्तव्यों की उपेक्षा से लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है। संकीर्णता से मुक्त, कानून का सम्मान करने वाले जागरूक और कर्तव्यपरायण नागरिक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सार्थक बनाते हैं। (प्रयुक्त शब्द: 50 शब्द)

गद्यांश 4 (समय का प्रबंधन और युवा शक्ति)

मूल गद्यांश:

संसार की समस्त संपदाओं में समय सबसे मूल्यवान और अपरिवर्तनीय संपदा है। धन-दौलत, स्वास्थ्य या प्रतिष्ठा यदि एक बार खो जाए, तो कठोर परिश्रम से उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु घड़ी की सुइयों से फिसला हुआ एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के बदले वापस नहीं खरीदा जा सकता। विशेष रूप से युवाओं के लिए समय का सदुपयोग ही उनके संपूर्ण भविष्य की आधारशिला होता है। इतिहास के पन्नों पर जिन महापुरुषों ने अपने अमिट हस्ताक्षर छोड़े हैं, उन्हें प्रकृति ने चौबीस घंटे से अधिक का दिन नहीं दिया था; अंतर केवल इतना था कि उन्होंने आलस्य, प्रमाद और कल पर काम टालने की प्रवृत्ति का त्याग कर प्रत्येक क्षण को अपने लक्ष्य

में पिरोया। जो युवा आज सोशल मीडिया के आभासी भँवर या दिशाहीन मनोरंजन में अपना स्वर्णिम यौवन गँवा रहे हैं, वे कल केवल पश्चाताप के भागी बनेंगे। समय का सम्मान करने वाले का ही युग सम्मान करता है।

- **मूल शब्द संख्या:** 150 शब्द | **लक्षित एक-तिहाई (1/3) शब्द संख्या:** 150 / 3 = 50 शब्द
- **उपयुक्त शीर्षक:** समय का मूल्य और युवा जीवन
- **संक्षेपण:** समय जीवन की सर्वाधिक अमूल्य और अपुनर्प्राप्य निधि है। महापुरुषों की सफलता का रहस्य आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्यागकर प्रत्येक क्षण का लक्ष्य-केंद्रित उपयोग करना रहा है। युवाओं के लिए समय का प्रबंधन उनके भविष्य की नींव है; आभासी मनोरंजन में समय गँवाने से केवल पश्चाताप मिलता है, जबकि समय का सदुपयोग करने वाला ही युग में प्रतिष्ठित होता है। (प्रयुक्त शब्द: 54 शब्द)

गद्यांश 5 (पर्यावरण संकट और सतत विकास)

मूल गद्यांश:

आधुनिक आर्थिक विकास के मॉडल ने सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़ों को ही प्रगति का एकमात्र पैमाना मान लिया है, जिसकी भारी कीमत हमारी पारिस्थितिकी को चुकानी पड़ रही है। नदियों का अमृत तुल्य जल औद्योगिक कचरे से विषाक्त हो चुका है, महानगरों की वायु श्वास लेने योग्य नहीं रही और वनों के कटने से असंख्य वन्यजीव प्रजातियाँ सदा के लिए विलुप्त हो रही हैं। यह सोचना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि वह प्रकृति का विनाश करके अपनी समृद्धि का महल खड़ा कर सकता है। प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ता है, तो वह बाढ़, सूखा, महामारी और भू-तापन के रूप में अपना रौद्र रूप दिखाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम 'सतत विकास' की अवधारणा को अपनाएँ, जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाए कि भावी पीढ़ियों के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर कोई आँच न आए।

- **मूल शब्द संख्या:** 147 शब्द | **लक्षित एक-तिहाई (1/3) शब्द संख्या:** 147 / 3 = 49 शब्द
- **उपयुक्त शीर्षक:** पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास की अनिवार्यता
- **संक्षेपण:** मात्र आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित आधुनिक विकास ने जल, वायु और जैव-विविधता को गंभीर रूप से प्रदूषित व नष्ट किया है। पारिस्थितिक असंतुलन के परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु संकटों में वृद्धि हुई है। अतः मानव अस्तित्व की रक्षा हेतु 'सतत विकास' को अपनाना अनिवार्य है, ताकि भावी पीढ़ियों के संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान आवश्यकताएँ पूर्ण हों। (प्रयुक्त शब्द: 53 शब्द)

मॉड्यूल 4: पल्लवन / भाव-विस्तार (Amplification — 10 हल किए गए सूक्तियाँ एवं लोकोक्तियाँ)

पल्लवन के सिद्धांत: पल्लवन संक्षेपण का ठीक विपरीत है। इसमें किसी सूत्र-वाक्य, सूक्ति या लोकोक्ति में निहित गूढ़ विचार के बीज को तर्क, उदाहरण और प्रवाहपूर्ण भाषा से 80–120 शब्दों के एक सुगठित अनुच्छेद में विस्तारित किया जाता है।

1. **"पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं"** (गोस्वामी तुलसीदास — रामचरितमानस)

- **भाव-विस्तार:** स्वतंत्रता प्राणी मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार और आत्मिक विकास की प्रथम शर्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी और राष्ट्र दोनों के संदर्भ में यह शाश्वत सत्य उद्घाटित किया है कि दूसरों के अधीन रहने वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी वास्तविक सुख और आत्मसम्मान की अनुभूति नहीं हो सकती। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी को चाहे कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन दिए जाएं, उसके लिए वह बंधन कष्टप्रद ही रहता है, जबकि खुले आकाश में भूखे रहकर उड़ना भी आनंददायी है। पराधीन व्यक्ति की इच्छा, बुद्धि और श्रम पर दूसरे का नियंत्रण होता है, जिससे उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। यही कारण है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया और भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद ने हँसते-हँसते प्राण न्योछावर कर दिए, किंतु दासता का सुख स्वीकार नहीं किया।

2. **"का वर्षा जब कृषि सुखाने"**

- **भाव-विस्तार:** प्रत्येक कार्य और सहायता का महत्व उसके उचित समय (अवसर) पर संपन्न होने में निहित है। यदि अकाल और धूप से खेत की संपूर्ण फसल जलकर नष्ट हो जाए और उसके पश्चात् मूसलाधार वर्षा हो, तो उस वर्षा से किसान को कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार, जब कोई व्यक्ति संकट, बीमारी या घोर अभाव से जूझ रहा हो और उस समय उसे सहायता न मिले, तो संकट बीत जाने या अनर्थ हो जाने के बाद दी गई सहायता व्यर्थ सिद्ध होती है। न्याय के क्षेत्र में भी कहा गया है कि 'विलंबित न्याय, अन्याय के समान है' (Justice delayed is justice denied)। अतः समय की पहचान कर तत्परता से किया गया पुरुषार्थ और सहयोग ही सार्थक फल देता है; अवसर चूक जाने के बाद केवल पश्चाताप शेष रहता है।

3. **"बिनु पग चलै सुनै बिनु काना"**

• **भाव-विस्तार:** यह पंक्ति निर्गुण ब्रह्म की सर्वव्यापक और अलौकिक सत्ता को रेखांकित करने के साथ-साथ विचार और सत्य की असीम शक्ति का भी प्रतीक है। दार्शनिक दृष्टि से परम सत्ता भौतिक इंद्रियों से रहित होते हुए भी समस्त चराचर जगत का संचालन करती है—वह बिना पैरों के सर्वत्र गमन करती है और बिना कानों के प्रत्येक पुकार को सुनती है। व्यावहारिक और सामाजिक धरातल पर यह सूक्ति 'महान विचारों, साहित्य और सत्य' पर भी चरितार्थ होती है। बुद्ध, महावीर, कबीर और गांधी के विचार बिना किसी भौतिक शरीर या अस्त्र-शस्त्र के युगों-युगों तक महाद्वीपों की सीमाएँ लाँघकर कोटि-कोटि मनुष्यों के हृदय को परिवर्तित करते हैं। सत्य और नैतिक प्रभाव को किसी बाह्य संसाधन की आवश्यकता नहीं होती; उसकी आंतरिक ऊर्जा स्वतः ही विश्व में व्याप्त हो जाती है।

4. **"करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान"** (कवि वृंद)

• **भाव-विस्तार:** मानव जीवन में किसी भी असंभव लक्ष्य को साधने का सबसे अमोघ मंत्र 'निरंतर और धैर्यपूर्ण अभ्यास' है। जन्म से कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी या कुशल नहीं होता। जिस प्रकार कुएँ से पानी खींचने वाली कोमल रस्सी के बार-बार आने-जाने की रगड़ से कठोर पाषाण (शिला) पर भी गहरे निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अध्ययन और अभ्यास से मंदबुद्धि व्यक्ति भी प्रकांड विद्वान और निपुण बन सकता है। संस्कृत साहित्य में वरदराज की कथा, जिन्होंने अभ्यास के बल पर 'लघुसिद्धांतकौमुदी' जैसे व्याकरण ग्रंथ की रचना की, या आधुनिक काल में वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के हजारों प्रयोग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। प्रतिभा केवल प्रारंभिक गति देती है, किंतु सिद्धि के शिखर तक केवल अनवरत साधना और अभ्यास ही पहुँचाता है।

5. **"साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप"** (संत कबीरदास)

• **भाव-विस्तार:** संत कबीरदास ने आडंबरपूर्ण कर्मकांडों को नकारते हुए जीवन के सर्वोच्च धर्म को 'सत्य' के रूप में परिभाषित किया है। मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति और आत्मशुद्धि के लिए कठिन व्रत, उपवास और तीर्थाटन करता है, किंतु यदि उसके आचरण, वाणी और व्यवहार में सत्यता और निष्कपटता है, तो वही सबसे बड़ा तप है। इसके विपरीत, असत्य बोलना और दूसरों को छलना समस्त पापों की जड़ है, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए मनुष्य को सौ नए अपराध करने पड़ते हैं। सत्यवादी व्यक्ति के भीतर निर्भयता और आत्मबल का वास होता है, जबकि मिथ्याचारी व्यक्ति सदैव भय और ग्लानि से ग्रस्त रहता है। जिस हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा होती है, वहीं नैतिकता और परमात्मा का स्वतः निवास हो जाता है।

6. **"मन के हारे हार है, मन के जीते जीत"**

• **भाव-विस्तार:** मनुष्य की सफलता और असफलता का वास्तविक निर्णय बाह्य युद्धक्षेत्र या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके अपने अंतर्मन की संकल्प-शक्ति में होता है। यदि किसी व्यक्ति ने कठिनाइयों के भय से संघर्ष से पूर्व ही अपने मन में पराजय स्वीकार कर ली है, तो प्रचुर संसाधनों के होते हुए भी उसकी हार निश्चित है। इसके विपरीत, अदम्य आत्मविश्वास और आशावाद से भरा व्यक्ति प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विजय का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। दशरथ मांझी द्वारा अकेले हथौड़े और छेनी से पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना देना या अरुणिमा सिन्हा द्वारा कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट फतह करना इसी मानसिक अपराजेयता के उदाहरण हैं। शरीर थक सकता है, संसाधन चुक सकते हैं, किंतु जब तक संकल्प अडिग है, तब तक मनुष्य अपराजित है।

7. **"निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय"** (संत कबीरदास)

• **भाव-विस्तार:** सामान्यतः मानव स्वभाव अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है और आलोचना करने वाले से द्वेष रखता है। किंतु संत कबीर ने लोक-व्यवहार का एक क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक सूत्र देते हुए कहा है कि हमें अपनी कमियाँ बताने वाले आलोचक (निंदक) से दूर भागने के बजाय उसे सम्मानपूर्वक अपने आँगन में कुटी बनाकर पास रखना चाहिए। चाटुकार और झूठे प्रशंसक हमारी त्रुटियों पर पर्दा डालकर हमारे पतन का मार्ग तैयार करते हैं, जबकि आलोचक बिना साबुन और पानी के हमारे चरित्र के दोषों को धोकर निर्मल बना देता है। लोकतंत्र, प्रशासन और व्यक्तिगत जीवन में रचनात्मक आलोचना (Constructive Criticism) ही आत्म-सुधार और उत्कर्ष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है।

8. **"उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः"** (पंचतंत्र / संस्कृत सुभाषित)

• **भाव-विस्तार:** केवल कोरी कल्पनाओं, इच्छाओं या भाग्य के भरोसे बैठने से जीवन का कोई भी लक्ष्य सिद्ध नहीं होता; कार्यों की सिद्धि के लिए ठोस कर्म और परिश्रम (उद्यम) अनिवार्य है। जिस प्रकार जंगल का राजा और अत्यंत बलशाली होने के बावजूद सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, अपितु क्षुधा शांत करने के लिए सिंह को भी उठकर दौड़ लगानी पड़ती है, उसी प्रकार केवल योजनाएँ बनाने से सफलता नहीं मिलती। स्वप्न देखना प्रगति का प्रथम चरण है, किंतु उन स्वप्नों को यथार्थ के धरातल पर उतारने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। कर्मशील राष्ट्र और व्यक्ति ही अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, जबकि भाग्यवादी केवल परिस्थितियों को दोष देते रह जाते हैं।

9. **"अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप"**

• **भाव-विस्तार:** प्रकृति और मानव जीवन का सौंदर्य 'संतुलन और मध्यम मार्ग' में निहित है; किसी भी वस्तु या व्यवहार की अतिशयता सदैव हानिकारक होती है। कवि ने इसे वाणी और मौसम के सुंदर दृष्टांत से समझाया है कि जिस प्रकार न तो आवश्यकता से अधिक बोलना (वाचालता) हितकर है और न ही अन्याय या आवश्यकता के समय पूर्णतः मौन साध लेना उचित है—ठीक उसी प्रकार न तो अत्यधिक वर्षा फसल के लिए अच्छी होती है और न ही अत्यधिक कड़ी धूप। अति-भाषण से वाणी का महत्व घटता है और कलह उत्पन्न होती है, जबकि अति-मौन को कायरता या अज्ञानता समझ लिया जाता है। बुद्ध का 'मध्यम प्रतिपदा' और गीता का 'युक्त-आहार-विहार' का सिद्धांत यही सिखाता है कि विवेकपूर्ण संयम और संतुलन ही श्रेष्ठ जीवन-कला है।

10. **"क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो"** (रामधारी सिंह 'दिनकर' — कुरुक्षेत्र)

• **भाव-विस्तार:** राष्ट्रकवि दिनकर की यह ओजस्वी पंक्ति शांति, अहिंसा और क्षमा के यथार्थवादी दर्शन को स्पष्ट करती है। क्षमा का गुण केवल उसी व्यक्ति या राष्ट्र के आभूषण के रूप में सुशोभित होता है, जिसके पास अन्याय को दंडित करने का पूर्ण सामर्थ्य (शक्ति) हो। विषहीन, दंतहीन और निर्बल सर्प यदि किसी को क्षमा करने की बात कहे, तो संसार उसे उसकी उदारता नहीं, बल्कि उसकी विवशता और कायरता ही मानेगा। भगवान श्रीराम ने तीन दिन तक समुद्र से विनय की, किंतु जब समुद्र ने उसे उनकी निर्बलता समझा, तब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ते ही समुद्र भयभीत होकर शरण में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और शांति की नीति तभी सम्मान पाती है जब उसके पीछे अग्नि मिसाइलों, परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और सशक्त सेना का शौर्य खड़ा होता है।

मॉड्यूल 5: प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली (210+ Bilingual Administrative Glossary: English ↔ Hindi)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली (210+ Bilingual Administrative Glossary: English ↔ Hindi)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
श्रेणी (क): सामान्य प्रशासन एवं पत्राचार शब्दावली (1–60)	**श्रेणी (ख): वित्त, बजट, लेखा एवं बैंकिंग शब्दावली (61–110)**	**श्रेणी (ग): विधि, संविधान एवं न्यायिक शब्दावली (111–160)**	**श्रेणी (घ): संसदीय, सतर्कता एवं आधुनिक ई-गवर्नेंस शब्दावली (161–215)**

श्रेणी (क): सामान्य प्रशासन एवं पत्राचार शब्दावली (1–60)

क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय	क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय
1	Abatement	उपशमन / कमी	31	Deputation	प्रतिनियुक्ति
2	Abeyance	आस्थगन / ठहराव	32	Discrepancy	विसंगति / अंतर
3	Accountability	जवाबदेही / उत्तरदायित्व	33	Discretionary Power	विवेकाधिकार
4	Addendum	परिशिष्ट / अनुपूरक	34	Dismissal	पदच्युति / बर्खास्तगी
5	Adjournment	स्थगन	35	Disposal	निस्तारण / निपटान
6	Administrative Approval	प्रशासनिक अनुमोदन	36	Draft	आलेख / प्रारूप / मसौदा
7	Ad-hoc	तदर्थ	37	Emoluments	परिलब्धियाँ
8	Affiliation	संबद्धता	38	Enactment	अधिनियमन
9	Agenda	कार्यसूची	39	Endorsement	पृष्ठांकन
10	Allegation	अभिकथन / आरोप	40	Errata / Corrigendum	शुद्धिपत्र
11	Allotment	आवंटन	41	Ex-officio	पदेन
12	Ambiguity	संदिग्धता / अस्पष्टता	42	Expedite	शीघ्र कार्यवाही करना
13	Amendment	संशोधन	43	Ex-post facto	कार्योत्तर
14	Annexure	अनुलग्नक	44	Gazette	राजपत्र
15	Anomaly	असंगति	45	Grievance	शिकायत / व्यथा
16	Antecedents	पूर्ववृत्त / चरित्र-सत्यापन	46	Honorarium	मानदेय

क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय	क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय
17	Apparatus	तंत्र / उपकरण	47	Implementation	कार्यान्वयन / क्रियान्वयन
18	Attestation	अनुप्रमाणन / सत्यापन	48	Incumbent	पदधारी
19	Autonomous	स्वायत्त	49	Indemnity	क्षतिपूर्ति
20	Backlog	बैकलॉग / पिछला बकाया	50	Jurisdiction	अधिकारिता / क्षेत्राधिकार
21	Bona fide	सद्भावी / वास्तविक	51	Lien	धारणाधिकार / पदाधिकार
22	Cadre	संवर्ग	52	Minutes	कार्यवृत्त
23	Censure	परिनिंदा	53	Mutatis Mutandis	यथावश्यक परिवर्तन सहित
24	Circular	परिपत्र	54	Notification	अधिसूचना / विज्ञप्ति
25	Clarification	स्पष्टीकरण	55	Officiating	स्थानापन्न
26	Compliance	अनुपालन	56	Ordinance	अध्यादेश
27	Competent Authority	सक्षम प्राधिकारी	57	Perquisite	अनुलाभ
28	Concurrence	सहमति	58	Precedent	नजीर / पूर्वोदाहरण
29	Confidential	गोपनीय	59	Probation	परिवीक्षा
30	De facto	वस्तुतः / तथ्यतः	60	Protocol	नयाचार / शिष्टाचार

श्रेणी (ख): वित्त, बजट, लेखा एवं बैंकिंग शब्दावली (61–110)

क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय	क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय
61	Accrued Interest	उपार्जित ब्याज	86	Fiscal Deficit	राजकोषीय घाटा
62	Amortization	ऋण-परिशोधन	87	Fiscal Consolidation	राजकोषीय समेकन
63	Annuity	वार्षिकी	88	Forfeiture	जब्ती / समपहरण
64	Appropriation Bill	विनियोग विधेयक	89	Grant-in-aid	सहायता अनुदान
65	Arrears	बकाया	90	Gross Domestic Product	सकल घरेलू उत्पाद
66	Assessment Year	कर-निर्धारण वर्ष	91	Hypothecation	दृष्टिबंधक
67	Audit Objection	लेखापरीक्षा आपत्ति	92	Inflation	मुद्रास्फीति
68	Balance of Payments	भुगतान संतुलन	93	Insolvency	दिवालियापन
69	Balance Sheet	तुलन-पत्र / चिट्ठा	94	Contingent Fund	आकस्मिकता निधि
70	Buoyancy (Tax)	कर-उछाल	95	Lapsed Grant	व्यपगत अनुदान
71	Capital Expenditure	पूंजीगत व्यय	96	Liquidation	परिसमापन
72	Cess	उपकर	97	Moratorium	अधिस्थगन
73	Collateral Security	संपार्श्विक प्रतिभूति	98	Non-Performing Asset	गैर-निष्पादित परिसंपत्ति

क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय	क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय
74	Comptroller & Auditor General	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	99	Overhead Charges	उपरिव्यय
75	Consolidated Fund	संचित निधि	100	Public Account	लोक लेखा
76	Contingency	आकस्मिकता	101	Re-appropriation	पुनर्विनियोग
77	Countervailing Duty	प्रतिकारी शुल्क	102	Reimbursement	प्रतिपूर्ति
78	Debenture	ऋणपत्र	103	Remittance	प्रेषण / विप्रेषण
79	Deflation	अपस्फीति	104	Revenue Deficit	राजस्व घाटा
80	Demand for Grants	अनुदान की मांगें	105	Sinking Fund	निक्षेप निधि / ऋण शोधन निधि
81	Depreciation	मूल्यह्रास	106	Solvency	शोधन क्षमता
82	Devaluation	अवमूल्यन	107	Subsidy	आर्थिक सहायता / राजसहायता
83	Disbursement	संवितरण	108	Surcharge	अधिभार
84	Disinvestment	विनिवेश	109	Token Grant	सांकेतिक अनुदान
85	Encumbrance	भार / देयता	110	Vote on Account	लेखानुदान

श्रेणी (ग): विधि, संविधान एवं न्यायिक शब्दावली (111–160)

क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय	क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय
111	Abetment	दुष्प्रेरण	136	Locus Standi	सुनवाई का अधिकार
112	Acquittal	दोषमुक्ति	137	Mala fide	दुर्भावनापूर्ण / असद्भावी
113	Adjudication	न्यायनिर्णयन	138	Mandamus	परमादेश
114	Affidavit	शपथ-पत्र / हलफनामा	139	Misappropriation	दुर्विनियोग / गबन
115	Alibi	अन्यत्र उपस्थिति	140	Natural Justice	नैसर्गिक न्याय
116	Amicus Curiae	न्यायमित्र	141	Non-cognizable	असंज्ञेय
117	Appellate	अपीलीय	142	Null and Void	अकृत और शून्य
118	Arbitration	माध्यस्थम् / पंचनिर्णय	143	Oath of Secrecy	गोपनीयता की शपथ
119	Bailiff	अमीन / कुर्क अमीन	144	Penal Code / Sanhita	दंड संहिता / न्याय संहिता
120	Certiorari	उत्प्रेषण	145	Perjury	मिथ्या साक्ष्य / झूठी गवाही
121	Cognizable Offence	संज्ञेय अपराध	146	Plaintiff	वादी
122	Commutation	लघुकरण	147	Plaint	वाद-पत्र
123	Contempt of Court	न्यायालय की अवमानना	148	Prima Facie	प्रथम दृष्टया
124	Conviction	दोषसिद्धि	149	Proviso	परंतुक
125	De jure	विधितः	150	Quorum	गणपूर्ति / कोरम

क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय	क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय
126	Decree	डिक्री / आज्ञप्ति	151	Quo Warranto	अधिकार-पृच्छा
127	Defamation	मानहानि	152	Ratification	अनुसमर्थन
128	Defendant	प्रतिवादी	153	Repeal	निरसन
129	Extradition	प्रत्यर्पण	154	Sine die	अनिश्चित काल के लिए
130	Fiduciary	न्यासीय / वैश्वासिक	155	Status Quo	यथास्थिति
131	Habeas Corpus	बंदी प्रत्यक्षीकरण	156	Sub-judice	न्यायाधीन
132	Impeachment	महाभियोग	157	Summons	समन / बुलावा-पत्र
133	Injunction	व्यादेश / निषेधाज्ञा	158	Suo Motu	स्वप्रेरणा से / स्वतः संज्ञान
134	Ultra Vires	शक्तिबाह्य / अधिकार-बाह्य	159	Tribunal	अधिकरण
135	Intra Vires	शक्ति-अंतर्गत	160	Writ	रिट / प्रादेश

श्रेणी (घ): संसदीय, सतर्कता एवं आधुनिक ई-गवर्नेंस शब्दावली (161–215)

क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय	क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय
161	Abstention	मतदान से विरत रहना	189	Reprimand	भर्त्सना / कड़ी फटकार
162	Calling Attention	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	190	Requisition	अधिग्रहण / मांगपत्र
163	Casting Vote	निर्णायक मत	191	Resolution	संकल्प / प्रस्ताव
164	Censorship	अभिवेचन	192	Roster	रोस्टर / नामावली
165	Coalition	गठबंधन	193	Sanction	संस्वीकृति / मंजूरी
166	Code of Conduct	आचार संहिता	194	Scrutiny	संवीक्षा / छानबीन
167	Communique	विज्ञप्ति	195	Secret Ballot	गुप्त मतदान
168	Consensus	सर्वसम्मति	196	Seniority	ज्येष्ठता / वरिष्ठता
169	Constituency	निर्वाचन क्षेत्र	197	Severance Pay	पृथक्करण वेतन
170	Credentials	प्रत्यय-पत्र	198	Short Notice Question	अल्प सूचना प्रश्न
171	Cut Motion	कटौती प्रस्ताव	199	Starred Question	तारांकित प्रश्न
172	Delegation	प्रतिनिधिमंडल / प्रत्यायोजन	200	Unstarred Question	अतारांकित प्रश्न
173	Demarcation	सीमांकन	201	Standing Committee	स्थायी समिति
174	Departmental Enquiry	विभागीय जाँच	202	Superannuation	अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति)
175	Dereliction of Duty	कर्तव्यच्युति	203	Supersession	अतिक्रमण (वरिष्ठता लाँघना)
176	Disciplinary Action	अनुशासनिक कार्यवाही	204	Surveillance	निगरानी / चौकसी
177	Disqualification	निरर्हता / अयोग्यता	205	Suspension	निलंबन

क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय	क्र.	अंग्रेजी शब्द (English Term)	मानक हिंदी प्रशासनिक पर्याय
178	Embezzlement	गबन	206	Tenure	कार्यकाल / पदावधि
179	Embargo	घाटबंदी / प्रकाशन प्रतिबंध	207	Terms of Reference	विचारार्थ विषय / कार्यक्षेत्र
180	Enclave	विदेशी अंत:क्षेत्र	208	Testimonial	शंसापत्र
181	Expunge	कार्यवाही से निकाल देना	209	Time-bound	समयबद्ध
182	Guillotine	गिलोटिन (बिना चर्चा मतदान)	210	Upgrading	उन्नयन / श्रेणीवृद्धि
183	Interpellation	प्रश्न पूछने का अधिकार	211	Verification	सत्यापन
184	Maladministration	कुप्रशासन	212	Veto	निषेधाधिकार
185	Manifesto	घोषणापत्र	213	Vigilance	सतर्कता
186	No-Confidence Motion	अविश्वास प्रस्ताव	214	Whip	सचेतक
187	Prorogation	सत्रावसान	215	White Paper	श्वेत-पत्र
188	Red-tapism	लालफीताशाही	216	Zero Hour	शून्य काल

मास्टर तुलनात्मक सारणियाँ — बुक 33 (Master Comparative Tables)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मास्टर तुलनात्मक सारणियाँ — बुक 33 (Master Comparative Tables)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
सारणी 1: प्रमुख शासकीय पत्र प्रारूपों का तुलनात्मक विवेचन

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
सारणी 2: संक्षेपण (Precis) बनाम पल्लवन (Amplification) बनाम टिप्पण (Noting)

सारणी 1: प्रमुख शासकीय पत्र प्रारूपों का तुलनात्मक विवेचन

क्र.	पत्र का प्रकार	प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता (दिशा)	पुरुष शैली (Person)	संबोधन (Salutation)	स्व-निर्देश (Subscription)	मुख्य उद्देश्य एवं विशिष्ट पहचान
1	**शासकीय पत्र** (Official Letter)	एक सरकारी कार्यालय से दूसरे कार्यालय या बाहरी संस्था को	अन्य पुरुष (निर्वैयक्तिक)	महोदय / महोदया	भवदीय	पूर्णत: औपचारिक पत्राचार; "मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि..." से प्रारंभ।
2	**अर्ध-शासकीय पत्र** (D.O. Letter)	समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु	उत्तम पुरुष ('मैं', 'मेरा')	प्रिय श्री ... जी,	आपका / सद्भावी	व्यक्तिगत व आत्मीय स्पर्श; प्राप्तकर्ता का नाम-पता नीचे बायीं ओर लिखा जाता है।
3	**कार्यालय आदेश** (Office Order)	वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के अधीनस्थ कार्मिकों को	अन्य पुरुष	कोई संबोधन नहीं	कोई स्व-निर्देश नहीं	आंतरिक प्रशासन (अवकाश, स्थानांतरण, कार्य-विभाजन) हेतु एकपक्षीय आदेश।
4	**कार्यालय ज्ञाप** (Office Memo)	मंत्रालयों के मध्य सूचना आदान-प्रदान या याचिका का उत्तर	अन्य पुरुष	कोई संबोधन नहीं	कोई स्व-निर्देश नहीं	नीचे बायीं ओर प्राप्तकर्ता का पदनाम; "अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश है..."।
5	**परिपत्र** (Circular)	एक उच्च कार्यालय/मंत्रालय से अनेक अधीनस्थ कार्यालयों को	अन्य पुरुष	महोदय (या आदेशात्मक)	भवदीय (यदि पत्रात्मक हो)	"प्रेषक एक, प्राप्तकर्ता अनेक"; सामान्य नीतिगत निर्देशों का एक साथ प्रसारण।

क्र.	पत्र का प्रकार	प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता (दिशा)	पुरुष शैली (Person)	संबोधन (Salutation)	स्व-निर्देश (Subscription)	मुख्य उद्देश्य एवं विशिष्ट पहचान
6	**अधिसूचना** (Notification)	राष्ट्रपति/राज्यपाल की आज्ञा से राजपत्र (Gazette) में प्रकाशनार्थ	अन्य पुरुष	कोई संबोधन नहीं	"आज्ञा से"	वैधानिक नियम, अधिनियम प्रवर्तन या राजपत्रित नियुक्तियों की गजट घोषणा।
7	**अनुस्मारक** (Reminder)	मूल पत्र के प्रेषक से मूल पत्र के प्राप्तकर्ता को	मूल पत्र के अनुसार	मूल पत्र के अनुसार	मूल पत्र के अनुसार	पूर्व पत्र पर कार्यवाही न होने पर स्मरण कराना; ऊपर 'अनुस्मारक-1/2' का उल्लेख।
8	**प्रेस विज्ञप्ति** (Press Release)	शासन (सूचना विभाग) से समाचार-पत्रों के संपादकों को	अन्य पुरुष	कोई संबोधन नहीं	"निदेशक द्वारा जारी"	जनसामान्य को शासकीय निर्णय की सूचना देना; प्रकाशन समय-प्रतिबंध (Embargo) सहित।

सारणी 2: संक्षेपण (Precis) बनाम पल्लवन (Amplification) बनाम टिप्पण (Noting)

तुलना का आधार	संक्षेपण (Precis Writing)	पल्लवन / भाव-विस्तार (Amplification)	टिप्पण लेखन (Noting on File)
मूल प्रक्रिया	विस्तृत गद्यांश को गागर में सागर की भाँति समेटना (समास शैली)।	सूत्र-वाक्य या सूक्ति के बीज-भाव को खोलकर विस्तार देना (व्यास शैली)।	विचाराधीन पत्र (PUC) पर तथ्य, नियम व पूर्ववृत्त सहित निर्णय हेतु अभियुक्ति लिखना।
शब्द-सीमा नियम	मूल गद्यांश का सटीक **एक-तिहाई (1/3)** होना अनिवार्य।	सामान्यतः **80 से 120 शब्दों** का एक सुगठित अनुच्छेद।	प्रकरण की प्रकृति के अनुसार संक्षिप्त, सटीक एवं बिंदुवार।
शीर्षक की अनिवार्यता	एक संक्षिप्त व केंद्रोन्मुखी शीर्षक (3–6 शब्द) देना अनिवार्य है।	मूल सूक्ति ही शीर्षक होती है, अलग से शीर्षक नहीं दिया जाता।	फाइल संख्या व विषय ऊपर अंकित होता है।
उदाहरण व अलंकार	दृष्टांत, उद्धरण, मुहावरे और अलंकार पूर्णतः हटा दिए जाते हैं।	मूल भाव की पुष्टि हेतु ऐतिहासिक/साहित्यिक दृष्टांत व तर्क जोड़े जाते हैं।	केवल प्रासंगिक नियम, शासनादेश संख्या और नजीर (Precedent) का उल्लेख होता है।
पुरुष एवं भाषा शैली	सदैव **अन्य पुरुष** (Third Person) और अपनी मौलिक भाषा में।	सदैव **अन्य पुरुष** और विचारात्मक/विश्लेषणात्मक शैली में।	अन्य पुरुष में; अंत में बायीं ओर सहायक/अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक।
आलोचना / मत	लेखक के मूल विचार की आलोचना या अपना मत जोड़ना वर्जित है।	सूक्ति के सकारात्मक व सार्वभौमिक सत्य का ही मंडन किया जाता है।	मामले के गुण-दोष का निष्पक्ष विश्लेषण कर उच्चाधिकारी को विकल्प सुझाए जाते हैं।

60 वास्तविक परीक्षा-स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न (60 Authentic 4-Option MCQs with Explanations)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. **[UPPSC RO/ARO Mains 2023]**

शासकीय पत्र (Official Letter) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **असत्य** है?

(A) शासकीय पत्र सदैव अन्य पुरुष (Third Person) एवं निर्वैयक्तिक शैली में लिखा जाता है।

(B) इसमें पत्र संख्या और दिनांक के नीचे बायीं ओर 'प्रेषक' तथा उसके नीचे 'सेवा में' लिखा जाता है।

(C) शासकीय पत्र में प्राप्तकर्ता अधिकारी को उसके व्यक्तिगत नाम से 'प्रिय श्री...' कहकर संबोधित किया जाता है।

(D) पत्र के अंत में दायीं ओर स्व-निर्देश के रूप में 'भवदीय' का प्रयोग किया जाता है।

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** शासकीय पत्र पूर्णतः पद-आधारित और औपचारिक होता है, इसलिए इसमें संबोधन के रूप में 'महोदय' या 'महोदया' का प्रयोग होता है। 'प्रिय श्री...' का आत्मीय संबोधन केवल **अर्ध-शासकीय पत्र (D.O. Letter)** में किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. **[UPPSC PCS Mains 2024]**

जब किसी एक ही शासकीय सूचना, आदेश या नीतिगत निर्देश को एक साथ अनेक मंत्रालयों, विभागाध्यक्षों या जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं?

(A) अनुस्मारक (Reminder)

(B) परिपत्र (Circular)

(C) पृष्ठांकन (Endorsement)

(D) संकल्प (Resolution)

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** जब प्रेषक एक हो और प्राप्तकर्ता अनेक हों ("One to Many"), तथा एक ही विषय की सूचना अनेक कार्यालयों को एक साथ भेजी जाए, तो उस पत्र रूप को **परिपत्र (Circular)** कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. **[UPPSC RO/ARO Mains 2024]**

'अर्ध-शासकीय पत्र' (Demi-Official Letter) के संबंध में कौन-सा विकल्प सही है?

(A) यह सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है और इसमें हस्ताक्षर नहीं होते।

(B) इसमें प्रेषक का नाम बायीं ओर शीर्ष पर और प्राप्तकर्ता का नाम-पता अंत में बायीं ओर नीचे लिखा जाता है।

(C) इसे सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है।

(D) इसमें 'विषय' और 'संदर्भ' दोनों को बोल्ड अक्षरों में सबसे ऊपर लिखा जाता है।

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** अर्ध-शासकीय पत्र उत्तम पुरुष ('मैं') में समकक्ष अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु लिखा जाता है। इसमें शीर्ष पर बायीं ओर प्रेषक का नाम व पदनाम तथा पत्र की समाप्ति के बाद बायीं ओर सबसे नीचे प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम व पता लिखा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. **[UPSC CSE Compulsory Hindi / State PCS 2023]**

संक्षेपण (Precis Writing) करते समय मूल गद्यांश के शब्दों के अनुपात में संक्षेपण की मानक शब्द-सीमा कितनी होनी चाहिए?

(A) मूल गद्यांश की आधी (1/2)

(B) मूल गद्यांश की एक-तिहाई (1/3)

(C) मूल गद्यांश की एक-चौथाई (1/4)

(D) मूल गद्यांश की दो-तिहाई (2/3)

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** संक्षेपण का सर्वमान्य नियम यह है कि वह मूल अवतरण की कुल शब्द-संख्या का लगभग **एक-तिहाई (1/3)** होना चाहिए तथा उसमें मूल के सभी केंद्रीय भाव अपनी भाषा और अन्य पुरुष में समाहित होने चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. **[UPPSC RO/ARO Prelims/Mains 2023]**

प्रशासनिक शब्दावली में अंग्रेजी शब्द **'Ad-hoc'** के लिए मानक हिंदी पर्याय क्या है?

(A) पदेन

(B) तदर्थ

(C) कार्योत्तर

(D) यथास्थिति

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** 'Ad-hoc' का मानक हिंदी पर्याय **'तदर्थ'** (किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से गठित या नियुक्त) होता है। 'Ex-officio' का अर्थ पदेन, 'Ex-post facto' का अर्थ कार्योत्तर और 'Status quo' का अर्थ यथास्थिति है।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. **[BPSC Mains / UPPSC 2024]**

राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण या किसी अधिनियम/नियम के प्रवर्तन की सूचना जनसामान्य एवं संबंधित विभागों को देने हेतु सरकारी गजट में क्या प्रकाशित किया जाता है?

(A) कार्यालय आदेश

(B) अधिसूचना (Notification)

(C) कार्यालय ज्ञाप

(D) अर्ध-शासकीय पत्र

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से वैधानिक नियमों, अधिनियमों के लागू होने या राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानांतरण की आधिकारिक घोषणा जो सरकारी गजट (राजपत्र) में प्रकाशित होती है, उसे **अधिसूचना (Notification)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. **[UPPSC PCS Mains 2023]**

किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन (जैसे कर्मचारियों के मध्य कार्य-विभाजन, आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति या वेतन-वृद्धि) के लिए कौन-सा प्रपत्र जारी किया जाता है?

(A) प्रेस विज्ञप्ति

(B) निविदा सूचना

(C) कार्यालय आदेश (Office Order)

(D) अधिसूचना

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** किसी विभाग या कार्यालय के आंतरिक प्रशासन और अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा-संबंधी सूचनाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा **कार्यालय आदेश (Office Order)** जारी किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. **[SSC CGL / State PCS 2024]**

अंग्रेजी प्रशासनिक शब्द **'Endorsement'** का सही हिंदी रूपांतरण क्या है?

(A) अनुलग्नक

(B) पृष्ठांकन

(C) परिशिष्ट

(D) अनुमोदन

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** 'Endorsement' का अर्थ **पृष्ठांकन** होता है (जब किसी मूल पत्र की प्रतिलिपि अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. **[UPPSC RO/ARO Mains 2025]**

निम्नलिखित में से किस पत्राचार प्रारूप में 'महोदय' (संबोधन) और 'भवदीय' (स्व-निर्देश) दोनों का ही प्रयोग **नहीं** किया जाता है?

(A) शासकीय पत्र

(B) कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum)

(C) व्यापारिक पत्र

(D) शिकायती पत्र

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum) और कार्यालय आदेश दोनों में ही किसी प्रकार के संबोधन ('महोदय') या स्व-निर्देश ('भवदीय') का प्रयोग नहीं किया जाता है; इसमें सीधे विषय के बाद मुख्य कलेवर और नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. **[MPPSC / UPPSC Mains 2024]**

पल्लवन (Amplification) लेखन के संबंध में कौन-सा नियम **गलत** है?

(A) पल्लवन में सूक्ति या लोकोक्ति के निहित भाव का विस्तार किया जाता है।

(B) पल्लवन सदैव अन्य पुरुष (Third Person) में लिखा जाना चाहिए।

(C) पल्लवन की पुष्टि के लिए प्रासंगिक उदाहरण और दृष्टांत दिए जा सकते हैं।

(D) पल्लवन में मूल सूक्ति के विचार का खंडन या उसकी तीखी आलोचना करनी चाहिए।

- **सही उत्तर: (D)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पल्लवन में दी गई सूक्ति या लोकोक्ति एक स्थापित लोक-सत्य या दार्शनिक विचार होती है; अतः पल्लवन करते समय उसके भाव का समर्थन और विस्तार किया जाता है, उसका खंडन या आलोचना करना पूर्णतः वर्जित है।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. **[UPPSC RO/ARO 2023]**

प्रशासनिक शब्दावली में **'Superannuation'** शब्द का सटीक हिंदी अर्थ क्या है?

(A) निलंबन

(B) अधिवर्षिता (निर्धारित आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति)

(C) परिवीक्षा काल

(D) प्रतिनियुक्ति

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 'Superannuation' का मानक प्रशासनिक अर्थ **अधिवर्षिता** है, अर्थात् सरकारी सेवा में निर्धारित आयु (जैसे 60 या 62 वर्ष) पूर्ण करने पर होने वाली सेवानिवृत्ति।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. **[RAS Mains / UPPSC 2024]**

किसी विचाराधीन पत्र (Paper Under Consideration - PUC) के निस्तारण हेतु लिपिक या सहायक से लेकर उच्चाधिकारी तक द्वारा फाइल की नोट-शीट पर जो अभियुक्तियाँ या सुझाव लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?

(A) प्रारूपण (Drafting)

(B) टिप्पण (Noting)

(C) संक्षेपण (Precis)

(D) सारणीयन (Tabulation)

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** कार्यालय में प्राप्त किसी पत्र (PUC) पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में फाइल के बाएँ पृष्ठ (Note-sheet) पर तथ्यों, नियमों और पूर्वोदाहरणों का उल्लेख करते हुए लिखी जाने वाली टिप्पणी को **टिप्पण (Noting)** कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. **[UPPSC RO/ARO Mains 2024]**

पूर्व में भेजे गए किसी शासकीय पत्र का उत्तर निर्धारित समय में प्राप्त न होने पर संबंधित अधिकारी को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है?

(A) परिपत्र

(B) अनुस्मारक (Reminder)

(C) कार्यालय आदेश

(D) संकल्प

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** पूर्व पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही में विलंब होने पर स्मरण कराने हेतु भेजे जाने वाले पत्र को **अनुस्मारक** या **स्मरण-पत्र (Reminder)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. **[UKPSC / UPPSC 2023]**

विधिक एवं प्रशासनिक शब्दावली में **'Ultra Vires'** का सही हिंदी पर्याय क्या है?

(A) प्रथम दृष्टया

(B) शक्तिबाह्य / अधिकार-बाह्य

(C) अनिश्चित काल के लिए

(D) न्यायाधीन

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 'Ultra Vires' एक लैटिन विधिक वाक्यांश है जिसका अर्थ **शक्तिबाह्य** या **अधिकार-बाह्य** (प्रदत्त वैधानिक अधिकारों की सीमा से बाहर किया गया कार्य) होता है, जबकि 'Intra Vires' का अर्थ शक्ति-अंतर्गत होता है।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. **[UPPSC PCS 2024]**

अधिसूचना (Notification) का प्रकाशन किसके नाम या आज्ञा से किया जाता है?

(A) मुख्य न्यायाधीश के नाम से

(B) केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल के नाम से

(C) लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के नाम से

(D) जिला सूचना अधिकारी के नाम से

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 और 166 के तहत समस्त कार्यपालिका कार्य क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं; अतः अधिसूचना भी राष्ट्रपति (केंद्र में) और राज्यपाल (राज्य में) के नाम से जारी होती है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. **[SSC / State PCS 2025]**

निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म (अंग्रेजी प्रशासनिक शब्द — हिंदी पर्याय) **सुमेलित नहीं** है?

(A) Quorum — गणपूर्ति

(B) Sine die — अनिश्चित काल के लिए

(C) Honorarium — वेतनमान

(D) Minutes — कार्यवृत्त

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 'Honorarium' का अर्थ **मानदेय** होता है (किसी विशेष सेवा या अवैतनिक कार्य के सम्मानस्वरूप दी जाने वाली राशि), जबकि 'वेतनमान' को अंग्रेजी में 'Pay Scale' कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. **[UPPSC RO/ARO Mains 2023]**

प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique / Press Release) में प्रयुक्त शब्द **'Embargo' (एम्बार्गो)** का क्या तात्पर्य है?

(A) प्रेस विज्ञप्ति को विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने का आदेश

(B) एक निर्धारित तिथि और समय से पूर्व उस समाचार को प्रकाशित या प्रसारित न करने का प्रतिबंध

(C) समाचार-पत्र का पंजीकरण निरस्त करने की चेतावनी

(D) विज्ञापन शुल्क का भुगतान रोकने का आदेश

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** प्रेस विज्ञप्ति में शीर्ष पर प्रायः लिखा जाता है कि "दिनांक ... को प्रातः ... बजे से पूर्व प्रकाशित/प्रसारित न किया जाए"—इस समय-प्रतिबंध को पत्रकारिता और प्रशासन की भाषा में **एम्बार्गो (Embargo)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. **[BPSC / UPPSC Mains 2024]**

शासकीय पत्र में मुख्य कलेवर का प्रारंभ प्रायः किस मानक वाक्यांश से किया जाता है?

(A) "मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित करना चाहता हूँ कि..."

(B) "मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि..."

(C) "सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी..."

(D) "हम सभी यह भली-भाँति जानते हैं कि..."

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** शासकीय पत्र में अधिकारी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं, बल्कि शासन के निर्देशानुसार लिखता है; इसलिए इसका मानक प्रारंभ "मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि..." (I am directed to state that...) से होता है।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. **[UPPSC RO/ARO 2024]**

वित्तीय प्रशासन में प्रयुक्त शब्द **'Reimbursement'** का सटीक हिंदी अनुवाद क्या है?

(A) पुनर्विनियोग

(B) प्रतिपूर्ति

(C) संवितरण

(D) अवमूल्यन

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** किसी कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा चिकित्सा, यात्रा आदि पर किए गए व्यय की राशि को शासन/संस्था द्वारा वापस लौटाने को **प्रतिपूर्ति (Reimbursement)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. **[UPSC CSE / UPPSC Essay 2024]**

निबंध लेखन की 'व्यास शैली' और 'समास शैली' में मुख्य अंतर क्या है?

(A) व्यास शैली में विचारों का विस्तार और व्याख्या होती है, जबकि समास शैली में कम शब्दों में गहन भाव (संक्षिप्तता) पिरोए जाते हैं।

(B) व्यास शैली केवल कविता में प्रयुक्त होती है और समास शैली केवल नाटक में।

(C) व्यास शैली में केवल अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है।

(D) दोनों शैलियों में कोई अंतर नहीं है।

- **सही उत्तर: (A)**
- **विस्तृत व्याख्या:** आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में जहाँ 'समास शैली' (कम शब्दों में सूत्रबद्ध गहन बात) मिलती है, वहीं हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंधों में 'व्यास शैली' (विचारों का विस्तृत, सहज और व्याख्यात्मक प्रवाह) की प्रधानता होती है।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 21. **[UPPSC RO/ARO Mains 2023]**

अंग्रेजी वाक्यांश **'Mutatis Mutandis'** का प्रशासनिक हिंदी अर्थ क्या है?

(A) यथावश्यक परिवर्तन सहित

(B) बिना किसी अपवाद के

(C) प्रारंभ से ही शून्य

(D) दोनों पक्षों की सहमति से

- **सही उत्तर: (A)**
- **विस्तृत व्याख्या:** जब किसी एक नियम या आदेश को किसी अन्य समान प्रकरण पर आवश्यक छोटे-मोटे बदलावों के साथ लागू किया जाता है, तो उसके लिए **'यथावश्यक परिवर्तन सहित' (Mutatis Mutandis)** शब्द का प्रयोग होता है।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 22. **[UPPSC PCS Mains 2025]**

यदि किसी पूर्व में जारी किए गए शासनादेश या अधिसूचना में कोई टंकण या तथ्यात्मक त्रुटि रह गई हो, तो उसे सुधारने के लिए कौन-सा पत्र जारी किया जाता है?

(A) अनुस्मारक

(B) शुद्धिपत्र (Corrigendum / Errata)

(C) अर्ध-शासकीय पत्र

(D) निविदा सूचना

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पूर्व में निर्गत किसी राजकीय पत्र, आदेश या अधिसूचना की अशुद्धि या त्रुटि को संशोधित करने के लिए **शुद्धिपत्र (Corrigendum)** जारी किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 23. **[State PCS / RO-ARO 2024]**

निम्नलिखित में से किस शब्द का हिंदी पर्याय **'परिलब्धियाँ'** होता है?

(A) Perquisites

(B) Emoluments

(C) Allowances

(D) Arrears

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पद से प्राप्त होने वाले कुल वेतन और भत्तों के योग को **Emoluments (परिलब्धियाँ)** कहते हैं, जबकि 'Perquisites' को अनुलाभ, 'Allowances' को भत्ते और 'Arrears' को बकाया कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 24. **[UPPSC RO/ARO Mains 2023]**

संक्षेपण (Precis) का शीर्षक चुनते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

(A) शीर्षक कम से कम तीन वाक्यों का होना चाहिए।

(B) शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट और मूल गद्यांश के केंद्रीय भाव (Central Theme) को व्यक्त करने वाला होना चाहिए।

(C) शीर्षक में मुहावरों और प्रश्नवाचक चिह्नों का प्रयोग अनिवार्य है।

(D) शीर्षक केवल गद्यांश की अंतिम पंक्ति से ही लिया जाना चाहिए।

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** संक्षेपण का शीर्षक प्राय: 3 से 6 शब्दों का एक संक्षिप्त पदबंध होना चाहिए जो पूरे गद्यांश के मूल या केंद्रीय विचार को सीधे प्रतिबिंबित करे।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 25. [MPPSC / BPSC 2024]

सरकारी विभागों द्वारा किसी निर्माण कार्य को कराने या सामग्री के क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से मूल्य-दरें आमंत्रित करने के लिए समाचार-पत्रों में क्या प्रकाशित किया जाता है?

(A) परिपत्र

(B) निविदा सूचना (Tender Notice)

(C) कार्यालय ज्ञाप

(D) संकल्प

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** सरकारी निर्माण कार्यों या वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली सार्वजनिक सूचना को **निविदा सूचना (Tender Notice)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 26. [UPPSC RO/ARO 2024]

अंग्रेजी शब्द **'Deputation'** और **'Probation'** के सही हिंदी पर्याय क्रमश: क्या हैं?

(A) परिवीक्षा और प्रतिनियुक्ति

(B) प्रतिनियुक्ति और परिवीक्षा

(C) पदोन्नति और पदावनति

(D) निलंबन और बर्खास्तगी

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** 'Deputation' का अर्थ **प्रतिनियुक्ति** (मूल विभाग से किसी अन्य विभाग में निश्चित अवधि के लिए सेवा पर जाना) और 'Probation' का अर्थ **परिवीक्षा** (नवनियुक्त कर्मचारी की कार्यकुशलता परखने की प्रारंभिक अवधि) है।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 27. [UPPSC PCS Mains 2023]

जब किसी मूल पत्र के नीचे उसकी प्रतिलिपि अन्य अधिकारियों को सूचनार्थ भेजते समय "संख्या एवं दिनांक तदैव" लिखा जाता है, तो यहाँ **'तदैव'** शब्द का क्या अर्थ है?

(A) तुरंत कार्यवाही करें

(B) वही जो ऊपर (मूल पत्र में) अंकित है

(C) गोपनीय रखा जाए

(D) आगामी आदेश तक स्थगित

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 'तदैव' (तत् + एव) का अर्थ है **'वही'**; अर्थात् पृष्ठांकन की पत्र संख्या और दिनांक वही है जो ऊपर मूल शासकीय पत्र में लिखी गई है।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 28. **[SSC / State PCS 2024]**

विधिक शब्दावली में **'Cognizable Offence'** का मानक हिंदी रूपांतरण क्या है?

(A) जमानती अपराध

(B) संज्ञेय अपराध

(C) असंज्ञेय अपराध

(D) दीवानी अपराध

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 'Cognizable Offence' को हिंदी में **संज्ञेय अपराध** कहते हैं (ऐसे गंभीर अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है)।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 29. **[UPPSC RO/ARO Mains 2025]**

सारणी-रूप (Tabular Form) में किसी शासकीय पत्र का सार लिखते समय निम्नलिखित में से कौन-सा स्तंभ (Column) शामिल किया जाता है?

(A) क्रम संख्या, पत्र संख्या व दिनांक

(B) प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता (प्रेषिति)

(C) विषय-वस्तु / मुख्य आशय का संक्षिप्त विवरण

(D) उपर्युक्त सभी

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** UPPSC RO/ARO मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले पत्र के 'सारणी-रूप' (Tabular Form) में कुल 5 मुख्य स्तंभ होते हैं: (1) क्रम संख्या, (2) पत्र संख्या व दिनांक, (3) प्रेषक, (4) प्रेषिति (प्राप्तकर्ता), और (5) विषय/आशय का सार।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 30. **[UPPSC PCS 2024]**

प्रशासनिक शब्दावली में **'Ex-post facto sanction'** का सही हिंदी अर्थ क्या है?

(A) पूर्वानुमति

(B) कार्योत्तर संस्वीकृति (कार्य संपन्न होने के बाद दी गई मंजूरी)

(C) सशर्त अनुमोदन

(D) वित्तीय अस्वीकृति

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** तात्कालिक आवश्यकता के कारण पहले कार्य कर लेने और बाद में सक्षम प्राधिकारी से उसकी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने को **कार्योत्तर संस्वीकृति (Ex-post facto sanction)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 31. **[BPSC / MPPSC 2023]**

"जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि"—इस लोकोक्ति के पल्लवन का केंद्रीय भाव क्या होगा?

(A) सूर्य की किरणें पृथ्वी के सभी कोनों तक नहीं पहुँच पाती हैं।

(B) कवि की कल्पना-शक्ति, अंतर्दृष्टि और संवेदना भौतिक सीमाओं से परे उन सूक्ष्म मानवीय भावों तक भी पहुँच जाती है जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता।

(C) कवियों को रात्रि में ही कविता लिखनी चाहिए।

(D) खगोल विज्ञान की तुलना में साहित्य अधिक प्राचीन है।

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** इस प्रसिद्ध उक्ति में 'रवि' (सूर्य) प्रत्यक्ष भौतिक जगत की सीमा का प्रतीक है और 'कवि' असीम कल्पना व संवेदनशील प्रज्ञा का प्रतीक है, जो मानव मन के गूढ़तम रहस्यों को भी आलोकित कर देता है।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 32. **[UPPSC RO/ARO 2023]**

निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक शब्द का अर्थ **'धारणाधिकार'** या **'पदाधिकार'** होता है?

(A) Cadre

(B) Lien

(C) Tenure

(D) Roster

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** किसी सरकारी कर्मचारी का अपने मूल स्थायी पद को धारण करने का वैधानिक अधिकार (जब वह किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति या अस्थायी रूप से कार्य कर रहा हो) **Lien (धारणाधिकार/पदाधिकार)** कहलाता है।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 33. **[UPPSC PCS Mains 2024]**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत जारी की जाने वाली रिट **'Quo Warranto'** का मानक हिंदी नाम क्या है?

(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण

(B) परमादेश

(C) अधिकार-पृच्छा

(D) उत्प्रेषण

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** 'Quo Warranto' का हिंदी पर्याय **अधिकार-पृच्छा** है (जिसके द्वारा न्यायालय किसी लोक पद पर आसीन व्यक्ति से पूछता है कि वह किस वैधानिक अधिकार से उस पद को धारण किए हुए है)।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 34. **[UKPSC / UPPSC 2024]**

टिप्पण (Noting) लेखन में जब मामले का निस्तारण अनुभाग स्तर पर ही संभव न हो, तो सहायक अपनी टिप्पणी के अंत में क्या करता है?

(A) स्वयं ही अंतिम शासनादेश जारी कर देता है।

(B) फाइल को नष्ट कर देता है।

(C) मामले के तथ्य, नियम और संभावित विकल्प प्रस्तुत कर निर्णय/आदेशार्थ उच्चाधिकारी को फाइल अग्रसारित करता है तथा बायीं ओर अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करता है।

(D) आवेदक को व्यक्तिगत रूप से घर बुलाता है।

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** टिप्पण का मुख्य उद्देश्य उच्चाधिकारी (निर्णयकर्ता) के समक्ष मामले के समस्त तथ्य, लागू नियम और पूर्व नजीर स्पष्ट रूप से रखना है ताकि सक्षम अधिकारी उचित निर्णय ले सके।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 35. **[UPPSC RO/ARO Mains 2024]**

प्रशासनिक शब्दावली में **'Abeyance'** का सटीक हिंदी अर्थ क्या है?

(A) निरसन

(B) आस्थगन (किसी आदेश या पद को अस्थायी रूप से निष्क्रिय/ठहराव में रखना)

(C) बर्खास्तगी

(D) पदोन्नति

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** जब किसी आदेश या प्रस्ताव को निरस्त किए बिना कुछ समय के लिए रोक कर रखा जाता है ("Kept in abeyance"), तो उसे हिंदी में **आस्थगन** या **ठहराव में रखना** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 36. **[UPSC / State PCS 2023]**

एक उत्कृष्ट निबंध (Essay) की संरचना के तीन अनिवार्य घटक कौन-से माने जाते हैं?

(A) संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या

(B) प्रस्तावना (आरंभ), मुख्य कलेवर (मध्य/विस्तार) और उपसंहार (निष्कर्ष)

(C) प्रेषक, विषय और भवदीय

(D) शीर्षक, एक-तिहाई सारांश और शब्द-गणना

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** निबंध लेखन के शिल्प में तीन सुसंगठित भाग होते हैं—आकर्षक व विषय-प्रवेश कराने वाली **प्रस्तावना**, बहुआयामी विश्लेषण वाला **मुख्य कलेवर**, और आशावादी व समाधानपरक **उपसंहार**।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 37. **[UPPSC RO/ARO 2023]**

अंग्रेजी शब्द **'Discretionary Power'** के लिए सही हिंदी प्रशासनिक शब्द क्या है?

(A) केंद्रीकृत शक्ति

(B) विवेकाधिकार

(C) निषेधाधिकार

(D) प्रत्यायोजित शक्ति

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** अधिकारी या संवैधानिक पदधारी को अपने विवेक से निर्णय लेने की प्रदत्त शक्ति को **विवेकाधिकार (Discretionary Power)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 38. **[BPSC / MPPSC 2024]**

अर्ध-शासकीय पत्र में सामान्यत: किस स्तर के अधिकारियों के मध्य पत्राचार होता है?

(A) केवल चपरासी और लिपिक के मध्य

(B) प्राय: समकक्ष (Equal Rank) या वरिष्ठ से कनिष्ठ राजपत्रित अधिकारियों के मध्य

(C) केवल विदेशी राजदूतों के मध्य

(D) आम नागरिक और ग्राम प्रधान के मध्य

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** अर्ध-शासकीय पत्र प्राय: समकक्ष अधिकारियों (या वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ अधिकारी को) किसी महत्वपूर्ण शासकीय कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेने का अनुरोध करने हेतु लिखा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 39. **[UPPSC PCS Mains 2024]**

निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द **'Appropriation Bill'** का सही हिंदी अनुवाद है?

(A) वित्त विधेयक

(B) विनियोग विधेयक

(C) धन विधेयक

(D) अनुपूरक विधेयक

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति हेतु संसद में प्रस्तुत विधेयक को **विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 40. **[UPPSC RO/ARO Mains 2025]**

संक्षेपण (Precis Writing) करते समय यदि मूल गद्यांश में प्रथम पुरुष ('मैं', 'हम') या मध्यम पुरुष ('तुम', 'आप') में कोई संवाद दिया गया हो, तो संक्षेपण किस पुरुष में किया जाएगा?

(A) प्रथम पुरुष में ही रखा जाएगा

(B) मध्यम पुरुष में बदल दिया जाएगा

(C) सदैव अन्य पुरुष (Third Person / परोक्ष कथन) में परिवर्तित कर लिखा जाएगा

(D) संवाद को ज्यों का त्यों उद्धरण चिह्नों में लिखा जाएगा

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** संक्षेपण में प्रत्यक्ष संवाद (Direct Speech) और उत्तम/मध्यम पुरुष को सदैव **अन्य पुरुष (Indirect Speech / Third Person)** में बदल दिया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 41. **[State PCS 2023]**

प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली में **'Suo Motu'** का क्या अर्थ है?

(A) न्यायालय की अवमानना

(B) स्वप्रेरणा से / स्वतः संज्ञान

(C) दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद

(D) साक्ष्य के अभाव में

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** जब कोई न्यायालय, आयोग या प्राधिकारी बिना किसी औपचारिक याचिका के स्वयं किसी घटना का संज्ञान लेकर कार्यवाही प्रारंभ करता है, तो उसे **स्वतः संज्ञान या स्वप्रेरणा से (Suo Motu)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 42. **[UPPSC RO/ARO 2024]**

निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म **सही सुमेलित** है?

(A) Censure — प्रशंसा-पत्र

(B) Misappropriation — दुर्विनियोग / गबन

(C) Repeal — अधिनियमन

(D) Acquittal — दोषसिद्धि

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 'Misappropriation' का अर्थ **दुर्विनियोग या गबन** है। अन्य विकल्पों में Censure का अर्थ परिनिंदा, Repeal का अर्थ निरसन (कानून समाप्त करना) और Acquittal का अर्थ दोषमुक्ति है।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 43. **[UPPSC PCS Mains 2023]**

शासकीय पत्र में यदि एक से अधिक अनुच्छेद (Paragraphs) हों, तो अनुच्छेदों का क्रमांकन किस प्रकार किया जाता है?

(A) प्रथम अनुच्छेद पर कोई संख्या नहीं डाली जाती; दूसरे अनुच्छेद से क्रमशः 2., 3., 4. संख्या अंकित की जाती है।

(B) पहले अनुच्छेद से ही क, ख, ग लिखा जाता है।

(C) किसी भी अनुच्छेद पर कोई क्रमांक नहीं डाला जाता।

(D) केवल अंतिम अनुच्छेद पर संख्या 1 लिखी जाती है।

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** शासकीय आलेखन की मानक परिपाटी के अनुसार प्रथम पैराग्राफ पर क्रमांक '1' नहीं लिखा जाता; दूसरे पैराग्राफ से बायीं ओर **2.**, **3.** आदि क्रमांक डाले जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 44. **[RAS / MPPSC Mains 2024]**

पल्लवन करते समय भाषा-शैली कैसी होनी चाहिए?

(A) क्लिष्ट, अस्पष्ट और व्याकरण-रहित

(B) केवल बिंदुवार बुलेट पॉइंट्स में

(C) सुगठित, प्रवाहपूर्ण, तार्किक और व्यास शैली में एकल अनुच्छेद (या सुसंबद्ध दो अनुच्छेदों) में

(D) केवल काव्य की तुकबंदी में

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पल्लवन एक गद्य विधा है जिसमें बुलेट पॉइंट्स का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि विचारों के तार्किक प्रवाह के साथ व्यास शैली में सुगठित अनुच्छेद लिखा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 45. **[UPPSC RO/ARO 2024]**

अंग्रेजी प्रशासनिक शब्द **'Incumbent'** और **'Officiating'** का सही हिंदी अर्थ क्या है?

(A) पदधारी और स्थानापन्न

(B) सेवानिवृत्त और निलंबित

(C) वरिष्ठ और कनिष्ठ

(D) स्थायी और बर्खास्त

- **सही उत्तर: (A)**
- **विस्तृत व्याख्या:** वर्तमान में किसी पद को धारण करने वाले अधिकारी को **पदधारी (Incumbent)** और स्थायी अधिकारी की अनुपस्थिति में अस्थायी रूप से कार्य करने वाले को **स्थानापन्न (Officiating)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. **[UPPSC PCS 2025]**

संसदीय शब्दावली में **'Prorogation'** और **'Adjournment'** में क्या अंतर है?

(A) दोनों का अर्थ लोकसभा का विघटन है।

(B) Prorogation का अर्थ राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा 'सत्रावसान' करना है, जबकि Adjournment का अर्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा बैठक का 'स्थगन' करना है।

(C) Prorogation बजट पास करना है और Adjournment प्रश्न पूछना है।

(D) दोनों केवल राज्यसभा में प्रयुक्त होते हैं।

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** सदन की किसी बैठक को कुछ घंटों या दिनों के लिए रोकने को **स्थगन (Adjournment)** कहते हैं, जबकि पूरे सत्र की समाप्ति की घोषणा को **सत्रावसान (Prorogation)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. **[UPPSC RO/ARO Mains 2023]**

किसी सरकारी पत्र के साथ जब कोई सहायक दस्तावेज, तालिका या पूर्व पत्र की प्रति जोड़कर भेजी जाती है, तो उसे पत्र के अंत में बायीं ओर क्या लिखकर दर्शाया जाता है?

(A) पृष्ठांकन (Endorsement)

(B) संलग्नक / अनुलग्नक (Enclosure / Annexure)

(C) शुद्धिपत्र (Corrigendum)

(D) अनुस्मारक (Reminder)

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** मुख्य पत्र के साथ नत्थी किए जाने वाले अतिरिक्त कागजात या विवरणियों को **संलग्नक (Enclosure)** या **अनुलग्नक (Annexure)** कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. **[BPSC / UKPSC 2024]**

अंग्रेजी शब्द **'Indemnity'** और **'Forfeiture'** के मानक हिंदी पर्याय क्या हैं?

(A) क्षतिपूर्ति और जब्ती (समपहरण)

(B) ब्याज और मूलधन

(C) अनुदान और ऋण

(D) लेखापरीक्षा और बजट

- **सही उत्तर: (A)**
- **विस्तृत व्याख्या:** 'Indemnity' का अर्थ हानि से सुरक्षा या **क्षतिपूर्ति** है, तथा 'Forfeiture' का अर्थ नियम उल्लंघन पर जमानत राशि या संपत्ति की **जब्ती / समपहरण** है।

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. **[UPPSC RO/ARO Mains 2024]**

निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में **'कार्यालय ज्ञाप' (Office Memorandum)** का प्रयोग किया जाता है?

(A) जब राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं।

(B) जब सचिवालय के एक मंत्रालय/विभाग से दूसरे मंत्रालय/विभाग को सूचना दी जाती है अथवा किसी गैर-सरकारी व्यक्ति के अभ्यावेदन/याचिका का उत्तर दिया जाता है।

(C) जब जिलाधिकारी किसी मित्र को विवाह का निमंत्रण भेजते हैं।

(D) जब सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड की सजा सुनाता है।

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** अंतर-मंत्रालयीय पत्राचार (जहाँ पदानुक्रम का संबंध न हो) तथा कर्मचारियों या नागरिकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के उत्तर में **कार्यालय ज्ञाप** का प्रयोग किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. **[UPPSC PCS Mains 2023]**

"साहित्य समाज का दर्पण है"—यह प्रसिद्ध कथन किस प्रकार के निबंधों की आधारशिला माना जाता है?

(A) अंतरिक्ष विज्ञान परक निबंध

(B) साहित्य और समाज के अंतर्संबंध परक विचारात्मक निबंध

(C) विशुद्ध सांख्यिकीय बजट निबंध

(D) सैन्य युद्धाभ्यास निबंध

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** साहित्य और संस्कृति खंड के अंतर्गत यूपीपीएससी और यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले विचारात्मक निबंधों में यह उक्ति साहित्य की सामाजिक भूमिका को स्पष्ट करती है।

अभ्यास प्रश्न #51 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. **[SSC / State PCS 2024]**

प्रशासनिक शब्दावली में **'Dereliction of Duty'** का सही हिंदी अनुवाद क्या है?

(A) कर्तव्यनिष्ठा

(B) कर्तव्यच्युति / कर्तव्य की उपेक्षा

(C) अतिरिक्त कार्यभार

(D) असाधारण अवकाश

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** अपने पदीय दायित्वों का जानबूझकर या लापरवाही से पालन न करने को **कर्तव्यच्युति (Dereliction of Duty)** कहते हैं, जो अनुशासनिक कार्यवाही का आधार बनता है।

अभ्यास प्रश्न #52 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. **[UPPSC RO/ARO 2024]**

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प **'Amicus Curiae'** का सही अर्थ प्रकट करता है?

(A) मुख्य अभियोजक

(B) न्यायमित्र (न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त निष्पक्ष अधिवक्ता)

(C) फरार अभियुक्त

(D) चश्मदीद गवाह

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** किसी जनहित या जटिल विधिक मामले में न्यायालय को निष्पक्ष राय देने के लिए कोर्ट द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ता को **न्यायमित्र (Amicus Curiae)** कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #53 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. **[UPPSC PCS Mains 2024]**

यदि किसी मूल गद्यांश में कुल **180 शब्द** हैं, तो उसके संक्षेपण (Precis) की आदर्श शब्द-संख्या कितनी होनी चाहिए?

(A) लगभग 120 शब्द

(B) लगभग 90 शब्द

(C) लगभग 60 शब्द

(D) लगभग 20 शब्द

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** एक-तिहाई (1/3) नियम के अनुसार, 180 ÷ 3 = 60 शब्द। अतः संक्षेपण लगभग 55 से 65 शब्दों के बीच होना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #54 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. **[MPPSC / UKPSC 2023]**

प्रशासनिक शब्दावली में **'Precedent'** शब्द का क्या अर्थ है?

(A) राष्ट्रपति का आदेश

(B) नजीर / पूर्वोदाहरण (पूर्व में समान मामले में लिया गया निर्णय जो आगे मार्गदर्शक बने)

(C) आगामी वर्ष का बजट

(D) गोपनीय प्रतिवेदन

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** टिप्पण लेखन और न्यायिक प्रक्रिया में पूर्व में समान परिस्थितियों में दिए गए निर्णय को **नजीर या पूर्वोदाहरण (Precedent)** कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #55 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. **[UPPSC RO/ARO Mains 2025]**

अधिसूचना (Notification) के अंत में दायीं ओर अधिकारी के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाता है?

(A) आपका विश्वासी

(B) आज्ञा से (By Order)

(C) स्नेहाकांक्षी

(D) प्रार्थी

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** चूँकि अधिसूचना राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम से जारी होती है और उस पर हस्ताक्षर सचिव/प्रमुख सचिव करते हैं, इसलिए हस्ताक्षर के ऊपर **'आज्ञा से' (By Order)** लिखा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #56 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. **[UPPSC PCS 2024]**

निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द **'Vigilance'** और **'Surveillance'** के सही हिंदी पर्याय दर्शाता है?

(A) सतर्कता और निगरानी (चौकसी)

(B) लेखापरीक्षा और सत्यापन

(C) अन्वेषण और अभियोजन

(D) निलंबन और आरोप-पत्र

- **सही उत्तर: (A)**
- **विस्तृत व्याख्या:** प्रशासन में भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र के लिए **सतर्कता (Vigilance)** और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए **निगरानी / चौकसी (Surveillance)** शब्द का प्रयोग होता है।

अभ्यास प्रश्न #57 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. **[BPSC / State PCS 2023]**

"उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः"—इस संस्कृत सूक्ति का पल्लवन करते समय किस मुख्य मूल्य पर बल दिया जाएगा?

(A) भाग्यवाद और निष्क्रियता पर

(B) कर्मशीलता, पुरुषार्थ और कठोर परिश्रम के महत्व पर

(C) केवल कल्पना लोक में विचरण करने पर

(D) धन के संचय पर

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** इस सूक्ति का अर्थ है कि कार्य केवल इच्छा करने से नहीं, अपितु परिश्रम (उद्यम) करने से ही सिद्ध होते हैं; अतः इसका पल्लवन कर्मयोग और पुरुषार्थ पर केंद्रित होता है।

अभ्यास प्रश्न #58 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. **[UPPSC RO/ARO 2023]**

अंग्रेजी प्रशासनिक शब्द **'Terms of Reference'** (जैसे वित्त आयोग के संदर्भ में) का मानक हिंदी अनुवाद क्या है?

(A) संदर्भ ग्रंथ सूची

(B) विचारार्थ विषय / कार्यक्षेत्र की शर्तें

(C) सेवा निवृत्ति की शर्तें

(D) अनुबंध की समाप्ति

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** जब सरकार किसी आयोग या समिति का गठन करती है, तो उसे जिन बिंदुओं पर जाँच या सिफारिश करने का दायित्व सौंपा जाता है, उन्हें **विचारार्थ विषय (Terms of Reference - ToR)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #59 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. **[UPPSC PCS Mains 2025]**

शासकीय पत्राचार में **'अधोहस्ताक्षरी'** शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?

(A) पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए

(B) नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (The Undersigned) के लिए

(C) टाइप करने वाले आशुलिपिक के लिए

(D) डाक वितरित करने वाले कर्मचारी के लिए

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** कार्यालय ज्ञाप और आदेशों में प्रयुक्त 'The Undersigned' का मानक हिंदी पर्याय **अधोहस्ताक्षरी** (वह अधिकारी जिसके हस्ताक्षर पत्र के नीचे अंकित हैं) होता है।

अभ्यास प्रश्न #60 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. **[UPPSC RO/ARO Mains 2025]**

एक अच्छे आलेखन (Drafting) में निम्नलिखित में से कौन-सा गुण होना अनिवार्य है?

(A) तथ्यों की सटीकता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और शिष्ट राजभाषा का प्रयोग

(B) द्विअर्थी और भ्रामक वाक्यों का प्रयोग ताकि जिम्मेदारी तय न हो सके

(C) अत्यधिक काव्यात्मक और अलंकारिक भाषा का प्रयोग

(D) बिना पत्र संख्या और दिनांक के पत्र जारी करना

- **सही उत्तर: (A)**
- **विस्तृत व्याख्या:** श्रेष्ठ शासकीय प्रारूपण (Drafting) के चार मुख्य स्तंभ हैं—शुद्धता (Accuracy), स्पष्टता (Clarity), पूर्णता व संक्षिप्तता (Brevity) तथा निर्वैयक्तिक शिष्ट भाषा।

यह खंड संघ लोक सेवा आयोग (upsc.gov.in), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (up.gov.in), समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO), केंद्रीय सचिवालय एवं राज्य स्तरीय मुख्य परीक्षाओं के लिए हिंदी निबंध लेखन कला, शासकीय एवं अर्ध-शासकीय पत्राचार, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक तथा प्रशासनिक शब्दावली व राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

सारणी 33.1: शासकीय एवं कार्यालयी पत्रों के प्रमुख प्रारूपों का तुलनात्मक विवेचन

क्र.सं.	पत्र का प्रकार	प्रेषक एवं प्रेषिती (दिशा)	पुरुष शैली एवं संबोधन	स्वनिर्देश (अधोलेख) एवं संरचनात्मक विशेषताएं	प्रमुख प्रशासनिक उपयोग	आधिकारिक संदर्भ
1	शासकीय पत्र (Official Letter)	एक सरकारी कार्यालय/मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, राज्य सरकार या बाह्य संस्था को	अन्य पुरुष, औपचारिक एवं तटस्थ शैली; संबोधन: 'महोदय'	स्वनिर्देश: 'भवदीय'; पत्र संख्या शीर्ष के मध्य या दाईं ओर, प्रेषक के बाद 'सेवा में' और विषय का स्पष्ट उल्लेख	नीतिगत निर्णय, आधिकारिक आदेश, स्वीकृति एवं औपचारिक शासकीय पत्राचार	up.gov.in
2	अर्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official / D.O. Letter)	समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करने हेतु	उत्तम पुरुष ('मैं'), मित्रवत एवं आत्मीय शैली; संबोधन: 'प्रिय श्री [उपनाम],'	स्वनिर्देश: 'भवनिष्ठ' या 'आपका सद्भावी'; प्रेषिती का नाम व पदनाम पत्र के अंत में बाईं ओर नीचे लिखा जाता है	किसी लंबित शासकीय प्रकरण पर त्वरित व्यक्तिगत ध्यान, गोपनीय परामर्श या राय मांगना	up.gov.in
3	कार्यालय आदेश (Office Order)	कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने ही कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों/अनुभागों को	अन्य पुरुष, आदेशात्मक शैली; कोई संबोधन ('महोदय') नहीं होता	कोई स्वनिर्देश ('भवदीय') नहीं; सीधे आदेश की विषय-वस्तु से प्रारंभ और नीचे हस्ताक्षर व प्रतिलिपि	आंतरिक कार्य विभाजन, स्थानांतरण, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति या अनुशासनात्मक निर्देश	upsc.gov.in
4	कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum)	मंत्रालयों/विभागों के बीच आपसी पत्राचार या याचिकाओं का उत्तर देने हेतु	अन्य पुरुष शैली; न तो संबोधन होता है और न ही स्वनिर्देश ('भवदीय')	शीर्ष पर मध्य में 'कार्यालय ज्ञाप', अनुच्छेद क्रमांकित होते हैं, नीचे बाईं ओर प्रेषिती का पदनाम रहता है	अंतर-मंत्रालयी सूचना आदान-प्रदान, अभ्यावेदनों का निस्तारण एवं प्रशासनिक स्पष्टीकरण	up.gov.in
5	परिपत्र (Circular)	एक उच्च कार्यालय/मंत्रालय से एक साथ अनेक अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों को	अन्य पुरुष शैली; प्रारूप शासकीय पत्र या कार्यालय ज्ञाप दोनों रूपों में संभव	एक ही विषय या निर्देश को अनेक प्राप्तकर्ताओं (समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष) को एक साथ प्रसारित करना	सामान्य शासकीय नियमों, निर्देशों या सूचनाओं का व्यापक एवं एकसमान प्रसार	up.gov.in
6	अधिसूचना (Notification)	राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से राजपत्र (Gazette) में प्रकाशनार्थ	अन्य पुरुष, विधिक शैली; कोई संबोधन या स्वनिर्देश ('भवदीय') नहीं	'भारत का राजपत्र' या 'उत्तर प्रदेश असाधारण गजट' के संबंधित भाग/खंड का शीर्ष पर उल्लेख; 'आज्ञा से' हस्ताक्षर	नियमों का प्रवर्तन, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, भूमि अधिग्रहण एवं वैधानिक आदेश	up.gov.in
7	अनुस्मारक (Reminder / स्मरण पत्र)	पूर्व में भेजे गए पत्र पर कार्यवाही या उत्तर न मिलने पर पुनः स्मरण हेतु	मूल पत्र के अनुरूप ही प्रारूप (शासकीय या अर्ध-शासकीय)	शीर्ष पर 'अनुस्मारक-1/2' का उल्लेख तथा संदर्भ में पूर्व पत्र की संख्या एवं दिनांक का अनिवार्य हवाला	लंबित शासकीय पत्राचार में अपेक्षित सूचना या आख्या शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करना	www.iucacademy.com
8	पृष्ठांकन (Endorsement) एवं प्रेस विज्ञप्ति	पृष्ठांकन: मूल पत्र की प्रतिलिपि अन्य को भेजना; प्रेस विज्ञप्ति: जनसाधारण हेतु	अन्य पुरुष शैली; प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशन/प्रसारण की तिथि व समय (Embargo) अंकित	पृष्ठांकन शासकीय पत्र के नीचे 'संख्या तद्दिनांक' लिखकर किया जाता है; प्रेस विज्ञप्ति सूचना विभाग के माध्यम से जारी	संबंधित विभागों को सूचनार्थ प्रति भेजना तथा शासकीय निर्णयों की प्रामाणिक जानकारी मीडिया को देना	up.gov.in

सारणी 33.2: उच्च-स्तरीय हिंदी निबंध लेखन की संरचना, विषयगत आयाम एवं मूल्यांकन मानक

क्र.सं.	निबंध का विषय-क्षेत्र	मुख्य वैचारिक धुरी एवं विश्लेषण दृष्टिकोण	प्रस्तावना (Introduction) की प्रभावी तकनीक	मुख्य कलेवर (Body) का बहुआयामी विस्तार (PESTLE/SWOT)	उपसंहार (Conclusion) एवं प्रमुख संदर्भ ग्रंथ/सूक्तियां	आधिकारिक संदर्भ
1	साहित्य, संस्कृति एवं समाज	साहित्य और समाज का अंतर्संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, वसुधैव कुटुम्बकम्	प्रासंगिक काव्य पंक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन से आरंभ	ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, आधुनिक संक्रमण, डिजिटल युग में लोकसंस्कृति व भाषा का संरक्षण	समन्वयवादी, आशावादी एवं मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना ("साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, दीपक भी है")	upsc.gov.in
2	दार्शनिक एवं अमूर्त विषय (UPSC स्तर)	नैतिकता, विवेक, सत्य, स्वतंत्रता, ज्ञान बनाम प्रज्ञा, साधन और साध्य	विरोधाभासी प्रश्न, ऐतिहासिक दृष्टांत (बुद्ध, गांधी, सुकरात, कबीर) या रूपक कथा से आरंभ	व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर अवधारणा की क्रमिक व्याख्या; पक्ष-विपक्ष का संतुलित विवेचन	संवैधानिक नैतिकता, सर्वोदय और आत्म-अनुशासन के साथ संतुलित दार्शनिक समापन	upsc.gov.in
3	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)	नवाचार बनाम नैतिकता, डिजिटल संप्रभुता, अंतरिक्ष एवं जैव प्रौद्योगिकी	समकालीन वैज्ञानिक उपलब्धि (जैसे इंडिया एआई मिशन, चंद्रयान-3/गगनयान) के संदर्भ से प्रारंभ	आर्थिक उत्पादकता, स्वास्थ्य व शिक्षा में लाभ बनाम डीपफेक, बेरोजगारी व डेटा गोपनीयता की चुनौतियां	"विज्ञान एक श्रेष्ठ सेवक है किंतु क्रूर स्वामी"—मानव-केंद्रित एवं जिम्मेदार तकनीकी विकास	www.iucacademy.com
4	पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन	धारणीय विकास (Sustainable Development), नेट-जीरो लक्ष्य, आपदा प्रबंधन	प्रकृति के दोहन बनाम पोषण के द्वंद्व या 'मिशन लाइफ' (LiFE) के दर्शन से शुरुआत	ग्लोबल वार्मिंग, जैव-विविधता ह्रास, चक्रीय अर्थव्यवस्था, हरित हाइड्रोजन एवं अंतरराष्ट्रीय जलवायु न्याय	अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त ("माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः") और महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से समापन	indiabudget.gov.in
5	भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि एवं आत्मनिर्भर भारत	समावेशी विकास, कृषक कल्याण, विनिर्माण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर	आर्थिक सर्वेक्षण या केंद्रीय बजट के प्रामाणिक आंकड़ों व विकसित भारत 2047 के विजन से आरंभ	प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का संतुलन, एमएसएमई, महिला श्रमबल भागीदारी एवं क्षेत्रीय विषमता	आर्थिक समृद्धि के साथ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति (अंत्योदय) तक विकास के लाभ का वितरण	indiabudget.gov.in
6	राजव्यवस्था, लोकतंत्र, न्याय एवं सुशासन	संवैधानिक मूल्य, संघवाद, चुनावी सुधार, नागरिक चार्टर एवं ई-गवर्नेंस	संविधान की उद्देशिका (Preamble) के आदर्शों—न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता—से प्रारंभ	विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का शक्ति संतुलन, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक कर्तव्य	प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से तात्विक (Substantive) लोकतंत्र और 'सुराज' की ओर अग्रसर होने का संकल्प	upsc.gov.in
7	महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय	लैंगिक समानता, कार्यबल में भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नेतृत्व	'महिलाओं के विकास' से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (Women-led Development) के प्रतिमान से आरंभ	सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं, वैधानिक संरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम), आर्थिक स्वावलंबन व सुरक्षा	आधी आबादी की पूर्ण भागीदारी के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा—गरिमामय व समतामूलक समाज का आह्वान	indiabudget.gov.in

क्र.सं.	निबंध का विषय-क्षेत्र	मुख्य वैचारिक धुरी एवं विश्लेषण दृष्टिकोण	प्रस्तावना (Introduction) की प्रभावी तकनीक	मुख्य कलेवर (Body) का बहुआयामी विस्तार (PESTLE/SWOT)	उपसंहार (Conclusion) एवं प्रमुख संदर्भ ग्रंथ/सूक्तियां	आधिकारिक संदर्भ
8	अंतरराष्ट्रीय संबंध, विश्व शांति एवं भारत की भूमिका	बहुध्रुवीय विश्व, ग्लोबल साउथ की आवाज, सामरिक स्वायत्तता एवं आतंकवाद विरोध	समकालीन भू-राजनीतिक परिदृश्य एवं भारत की प्राचीन कूटनीतिक परंपरा (पंचशील व गुटनिरपेक्षता से विश्वमित्र तक)	आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, हिंद-प्रशांत सुरक्षा, ऊर्जा कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र सुधार और प्रवासी भारतीय	संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष समाधान तथा न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का निर्माण	mod.gov.in

सारणी 33.3: राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान, मानक प्रशासनिक शब्दावली एवं संक्षेपण-पल्लवन नियम

क्र.सं.	अनुच्छेद / प्रशासनिक मद	संवैधानिक / भाषाई प्रावधान एवं मानक अंग्रेजी-हिंदी समतुल्य	मुख्य नियम एवं प्रयुक्ति क्षेत्र	परीक्षा-उपयोगी विशेष टिप्पणी	आधिकारिक संदर्भ
1	संविधान के भाग-17 (अनुच्छेद 343 से 351)	अनुच्छेद 343(1): संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी; अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा	अनुच्छेद 344: राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति (30 सदस्य: 20 लोकसभा + 10 राज्यसभा); अनुच्छेद 351: हिंदी के विकास हेतु निदेश	14 सितंबर 1949 को संवैधानिक स्वीकृति; राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) एवं नियम 1976 (क, ख, ग क्षेत्र)	upsc.gov.in
2	विधिक एवं प्रशासनिक शब्दावली (समूह-1)	Abeyance — आस्थगन; Adjournment — स्थगन; Ad-hoc — तदर्थ; Affidavit — शपथ-पत्र; Agenda — कार्यसूची	Ambiguous — संदिग्ध/द्विअर्थी; Autonomous — स्वायत्त; Bail — जमानत; Bona fide — सद्भावी/वास्तविक; Cadre — संवर्ग	शासकीय अनुवाद में संदर्भ के अनुसार सटीक एवं मानक शब्दावली (वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग) का ही प्रयोग करें	up.gov.in
3	विधिक एवं प्रशासनिक शब्दावली (समूह-2)	Charge-sheet — आरोप-पत्र; Cognizable — संज्ञेय; Consensus — सर्वसम्मति; Contempt — अवमानना; De facto — वस्तुतः	De jure — विधितः; Delegation — प्रत्यायोजन; Discretion — विवेकाधिकार; Emoluments — परिलब्धियां; Ex-officio — पदेन	'Adjourning' (स्थगन) और 'Abeyance' (आस्थगन/ठंडे बस्ते में रखना) के सूक्ष्म अंतर पर परीक्षा में विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं	up.gov.in
4	विधिक एवं प्रशासनिक शब्दावली (समूह-3)	Gazette — राजपत्र; Honorarium — मानदेय; Indemnity — क्षतिपूर्ति; Interim — अंतरिम; Jurisdiction — अधिकारिता/क्षेत्राधिकार	Minutes — कार्यवृत्त; Mutatis Mutandis — यथावश्यक परिवर्तन सहित; Sine die — अनिश्चित काल के लिए; Status quo — यथास्थिति; Suo motu — स्वप्रेरणा से	'Honorarium' (मानदेय), 'Remuneration' (पारिश्रमिक) और 'Salary' (वेतन) के मध्य प्रशासनिक भेद स्पष्ट रखें	up.gov.in
5	संक्षेपण (Precis Writing) के मानक नियम	मूल गद्यांश के कुल शब्दों के ठीक एक-तिहाई ((1 / 3)) शब्दों में केंद्रीय भाव का सार लिखना	अन्य पुरुष शैली का प्रयोग, अलंकारों/उदाहरणों/पुनरुक्तियों का त्याग, और 3 से 5 शब्दों का सटीक 'शीर्षक' अनिवार्य	संक्षेपण में अपनी ओर से कोई नई बात, टीका-टिप्पणी या आलोचना जोड़ना पूर्णतः वर्जित है	upsc.gov.in
6	पल्लवन / भाव-विस्तार (Amplification) के नियम	किसी सूत्र-वाक्य, सूक्ति या लोकोक्ति में निहित गूढ़ भाव का 100 से 150 शब्दों में तार्किक विस्तार	संक्षेपण का ठीक विपरीत रूप; अन्य पुरुष शैली में अर्थ स्पष्टीकरण, सहायक दृष्टांत एवं समापन निष्कर्ष	पल्लवन में मूल सूक्ति की केवल शब्दार्थ व्याख्या न कर उसके पीछे छिपे व्यापक जीवन-सत्य को उजागर किया जाता है	www.iucacademy.com

क्र.सं.	अनुच्छेद / प्रशासनिक मद	संवैधानिक / भाषाई प्रावधान एवं मानक अंग्रेजी-हिंदी समतुल्य	मुख्य नियम एवं प्रयुक्ति क्षेत्र	परीक्षा-उपयोगी विशेष टिप्पणी	आधिकारिक संदर्भ
7	टिप्पण लेखन (Noting) एवं प्रारूपण (Drafting)	टिप्पण: विचाराधीन पत्र (PUC) पर सहायक से लेकर उच्च अधिकारी तक द्वारा लिखी गई राय/सुझाव	टिप्पण फाइल के बाएं पृष्ठ (Note Sheet) पर अन्य पुरुष में लिखा जाता है; स्वीकृति के पश्चात 'आलेखन/प्रारूपण' तैयार होता है	सचिवालय कार्यप्रणाली में टिप्पण संक्षिप्त, तथ्यपरक, पूर्व दृष्टांतों व नियमों के हवाले सहित होना चाहिए	up.gov.in
8	सारणीयन रूप (Tabular Form) में पत्र का प्रस्तुतीकरण	शासकीय पत्र के सभी अंगों को चार स्तंभों—क्रम संख्या, प्रेषक, प्रेषिती तथा विषय/आशय—की तालिका में बदलना	पत्र संख्या व दिनांक को प्रेषक या क्रम संख्या स्तंभ में तथा संलग्नकों व पृष्ठांकन को अलग पंक्तियों में दर्शाया जाता है	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC मुख्य परीक्षा व RO/ARO) में सारणी-रूप लेखन का विशेष महत्व है	up.gov.in

उच्च-स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न एवं विस्तृत व्याख्या (खंड 33: प्रश्न 1 से 20)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. अर्ध-शासकीय पत्र (Demi-Official Letter) के प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पूर्णतः सत्य है?

• (क) यह पत्र उत्तम पुरुष ('मैं') में मित्रवत शैली में लिखा जाता है, इसमें संबोधन 'प्रिय श्री...' होता है तथा प्रेषिती (पाने वाले अधिकारी) का नाम व पदनाम पत्र के अंत में बाईं ओर नीचे लिखा जाता है

• (ख) यह पत्र अन्य पुरुष में आदेशात्मक शैली में लिखा जाता है और इसमें ऊपर 'सेवा में' लिखकर पदनाम लिखा जाता है

• (ग) इसमें किसी भी प्रकार के संबोधन या स्वनिर्देश ('भवनिष्ठ') का प्रयोग नहीं किया जाता

• (घ) इसे केवल राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन के लिए ही जारी किया जाता है

• **सही उत्तर:** (क) यह पत्र उत्तम पुरुष ('मैं') में मित्रवत शैली में लिखा जाता है, इसमें संबोधन 'प्रिय श्री...' होता है तथा प्रेषिती (पाने वाले अधिकारी) का नाम व पदनाम पत्र के अंत में बाईं ओर नीचे लिखा जाता है

• **विस्तृत व्याख्या:** शासकीय पत्राचार नियमों (up.gov.in) के अनुसार अर्ध-शासकीय पत्र तब लिखा जाता है जब किसी सरकारी मामले में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान तुरंत आकर्षित करना हो। इसमें औपचारिक 'सेवा में' नहीं लिखा जाता, ऊपर दाईं ओर प्रेषक का पता व दिनांक, बाईं ओर 'प्रिय श्री [उपनाम],' संबोधन, उत्तम पुरुष शैली, दाईं ओर नीचे 'भवनिष्ठ' (स्वनिर्देश) और बाईं ओर सबसे नीचे प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम व पूरा पता लिखा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किन शासकीय पत्राचार प्रारूपों में न तो संबोधन ('महोदय') लिखा जाता है और न ही अधोलेख/स्वनिर्देश ('भवदीय') का प्रयोग होता है?

• (क) कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और अधिसूचना

• (ख) शासकीय पत्र और अर्ध-शासकीय पत्र

• (ग) केवल शासकीय पत्र और अनुस्मारक

• (घ) अर्ध-शासकीय पत्र और व्यक्तिगत आवेदन पत्र

• **सही उत्तर:** (क) कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और अधिसूचना

• **विस्तृत व्याख्या:** कार्यालय आदेश (Office Order), कार्यालय ज्ञाप (Office Memorandum) और अधिसूचना (Notification) तीनों ही अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं (up.gov.in) तथा इनमें न तो प्रारंभ में 'महोदय' (संबोधन) लिखा जाता है और न ही अंत में 'भवदीय' (स्वनिर्देश) का प्रयोग होता है; अंत में सीधे प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम अंकित होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. जब किसी मंत्रालय या विभागाध्यक्ष द्वारा एक ही सूचना, आदेश या दिशा-निर्देश को अपने अधीनस्थ अनेक कार्यालयों या समस्त जिलाधिकारियों को एक साथ भेजा जाता है, तो उस पत्र रूप को क्या कहते हैं?

- (क) परिपत्र (Circular)
- (ख) अनुस्मारक (Reminder)
- (ग) संकल्प (Resolution)
- (घ) प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique)
- **सही उत्तर:** (क) परिपत्र (Circular)
- **विस्तृत व्याख्या:** जब कोई शासकीय पत्र या कार्यालय ज्ञाप एक प्रेषक द्वारा अनेक प्रेषितियों (Multiple Recipients) को एक साथ समान सूचना या निर्देश प्रसारित करने के लिए भेजा जाता है, तो उसे 'परिपत्र' (Circular) कहा जाता है (up.gov.in)।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. 'अधिसूचना' (Notification) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (क) अधिसूचना में प्रेषक अधिकारी द्वारा बाईं ओर 'सेवा में' लिखकर संपादक को संबोधित किया जाता है और अंत में 'भवदीय' लिखा जाता है
- (ख) अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है और इसे सरकारी गजट (राजपत्र) में प्रकाशित किया जाता है
- (ग) इसके अंत में बाईं ओर पृष्ठांकन संख्या डालकर राजकीय मुद्रणालय (गवर्नमेंट प्रेस) को प्रकाशनार्थ प्रतिलिपि भेजी जाती है
- (घ) राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, नियम प्रवर्तन एवं भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की जाती है
- **सही उत्तर:** (क) अधिसूचना में प्रेषक अधिकारी द्वारा बाईं ओर 'सेवा में' लिखकर संपादक को संबोधित किया जाता है और अंत में 'भवदीय' लिखा जाता है
- **विस्तृत व्याख्या:** अधिसूचना में 'सेवा में', 'महोदय' या 'भवदीय' का प्रयोग कभी नहीं किया जाता (up.gov.in)। यह सीधे "भारत के संविधान के अनुच्छेद... / अधिनियम की धारा... के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल/राष्ट्रपति सहर्ष निम्नांकित आदेश देते हैं..." से प्रारंभ होती है और अंत में 'आज्ञा से' लिखकर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. किसी पूर्व प्रेषित शासकीय पत्र पर यथोचित समय बीत जाने के बाद भी जब कोई उत्तर या कार्यवाही आख्या प्राप्त नहीं होती, तो भेजे जाने वाले 'अनुस्मारक' (Reminder) के विषय में क्या आवश्यक है?

- (क) इसमें पूर्व में भेजे गए मूल पत्र की संख्या और दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पुनः ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा इसका प्रारूप मूल पत्र के समान ही होता है
- (ख) अनुस्मारक सदैव राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है
- (ग) अनुस्मारक में मूल विषय का कोई उल्लेख नहीं किया जाता और यह बिना पत्र संख्या के भेजा जाता है
- (घ) अनुस्मारक केवल टेलीग्राम या तार के माध्यम से ही भेजा जा सकता है
- **सही उत्तर:** (क) इसमें पूर्व में भेजे गए मूल पत्र की संख्या और दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पुनः ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा इसका प्रारूप मूल पत्र के समान ही होता है
- **विस्तृत व्याख्या:** अनुस्मारक या स्मरण-पत्र (www.iucacademy.com) का मुख्य उद्देश्य पूर्व पत्र की याद दिलाना है। यदि मूल पत्र शासकीय था तो अनुस्मारक भी शासकीय प्रारूप में होगा, और यदि मूल पत्र अर्ध-शासकीय था तो अनुस्मारक भी अर्ध-शासकीय प्रारूप में होगा। इसमें मूल पत्र की संख्या व दिनांक का संदर्भ देना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली में अंग्रेजी के शब्दों 'Mutatis Mutandis', 'Sine die' और 'Suo motu' का सटीक हिंदी रूपांतरण क्रमशः क्या है?

• (क) यथावश्यक परिवर्तन सहित, अनिश्चित काल के लिए, और स्वप्रेरणा से

• (ख) यथास्थिति, सर्वसम्मति से, और सद्भावनापूर्वक

• (ग) तदर्थ आधार पर, कार्यवृत्त के अनुसार, और पदेन रूप से

• (घ) विधितः, वस्तुतः, और क्षेत्राधिकार के भीतर

• **सही उत्तर:** (क) यथावश्यक परिवर्तन सहित, अनिश्चित काल के लिए, और स्वप्रेरणा से

• **विस्तृत व्याख्या:** राजभाषा विभाग एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (upsc.gov.in) के अनुसार: 'Mutatis Mutandis' का अर्थ 'यथावश्यक परिवर्तन सहित', 'Sine die' का अर्थ 'अनिश्चित काल के लिए' (जैसे सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन), और 'Suo motu' का अर्थ 'स्वप्रेरणा से' या 'स्वतः संज्ञान से' होता है।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. निम्नलिखित प्रशासनिक शब्दों के अंग्रेजी-हिंदी युग्मों में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

• (क) Emoluments — परिलब्धियां

• (ख) Honorarium — मानदेय

• (ग) Delegation — प्रतिनियुक्ति

• (घ) Indemnity — क्षतिपूर्ति

• **सही उत्तर:** (ग) Delegation — प्रतिनियुक्ति

• **विस्तृत व्याख्या:** मानक प्रशासनिक शब्दावली (up.gov.in) में 'Delegation' का हिंदी अर्थ 'प्रत्यायोजन' या 'शिष्टमंडल/प्रतिनिधिमंडल' होता है (जैसे Delegation of Powers — शक्तियों का प्रत्यायोजन), जबकि 'प्रतिनियुक्ति' के लिए अंग्रेजी शब्द 'Deputation' प्रयुक्त होता है।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. सचिवालय की कार्यप्रणाली में 'टिप्पण लेखन' (Noting) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा नियम सही है?

• (क) टिप्पण सदैव पत्रावली (File) के बाएं भाग (Note Sheet) पर अन्य पुरुष में संक्षिप्त, तार्किक और नियम-संगत रूप में लिखा जाता है तथा लिपिक/सहायक अपने टिप्पण के नीचे बाईं ओर हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करता है

• (ख) टिप्पण सीधे आवती (मूल विचाराधीन पत्र) के ऊपर लाल स्याही से लिखा जाता है

• (ग) टिप्पण में अधिकारी अपने व्यक्तिगत राजनीतिक विचार और आलंकारिक कविताएं लिख सकता है

• (घ) टिप्पण केवल कार्यालय के बाहर के नागरिकों द्वारा लिखा जाता है

• **सही उत्तर:** (क) टिप्पण सदैव पत्रावली (File) के बाएं भाग (Note Sheet) पर अन्य पुरुष में संक्षिप्त, तार्किक और नियम-संगत रूप में लिखा जाता है तथा लिपिक/सहायक अपने टिप्पण के नीचे बाईं ओर हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करता है

• **विस्तृत व्याख्या:** कार्यालय पद्धति (up.gov.in) के अनुसार किसी पत्रावली के दो भाग होते हैं—दाहिनी ओर पत्राचार भाग (Correspondence portion, जहाँ विचाराधीन पत्र या PUC रखा जाता है) और बाईं ओर टिप्पण भाग (Note-sheet)। सहायक या अनुभाग अधिकारी जब प्रारंभिक टिप्पण लिखता है तो अंत में बाईं ओर अपने आद्यक्षर व दिनांक लिखता है, जबकि उच्च निर्णयकर्ता अधिकारी दाईं ओर हस्ताक्षर करता है।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. 'संक्षेपण' (Precis Writing) और 'पल्लवन' (Amplification) की तुलना के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

• (क) संक्षेपण में मूल अवतरण को लगभग एक-तिहाई शब्दों में समेटा जाता है और इसका एक संक्षिप्त शीर्षक दिया जाता है, जबकि पल्लवन में किसी सूक्ति या बीज-भाव का तार्किक एवं सोदाहरण विस्तार किया जाता है

• (ख) संक्षेपण मूल गद्यांश से दोगुने शब्दों में लिखा जाता है और पल्लवन एक-तिहाई शब्दों में

• (ग) संक्षेपण में मूल गद्यांश के संवादों को ज्यों का त्यों उद्धरण चिह्नों में नकल कर दिया जाता है

• (घ) पल्लवन में मूल सूक्ति का खंडन करके उसके विपरीत अर्थ को सिद्ध करना अनिवार्य होता है

• **सही उत्तर:** (क) संक्षेपण में मूल अवतरण को लगभग एक-तिहाई शब्दों में समेटा जाता है और इसका एक संक्षिप्त शीर्षक दिया जाता है, जबकि पल्लवन में किसी सूक्ति या बीज-भाव का तार्किक एवं सोदाहरण विस्तार किया जाता है

• **विस्तृत व्याख्या:** संक्षेपण में समास शैली (गागर में सागर भरना) का प्रयोग कर मूल शब्दों के (1 / 3) में सार लिखा जाता है तथा उपयुक्त शीर्षक देना अनिवार्य होता है (upsc.gov.in)। इसके विपरीत पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग करते हुए किसी संक्षिप्त सूत्र-वाक्य या लोकोक्ति की अंतर्निहित भावना को 100-150 शब्दों में खोला और स्पष्ट किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. भारतीय संविधान के भाग-17 (राजभाषा) और राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत बनाए गए 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन-से राज्य 'क' क्षेत्र (Region A) में शामिल हैं?

• (क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा दिल्ली और अंडमान-निकोबार संघ राज्य क्षेत्र

• (ख) गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली

• (ग) तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा

• (घ) केवल उत्तर प्रदेश और बिहार

• **सही उत्तर:** (क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा दिल्ली और अंडमान-निकोबार संघ राज्य क्षेत्र

• **विस्तृत व्याख्या:** राजभाषा नियम, 1976 (upsc.gov.in) के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यालयों के पत्राचार हेतु देश को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है: 'क' क्षेत्र में हिंदी भाषी 9 राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़) और 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) आते हैं जहाँ शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में अपेक्षित है। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब 'ख' क्षेत्र में तथा शेष गैर-हिंदी भाषी राज्य 'ग' क्षेत्र में आते हैं।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध संग्रह 'चिंतामणि' और निबंध की परिभाषा के संदर्भ में उनका कौन-सा कथन हिंदी निबंध साहित्य का आधारभूत मानदंड माना जाता है?

• (क) "यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है।"

• (ख) "निबंध केवल तथ्यों और आंकड़ों की एक निर्जीव सरकारी सूची मात्र है।"

• (ग) "निबंध में विचार की अपेक्षा केवल तुकबंदी और छंदशास्त्र का होना अनिवार्य है।"

• (घ) "निबंध लेखन में लेखक के व्यक्तित्व और मौलिक चिंतन का कोई स्थान नहीं होता।"

• **सही उत्तर:** (क) "यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है।"

• **विस्तृत व्याख्या:** हिंदी आलोचना और निबंध के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (www.iucacademy.com) में संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति 'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति' का विस्तार करते हुए लिखा कि यदि गद्य लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है, क्योंकि निबंध में कम से कम शब्दों में सघन, व्यवस्थित और मौलिक विचार-प्रवाह की परीक्षा होती है।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. मुख्य परीक्षा में 'अमूर्त या दार्शनिक निबंध' (Philosophical Essay) लिखते समय निम्नलिखित में से कौन-सी पद्धति सर्वाधिक अंकदायी और मानक मानी जाती है?

• (क) विषय के केंद्रीय दर्शन को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर उसके नैतिक, व्यावहारिक एवं समकालीन आयामों का तार्किक विश्लेषण करना तथा संवैधानिक व मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित निष्कर्ष देना

• (ख) पूरे निबंध में केवल एक ही कहानी को बार-बार दोहराना और विषय के दूसरे पक्ष की पूर्ण उपेक्षा करना

• (ग) निबंध को उप-शीर्षकों, बुलेट पॉइंट्स और सांख्यिकीय तालिकाओं में बांटकर सामान्य अध्ययन के संक्षिप्त उत्तर जैसा लिखना

• (घ) अत्यधिक क्लिष्ट व अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कर अतिवादी या एकांगी निष्कर्ष प्रस्तुत करना

• **सही उत्तर:** (क) विषय के केंद्रीय दर्शन को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर उसके नैतिक, व्यावहारिक एवं समकालीन आयामों का तार्किक विश्लेषण करना तथा संवैधानिक व मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित निष्कर्ष देना

• **विस्तृत व्याख्या:** संघ लोक सेवा आयोग (upsc.gov.in) के निबंध प्रश्नपत्र के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विषय पर केंद्रित रहें, अपने विचारों को सुव्यवस्थित रूप से क्रमानुसार व्यक्त करें और संक्षिप्त तथा प्रभावी लेखन करें। निबंध में बुलेट पॉइंट्स के बजाय प्रवाहमय अनुच्छेद (Paragraphs) और एक अनुच्छेद से दूसरे अनुच्छेद के बीच सहज संक्रमण (Smooth Transition) होना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. शासकीय पत्र में जब प्रेषक अधिकारी से उच्च स्तर के अधिकारी या शासन को पत्र लिखा जाता है, अथवा जब शासन से अधीनस्थ अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, तो पत्र संख्या और दिनांक के ठीक नीचे बाईं ओर किस क्रम का पालन किया जाता है?

• (क) पहले 'प्रेषक:' (नाम, पदनाम व पता) और उसके नीचे 'सेवा में,' (प्राप्तकर्ता का पदनाम व पता) लिखा जाता है

• (ख) पहले 'प्रिय महोदय' और उसके बाद नीचे 'आपका आज्ञाकारी' लिखा जाता है

• (ग) प्रेषक का नाम केवल पत्र के अंतिम पृष्ठ के पीछे लिखा जाता है

• (घ) शासकीय पत्र में प्रेषिती का पदनाम लिखना वर्जित होता है

• **सही उत्तर:** (क) पहले 'प्रेषक:' (नाम, पदनाम व पता) और उसके नीचे 'सेवा में,' (प्राप्तकर्ता का पदनाम व पता) लिखा जाता है

• **विस्तृत व्याख्या:** उत्तर प्रदेश शासन की मानक शासकीय पत्र शैली (up.gov.in) में बाईं ओर सबसे पहले 'प्रेषक' का विवरण और उसके ठीक नीचे 'सेवा में' लिखकर प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का पदनाम व पता लिखा जाता है, जिसके पश्चात अनुभाग संख्या, स्थान व दिनांक, फिर 'विषय:' और 'महोदय,' संबोधन आता है।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. जब सरकार को किसी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, उच्च स्तरीय समिति/आयोग के गठन या किसी जांच रिपोर्ट पर सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक रूप से घोषित करना होता है, तो राजपत्र में प्रकाशित किए जाने वाले उस दस्तावेज को क्या कहा जाता है?

• (क) संकल्प (Resolution)

• (ख) कार्यालय आदेश (Office Order)

• (ग) अनुस्मारक (Reminder)

• (घ) अशासकीय टिप्पण (Unofficial Note)

• **सही उत्तर:** (क) संकल्प (Resolution)

• **विस्तृत व्याख्या:** 'संकल्प' (Resolution) का प्रयोग सरकार द्वारा महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं, आयोगों या समितियों के गठन और उनके विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) को निर्धारित करने के लिए किया जाता है (upsc.gov.in)। इसके अंतिम भाग में 'आदेश' शीर्षक के अंतर्गत यह निर्देश होता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए और इसे राजपत्र (Gazette) में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. निम्नलिखित वाक्यों में से कौन-सा वाक्य व्याकरणिक और कार्यालयी हिंदी की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है?

• (क) निदेशानुसार मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रकरण में वांछित आख्या तीन दिन के भीतर प्रेषित करें।

• (ख) मेरे को साब ने बोला है कि इस फाइल का जवाब जल्दी से जल्दी भिजवा दिया जाए।

• (ग) कृपया करके आप इस पत्र के ऊपर अपनी तुरंत कार्यवाही करने की कृपा करें।

• (घ) उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके द्वारा भेजा गया दोनों पत्र प्राप्त हो गया है।

• **सही उत्तर:** (क) निदेशानुसार मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रकरण में वांछित आख्या तीन दिन के भीतर प्रेषित करें।

• **विस्तृत व्याख्या:** शासकीय पत्र की मानक भाषा (up.gov.in) में "मुझे यह कहने/सूचित करने का निदेश हुआ है..." का प्रयोग होता है। विकल्प (ख) में बोलचाल की अशुद्ध भाषा ('मेरे को'), विकल्प (ग) में 'कृपया' और 'कृपा करें' की द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि, तथा विकल्प (घ) में 'उपरोक्त' (शुद्ध शब्द: 'उपर्युक्त') और वचन संबंधी अशुद्धि ('दोनों पत्र प्राप्त हो गए हैं' होना चाहिए) है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. प्रशासनिक शब्दावली में 'Ex-officio', 'Ad-hoc' और 'Status quo' का सही अर्थ क्रमशः क्या है?

• (क) पदेन, तदर्थ और यथास्थिति

• (ख) कार्यवाहक, स्थायी और पूर्वव्यापी

• (ग) अवैतनिक, संविदात्मक और न्यायाधीन

• (घ) सर्वसम्मत, अनंतिम और एकपक्षीय

• **सही उत्तर:** (क) पदेन, तदर्थ और यथास्थिति

• **विस्तृत व्याख्या:** मानक शब्दावली (upsc.gov.in) में: 'Ex-officio' का अर्थ 'पदेन' (किसी पद को धारण करने के कारण स्वतः प्राप्त दूसरा पद, जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं), 'Ad-hoc' का अर्थ 'तदर्थ' (किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी व्यवस्था), और 'Status quo' का अर्थ 'यथास्थिति' (जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही बनाए रखना) होता है।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. किसी विचाराधीन विषय पर दो विभागों के बीच फाइल पर ही सीधे राय या सूचना प्राप्त करने के लिए बिना औपचारिक पत्र लिखे जो पद्धति अपनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं?

• (क) अंतर-विभागीय टिप्पण / अशासकीय टिप्पण (Inter-departmental / Unofficial Note - U.O. Note)

• (ख) प्रेस विज्ञप्ति (Press Release)

• (ग) राजपत्रित अधिसूचना (Gazette Notification)

• (घ) निविदा सूचना (Tender Notice)

• **सही उत्तर:** (क) अंतर-विभागीय टिप्पण / अशासकीय टिप्पण (Inter-departmental / Unofficial Note - U.O. Note)

• **विस्तृत व्याख्या:** जब एक विभाग या मंत्रालय को किसी मामले में दूसरे विभाग (जैसे वित्त या विधि विभाग) की राय या सहमति लेनी होती है, तो समय बचाने के लिए मूल पत्रावली (File) पर ही टिप्पण लिखकर फाइल सीधे दूसरे विभाग को भेज दी जाती है या अलग से स्व-स्पष्ट टिप्पण भेजा जाता है, जिसे 'अंतर-विभागीय टिप्पण' या 'अशासकीय टिप्पण' (U.O. Note) कहते हैं (up.gov.in)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ एवं प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म पूर्णतः सही सुमेलित है?

• (क) 'अरण्य रोदन' — निष्फल निवेदन (जिस पर कोई ध्यान न दे); 'त्रिशंकु होना' — किसी भी ओर न रहना (अधर में लटकना)

• (ख) 'कागजी घोड़े दौड़ाना' — घुड़सवारी का अभ्यास करना; 'गूलर का फूल होना' — अत्यंत सस्ता होना

• (ग) 'अंगूठा दिखाना' — सहमति प्रदान करना; 'कान कतरना' — बहरा हो जाना

• (घ) 'आंखे बिछाना' — नींद आना; 'खेत रहना' — कृषि कार्य करना

• **सही उत्तर:** (क) 'अरण्य रोदन' — निष्फल निवेदन (जिस पर कोई ध्यान न दे); 'त्रिशंकु होना' — किसी भी ओर न रहना (अधर में लटकना)

• **विस्तृत व्याख्या:** हिंदी व्याकरण एवं निबंध-पत्र लेखन प्रश्नपत्र (up.gov.in) के अनुसार 'अरण्य रोदन' का अर्थ जंगल में रोना अर्थात् ऐसी पुकार जिस पर कोई ध्यान न दे, और 'त्रिशंकु होना' का अर्थ बीच में अधर में लटकना है। ('कागजी घोड़े दौड़ाना' = केवल लिखा-पढ़ी करना, 'गूलर का फूल होना' = दुर्लभ होना, 'अंगूठा दिखाना' = समय पर साफ मना कर देना, 'कान कतरना' = बहुत चतुर होना, 'आंखें बिछाना' = प्रेमपूर्वक प्रतीक्षा/स्वागत करना, तथा 'खेत रहना' = युद्ध में वीरगति पाना)।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. किसी शासकीय पत्र को 'सारणी रूप' (Tabular Form) में परिवर्तित करते समय मुख्य सारणी में कितने मानक स्तंभ (Columns) बनाए जाते हैं?

- (क) 4 स्तंभ (क्रम संख्या, प्रेषक का नाम व पदनाम, प्रेषिती का नाम व पदनाम, तथा विषय/आशय व दिनांक)
- (ख) 2 स्तंभ (केवल प्रश्न और उत्तर)
- (ग) 8 स्तंभ (प्रत्येक शब्द के लिए अलग स्तंभ)
- (घ) सारणी रूप में कोई स्तंभ नहीं बनाया जाता, केवल निबंध लिखा जाता है

- **सही उत्तर:** (क) 4 स्तंभ (क्रम संख्या, प्रेषक का नाम व पदनाम, प्रेषिती का नाम व पदनाम, तथा विषय/आशय व दिनांक)

- **विस्तृत व्याख्या:** उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा (up.gov.in) में शासकीय पत्र को सारणी रूप (Tabular Form) में लिखते समय मानक रूप से 4 या 5 स्तंभ बनाए जाते हैं: (1) क्रम संख्या (या पत्र संख्या व दिनांक), (2) प्रेषक (भेजने वाले अधिकारी का पदनाम व पता), (3) प्रेषिती (पाने वाले अधिकारी का पदनाम व पता), और (4) विषय/आशय का संक्षिप्त सार (अन्य पुरुष में)। यदि पत्र में संलग्नक या पृष्ठांकन हों, तो उन्हें क्रम संख्या 2, 3 डालकर अगली पंक्तियों में दर्शाया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. निम्नलिखित सूक्तियों में से किस सूक्ति का केंद्रीय भाव पल्लवन (Amplification) में 'कथनी और करनी की एकता तथा आचरण की पवित्रता' को व्यक्त करता है?

- (क) "पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥"
- (ख) "का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय चूकि पुनि का पछिताने॥"
- (ग) "जाको राखे साइयां, मार सके न कोय।"
- (घ) "अधजल गगरी छलकत जाय।"

- **सही उत्तर:** (क) "पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥"

- **विस्तृत व्याख्या:** गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की इस प्रसिद्ध चौपाई (www.iucacademy.com) का भावार्थ है कि दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग कुशल होते हैं, किंतु जो स्वयं उन आदर्शों को अपने आचरण में उतारते हैं, ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। पल्लवन लेखन में यह पंक्ति कथनी और करनी के सामंजस्य को रेखांकित करती है। (विकल्प ख समय की महत्ता, विकल्प ग ईश्वरीय रक्षण और विकल्प घ अल्पज्ञानी के आडंबर को दर्शाता है)।

क्वालिटी ऑडिट, त्रुटि-निवारण एवं 2024–2026 निबंध एवं शासकीय पत्र लेखन बूस्टर

1. शासकीय पत्राचार के सभी रूपों की एक नज़र में तुलनात्मक मास्टर सारणी (UPPSC PCS / RO-ARO Mains)

पत्र का प्रकार	पुरुष व शैली	प्रेषक एवं प्रेषिति की दिशा	संबोधन (Salutation)	अधोलेख / स्वनिर्देश (Subscription)
1. शासकीय पत्र (Official Letter)	अन्य पुरुष (Third Person), पूर्णतः औपचारिक व तटस्थ	वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ (सरकार से बाहर/अंदर)	महोदय (Sir)	**भवदीय (Yours faithfully)** (UPPSC Syllabus)
2. अर्ध-शासकीय पत्र (D.O. Letter)	उत्तम पुरुष (First Person — 'मैं'), मित्रवत् व व्यक्तिगत ध्यान हेतु	प्रायः समकक्ष या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत नाम से	प्रिय श्री ... / आदरणीय श्री ...	**भवदीय / आपका सद्भावी (Yours sincerely)** (प्रेषक का केवल हस्ताक्षर, पदनाम नहीं!)
3. कार्यालय आदेश (Office Order)	अन्य पुरुष, आज्ञार्थक व सूचनात्मक	वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आंतरिक प्रशासन हेतु	**कोई संबोधन नहीं**	कोई स्वनिर्देश नहीं (सीधे हस्ताक्षर व पदनाम दाईं ओर)
4. कार्यालय ज्ञाप (Office Memo)	अन्य पुरुष	मंत्रालयों के बीच या याचिका/आवेदन के उत्तर में	कोई संबोधन नहीं	कोई स्वनिर्देश नहीं; प्रेषिति का नाम-पदनाम **पत्र के अंत में बाईं ओर** लिखा जाता है
5. परिपत्र (Circular)	अन्य पुरुष	एक प्रेषक से **अनेक प्रेषितियों** को एक साथ समान निर्देश भेजने हेतु	महोदय (यदि पत्र रूप में हो) या बिना संबोधन	भवदीय (पत्र रूप में) या सीधे हस्ताक्षर (ज्ञाप रूप में)
6. अधिसूचना (Notification)	अन्य पुरुष, राजपत्रित शैली	राष्ट्रपति/राज्यपाल के नाम से सरकारी गजट (राजपत्र) में प्रकाशन हेतु	**कोई संबोधन नहीं**	**'आज्ञा से'** — हस्ताक्षर व पदनाम; प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
7. अनुस्मारक (Reminder / स्मरण-पत्र)	पूर्व पत्र के समान ही प्रारूप	पूर्व में भेजे गए पत्र पर कार्यवाही न होने पर याद दिलाने हेतु	पूर्व पत्र के समान	पूर्व पत्र के संदर्भ क्रमांक व दिनांक का उल्लेख अनिवार्य